राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार,

27 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रतिपक्ष पर आपकी कृपा नजर नहीं आ रही।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप। देख लिया मैंने आपको।

श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: श्री भगवानसहाय सैनी। मैंने पुकार लिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कृपा करके मेरी बात को आप सुनें।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर में आप कहां से डिस्टर्ब कर रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सेकंड के लिए।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर खतम हो जाए, उसके बाद में आपको समय दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं यह कह रहा हूं, अगर...

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर में आपको... , क्वेश्चन आवर समाप्त हो जाने दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा मित्रों को रात को ग्यारह बजे सोते हुए को...

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर के बाद में आपको समय दूंगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) रात को बारह बजे विद्यार्थी मित्रों को, महिला शिक्षिकाओं को पुलिस ने भगा-भगा कर मारा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप यह बतायें...

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर हो जाने दीजिये, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...क्या किसी को अपनी बात के लिए...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अवसर दूंगा। क्वेश्चन आवर समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको अवसर दे दूंगा। जीरो आवर में आपको अवसर दे दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

जयपुर जिले के कृषकों की भूमि पर मंदिर माफी नोट

109. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला जयपुर में किसानों की भूमि के मन्दिर माफी का नोट लगा हुआ है? क्या राजस्व मण्डल, अजमेर ने गलत लगे हुए मन्दिर माफी नोट को हटाने के कोई आदेश जारी किए हैं? यदि हां, तो उक्त आदेशों की पालना कितने प्रतिशत हुई? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या मंदिर माफी का नोट हटाने के लिए प्रत्येक खातेदार को आवेदन करना आवश्यक है?

(3) क्या सरकार अपने स्तर पर मंदिर माफी नोट हटाकर खाता दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर(श्रीगंगानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। जिन प्रकरणों में माफी मंदिर की भूमि मानकर न्यायालयों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस प्रकरण विचाराधीन हैं, उनमें माफी मंदिर का नोट लगा हुआ है।

जी नहीं। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मन्दिर माफी के नोट को हटाने के आदेश नहीं दिये हैं अपितु राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक : 3(2) राज6/2007/14 दिनांक 24-5-2007 [परिशिष्ट (अ)] में अंकित निर्देशों की पालना में लम्बित प्रकरण निस्तारण हेतु लिखा है।

राजस्व विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक : 3(2)राज6/2007/14 दिनांक 24-5-2007 [परिशिष्ट (अ)] में ये निर्देश दिये गये थे कि जागीरदारों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादीमदार आदि नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य के एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त परिपत्र के क्रम में राजस्व मण्डल ने अपने पत्र क्रमांक : राम/प-63/न्याय/स्था-5/636-689 दिनांक 6-1-2010 [परिशिष्ट (ब)] से निर्देश दिये थे कि उक्त परिपत्र का गहनता से अवलोकन कर राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जावे।

उक्त परिपत्र को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को भिजवाकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये। परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना में ऐसे न्यायालयों में लम्बित रेफरेंस को विथड्रा करवा कर अथवा जमाबंदी में त्रुटिवश लगाये गये माफी मंदिर के नोट को हटाने की कार्यवाही की गई है एवं निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करायी जा रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (2) राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 24-5-2007 व दिनांक 25-11-2011 [परिशिष्ट (स)] में दिये गये

(श्री हेमाराम चौधरी)

निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु, रिकार्ड दुरुस्ती हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आवेदन किया जाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर समाप्त होने के पश्चात् आपकी मांग पर विचार किया जा सकता है लेकिन अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): (3) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक : 3(2)राज6/2007/14 दिनांक 25-5-2007 व 25-11-2011 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अतः इस संबंध में पृथक से राज्य स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये राजस्व मण्डल द्वारा 24-5-2007 को व राजस्व विभाग-6 द्वारा 25-11-2011 को जो निर्देश जारी किये गये, उनकी कितनी पालना हुई?

श्री अध्यक्ष: राजस्व मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि राजस्व मण्डल द्वारा जो मंदिर माफी की जमीन थी, वह जागीर अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण के समय जो खातेदार, पट्टेदार या खादीमदार के नाम दर्ज थी, वह जमीन उनके खाते में रहेगी और उनको हस्तांतरण का अधिकार होगा।

सदन कूप में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने बताया कि पट्टेदार, खातेदार का रिकार्ड में होगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चौमूं तहसील में इस तरह के कितने प्रकरण हैं जिनके गलत नोट लगाये गये हैं, जो खातेदार, पट्टेदार थे और

(श्री भगवान सहाय सैनी)

उनमें से कितने नोटों को दुरुस्त कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण को मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, कृपया प्रश्न काल को शांति से चलने दें, उसके बाद माननीय कटारियाजी और घनश्याम जी अपनी बात कहना चाहेंगे तो मैं उनको अवसर दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चौमूं तहसील में इस तरह के कितने मंदिर माफी नोट लगे हुए हैं जिनका दुरुस्तीकरण करना था और अब तक कितने कर दिये, जबसे यह राजस्व मण्डल का आदेश आया?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया, प्रश्न काल शांति से चलने दें, फिर प्रश्न काल के बाद माननीय कटारियाजी और माननीय घनश्यामजी को अपनी बात कहने का मैं अवसर दे दूंगा। आप कृपया विराजें। (व्यवधान) प्रश्न काल कृपया शांति से चलने दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, शांति से प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी मित्रों के ऊपर इतना जोरदार लाठी चार्ज हुआ है, रात को घसीट-घसीट कर उनको बंद कर दिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे निवेदन किया, आपकी बात कहने का अवसर दूंगा। अभी प्रश्न काल कृपया शांति से चलने दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आप हमें बता दीजिए, अपनी व्यवस्था बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। प्रश्न काल के बाद मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दे दूंगा। मैं यह कह चुका हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इतना अच्छा बजट आया है, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) इतना महत्वपूर्ण विषय है, सर, इसमें तो अभी...। सरकार तो जो भी अपने मन में चाहती है, वही करती है। यह तो बिलकुल ही नहीं होगा। इसलिए हमारी पूरी की पूरी पार्टी इसके खिलाफ बहिर्गमन करती है।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रणवीर पहलवान। श्री रणवीर पहलवान।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आपको तो अभी तुरन्त ही कह देना चाहिये इस पर। ऐसे नहीं।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं दिलवाया।

प्रश्न संख्या-110

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो। श्री रणवीर पहलवान।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अमराराम।

सीकर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान में विलम्ब

111. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिन का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पांडिचेरी राज्य की तरह इनको राज्य कर्मचारी घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिला सीकर में कार्यरत कार्यकर्ताओं को अल्प मानदेय का भी माहवार भुगतान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त जिले में पंचायत समिति वार उक्त मानदेय का भुगतान गत दो वर्षों में कब-कब किया गया है? उक्त जिले के कार्यकर्ताओं को 5 माह का मानदेय एक साथ देने के क्या कारण रहे हैं ?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती मंजू देवी): (1) जी हां। बजटीय घोषणा वर्ष 2012-13 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी तथा साथिन के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

(2) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भारत सरकार के सहयोग से संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत मानदेय कार्यकर्ता हैं। इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं।

(श्रीमती मंजू देवी)

(3) विभाग द्वारा सभी मानदेय कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय भुगतान के आदेश जारी किये गये हैं किन्तु प्रक्रियात्मक कारणों से सीकर जिले में माहवार भुगतान नहीं किया जा पा रहा है।

(4) जिला सीकर में गत दो वर्षों में किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। सीकर जिले में कार्यकर्ताओं के मानदेय का भुगतान 5 माह में एक साथ नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि प्रक्रियात्मक कारणों से नहीं दिया जा रहा है, वे कौन से प्रक्रियात्मक कारण हैं जिनके कारण सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, वह भी एक तारीख को नहीं मिलता? जबकि राजस्थान के 7 लाख कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री और विधायकों को एक तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। तो जो ये 1 लाख 80 हजार जो 33 रुपये में चार घंटे, आठ घंटे काम करती हैं, मंत्री महोदया से मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन से प्रक्रियात्मक कारण हैं जिनके कारण उनको माहवार भुगतान नहीं किया जा रहा? अध्यक्ष महोदय, चार-चार महीने बाद किया गया है, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

जहां तक आप बढ़ोतरी की बात कर रही हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, राजस्थान में मातृ व शिशु मृत्यु दर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है और उनको कम करने में कोई कारगर सिद्ध हो सकता है तो विभाग में काम करने वाली ये कार्यकर्ता, सहयोगिनी, साथिन हो सकती हैं लेकिन इनको मानदेय इतना कम दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि कोई आठ घंटे काम, आठ से बारह बजे तक तो आपका आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेंगी, उसके बाद वे सर्वे भी करेंगी, दूसरे काम भी करेंगी और उनको मात्र 33 रुपया पर-डे दिया जाये। कौनसा मानदेय दे रहे हैं? अब आपने वृद्धि कर के 33 की बजाय 35 कर दिया। 35 रुपये में इस महंगाई में, अध्यक्ष महोदय, कोई भी कार्यकर्ता कैसे काम करेगी? आप कह रहे हैं कि यह तो केवल मानदेय है। हमारे ही देश में जब पांडिचेरी की सरकार वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को राज्य सरकार के कर्मचारी घोषित कर सकती है और उनको वेतन दे सकती है तो फिर राजस्थान में तो खजाना भरा हुआ है, इसलिए क्यों नहीं दे सकती?

(श्री अमराराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले 2009-10, 2010-11, 2011-12 में केन्द्र सरकार से कितना बजट राज्य सरकार को मिला और वर्षवार कितना उसमें से खर्च किया गया?

श्री अध्यक्ष: विराजें। मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय सदस्य ने जो प्रक्रियात्मक कारणों के बारे में जानना चाहा, वह यह है कि जब पेमेंट होनी होती है, कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनियों की उपस्थिति का पत्रक ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा जारी किया जाता है और उसके बाद बी डी ओ उसको काउंटर-साइन करता है। पहले सरपंच साइन करते हैं और उसके बाद बी डी ओ साइन करते हैं। तो कुछ इलाकों में यह समस्या आ रही थी, जहां का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि चार महीने तक पेमेंट नहीं हो पाया था, तो वहां पर जब बी डी ओ ने दस्तख़त नहीं किये तो कलक्टर को पत्र लिखा गया, करीब 24.8.11 को कि इस प्रकार से बी डी ओ ने काउंटर साइन नहीं किये हैं। कलक्टर ने सी ई ओ को आदेश दिये, सी ई ओ ने मौखिक रूप से भी और एक पत्र जारी करके भी बी डी ओ को लिखा। उसने फिर कार्यवाही नहीं की। उसके बाद ए सी एस, पंचायती राज को 8.11. को लिखा गया। तो यह दिक्कत जो प्रक्रियात्मक थी साइन और काउंटर-साइन करने की, उसको मैं मानती हूं कि उसमें मानदेय देने में देरी आई थी लेकिन उसके बाद बी डी ओ के जो पावर थे, उनको सीज करके डिप्टी डाइरेक्टर को दे दिये गये और अब भुगतान हो गया है।

यह जो प्रक्रियात्मक दिक्कत आई है, इसको मेरे ख्याल से और सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा हमको क्योंकि यह दिक्कत आज आपके इलाके में आई है, हो सकता है कि किसी और इलाके में भी आये। तो उसे किस प्रकार से सिम्प्लीफाई किया जाय, उसके ऊपर हम लोग विचार करके एक ज्यादा पारदर्शी तरीका निकालेंगे। मानती हूं कि इन सहायिकाओं को तीन-तीन, साढ़े तीन-तीन हजार रुपया ही मिलता है, वह इनको समय पर मिल जाना चाहिये।

जिस प्रकार से पिछले साल केन्द्र ने इनका पैसा बढ़ाया था, उसी तर्ज पर कल ही आपके सवाल आने के पहले हमने जो जवाब भेजा था, उसमें तो कहा था कि नहीं, अभी कोई विचार नहीं है लेकिन हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई यह सुनकर कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल ही अपने बजट भाषण में कार्यकर्ताओं का और सहयोगिनियों का जो मानदेय है, उसे 10

(श्रीमती बीना काक)

प्रतिशत स्वयं ही बढ़ा दिया है। यह एक बहुत खुशी की बात है। पिछले साल केन्द्र ने बढ़ाया था....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दो रुपया रोज।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): नहीं, 3,300 का 3,600 रुपया हुआ है, 1,650 का 1,815 रुपया हुआ है और 1,000 जिनको मिलता था उनको 1,100 रुपया किया गया है। हमें जवाब बदलना पड़ा क्योंकि कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तावित कर दिया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो यह बता दो कि जिनको 1,100 रुपया मिल रहा है, उनको रोज कितना रुपया कितना दे रहे हो? 34 रुपया। 34 रुपये में कोई आज रह सकता है?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): जहां तक माननीय सदस्य ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की, उसके लिये भी कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक टास्क फोर्स जो कि लिंग डिटरमिनेशन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी भी घोषणा की है जिसमें हैल्थ डिपार्टमेंट, पंचायती राज, सोशल जस्टिस इत्यादि जो महकमे हैं, ये लोग सब मिलकर जो आपकी चिंता है, उसे मानिटरिंग करेंगे कि किस तरह से और महिलाओं को व इन बच्चों को और शक्तिशाली बनाया जाये, इनकी हैल्थ का ध्यान रखा जाये। उसके बारे में बहुत ही अच्छे कारगर उपाय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको बता दिये हैं।

प्रश्न संख्या-112

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें। नेक्स्ट प्रश्न, श्री फूलचन्द भिण्डा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने..

श्री अध्यक्ष: हो गया, काफी स्पष्ट कर दिया। श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने 2009-10-11 का बजट पूछा है।

प्रश्न संख्या-113

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-114

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-115

श्री वासुदेव देवनानी।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-116

श्रीमती अनिता भदेल।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: मैं नैक्स्ट प्रश्न पर जा रहा हूं। माननीय सदस्य, काफी स्पष्ट हो गया, बैठिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, चार-चार महीने से पेमेंट दे रहे हैं, चार-चार महीने से। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-117

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-118

श्री अब्दुल सगीर खां ।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये तो कोई आ नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूं तो उनको तो उत्तर देने दीजिए, साहब। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-119

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 7वें महीने का 11वें महीने में पेमेंट किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, कृपया विराजें। सारा स्पष्ट हो गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक नहीं, तीन साल लगातार। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-120

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इस तरह के समर्थन में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

प्रश्न संख्या-121

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-122

श्री राधेश्याम गंगानगर।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-123

श्री अशोक डोगरा ।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें।)

श्री पेमाराम।

श्रीमाधोपुर तहसील (सीकर) का दूषित पंजीरी प्रकरण

124. श्री पेमाराम (धोद): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) राज्य के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण की जाने वाली पंजीरी कहां बनाई जाती है तथा केन्द्रों तक वितरण किस प्रकार की जाती थी?

(2) जिला सीकर में 1 जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक कितनी मात्रा में पंजीरी किस-किस साधन से कौन-कौन से केन्द्र पर भेजी गई तथा इसकी लागत मूल्य कितनी है?

(3) क्या उक्त जिले में दूषित पंजीरी खाने से ढाणी चन्द्रावाली (दिवराला) तहसील श्रीमाधोपुर में माह मई, 2011 में बच्चे बीमार या उनकी मौत हुई? क्या उक्त प्रकरण में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पंजीरी की प्रयोगशालाओं में जांच हुई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री पेमाराम)

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त घटनाक्रम के बाद दूषित पंजीरी को खड्डा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया? यदि हां, तो जिले में कौन-कौन से केन्द्रों पर कितनी-कितनी राशि की पंजीरी नष्ट की गई?

(6) उक्त प्रकरण में किस अधिकारी को दोषी माना गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) राज्य के विद्यालयों में किसी प्रकार की पंजीरी का वितरण नहीं किया जाता है। राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रैडी-टू-ईट टेक होम राशन के रूप में वितरित की जाने वाली पंजीरी का निर्माण व वितरण दो प्रकार से किया जाता है:- (1) केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत, एवं (2) विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत। प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण की जाने वाली पंजीरी केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत खुली निविदाएं आमंत्रित कर अनुबंधकर्ता पोषाहार उत्पादनकर्ता फर्मों से क्रय की जाती है। विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था में चयनित की गई परियोजनाओं के केन्द्रों पर महिला स्वयं सहायता समूहों/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों से स्थानीय स्तर पर पूरक पोषाहार बेबी मिक्स क्रय किया जाता है। केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पोषाहार निर्माता फर्म द्वारा परियोजना स्तर तक पोषाहार की आपूर्ति की जाती है। परियोजना स्तर से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा स्थानीय परिवहन व्यवस्था से पोषाहार का वितरण कराया जाता है। विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा पोषाहार का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किया जाता है।

(2) जिला सीकर के लिए 1 जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक 783.81 मै.टन पंजीरी पोषाहार, जिसका मूल्य राशि रु. 288.35 लाख है, समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भेजा गया। रैडी-टू-ईट टेक होम राशन का वितरण परिवहन के सामान्य साधनों से किया गया है।

(3) जी नहीं। किन्तु उक्त घटना से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना क्रम में मृतक बालिका के परिवारजन द्वारा थाना अजीतगढ़ में दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान के पश्चात् मामला अदमवकु गलतफहमी बाका का पाया गया है। अतः थानाधिकारी अजीतगढ़ द्वारा मुकदमा में एफ.आर. नं. 43/11 दिनांक 21.09.11 को प्रस्तुत कर दी गई है।

(श्रीमती बीना काक)

(4) जी हां। उक्त पंजीरी की प्रयोगशालाओं में जांच कराई गयी है। जांच रिपोर्टों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त घटना क्रम के बाद पंजीरी को दूषित होने के कारण खड्डा खोदकर जमीन में गाड़ा गया हो। यद्यपि विभाग द्वारा करवाई गई प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में पंजीरी खराब होने की पुष्टि नहीं हुई है, तथापि एहतियात बरतते हुए विभाग द्वारा पंजीरी सतू के बैच संख्या जे.पी.-11 एवं जे.पी.-13 की अवशेष मात्रा को परियोजना गोदामों व आंगनबाड़ी केन्द्रों से वापस उठाने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्देश दिये गये। फर्म द्वारा 7.960 मै. टन पंजीरी पोषाहार वापस उठाया गया है जिसकी मूल्य राशि रुपये 2.93 लाख है। फर्म द्वारा निर्देश के उपरान्त भी जिस पंजीरी को उठाया नहीं गया, उक्त मात्रा 54.335 मैं.टन पंजीरी पोषाहार को परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नष्ट किया गया है जिसकी मूल्य राशि रु. 19.97 लाख है। फर्म द्वारा वापस उठाई गई मात्रा एवं परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र पर नष्ट की गई मात्रा का भुगतान फर्म को नहीं किया गया है। राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। नष्ट की गई मात्रा का केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(6) उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं माना गया । अपितु घटनाक्रम के समय अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित महिला पर्यवेक्षक को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनका नियम तो यह है कि पंजीरी सहायता समूह के द्वारा क्रय करनी चाहिये मगर इनके अधिकारियों ने मिलीभगत करके एक फर्म से पंजीरी खरीदी और वह पंजीरी दूषित पाई गई जिससे हमारे जिले की श्रीमाधोपुर तहसील में एक बालिका की मौत हो गई। मौत होने के बाद इनका जो जवाब आया है, जवाब में यह कह रहे हैं कि पंजीरी दूषित नहीं थी। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर पंजीरी दूषित नहीं थी तो पंजीरी को किसके आदेश से नष्ट किया गया? यदि किसी अधिकारी ने कोई आदेश दिया है तो उसकी प्रतिलिपि मुझे भी उपलब्ध कराई जाए और यदि किसी उच्चाधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया,... सीकर में वहीं

(श्री पेमाराम)

पर लोकल स्तर पर दो अधिकारियों ने मिलीभगत करके लगभग 20 लाख रुपये की 54.335 मै. टन पंजीरी को, एक तरफ कहते हैं कि पंजीरी दूषित नहीं थी और दूसरी तरफ लगभग 20 लाख रुपये की पंजीरी को वहीं पर खड्डा खोदकर नष्ट कर दिया गया और किसी के खिलाफ विभाग ने, क्योंकि बचाने के लिए, कोई एफ आई आर दर्ज नहीं करवाई। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजीरी किसके आदेश से नष्ट की गई? और यदि किसी का आदेश नहीं है तो पंजीरी नष्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की, अवगत कराने का कष्ट करें।

दूसरा मेरा सवाल है, महिला सहायता समूह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का..., अध्यक्ष महोदय, यह कोई राजस्थान सरकार अकेली नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि यह पंजीरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहायता समूह, हमारा जिला तो एक नम्बर पर है, सहायता समूह बनाने पर हर साल उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, कौनसा कारण है कि सीकर जिले में महिला सहायता समूह के द्वारा पंजीरी नहीं खरीदी जाती? क्या कारण है? किस अधिकारी की लापरवाही है? क्या कभी विभाग ने जांच की? क्या विभाग ने उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की? इसका मतलब सहायता समूह तो कागजों में बनाकर वाहवाही लूटते हैं।

इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौनसा कारण था कि महिला सहायता समूह जो पंजीरी बनाते हैं, उनसे न खरीदकर एक कम्पनी विशेष से मिलीभगत करके पंजीरी क्यों खरीदी गई? और लगभग 20 लाख रुपये की पंजीरी को नष्ट करने वालों के खिलाफ आज तक विभाग ने एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं करवाई? माननीय मंत्री महोदय बता दें कि उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं?

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी लेकिन जब जांच की तो यह पाया गया कि भेड़-बकरी चराने वाली दो बालिकाएं एक पैकेट पंजीरी और हलवा जो उन्हें मिला था, वे उन्हें लेकर गईं और एक मिट्टी के सिकोरे के अन्दर जिसके अंदर सिंदूर और इस तरह की चीजें थीं, उसके अन्दर घोलकर, उसको पकाकर, तो उससे जो रिएक्शन हुआ, उसको खाया और उसके बाद में उनकी मौत हुई, जो बहुत ही सीरियस चीज है और दर्दनाक मामला है। लेकिन इसको बहुत गम्भीरता से विभाग ने लिया है और जो भी फर्म इसके अन्दर है, उनकी जो

(श्रीमती बीना काक)

सिक्योरिटी है उसको भी फोरफीट करने के निर्देश विभाग के द्वारा दे दिये गये थे। अगर आपको लगता है कि किसी अधिकारी की मिलीभगत थी तो उसकी मैं जांच करवा लूंगी और इसमें कोई भी कोताही राजस्थान सरकार नहीं बरतेगी क्योंकि यह बच्चों की हैल्थ का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहती हूं, बल्कि पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस प्रकरण की जांच करके, यदि आपको लगता है, आप मुझे बता दीजिए, उस दोषी अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: सफिशिएंट। श्री छोटूसिंह भाटी।

जैसलमेर जिले के कृषकों को मुआवजा

125. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) (श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) के स्थान पर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में वर्तमान में रबी की फसल में शीतलहर के प्रभाव से विभिन्न फसलों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक खराबा हुआ है?

(2) क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण सर्वे करवा लिया गया है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

(3) क्या सरकार सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) रबी फसल गिरदावरी संवत् 2068 के अनुसार जैसलमेर जिले की तहसील पोकरण तथा जैसलमेर में फसल खराबा 50 प्रतिशत व इससे अधिक हुआ है।

(2) जी हां। रबी फसल गिरदावरी संवत् 2068 की रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में शीतलहर और पाले से भयंकर नुकसान हुआ है और राजस्थान सरकार का कृषि विभाग 65 से 70 प्रतिशत खराबा बता रहा है। राजस्व विभाग की जो रिपोर्ट आई है वह सीकर, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, बहुत से जिले जिनमें शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयीं और सरकार के निर्देश हैं कि उन किसानों को नहीं मिले, इसके लिये 50 प्रतिशत से नीचे...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका, रेलेवेंट प्रश्न?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रश्न यही तो है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो 200 करोड़ की घोषणा की गई है उससे 10 प्रतिशत भी किसानों को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि जब कृषि विभाग, इस फसल में रबी-2012 में फसल जो नष्ट हुई है, असल में कृषि विभाग ही बता सकता है कि उसमें कितना नुकसान हुआ है क्योंकि फली तो आज भी हरी है, आज जो काट रहे हैं, उसमें 80 प्रतिशत सरसों में नुकसान है, जीरा और ईसबगोल साफ है, पपीते की खेती...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिये, अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार, जिनका नुकसान 50 प्रतिशत से कम हुआ है, क्या सरकार कृषि विभाग, रेवेन्यू अधिकारी, जन-प्रतिनिधियों को मिलाकर पुनः गिरदावरी कराने की मंशा रखती है? अगर नहीं रखती है तो इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि उनको मुआवजा मिले।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत गिरदावरी राजस्व विभाग ने कराई। हम तो सिर्फ उसका डाटा काम में लेते हैं, जो राजस्व विभाग गिरदावरी करवाता है, उसका। उस डाटा के अनुसार जो भी खराबे की स्थिति आई है, 50 प्रतिशत या उससे अधिक, उसको सरकार ने राहत पैकेज देने की घोषणा कर दी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबे वाले कितने किसान हैं? पूरे राजस्थान में आप यह बता दें कि कितने किसान हैं और आपके पैकेज के अनुसार कितनी राशि उनको मिलेगी? बात समझ में आ जाएगी।

(श्री अमराराम)

अध्यक्ष महोदय, साधारण गिरदावरी कराते हैं वह राजस्व विभाग में कि किसमें कितना बोया है। कोई भी पटवारी यह नहीं बता सकता कि यह सरसों की फसल में, जीरे की फसल में, सब्जी में, पपीते के बाग़ में कितना नुकसान हुआ है। किसी पटवारी के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। तो क्या सरकार उन कृषि विभाग, जन-प्रतिनिधियों और उनके माध्यम से करवाने का विचार रखती है? उन किसानों की जिनकी साल भर की फसल तबाह हो गयी, साल भर की उम्मीदें तबाह हो गयीं, उनकी क्या सरकार यह मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, जवाब आने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री महोदय बता दें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा के कितने काश्तकार आपकी गिरदावरी में आये हैं? और आपके पैकेज के अनुसार 200 करोड़ में से कितनी राशि उनको भुगतान की जाएगी? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, गिरदावर के पास कौन से मापदण्ड हैं जो मालूम कर लेगा? (व्यवधान) मालूम ही नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पटवारी के पास ऐसा कौनसा थर्मामीटर है जो यह बता सकता है कि सरसों में इतना खराबा हुआ है? माननीय सदस्यों को मालूम हो जाता है कि फसल नष्ट हो गई है। अब यह फसल खड़ी दिखाई दे रही है, हरी दिखाई दे रही है। काटेंगे, तब जो सरसों निकलेगी, जीरो पर आकर टिकेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में आमेर और चौमूं में...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो डाटा बता रहे हैं, पटवारी के पास कोई डाटा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): प्रश्न मेरा यही है। किसानों के लिये, यह क्या मतलब हुआ, किसान से बड़ा और प्रश्न क्या होगा हमारे पास? उनके भेजे हुए बैठे हैं हम तो।

श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में आमेर और चौमूं, दो ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती हैं और अभी जो दावा पड़ा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने केवल माननीय सदस्य को अलाउ किया है, माननीय सदस्य को अलाउ किया है। आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं, झुंझुनूं जिला, सीकर, यह वैसे तो यू.पी. तक का है लेकिन वहां हमारा ठेका नहीं है, हम झुंझुनूं, सीकर, राजस्थान की बात करते हैं। फसल का जो नमूना है वह हरा दिखाई दे रहा है, फसल पक्की नजर आएगी लेकिन उसके बीज अन्दर से पानी हो गये हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि डाटा पर मत जाओ, आप दुबारा एक अच्छे सर्वेयर को भेजो, एम.एल.ए. साथ जाए और उनका प्रतिनिधि जाए, वह बताये, फोड़ कर बताए कि सरसों के अन्दर पानी हो गया है। उसको गेहूं को मार दिया है, गेहूं के अन्दर हवा निकल गई, सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब यह जब निकालेंगे तब रोएंगे, उस वक्त आप गिरदावरी नहीं करवाओगे। तब मण्डी में जाने का मतलब नहीं होगा उनका। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, किसान को बेनिफिट दो। किसान का भेजा हुआ सारा सिस्टम है यह।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में, जैसे मौसम आधारित फसल में अरण्डी को साथ में नहीं लिया गया है। तो क्या मंत्रीजी यह बताएंगे कि जो यह अभी सरकार ने घोषणा की है, हमारे जिले में अरण्डी की काफी फसल है तो उनको क्या इसका फायदा मिलेगा?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): अध्यक्ष महोदय, एक तो यह प्रश्न जैसलमेर जिले से सम्बन्धित है, प्रश्न जैसलमेर जिले से सम्बन्धित है, उसकी मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह जैसलमेर जिले से तो है लेकिन सवाल तो पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष: अमरारामजी, एक मिनट। जहां तक आपका सवाल है, उसी के सीमित दायरे में तो जवाब देंगे ना। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, फसल तो पूरे राजस्थान की खराब है। मंत्रीजी खुद बता दें।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए। आप जवाब आने दीजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा। मंत्रीजी के अलावा किसी अन्य सदस्य का अंकित नहीं

(श्री अध्यक्ष)
होगा। (व्यवधान) और किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): जैसलमेर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने अरण्डी के बारे में पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरण्डी खरीफ के अन्तर्गत आती है। इसलिये उसके बारे में रबी की फसल में विचार नहीं होता है।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अरण्डी की जो फसल है, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अरण्डी की फसल हमेशा दो या तीन फसलें लगातार देती है। रबी में भी इसकी फसल मिलती है और खरीफ में भी फसल मिलती है। अब मौसम आधारित जो फसल योजना है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये तो लाल मिर्च उगाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछने दीजिए, मैंने उनको अलाउ किया है। बैठिये आप।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जैसलमेर जिले में 70 प्रतिशत लोग अरण्डी की खेती कर रहे हैं। मेरे पोकरण में अरण्डी की खेती कर रहे हैं। अब यदि उसको रबी के साथ मानेंगे तो सर्दी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है, वह अरण्डी को हुआ है। मैं मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले की जो अरण्डी की फसल है, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनको यदि लाभ नहीं मिलेगा तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि अरण्डी को भी खरीफ की फसल में साथ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलारामजी।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि फसल की कटाई तो हो गई सरसों की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जैसलमेर जिले का प्रश्न है।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): राजस्थान का ही है। राजस्थान का ही है। फसल की कटाई हो चुकी है। क्या मंत्रीजी फसल की कटाई होने के बाद में गिरदावरी करवा सकते हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, क्या सरकार दुबारा गिरदावरी कराने का...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। जवाब तो आने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, दुबारा गिरदावरी नहीं होगी। कृषि विभाग और रेवेन्यू का दुबारा, सरकार इतना ही बता दे कि क्या दुबारा गिरदावरी करवाएगी? वाकई किसानों का नुकसान हुआ है, उनकी सहायता करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, 50 प्रतिशत से नीचे वालों की भी? मैं समझता हूं कि फसलें 70-80 प्रतिशत नष्ट हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिला दें। सरकार नहीं देना चाहती तो खड़े होकर मंत्रीजी कह दें कि सरकार नहीं देना चाहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार किसान को नहीं देना चाहती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी का ही अंकित किया जाए। बाकी का अंकित नहीं किया जाए। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में चौमूं और आमेर तहसील और इनके आसपास सरसों में 80 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है, खराबा है पाले से।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है, जैसलमेर के विषय में?

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जयपुर जिले में चौमूं और आमेर में सरसों की फसल में पाले से खराबा हुआ है, सब्जियां खराब हुई हैं, उनका मुआवजा दिलाएंगे क्या? (व्यवधान) चौमूं और आमेर में जो पाले से सब्जियां और सरसों की फसल खराब हो चुकी है, क्या उनके बारे में भी विचार किया जाएगा क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप क्या कह रहे हैं?

श्री गंगासहाय शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर विधान सभा क्षेत्र में टमाटर, सरसों, ककड़ी, ये सभी फसलें 100 प्रतिशत नष्ट हो चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जैसलमेर में है क्या? यह जैसलमेर में है क्या? (व्यवधान)

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आमेर की बात कर रहा हूं, राजस्थान में ही है। (व्यवधान) क्या मंत्रीजी इसके बारे में भी विचार करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। न आपको अलाउ करूंगा, न मुख्य मंत्रीजी को अलाउ करूंगा, कृपया बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री मदन।

श्री मदनलाल वर्मा (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन में जो खराबे का दर्ज होता है वह किसान को इकाई मानकर दर्ज करते हैं। अब एक किसान के पास अगर चार तरह की फसलें बोई हुई हैं और एक तरह की फसल अगर पूरी बरबाद हो जाती है, तीन तरह की उसके पास खाने की वस्तुएं बचती हैं परन्तु जो फसल बरबाद होती है, जो कामर्शियल फसल बरबाद होती है तो परसेंटेज 50 परसेंट से ऊपर वाले को ही मुआवजा देय होता है, अगर उसके पास 25 परसेंट जो कामर्शियल फसल थी, यदि वह पूरी बरबाद होती है तो उस फसल का मुआवजा देने का क्या मंत्रीजी विचार रखते हैं? यह मेरा प्रश्न है, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारे सवाल ही हो जाएंगे तो फिर जवाब ही नहीं आ पाएगा। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मेरा भी जोड़ दो, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी यह बता दें कि इन्होंने जो घोषणा की है, प्रदेश के अन्दर कितने जिले आये हैं जिनमें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नियम यही है, कायदा यही है कि 50 परसेंट या उससे जो अधिक खराबा होता है उसी के मामले में सहायता दी जाती है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा है। जब सरकार के कृषि विभाग ... (व्यवधान) 50 परसेंट से ऊपर खराबा होता है तो ... (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 50 परसेंट से अधिक खराबा हुआ है उसका मंत्रीजी क्या जवाब दे रहे हैं? प्रतापगढ़ जिले में 50 परसेंट से ज्यादा खराबा हुआ है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन एक ही है कि सरकार क्या कृषि विभाग से ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 50 परसेंट से ज्यादा खराबा होता है, वहां कृषि विभाग से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): प्रतापगढ़ जिले का क्या है, मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या पूछ रहे हैं आप? माइक को दूर रखें थोड़ा। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): प्रतापगढ़ जिले में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न जैसलमेर जिले का है, आपके जिले का नहीं है।

श्री नगराज (धरियावद): नहीं, प्रतापगढ़ भी तो राजस्थान में ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत।

अलवर जिले में कुपोषण के उपचार केन्द्र

126. **श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़) (श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) के स्थान पर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बच्चों (0-6 वर्ष) में कुपोषण की रोकथाम के लिए अलवर जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो शहरी व ग्रामीण उपचार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में इनके प्रारम्भ से अब तक कितने कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया? उपचार किये गये कुपोषित बच्चों का केन्द्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चों एवं उनके माता-पिताओं को किन प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अब तक कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा आबंटित राशि के विरुद्ध कितनी राशि अब तक व्यय की गई? जिलेवार, केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डा. राजकुमार शर्मा): (1) जी हां। जिला अलवर में शहरी क्षेत्र में जिला चिकित्सालय, अलवर व ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा में कुपोषण उपचार केन्द्र खोले गये हैं।

(2) अगस्त, 2008 से जनवरी, 2012 तक जिला चिकित्सालय, अलवर में 819 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ में 122, कुल 941 कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा में जून, 2011 से जनवरी, 2012 तक उपचारित बच्चों की संख्या शून्य है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा में संचालित कुपोषण केन्द्रों में उपचारित बच्चों की सूचना शून्य रहने के संबंध में

(डा. राजकुमार शर्मा)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा तथा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा को 17 सीसीए का नोटिस जारी किया गया है।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चों एवं उनके साथ रुकने वाले संरक्षक (माता) को रुपये 30 प्रतिदिन व बच्चे को प्रतिदिन दिन में तीन बार पोषाहार दिया जाता है। बच्चों को इलाज के दौरान समस्त चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्ष 2012-13 की पी आई पी में संरक्षक को 30 रुपये के स्थान पर 135 रुपये प्रतिदिन प्रस्तावित किया गया है।

(4) अगस्त, 2008 से जनवरी, 2012 तक जिला चिकित्सालय, अलवर को 20,64,530/- रुपये तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ को 16,16,000/- रुपये एवं जून, 2011 से जनवरी, 2012 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर को 1,85,000/- रुपये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम को 1,85,000/- रुपये एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा को 1,85,000/- रुपये, कुल 42,35,530/- रुपये आबंटित किये गये, जिसके विरुद्ध जिला चिकित्सालय अलवर ने 15,68,552/- रुपये एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ ने 5,22,732/- रुपये, कुल 20,91,284/- रुपये व्यय किये हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा ने कोई राशि व्यय नहीं की है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा में संचालित कुपोषण केन्द्रों में आबंटित राशि का उपयोग नहीं करने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा तथा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, बानसूर, कोटकासिम एवं तिजारा को 17 सी सी ए का नोटिस जारी किया गया है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अलवर जिले में 941 केन्द्रों की स्थापना की बात सदन में कही है कि कुल 941 केन्द्र हैं जिनके अन्दर कुपोषण से संबंधित बच्चों की रोकथाम की संस्थाएं खोली गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर माननीय मंत्रीजी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

से यह जानना चाहता हूं कि जो कुपोषण से प्रभावित बच्चे हैं, उनके माता-पिताओं को अभी तक आपने क्या दिया है? इसमें इस प्रश्न के माध्यम से हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि किन प्रकार की सुविधाएं आपके द्वारा अभी तक उन परिवारों को और उन बच्चों को दी गई हैं? दूसरा यह कि उक्त जो उपचार केन्द्र सुचारु रूप से संचालित अब तक किये गये हैं, उनमें जो कुल राशि दी है, उसमें से कितनी राशि का प्रयोग अभी तक उन कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु किया गया है?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनके संरक्षक की बात कर रहे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके घर वालों को क्या मिलता है, तो माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 30 रुपये प्रति दिन हम उनको देते हैं, तीन समय उनको पोषाहार दिया जाता है और जो नई पी आई पी है, उसमें 135 रुपये का प्रस्ताव हमने केन्द्र सरकार को भेज दिया है और उन कुपोषित बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

हनुमानगढ़ जिले में बाल श्रमिक हेतु गठित टास्क फोर्स

127. **श्री पेमाराम** (धोद) (श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) के स्थान पर): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो हनुमानगढ़ जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया है? उक्त जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए कोई सर्वे कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त सर्वे को नहीं करने के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बाल श्रमिकों का नियमित रूप से सर्वे करना अनिवार्य है? यदि हां, तो उक्त सर्वे को नहीं कराने के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री मांगीलाल गरासिया): (1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में मुक्त कराये गये बालकों की संख्या शून्य है। राज्य में सभी 33 जिलों में मुक्त कराये गये 692 बालकों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए कोई सर्वे कार्य नहीं कराया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा सर्वे हेतु राशि उपलब्ध कराने पर सर्वे कार्य कराया जाता है। राज्य के 27 जिलों में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना चलाई जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के अनुसार जयपुर, अलवर, उदयपुर, जालौर, बांसवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, नागौर, झालावाड़, भरतपुर, झुन्झुनूं एवं बारां में सर्वे कार्य कराया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय संचालन हेतु सर्वे कराया जाता है। एक बार सर्वे में चिह्नित बालकों को 3 वर्ष तक शिक्षा प्रदान कर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। तत्पश्चात् पुनः नवीन विद्यालयों हेतु बालकों के चयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि आबंटन की स्थिति में सर्वे कराया जाता है। अतः नियमित रूप से सर्वे कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.49 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(12.00 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: एक निवेदन कर दूं, मैं एक निवेदन कर दूं। शोकाभिव्यक्ति पहले कर दूं, उसके बाद आपको अवसर दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

पूंजीलाल मीणा, श्री, सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री पूंजीलाल मीणा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री पूंजीलाल मीणा का जन्म 7 सितम्बर, 1923 को हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री पूंजीलाल मीणा सातवीं राजस्थान विधान सभा में घाटोल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा खान विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री मीणा अपने सार्वजनिक जीवन में लगभग 3 वर्षों तक पंच तथा 6 वर्षों तक मोटा गांव और जगपुरा पंचायत के सरपंच रहे। आप लगभग 14 वर्ष तक घाटोल पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। श्री मीणा बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण विकास अभिकरण में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री मीणा जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति के सदस्य रहे। अध्यापन से जुड़े श्री मीणा वर्ष 1939 से 1965 तक राजस्थान डूंगरपुर सेवा संघ व परतापुर बांसवाड़ा सेवा संघ की शिक्षण संस्था से सम्बद्ध रहे। आप शिक्षा समाधान समिति, जयपुर के सदस्य भी रहे। श्री मीणा घाटोल ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे।

श्री पूंजीलाल मीणा का दिनांक 3 मार्च, 2012 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री पूंजीलाल मीणा के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन के माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की।)

(श्री अध्यक्ष)

नेता प्रतिपक्ष, आप बोलेंगी या फिर कटारिया साहब?

सूचना

विद्यार्थी मित्रों पर लाठी चार्ज

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का सम्मान करते हुए आज एक शिक्षक के नाते अपने मन की पीड़ा इस सदन में प्रकट कर रहा हूं। ये शिक्षा मित्र जो बच्चे हैं, चूंकि हमारी सरकार पिछले लम्बे समय से अध्यापकों के रिक्त पदों को भर नहीं पा रही है, बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है और इसलिये सरकार ने एक टेम्परेरी व्यवस्था की कि ऐसे बच्चे जो उनके समान योग्यता रखते हैं, उनको एज ए अध्यापक लगाकर स्कूल की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने का काम किया। ये बच्चे एक लम्बे पांच-पांच साल के काल खण्ड से लगे हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बार-बार सरकार के सामने आते हैं कि हमको एक मिनिमम वेज जो एक मजदूर को मिलती है, मुझे बहुत दुःख है, अफसोस है इस बात का कि हम जो राज चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिये चिन्ता करते हैं, उन सरकारी विद्यालयों में जहां पहले से ही ईश्वर ने उन गरीबों को मजबूर किया इस बात के लिये कि उनके पास फीस देने के लिये पैसा नहीं है इसलिये सरकारी स्कूल में ही जाना पड़ेगा और जो सरकार करोड़ों इन विद्यालयों के लिये, इन शिक्षण संस्थाओं के लिये व्यय करती है, उन बालकों को हम 3,000 रुपया देते हैं। आज जो मिनिमम वेज है, वह 133 रुपया, 137 रुपया, 140 रुपया है, उसके हिसाब से भी 4,000 बनता है। वह भी हमारी सरकार, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से इतनी दुर्बल है कि एक भविष्य बनाने वाले शिक्षक को उसके एम.ए., बी.एड. करने के बाद टेट और फेट, पता नहीं, कितनी परीक्षाएं लेने के बाद और उनके मां-बाप सारी जागीर गिरवी रखने के बाद अपने बच्चे को बी.एड. कराकर शिक्षक बनाते हैं। अब वह बच्चा अगर अपनी मांग लेकर आता है, तो सरकार के पास नहीं आयेगा तो कहां जाये? उसे आखिर अपनी बात कहने का अधिकार तो है ना। उस अधिकार के आधार पर सरकार को भी एक शिक्षक की गरिमा को बनाये रखने के लिये, वह केवल शिक्षा मित्र ही नहीं है, वह आज की तारीख में इस जर्जर अव्यवस्था में बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रहा है। वह यहां एक बार नहीं, कई बार आया है, और कई बार आयेगा। मैं उसको भी इतना नहीं लेता हूं कि आप उनकी कौनसी बात मानें, कौनसी नहीं मानें। मानना, आप ठीक समझते हैं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं समझते हैं, यह भी आपकी इच्छा हो सकती है, यह भी अभिमान हो सकता है, मैं सोचता हूं कि पिछले टर्म में हम लोगों ने जितने भी पैराटीचर्स, जितने भी शिक्षाकर्मी, जितने भी लोक जुम्बिश, जितने भी संविदा शिक्षा, सबको पक्का शिक्षक बनाकर पूरे वेतन में उनको हमने अध्यापक की योग्यता यदि वे रखते थे तो बनाये। चलो, छोड़िये उसको, कोई बात नहीं। आज वे अगर मांग लेकर आपके यहां आये हैं और जुलूस निकालकर यहां प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, मान लो, हो सकता है, वे जिसको ज्ञापन देना चाहते हों, वह यहां उपलब्ध नहीं है तो घर ले-जाकर ज्ञापन दिला देते। उसके बाद भी अगर, मान लो, नहीं हुआ, तो 4,000 की तादाद में बच्चे वहां आये, रात को सो रहे हैं और सोये हुए बच्चों को, अगर गांधीवादी इस सदन का नेता, मैं तो सोचता हूं कि हम गांधीजी की पूजा ही इसीलिये करते हैं कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर हिन्दुस्तान के जनमानस को जगाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वे अपने मकसद में सफल हुए। जिस तरीके से आज हम अपनी किस व्यवस्था में जा रहे हैं, कि उस प्रकार के आन्दोलन को करना और उस आन्दोलन को इस ढंग से कुचल देना, क्या यह कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अगर इस प्रकार से आन्दोलनों को कुचलने का मन बनाओगे तो आप और मैं भी कभी जन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करेंगे, कभी कुछ भी करेंगे, रात को धरना लगायें तो लट्ठ मारकर भगा दो, जैसे रामदेव को भगाया। कहीं आप ऐसा तो नहीं, दिल्ली की जो गति है, उसको सीख रहे हो और उसके अनुसार राजस्थान में चलने का प्रयास कर रहे हो। हो सकता है अभी राज का डण्डा आपके हाथ में है, आप चला सकते हो लेकिन यही डण्डा अगर किसी दूसरे के हाथ में आया और उसने भी इसी ढंग से चलाना शुरू कर दिया तो इस देश के लोकतंत्र की क्या दशा होगी, उसको भी आपको दिमाग में रखना चाहिये।

मैं आज भी इस सदन के माननीय नेता को याद दिलाता हूं, हमारी सरकार के टाइम पर आपने पानी का एक आन्दोलन किया था। उस आन्दोलन में आपने सचिवालय की दीवारें फांद-फांदकर, सचिवालय में जाकर जिस तरह से हुड़दंग किया, उसके बाद भी हमने आपको ससम्मान पकड़कर जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती थी, वह की। कम से कम लाठी-भाटा जंग का काम नहीं किया। बाहर लाठी-भाटा जंग थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कम से कम सचिवालय में घुसने वाले लोगों को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन यह लोकतंत्र का तरीका नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं, जिस तरीके से सरकार के इशारे पर, यह कौन पुलिस आफिसर है जिसने सोये हुए इन बच्चों पर लाठी चार्ज किया? किसने आदेश दिया? यह अधिकार उसको किसने दिया कि उन सोये हुए बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर दे और बच्चों को खदेड़ कर पुलिस में बन्द कर दें? मैं सोचता हूं कि यह तो जालिमपने की सीमा हो गई। यह लोकतंत्र है इस देश में। अगर इस तरह होगा तो कैसे व्यक्ति लोकतंत्र में आपके सामने आयेगा, कैसे अपनी बात उठायेगा? कम से कम मांग उठाने का अधिकार तो उसको है। आप उसको कुछ देंगे या नहीं, यह आपका अधिकार है; आप चाहे जो करेंगे, वह आपके अधिकार में है लेकिन यह अधिकार आपको नहीं है कि सोये हुए बच्चों के ऊपर आप लाठी चार्ज करके उनको बिखेर दें और यह कहो कि इस प्रकार का आन्दोलन इस तानाशाही राज में नहीं चल सकता। मैं इस तानाशाही राज को चुनौती देता हूं, अगर आप में दम है और आप यह चाहते हो कि इसी ढंग से फैसला करना है तो फिर दो-दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो जाओ। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर टकराना ही आपने जिन्दगी का उसूल समझ लिया, यह समझ लिया हो कि नहीं, इस तरह से बातें नहीं मानी जाती हैं; अब हम इस प्रकार की स्थिति को पसन्द नहीं करेंगे।

मैं एक शिक्षक का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आप और मैं, मैं यहां किसी न किसी गुरु की कृपा से खड़ा हूं, उसने मुझे पढ़ाया है इसलिए खड़ा हूं। अगर गुरु का इस तरह से अपमान और व्यवहार किया जाए, जिसको हम गुरु कहते हैं, या तो आपने गुरु की परिभाषा बदल दी, केवल पैसों का नौकर मानकर आपने व्यवहार किया; शिक्षक को लाठी मारना, मैं सोचता हूं कि यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर आपने यहां फैसला नहीं किया तो मैं अपनी ताकत लगाकर जो भी करना होगा, जान पर खेलना होगा तो भी खेलूंगा लेकिन इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। यह नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप आसन से व्यवस्था करें, नहीं तो मुझे मजबूर होकर इस सदन में कोई नया इतिहास बनाना पड़ जायेगा। मैं केवल भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपनी अन्तः पीड़ा से बोल रहा हूं। जिस डिपार्टमेंट के इतने बड़े-बड़े अधिकारी जिनकी एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख की तनख्वाह है, वह उस बच्चे को संभाल सकता है। चार-चार हजार रुपये की पांच साल तक नौकरी करके अपने बच्चे को रोटी और दूध पिला सकता है? उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बच्चे की पीड़ा को आप समझते हो? वह किराये के मकान में रहता होगा और कैसा जीवन गुजारता होगा? उसने भी शादी की होगी और उसके भी बाल-बच्चे होंगे, तीन-साढ़े तीन और चार हजार रुपये से क्या होगा? अभी आपने एक तोहफा दिया है कि अप्रैल, 2010 में जो उसकी सैलेरी थी, उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। क्या आप भीख डाल रहे हो? आप सलेक्शन करते नहीं, मास्टर्स के अस्सी हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं, पूरा का पूरा स्कूल बेकार हो गया, पढ़ाई बिलकुल खत्म हो गई। आपने उस गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजकर, जैसे उससे कोई दुश्मनी कर रहे हो। जहां गरीब का बच्चा जाता है, उस गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं होता तो कहते हैं कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया। (व्यवधान)...+++(व्यवधान)

इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं अगर गुरु का अनादर हो ...(व्यवधान) रात को बारह बजे सोते, उनको सोते हुए ...(व्यवधान)... किसके कारण से ...(व्यवधान) क्या कसूर था उस बच्चे का? (व्यवधान) रात को बारह बजे उसने क्या अपराध किया? (व्यवधान) जिसके कारण से लाठी चार्ज किया? (व्यवधान) मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान) कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे सदन में ऐसी कार्यवाही करनी पड़े जो मेरे लिए भी अफसोसजनक होगी और मेरे पैंतीस साल के जीवन पर कलंक होगा लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं करें।

श्री नगराज (धरियावद): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विपक्ष के उप नेता कुछ कह रहे हैं, आप बैठें। शार्ट में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं दो-तीन प्रश्न पूछूंगा माननीय मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि विद्यार्थी मित्र आये और रात को सो रहे थे, ऐसी उन्होंने कौनसी कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब कर दी जिसके कारण से आदेश देना पड़ा कि रात को सोते हुए को भगा दिया जाए? ऐसी कौनसी परिस्थिति उन्होंने पैदा की जिसके कारण से सरकार ने यह काम किया?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, सीधी बात है, वे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, वे एक ही मांग कर रहे हैं कि हमको, विद्यार्थी मित्र को नियमित किया जाए। नियमित नहीं करो तो उनका जो वेतन है, वह तो कम से कम आप बढ़ाओ। अध्यक्ष महोदय, तीन सालों में, जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि तृतीय श्रेणी के अध्यापक हम भर्ती नहीं कर सकते, अब इन्होंने फिर कहा कि हम भर्ती करेंगे। करेंगे और नहीं करेंगे, वह तो समय बतायेगा लेकिन पैराटीचर्स का बहुत कम वेतन था और हमारे राज में प्रबोधक का एक नया वर्ग बनाकर प्रबोधक के रूप में सारे पैराटीचर्स को नियमित करके आठ हजार की वेतन श्रृंखला दी गई। हमारे राज में शिक्षाकर्मी जब ग्यारह हजार थे, उनको तीन हजार-चार हजार मिलते थे, उनको नियमित करके पूरी वेतन श्रृंखला हमने उनको दी। इस प्रकार से पढ़ाई में वे लोग मदद करने लगे। गेस्ट फैकल्टी पर जब प्रतिबन्ध लग गया, तब विद्यार्थी मित्र को दो कारणों से लगाया गया। एक तो इसलिए कि जिस गांव में कोई जाने को तैयार नहीं था, उस जगह पर जाकर ये लोग पढ़ाने के लिए तैयार हुए। एक बात। दूसरा काम ये लोग वहां पर उसी कैटगरी के, वही बी ए, बी एड जो चाहिए, सारी ट्रेनिंग करके वे लोग उस गांव में पढ़ाते हैं। वे लोग पांच साल से काम कर रहे हैं। वे बार-बार इस मांग को लेकर आते हैं और हम उनकी मांग को ठुकरा देते हैं। मैं मांग करता हूं कि उनकी बात को माना जाए। क्यों नहीं मानो आप उनकी बात को? आप टीचर नहीं लगा सकते। सरकारी स्कूलों में डेढ़ लाख लोग कम हो गये, अध्यक्ष महोदय। ये सारी परिस्थितियां बन गई हैं। उसके बावजूद भी सरकार उनकी बात को नहीं मानती।

मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप सारा सीकर जिला बन्द है, कल झुन्झुनूं बन्द हुआ था, वे बार-बार मांग कर रहे हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से आप परीक्षा कराओ। आप क्यों नौजवानों का जीवन खराब करने पर तुले हुए हो? इसका जबाव दे यह सरकार। इसी कारण से आन्दोलन करने ये विद्यार्थी मित्र आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह उसी प्रकार का अन्याय है जिस प्रकार से रामलीला मैदान में रामदेवजी के साथ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि यह दादागिरी चलेगी नहीं। दादागिरी नहीं चलेगी यह। यदि यह सरकार यह चाहती है कि दादागिरी चलायेंगे....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इन्होंने तो सरपंचों को रात को पीटा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने सरपंचों को रात को पीटा है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे, सरकार से इस पर दो बातों पर वक्तव्य चाहेंगे, एक तो यह चाहेंगे कि सरकार यह स्पष्ट करे कि किसके आदेश से रात को मारा पीटा गया, क्यों मारा, इसका जवाब दें और दूसरा, उनकी मांगों के बारे में सरकार क्या कर रही है, इसका भी सरकार जवाब दे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, हो गया। कृपया विराजें। नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या बात हुई? यह क्या बोल रहे हो आप? यह कोई बात हुई। मैं मेरी भावना व्यक्त करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह राज्य मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य। गृह राज्य मंत्रीजी खड़े हुए हैं, आप विराजें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह राज्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, कृपया आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) गृह राज्य मंत्रीजी कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते तो मैं आगे की कार्यवाही चालू कर दूं? गृह राज्य मंत्रीजी को मैंने अलाउ किया है। आप नहीं सुनना चाहते। सरकार की तरफ से कुछ कह रहे हैं वे। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, गृह राज्य मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए। गृह राज्य मंत्रीजी कुछ बोलना चाहते हैं। अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) नहीं, अंकित नहीं हो रहा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते? अगर गृह राज्य मंत्री को नहीं चुनना चाहते तो मैं आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू करूं? गृह राज्य मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आ रहा है। दो बोल चुके, उसके बाद क्या है?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय मंत्रीजी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह राज्य मंत्रीजी बोल रहे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपके उप नेता और माननीय कटारियाजी बोल चुके हैं, उसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगर नहीं सुनना चाहते जवाब तो अलग बात है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) मैं आगे की कार्यवाही के लिए विवश हूं। (व्यवधान) इस तरह से थोड़े ही चलेगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: (1) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली की तहसील रोहट में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से राज्य में लहसुन के भावों में आयी भारी गिरावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राज्य में प्याज तथा लहसुन के भाव अत्यधिक गिरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत एवं श्री पेमाराम आज पर्ची के माध्यम से इन्हीं विषयों पर अपने विचार प्रकट करेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: (4) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(5) डा. फूलचन्द भिण्डा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के लिए किसानों की बेशकीमती जमीनों का मनमाने तरीके से अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने एवं जोधपुर में संक्रमित

(श्री अध्यक्ष)

ग्लूकोज आपूर्ति करने वालों को दोषमुक्त करने एवं निःशुल्क इंजेक्शन से प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

(7) श्री ओम बिरला एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में गेहूं को समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस नहीं दिये जाने, समर्थन मूल्य पर खरीद की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने तथा लहसुन और प्याज के दामों में आयी भारी गिरावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मोहनलाल गुप्ता, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में सेवण घास को नष्ट होने से बचाने के लिए प्राकृतिक चरागाह व ओरण की सिवाय चक बंजर किस्म बदलकर चरागाह घोषित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से देवगढ़ नगरपालिका के मास्टर प्लान की विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से जिला सिरोही के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर की ऐतिहासिक आनासागर झील की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(5) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की उप तहसील सांजू एडपोस्ट चिकित्सालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से कृषि विद्युत कनेक्शन नीति में आवश्यक संशोधन कर आवेदकों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री रमेश खण्डेलवाल, सदस्य की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नये औद्योगिक क्षेत्र महावा की मन्जूरी में हो रहे अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कमला नेहरू नगर स्थित ई.एस.आई. अस्पताल में रिक्त पड़े पदों को भरने एवं सुविधाएं बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी के सम्बन्ध में।

(10) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर एवं सिवाना के ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगसीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में डी.ए.पी. खाद व यूरिया की सप्लाई समुचित मात्रा में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान)

जिस प्रकार का वातावरण मेरे निवेदन के बाद भी आपके माननीय सदस्यों ने, विरोधी दल वालों ने बनाया है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) मैंने गृह राज्य मंत्रीजी को जवाब देने की बात करने के लिए खड़ा कर दिया था। उसके बावजूद भी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यवधान पैदा कर मुझे मजबूर किया। मैंने कह दिया था कि मैं आगे की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं माने इसलिए मैंने आगे की कार्यवाही शुरू की है।

नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री मोहनलाल गुप्ता। श्री मोहनलाल गुप्ता। बोलना चाहते हैं आप स्थगन प्रस्ताव पर? स्थगन प्रस्ताव पर श्री मोहनलाल गुप्ता।

(श्री अध्यक्ष)

श्री फूलचन्द भिण्डा। श्री फूलचन्द भिण्डा। श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला। (व्यवधान)

295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय? (व्यवधान)

पढ़ा हुआ माना गया।

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को शून्यकाल में बोलने हेतु 17 पर्चियां प्राप्त हुई हैं..

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष: जिनमें शलाका द्वारा निम्न चार पर्चियां निकाली गयी हैं :

(1) श्री पेमाराम, किसानों को प्याज व लहसुन के भाव नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भवानी सिंह राजावत, राज्य में लहसुन के भाव में आयी भारी गिरावट के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, पाली शहर में राजीव गांधी पथ निर्माण हेतु सैंकड़ों कैबिनों एवं थड़ियों वालों को हटाकर उन्हें रोजगार से वंचित करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(4) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, दिनांक 17.02.2012 को बीकानेर जिले में छतरगढ़ में हुई दलित किशनलाल मेघवाल की हत्या के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले अपनी चेयर्स पर, चेयर्स पर जायेंगे ये लोग। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह इस तरीके से बहुत ही गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो बात रखी है, माननीय कटारियाजी ने जो बात रखी है, उसके बारे में गृह राज्य मंत्रीजी को मैंने अलाउ किया बोलने के लिए। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो मैं अलाउ करता हूं। सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी तरफ से हल्ला शुरू हुआ है, आपकी तरफ से व्यवधान हुआ है। मैंने तो उनको मौका दिया है। मैंने उनको बोलने का मौका दिया, वे खड़े हो गये। आपकी तरफ से व्यवधान हुआ है। तो मैंने यह निवेदन कर दिया, मुझे अब विवश होकर के कार्यवाही आगे चलानी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप चाहते हो, जवाब दें तो वे जवाब दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी, जी।

श्री अध्यक्ष: तो आप विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट सुन लें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बात सुन लें, हम गरम हो जाएं, हम गुस्सा हो जाएं ...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, हर बार आपकी सुनो। हमारी भी तो सुन लो, जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम गुस्सा हो जाएं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: न आप गुस्सा, न मैं गुस्सा, न ये गुस्सा; कार्यवाही परम्परा और नियमों से चलती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): परम्परा यह रही है कि अध्यक्ष कभी गुस्सा नहीं करते।

श्री अध्यक्ष: है ही नहीं, कभी नहीं होता। आसन कभी भी गुस्सा नहीं होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक बार आग्रह कर रहा हूं,

श्री अध्यक्ष: न्याय करना पड़ता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, न्याय।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम जवाब चाहते हैं, एक।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह राज्य मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जवाब के साथ-साथ एक अभी माननीय सदस्यों के आपने नाम पुकारे, उनको दोबारा, स्थगन प्रस्ताव पर...

श्री अध्यक्ष: देखिये, अब आगे की कार्यवाही चलेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान आपने पैदा किया है। माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, व्यवधान कोई नहीं है, उनको वापस लिया जाय और एक बार उनका जवाब दिलाया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पुनर्विचार कर लें, अध्यक्षजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह तो आसन का अधिकार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप इतना गुस्सा होंगे तो हम कैसे ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप राठौड़ हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं राठौड़ नहीं हूं। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

विद्यार्थी मित्रों पर लाठी चार्ज

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रतिपक्ष के सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, उदयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना का जिक्र किया, प्रश्न काल के दौरान नियत कार्य को न चलने देने के साथ एक विषय उठाया कि अकारण प्रदर्शनरत विद्यार्थी मित्र और पैराटीचर्स पर लाठी प्रहार किया गया,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(: 12.30 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनको बुरी तरह से पीटा गया और उसके साथ-साथ अनेक और भी विषय उठाये गये। जो इस घटना विशेष जिसके बारे में विचार प्रकट करने हेतु आसन से अनुमति लेकर के आपने समय लिया था, उसके साथ और विषयों को भी जोड़ते हुए आपने बहुत से प्रश्न उठाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटना का जिक्र किया गया लाठीचार्ज की, इस प्रकार की कोई भी घटना कल रात्रि में नहीं हुई। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: +++ ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) उनको गिरफ्तार किया गया है...(व्यवधान) पूरा पुलिस थाना घेर लिया...(व्यवधान) पुलिस थाने में गिरफ्तार करके बैठा रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बात तो सुनिये ...(व्यवधान) आप पूरा सुनिये, क्या रिप्लाई आता है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जो वार्ता किये जाने की मांग कर रहे थे ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार +++ बोलती है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ओ एस डी साहब से भी उनकी वार्ता हुई।

श्री उपाध्यक्ष: यह +++ शब्द तो असंसदीय है, इसको तो निकाल दिया जाए +++ को।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उससे भी सन्तुष्ट न होने के बाद रात्रि को 10 बजे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी उनकी वार्ता हुई, उस वार्ता में भी उन्होंने अपना कोई सन्तोष प्रकट नहीं किया। डी सी पी साउथ, वे स्वयं रात्रि 1 बजे तक मौके पर थे, उनके द्वारा भी उनसे जो पूर्व की वार्ताएं हुए जाने के साथ राज्य सरकार का नजरिया जो उनको पेश किया गया था, उसकी बात को पुनः ध्यान दिलाये जाने के उपरान्त पैरा-टीचर्स सन्तुष्ट होकर वहां से पधार गये। मौके पर जो विद्यार्थी मित्र हैं, लगातार सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर आसपास की कालोनीवासियों के लिए भी एक समस्या के रूप

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

में वहां पर खड़े थे। उस बात को ध्यान में आने के उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा उनको अनुनय-विनय किया गया कि आपके द्वारा जो प्रदर्शन समय नियत था, ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या है यह? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जो प्रदर्शन के लिए आपके द्वारा समय नियत था ...(व्यवधान) उस समय की पूर्ति हो चुकी है, आपके द्वारा जो आपकी मंशा थी प्रदर्शन किये जाने की, वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा चुका है; राज्य सरकार आपसे वार्ता इस बारे में कर रही है; आप कृपा कर यहां से पधार जाएं। ऐसे में वहां पर उन विद्यार्थी मित्रों में से कुछ उद्वेलित हुए। ऐसे उद्वेलित होने वाले तेरह विद्यार्थी मित्रों को वाहन में बैठाकर मुहाना मण्डी थाने ले जाकर छोड़ दिया गया लेकिन दो विद्यार्थी मित्रों को 151 में अरेस्ट किया गया।

यह घटनाक्रम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ। वातावरण को तनावपूर्ण बनाने के लिए ...(व्यवधान) जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आमजन के हित में बजट पेश किया गया है, उससे पीड़ित होकर के इन्होंने यह वातावरण यहां पर बनाया। (व्यवधान) लगातार गोली काण्ड हुए। जिस प्रकार लगातार ब्राह्मण समाज पर लाठी प्रहार हुआ जिस प्रकार व्यापारियों पर लाठी प्रहार हुआ, उसी प्रकार ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):...(व्यवधान) सरपंचों पर किया, टीचर्स पर किया ...(व्यवधान) सरपंचों पर जिस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सदन का समय लेकर के...(व्यवधान) गुमराह किया गया है। इतना मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपसे ऐसे +++ की अपेक्षा नहीं है...(व्यवधान) आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बेनीवाल साहब आप +++ बोल रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में हम लोग आते हैं, जनता हमको चुनकर अपना विश्वास देकर यहां भेजती है। हम लोग यहां सीरियसली उनकी बात सदन में रखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हम इस चीज के लिए नहीं आते कि जब पूरे फैक्ट्स सबके सामने हैं और मंत्री खड़े होकर उन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फैक्ट्स को गलत बताएं, इस तरीके से साबित करने की कोशिश करें, मैं तो नहीं समझती हूं कि ऐसे मजाक में यहां हाउस में हम लोग पर्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आते हैं, मंत्री खड़ा होकर हमको कुछ कहता है तो सीरियसली उनकी बात सुनने के लिए बैठे होते हैं हम। (व्यवधान) गलत बयानी नहीं करेंगे और न यहां गलत बयानी नहीं करना और न यहां टट्टा बाजी करना। यहां तो पब्लिक सब पूरी देख रही है, या तो टेलीविजन पर देख रही है, पेपर से पढ़ती है और मैं आपको कह दूं कि अगर इस तरीके का मजाक हम इस हाउस के अन्दर करेंगे तो बहुत सारे लोग और यह पार्टी, इन लोगों को अपने आप अपने गिरेबान में झांककर देखने की जरूरत है कि जनता आपके साथ बाहर क्या करेगी। यहां हाउस में आप कुछ भी कर लो, यहां तो आप पावर में हो तो आप कर सकते हो परन्तु जनता आपके साथ क्या करेगी, उनसे डरने की जरूरत आपको है। इसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर सही बात मंत्री हमें नहीं बतायेंगे, हम लोगों को साथ बात करने के लिए नहीं बैठायेंगे, हम लोग मिलकर इन चीजों का समाधान कर सकते हैं इसलिए आज इस हाउस में हैं। परन्तु अगर आप हम लोगों को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझती हूं कि ऐसे इश्यु में तो हम लोगों को यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं तो माफी चाहती हूं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गुमराह करने की कोशिश आप कर रही हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह टट्टा खेलना क्या होता है?(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर लाठी चार्ज किया गया तो एकाध को चोट तो लगती। (व्यवधान) अगर चोट आयी हो तो आप उसका मेडिकल बताएं। (व्यवधान) मेरे पास दो दो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं...(व्यवधान) कहीं चोट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी गलत बयानी के खिलाफ वाक आउट करती है।

बहिर्गमन

(सी.पी.आई. (एम) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) टट्टर की जरूरत पड़ गयी भारतीय जनता पार्टी को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक महोदय, ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बहुत बुरी दशा से गुजर रहे हो। (व्यवधान) जनता की चिन्ता मत करो आप।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या : प.6(138)परि/कर/मु/10 दिनांक 13.3.2012 जिसके द्वारा जीवन ज्योति संस्था, लालसोट (गीता मेमोरियल आई अस्पताल) द्वारा क्रय किये गये वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, आउटपुट बजट वर्ष 2010-11 एवं आउटकम बजट वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट बजट वर्ष 2010-11 एवं आउटकम बजट वर्ष 2011-12

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2010-11 एवं आउटकम बजट वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत 31

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी, 2011 से दिसम्बर 2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधिनियम, 1999 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वापस आ गये क्या?

श्री उपाध्यक्ष: श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखेंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक मामला लाना चाहता हूं। अभी प्रतिपक्ष की नेता ने यह कहा कि हम यहां इस सदन में टट्टा खेलने नहीं आते। मेरे हिसाब से यह टट्टा खेलना असंसदीय शब्द है।

श्री पेमाराम (धोद): ना, ना, किसने कहा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो फिर क्या है, बता दो। (व्यवधान) इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए। टट्टा खेलने का मतलब हाड़ौती में कुछ और लिया जाता है।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं-नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, गट्टा शब्द कोई असंसदीय नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): या तो आप बता दो, टट्टा खेलना किसे कहते हैं?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह तो संसदीय मंत्री ही असंसदीय हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी..

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मंत्री लोग ही इस तरह की बात करेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अमराराम जी। यह जैसे असंसदीय होगा तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा लेकिन असंसदीय हुआ तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हाड़ौती से आते हो, टट्टा किसे कहते हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): प्रतिपक्ष की नेता...(व्यवधान) मजाक बना रहे हो इस सदन को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसको एक्सपंज करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगी।...(व्यवधान)

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि गट्टा...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): गट्टा नहीं टट्टा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वही तो बात है। यही तो फर्क आ रहा है। फर्क यही आ रहा है। आप, उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती से हैं, इनसे पूछो, टट्टा किसे कहते हैं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): टट्टा है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कभी खेला हो टट्टा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमराराम जी, सदस्य, विधान सभा 2 याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): असंसदीय शब्दों की सूची बनी हुई है इसलिये असंसदीय शब्द कहां है वह?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको जानकारी है क्या, टट्टा खेलना क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष: जो भी असंसदीय होगा तो स्वत: निकाल दिया जायेगा। माननीय अमरारामजी। (व्यवधान) आप हाड़ौती में नहीं आते हो, झालावाड़ फिफ्टी परसेंट आता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले तो टट्टा बताओ आप, टट्टा क्या होता है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शहर में होता ही नहीं, गांव में होता है गट्टा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या?

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): गट्टा नहीं, टट्टा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कौनसा टट्टा, कैसा टट्टा?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह आप बता दें। (व्यवधान) वह आप आ जाना, बता दूंगा, यह होता है गट्टा।

श्री उपाध्यक्ष: अमराराम जी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन की बात सदन में ही होगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, तो वह शहर में नहीं होता गट्टा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी याचिका उपस्थापित करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह असंसदीय शब्द है, मेहरबानी करके...

श्री उपाध्यक्ष: तो निकल जायेगा। असंसदीय होगा तो कार्यवाही से अपने आप निकाल दिया जायेगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये संसदीय मंत्री ही असंसदीय हैं।

(श्री अमराराम)

याचिकाओं का उपस्थापन

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

आयुर्वेदिक औषधालय, छीगपुर, दांतारामगढ़ के जीर्ण भवन के स्थान पर नया भवन

1. आयुर्वेदिक औषधालय, छीगपुर, दांतारामगढ़ जीर्ण भवन के स्थान पर नया भवन बनाने की आवश्यकता बाबत, एवं

सीकर जिले की एमडीआर-100 के हिस्सा सावलपुरा से खाटू का हिस्सा 6 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का डामरीकरण

2. सीकर जिले की एमडीआर-100 के हिस्सा सावलपुरा से खाटू का हिस्सा 6 किलोमीटर ग्रेवल सड़क को डामरीकृत करने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

विराटनगर पालिका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमश: वाणिज्य, विज्ञान संकाय तथा ग्राम राजनोता में उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विराटनगर पालिका में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमश: वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा ग्राम राजनोता में उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश चन्द मीना, सदस्य, विधान सभा 4 याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री रमेश चन्द्र मीना (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

पांचोली ग्राम, तहसील-मण्डरायल, जिला-करौली में पेयजल योजना

1. ग्राम पांचोली, तहसील-मण्डरायल, जिला-करौली पेयजल योजना बाबत,

गुडली ग्राम, तहसील-नादौती, जिला-करौली स्थित बालिका माध्यमिक विद्यालय भवन का अन्यत्र स्थान पर निर्माण

2. ग्राम गुडली, तहसील-नादौती, जिला-करौली में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय भवन का अन्यत्र स्थान पर निर्माण करवाने बाबत,

(श्री रमेश चन्द्र मीना)

सिंघानिया ग्राम पंचायत, टोडाभीम में पेयजल समस्या का निराकरण

3. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्राम पंचायत सिंघानिया में पेयजल समस्या के निराकरण बाबत, एवं

चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना को समय पर पूरा करना

4. चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना को समय पर पूरा करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य, विधान सभा 2 याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये अभी, हालांकि त्रुटि तो हुई है।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

सियाली से खण्डप तक पक्की सड़क का निर्माण

1. सियाली से खण्डप तक पक्की सड़क के निर्माण बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

सावरड़ा से राखी तक सड़क निर्माण

2. सावरड़ा से राखी तक सड़क निर्माण बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगी। समय का थोड़ा ध्यान रखिये आप। एक दफा निकलने के बाद परिपाटी नहीं है।

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री भगवानसहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2011-12 याचिका समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति (2011-12) का प्रतिवेदन (संख्या-8)

श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में याचिका समिति, 2011-12 के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। वी. आई. टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 । डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वी. आई. टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

वी. आई. टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वी. आई. टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वी. आई. टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से वी. आई. टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 । डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कैरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घण्टे 8 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	6 घण्टे 19 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	15 मिनट
जनता दल	5 मिनट
समाजवादी पार्टी	5 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	5 मिनट
निर्दलीय	1 घण्टा 3 मिनट

कुल समय 16 घण्टा निर्धारित किया गया है। सामान्य वाद-विवाद...

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, परची?

श्री उपाध्यक्ष: पर्चियां निकल गयीं। आप बाहर चले गये थे।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं निकलीं। 295 की अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी, 295...

श्री उपाध्यक्ष: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री पेमाराम (धोद): पर्चियों पर व्यवस्था नहीं दी थी।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे कहा है ना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 295 को पढ़ा हुआ मान लेने के लिये व्यवस्था दी है। वह केवल 295 को पढ़ा हुआ मानने के लिये व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं कि ...(व्यवधान) आप सुनिये। आपने कार्य सूची देख ली। कार्य सूची में जो भी था उसके मुताबिक आगे कार्यवाही चलेगी। जो कार्य सूची में बहिर्गमन के समय या जो भी परिस्थिति रही, उससे आगे की कार्यवाही की बात होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): 295 के आगे बढ़े ही नहीं थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): व्यवस्था दे दी थी। आसन ने व्यवस्था दे दी थी पहले।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने 295 को पढ़ा हुआ मान लिया, उसके आगे नाम नहीं पुकारे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमराराम जी, एक मिनट आप विराजेंगे, मैं जरा अर्ज कर दूं। 295 पढ़े हुए मान लिये गये हैं और परची...(व्यवधान) 295 पढ़े हुए मान लिये गये।

माननीय महेन्द्र जी चौधरी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कल जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री....

व्यवस्था का प्रश्न

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद की परम्परानुसार प्रतिपक्ष से शुरूआत

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा प्रतिपक्ष की ओर से बहस शुरू होती है, सत्ता पक्ष की ओर से नहीं होती है बजट पर।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय महेन्द्रजी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट बाद आपका...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 2 मिनट बाद नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: हां, आपकी बात स्वीकार करते हैं। श्री राजपाल सिंहजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): परची पर व्यवस्था नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष: पर्चियों का यहीं निकाला था, अध्यक्षजी ने बोला था, आप वाक आउट कर गये होंगे। ऐसा नहीं हुआ। (व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): ना, ना, हमने वाक आउट नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वाक आउट किया किसने है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राजपाल सिंहजी।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, पर्चियों पर नाम नहीं बोला है, कार्यवाही देख लें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: राजपाल सिंहजी।

श्री पेमाराम (धोद): पर्चियों पर कार्यवाही नहीं दी आपने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): कार्यवाही देख लें आप। (व्यवधान) पर्चियों पर व्यवस्था नहीं दी आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने देख लिया है।...(व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): व्यवस्था नहीं दी है। (व्यवधान) आप कार्यवाही मंगा लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने देख लिया है, देखने के बाद ही आपको निवेदन कर रहा हूं। राजपाल सिंह जी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का चौथा बजट था और यह ऐसे समय आया जब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही थी और बारहवीं पंचवर्षीय योजना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जो शुरू हुई, उसका पहला था। मैं सोचता था कि मुख्य मंत्रीजी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार से उनके उद्देश्य पूरे हुए, इस पर कोई रोशनी डालेंगे और साथ में यह भी बतायेंगे कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जो रैपिड इन्क्लूसिव ग्रोथ की लगातार बात कर रहे हैं, इन्क्लूसिव ग्रोथ, वह भी रैपिड इन्क्लूसिव ग्रोथ, उसका कोई रोड-मैप लेकर आयेंगे कि एक सस्टेनेबल डवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से योजना के तहत एम्प्लायमेंट जनरेशन हो सकता है, कैपिटल फार्मेशन हो सकता है, एसेट्स क्रिएशन हो सकता है और आग्मेंटेड रेवेन्यू का क्या प्लान हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस बार मुख्य मंत्रीजी बड़े खोये हुए थे, बड़े खुश थे, राजस्व आधिक्य आ गया, बजटीय आधिक्य आ गया। बजटीय आधिक्य थोड़ा और बढ़ा लेते। हजार, दो हजार करोड़ रुपये और आपने कर्जा लिया होता तो बजट आधिक्य को और बढ़ाने का शौक आपने पूरा कर लिया होता।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा आप कम कर नहीं पाये। राजस्व आधिक्य आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन यह कहते हुए शर्म आयी क्या कि आपके राज में राजस्थान में सुबह पहले जब आदमी उठेगा तो 23 करोड़ रुपये का तो ब्याज चुकायेगा? सुबह का मुंह देखेगा, सूरज का मुंह देखेगा, उसके पहले ही 38 करोड़ का कर्जा उसके माथे पर लग जायेगा, यह कहते हुए क्या शर्म आ रही थी? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप राजस्व आधिक्य की बात कर रहे हैं लेकिन राजस्व आधिक्य भी आपके कारण नहीं आया है। आपके कारण आ भी नहीं सकता है। आप सोच रहे हैं कि राजस्व आधिक्य आ गया, आपने एक्ट को वायलेट नहीं किया लेकिन यह आपके बस की बात नहीं थी। जिस सरकार का नान-टैक्स रेवेन्यू पेंशन में, ब्याज में, तनख्वाह में चला जाता हो 140 परसेंट, जिसका टोटल टैक्स रेवेन्यू का 84 से 85 परसेंट कमिटेड एक्सपेंडिचर में खत्म हो जाता हो, जिस सरकार का नान-टैक्स रेवेन्यू केवल 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा हो, जिसका खर्चा तेजी से बढ़ रहा हो, वह राजस्व आधिक्य में आ भी नहीं सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप आये हैं तो कृपा पर यह आपने जो बजट पेश किया है, यह पैरासाइट बजट पेश किया है, परजीवी बजट पेश किया है। अमरबेल जिन्दा तो रहती है, लेकिन खुद के बल पर नहीं। अमरबेल जिंदा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रहती है किसी और के बल पर। आपने जो राजस्व आधिक्य प्राप्त किया है, यह राजस्व आधिक्य आपके टैक्स एफर्टस के कारण नहीं हुआ, आपकी फिस्कल प्रूडेंस के कारण नहीं हुआ, आपकी काबिलियत के कारण नहीं हुआ, आपने अकस्मात् कोई चमत्कार कर दिया इसके कारण से नहीं हुआ; यह अगर तेरहवां फाइनेंस कमीशन नहीं आता और उसने अगर ढाई गुणा स्टेट का शेयर नहीं किया होता, ग्रांट-इन-एड अगर 2.8 गुणा ज्यादा नहीं की होती तो आज भी आप कटोरा लेकर घूम रहे होते। एक लाख करोड़, पांच साल में एक लाख करोड़ राजस्थान की सरकार को मिलेगा और उसके बावजूद भी आपका राजकोषीय घाटा 8 हजार करोड़ से ऊपर चल रहा है। एक लाख करोड़ किसी फाइनेंस कमीशन से अगर पांच साल में मिल जाता तो +++ कोई मुख्य मंत्री होता तो उसका राजस्व आधिक्य होता। इसमें कोई कहने की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि थर्टींथ फाइनेंस कमीशन की इतनी मैसिव रिकमंडेशन के बाद में और पेट्रोलियम के अन्दर भगवान की कृपा से 3 हजार करोड़ से ऊपर, 3,140 करोड़ रुपये से ऊपर जो रेवेन्यू आया है, जो ग्रांट-इन-एड में वृद्धि हुई है, उसके बाद में साढ़े 8 हजार करोड़ का फिस्कल डेफिसिट कैसे रह गया, इसका जवाब राजस्थान की जनता आपसे मांग रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिशेष इस प्रकार से नहीं होते हैं, किसी की कृपा से अधिशेष नहीं प्राप्त होते हैं। अगर आपको रेवेन्यू सरप्लस का इतना ही शौक था तो आपको देखना चाहिए था 2007-08 का वसुन्धराजी का राज, आपको देखना चाहिए था 2006-07 का वसुन्धराजी का राज; राजस्व आधिक्य आया था, किसी फाइनेंस कमीशन की कृपा से नहीं आया था, किसी ग्रांट-इन-एड की कृपा पर नहीं आया था, भगवान की कृपा से बाड़मेर में तेल निकल गया था इसलिए राजस्व आधिक्य नहीं आया था; यह राजस्व आधिक्य आया था, फिस्कल प्रूडेंस के कारण आया था। यह राजस्व आधिक्य आया था तो फिस्कल कुशलता के कारण आया था। इस प्रकार का राजस्व आधिक्य अगर आप लेकर आते तो निश्चित रूप से आपके लिए तालियां बजाते लेकिन राजस्व आधिक्य के नाम पर आप जिस प्रकार से तालियां बजवाना चाहते हैं, खुश हो रहे हैं, उस खुशी का कोई कारण नहीं बनता।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने राजस्व आधिक्य ही क्यों, जी डी पी बढ़ाया आपने। आपका कहना है कि जी डी पी आपने बढ़ाया। इकोनोमिस्टों का कहना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

है कि इन्फ्लेशन से बढ़ा है, उनका कहना है कि इन्फ्लेशन ने बढ़ाया, इंद्रदेव ने बढ़ाया। इन्द्रदेव और इन्फ्लेशन के बढ़ाने के बाद में भी अगर आपको चैन नहीं आया, झूठा जी डी पी का ग्रोथ दिखा सकते हैं तो आपने बेस ईयर ही बदल लिया। दिल्ली वालों ने बदल लिया, आपने बेस ईयर बदल लिया। इस बेस ईयर की कृपा ऐसी कि 2009-10 में इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने कहा था और यहीं पर कहा था कि हमारी जी एस डी पी की ग्रोथ दर 2.5 प्रतिशत है। अगली साल बेस ईयर बदल लिया। बेस ईयर बदलते ही 2.5 की जी एस डी पी अपने आप 4.3 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार की जी एस डी पी का करना क्या है? यह जी एस डी पी किसकी इन्कम बढ़ा रही है? इस प्रकार फिक्टिशस नम्बर को मेनिपुलेट करके, एक मिसलेनीयस नंबर लेकर के, आप इस प्रकार से जी डी पी बढ़ाने की बात करके क्या कहना चाहते हैं? इस जी डी पी से राजस्थान के गरीब का तो कुछ भला हुआ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता ही नहीं कि गरीब है कौन। गरीबी के बारे में आपको जानकारी नहीं, गरीब के बारे में आपको जानकारी नहीं। आपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार नारा दिया था 'गरीबी हटाओ'। आपने देखा, गरीब क्या है? कमेटियां बनाईं आपने, दांडेकर कमेटी बना दी आपने, तेंदुलकर कमेटी बना दी आपने, सेन कमेटी बना दी आपने, व्यास कमेटी बना दी आपने, लेकिन तब से लेकर आज तक आप मालूम नहीं कर पाये कि गरीबी क्या है, गरीब कौन है। कभी आप कहने लगे कि कैलोरी इतनी जो खायेगा, वह गरीब नहीं है। मोंटेक सिंह जी आहलूवालिया तो कहते हैं कि 22 रुपये हो गया, बहुत है; 22 रुपये जिसके पास में हैं, जेब में हैं, वह गरीबी से दूर है।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह जी डी पी की ग्रोथ किसके लिए है? इन इन्क्लूसिव ग्रोथ की आप लगातार बात कर रहे हैं, उस इन्क्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि जो 42 प्रतिशत आदमी राजस्थान के गांव में बसता है, अगर जी डी पी में उसका शेयर है, उसका शेयर क्या है, उसका शेयर कितना सा है, राजस्थान के अन्दर कृषि के क्षेत्र में केवल 22 परसेंट ही जी डी पी का शेयर है; 22 प्रतिशत जी डी पी का शेयर यानी केवल 47,596 करोड़ रुपये के जी डी पी शेयर में राजस्थान के 43 प्रतिशत लोग पल रहे हैं। अगर मैं इसको फलाऊं और आपके जी डी पी के रेश्यो को यूं का यूं मान लूं, बिना डिस्प्युट किये हुए तो भी किसान की प्रति व्यक्ति आय केवल 15,865 रुपये बैठती है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जो आपने बताया कि 27,400 उसकी प्रति व्यक्ति आय है, वह प्रति व्यक्ति आय केवल 15,865 रुपये है।

ईमानदारी से अगर प्रोग्रेसिव टर्म्स में हम इसको देखें कि सचमुच में कितनी जनसंख्या हो गयी है, उसके 46 परसेंट से अगर हम देखें तो राजस्थान के अन्दर किसान की आय केवल आपकी इस बढ़ी हुई जी डी पी के बाद में 14,337 रुपये है। 14,337 रुपये प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान के 43 प्रतिशत लोगों की। उसमें से आप जेब काटकर के 3,432 रुपये तो टैक्स रेवेन्यू ले जाते हो। जिस आदमी की इन्कम 13 हजार रुपये हो, उस 13 हजार रुपये इन्कम वाले आदमी के ऊपर 3,432 रुपये टैक्स के नाम से आप चोरी कर लें तो उसकी जो इफेक्टिव इन्कम है, जो उसकी असली इन्कम है, जो उसकी डिस्पोजेबल इन्कम है वह जाती है 10,861 ; मतलब 29 रुपये रोज। राजस्थान की आबादी का 43 प्रतिशत आदमी सीधा-सीधा गरीबी की रेखा के नीचे है। आपकी जी डी पी बढ़ने के बाद भी अगर 43 प्रतिशत राजस्थान का आदमी गरीबी की रेखा के नीचे है तो चाहे आप 8 परसेंट की बात करें, 9 परसेंट की बात करो, यह राजस्थान के लादूराम की ग्रोथ रेट नहीं है। यह किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की ग्रोथ रेट है, यह किसी मेहनोत की ग्रोथ रेट हो सकती है, यह किसी कोठारी की ग्रोथ रेट हो सकती है, पर यह ग्रोथ रेट राजस्थान के आम किसान की ग्रोथ रेट नहीं है। आम किसान पिस रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बार-बार जो बात करते हैं कि इतनी परसेंट हमारी जी डी पी है, जी डी पी केलकुलेटेड होती है, जी डी पी मिसनोमर है, जी डी पी बदल सकती है, बेस ईयर बदलने से बदल सकती है,

(13.00 बजे)

इन्फ्लेशन आने पर बदल सकती है। कल आपने 7-8 प्रतिशत का डी ए दिया, डी ए देने के साथ ज्यों का त्यों डी ए का पैसा जी डी पी में चला गया। कल आप पेट्रोल का बढ़ायेंगे, पेट्रोल का बढ़ाते ही सीधा-सीधा उसका रिफ्लेशन जी डी पी में बढ़ोत्तरी में हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जी डी पी मिसनोमर है लेकिन आपका जो कर्जा है वह असली है; कर्जा रियल तर्ज पर है और जी डी पी मिसनोमर है।

आपको ध्यान होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में पहली बार मुख्य मंत्री बनकर अशोक गहलोत साहब आए थे, उन्होंने एक श्वेत-पत्र जारी किया था राजस्थान की आर्थिक हालत पर; झूठा-सच्चा आंकड़ा लेकर, फिस्कल डेफिसिट दिखाने की कोशिश की थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 27,650

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करोड़ रुपये की थी, उस 27,650 करोड़ रुपये की योजना को काटकर आपने 19,650 करोड़ का कर दिया और आप यह कहने लगे कि विकास के नाम पर कर्जा नहीं लेंगे; विकास के नाम पर कर्जा लेकर गरीब को नहीं मारा जा सकता; हम छोटी योजनाओं में जाएंगे और छोटी योजनाओं की क्रियान्विति करेंगे। मैं समझता हूं कि इतने साल बाद आज कम से कम मुख्य मंत्रीजी को दो चीजें समझ में आईं, एक तो यह समझ में आया कि जी डी पी कैलकुलेट कैसे करते हैं और दूसरा यह समझ में आया कि अगर राजस्थान का विकास करना है तो राजस्थान के विकास के लिए प्लान का बड़ा होना जरूरी है। राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना में कटौती करके राजस्थान को पिछड़े प्रदेशों की श्रेणी में बहुत पीछे ले जाने का पाप अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया है जिन्होंने नवीं पंचवर्षीय योजना के 27,650 करोड़ को काटकर 19 हजार करोड़ कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पता लग गया कि प्लान तो बड़ा होना चाहिए, तो प्लान की फंडिंग कैसे की जाती है, प्लान की फंडिंग के लिए इंटरनल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए, अभी भी मुख्य मंत्रीजी को नहीं आया। इसलिए प्लान की फंडिंग के तीन-चार साल के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, इंटरनल रिसोर्सेज 2008-2009 में माइनस 8413 करोड़ रुपए, इंटरनल रिसोर्सेज 2009-2010 में माइनस 10,253 करोड़ रुपये, 2010-2011 में, सब्जेक्ट टू सम करेक्शन बिकाज आफ चेंज इन डैटा, माइनस 9,579 करोड़ रुपये और वर्ष 2011-12 के एस्टिमेट माइनस 11,096 करोड़ रुपये। यह सारा इंटरनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन प्लान के अन्दर आप कर पाये हैं। इसलिए नेगेटिव चल रहे हैं, इसीलिए प्लान की फंडिंग करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ा।

सबसे बुरी बात जो आप कर रहे हैं; यह कोई गलत बात नहीं है, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, फिस्कल जिम्मेदारी है कि सरकार पर जो देनदारियां हैं, उन देनदारियों को डिस्चार्ज करे, बजट में फंडिंग की व्यवस्था कर अपने प्लान की फंडिंग की व्यवस्था करे लेकिन प्लान की फंडिंग की व्यवस्था करते टाइम चोर दरवाजे से फंडिंग करना शुरू करवा दें, यह स्थिति किसी भी प्रकार से बरदाश्त के लायक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बजट फंडिंग और प्लान फंडिंग के लिए कर्जा लेना जरूरी हो सकता है लेकिन छुपकर कर्जा लेना और छुपकर कर्जा लेने का कारण, क्योंकि राजस्थान को आपने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिस ढंग से तबाह किया है, राजस्थान की जिस प्रकार की आपने आर्थिक हालत की है, उस आर्थिक हालत के हिसाब से आपने कर्ज का कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपकी बारोइंग्स कितनी रहीं? आपने प्लान की फंडिंग करने के लिए, बजट की फंडिंग करने के लिए जिस प्रकार से बारोइंग्स करके राजस्थान को कर्ज के अन्दर डाल दिया, इसी से आपकी बैलेंस शीट में बच भी रहा है। 2009-2010 की बजट फंडिंग के लिए आपको बारो करना पड़ा 13,037 करोड़ रुपया और प्लान को फंडिंग करने के लिए, आपको बोरो करना पड़ा 7,684 करोड़ रुपया और 2009-10 में अकेले में 20,721 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा आपने लिया। 2010-11 में आपने बजट को फंडिंग करने के लिए, आपने कर्जा लिया 7990 करोड़ रुपये और प्लान की फंडिंग करने के लिए कर्जा लिया 11,314 करोड़ रुपये और आपने 2010-11 में कर्जा लिया 19,304 करोड़ रुपये और 2011-12 में 11,240 करोड़ रुपये कर्जा लिया आपने बजट को फण्डिंग करने के लिए और प्लान को फंडिंग करने के लिए, आपने 11,874 करोड़ रुपये और इस साल आपने कर्जा लिया 23,114 करोड़ रुपये का। 2012-13 का जो बजट आपने पेश किया है, उसमें आप बजट के फंडिग के लिए कर्जा लेंगे, 13,765 करोड़ रुपये की बोरोइंग्स करेंगे और प्लान की फंडिंग के लिए करेंगे 12,166 करोड़ रुपये की बोरोइंग्स, इस साल बारोइंग्स करेंगे 25,931 करोड़ रुपये यानि 4 साल के अशोक गहलोत साहब के राज में 89,070 करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया है लेकिन कर्जा आप बजट में नहीं दिखाते हैं, बजट में छुपाते हैं। किताब में छोटा-सा पन्ना है, पन्ने में छोटी-सी चार लाइनें हैं और आपने दिखा दिया। मजेदार चीज तो यह है कि बजट की फण्डिंग, बजट का जो कर्जा आप दिखा रहे हो, उसके मुकाबले प्लान का खर्चा कई बार लगा कि प्लान का खर्चा बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर 89,070 करोड़ रुपये का कर्जा लाद कर, राजस्थान सरकार पर, इसको अगर जी डी पी से मिलायेंगे तो आपके उस बिल का क्या होगा, एफ आर बी एम बिल का क्या होगा? आप उसके पैरामीटर्स में से निकलते नहीं हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल डैट की लायेबिलिटी इस साल के अंत में, इसी साल 1 लाख 84 हजार करोड़ रुपये से ऊपर जाएगी और 1 लाख 84 हजार करोड़ रुपये की डैट लायेबिलिटी इस साल के अंत तक रहने वाली है। यह कर्जा आप लेंगे, कर्जा लेकर बजट पेश कर दिया, आप

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ताली बजवाओ लेकिन 33,500 करोड़ रुपये का प्लान, लेकिन प्लान फंडिंग आपको आती नहीं है। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा लो लेकिन कर्जा लेकर कर्जा चुकाने की ताकत पैदा करो। कर्जा लेकर कर्जा चुकाने की ताकत पैदा करते हैं, अगर आप इकोनोमी को बूस्ट करने के लिए कर्जा लेते हैं, इकोनोमी में रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए आप कर्जा लेते हैं, असेट जनरेशन करने के लिए कर्जा लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप करने के लिए कर्जा लेते हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है लेकिन इतना बड़ा कर्जा काहे से चुकायेंगे, जब आपके इतने बड़े बजट में कैपिटल आउट-ले इतना सा है?

आपका बजट था 2008-09 में 43,133 करोड़ रुपये का, खर्चा किया आपने 43,133 करोड़ रुपये और प्लान आउट-ले कितना था आपका, 5,899 करोड़ रुपये का, 13.67 । वर्ष 2009-10 के अन्दर आपका टोटल एक्सपेंडिचर था 48,749 करोड़ रुपये और आपका प्लान आउट-ले था 5,170 करोड़ रुपये, केवल 10 प्रतिशत। वर्ष 2010-11 में 53,703 करोड़ रुपये था आपका बजट और उसका केवल 10 प्रतिशत 5,530 आपका कैपिटल आउट-ले था। यह हालत, अगर आपको देखना था, 2007-08 में जब वसुन्धराजी का राज था तब कैपिटल आउट-ले हुआ करता था, टोटल एक्सपेंडिचर का 18 प्रतिशत। अभी भी आप 18 प्रतिशत को टच नहीं कर पाये, छू नहीं पाये। आप लगातार 10-10, 11 प्रतिशत।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी 100 रुपये का कर्जा ले और 10 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट करे और उस कर्जे को चुकाने की सोचे तो उसका कर्जा कभी भी चुकने वाला नहीं है। जब तक आपके बजट के अन्दर कैपिटल आउट-ले का कम्पोनेंट नहीं बढ़ेगा तब तक किसी भी स्थिति में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं आएगी। आपका कैपिटल आउट-ले कैपिटल रिसीट्स से लेकर आप कर्जा ले रहे हो। आपकी कैपिटल रिसीट्स थीं 2009-10 में 13,158 करोड़ रुपये और कैपिटल आउट-ले था आपका 5,170 करोड़ रुपये; आधे से ज्यादा, 8 हजार करोड़ रुपये। और कहां वह चला गया? इसी तरह 2010-11 में कैपिटल रिसीट्स का केवल 66 प्रतिशत यूटिलाइजेशन हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लें, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कर्जे का उपयोग इस प्रकार से करें, डैट को डिस्चार्ज करके आपने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, उसमें यह कर्जा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर नहीं चुकेगा। इस साल के एंड में यह कर्जा 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लगातार राजस्थान निश्चित रूप से ऐसे ट्रैप में चला जाएगा जहां से निकला नहीं जाएगा। आप डैट को कहां से चुकाएंगे, कैपिटल आउट-ले से चुकाएंगे। अब आपका टोटल डैट का 2008-09 में केवल 7 प्रतिशत था कैपिटल आउट-ले, 2009-10 के अन्दर फिर 5.64 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार की स्थिति जहां पर आप 5.6 प्रतिशत, 5.56 प्रतिशत टोटल डैट के मुकाबले आपका आउट-ले हो, वह कर्जा चुकाने की बात आप सोच ही नहीं सकते। मैं प्लान एक्सपेंडिचर वाले केसेज की चर्चा कर रहा था, प्लान एक्सपेंडिचर के कर्ज को आप जोड़ दें, फिर आप उसको मिलायेंगे कैपिटल आउट-ले को, तो राजस्थान निश्चित रूप से फिस्कल डेस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

राजस्थान के फिस्कल डेस्ट्रक्शन की स्थिति के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार रहा है तो यही मुख्य मंत्रीजी रहे हैं जो कल बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने रेवेन्यू सरप्लस कर लिया। रेवेन्यू सरप्लस का करेंगे क्या, अगर आप उसका यूज नहीं कर सकते? रेवेन्यू सरप्लस को आप यूज नहीं कर सकते तो उसका उपयोग क्या है? रेवेन्यू सरप्लस आपको मिल गया, बजट आधिक्य कर दिया, बजट आधिक्य का क्या करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति, यहां पर आर्थिक स्थिति जो राजस्थान की है, जिस प्रकार से कर्ज का भार आपने लिया है और कर्जे को आपने जिस प्रकार से छुपाने की कोशिश की है, यह राजस्थान की जनता का अपमान है और इस विधान सभा का भी अपमान है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, आपके राहुलजी आए थे, कहने लगे कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, आप मेट्रो लेकर आए। मेट्रो, पहले कहने लगे कि पी पी पी मोड पर लाएंगे; पी पी पी मोड पर कोई आया ही नहीं तो आपने कहा कि नहीं, टैरिफ बेस पर लाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजपालजी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अभी तो ली अंगड़ाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इन्होंने अभी शुरू किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राजा शत्रु ऋणम् कृत्वा, जो राजा प्रजा के लिए ऋण करता है वह उसके शत्रु के समान होता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इन्हीं का टाइम ले रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बजट पर यहां चर्चा हो रही है और वित्त मंत्रीजी यहां बैठते ही नहीं हैं। क्या गम्भीरता है इसकी? नहीं, क्या गम्भीरता है इसकी? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कोई सुन ही नहीं रहा, हम अकेले बोल रहे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजमान हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): जनता की जुबान बनकर बोल रहे हैं, उधर से कोई सुन ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऊर्जा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वित्त मंत्रीजी को यहां बैठना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: ऊर्जा मंत्रीजी विराजमान हैं उनके स्थान पर। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, वे नहीं बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम है कि बैठना चाहिए, नहीं बैठ रहे हैं तो बैठने के लायक नहीं हैं, हुजूर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नियम तो नहीं है...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): परम्परा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सत्ता पक्ष के लोग ही गायब हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि आप इतना बड़ा प्लान साइज बढ़ाने के माध्यम से, इतने बड़े वोल्यूम आफ बजट को बढ़ाने के बाद में आपने कहा कि हम मेट्रो लेकर आएंगे। आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी कमजोर है कि पी पी पी माडल पर आप मेट्रो को लेकर आना चाहते हैं और पी पी पी माडल पर कोई मेट्रो को लेकर नहीं आया; आपने झक मारकर यहां कहा कि हम टैरिफ प्लान पर लाएंगे, टैरिफ माडल पर लाएंगे। आपने डी पी आर बनवाई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी इन्कम्पलीट, जिसमें फ्रेट का खर्चा तो आ गया और डिब्बों का खर्चा नहीं आया। साढ़े 7 हजार करोड़, आपने कहा साढ़े 7 हजार करोड़ रुपये में हम बना देंगे, बाद में मालूम पड़ा कि डिब्बे का खर्चा शामिल नहीं है। डिब्बे का खर्चा शामिल नहीं है, किसी रूट की गलत डिजाइनिंग कर दी, 90 डिग्री पर आपने ट्रेन मोड़ दी, आपने दुबारा उसको

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिव्यू कर लिया, तब मालूम पड़ा कि यह खर्चा आएगा, 20 से 22 हजार करोड़ के बीच। यह 20 से 22 हजार करोड़ के बीच, मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर की जनता के ऊपर इतना बड़ा कर्ज डालने का आपको अधिकार किसने दिया? साढ़े तीन लाख रुपये पर-कैपिटा कर्जा जयपुर की जनता के ऊपर आएगा। 8 रुपये प्रति किलोमीटर से आप लगाना चाहते हैं। 8 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाव है, आटो रिक्शा का भाव है। दिल्ली में मेट्रो वाएबल नहीं हैं, दिल्ली में मेट्रो काम नहीं कर रही है। आपने कहा, हम दिल्ली से पैसे लाएंगे, बड़ी मुश्किल से खुरचन लेकर आए हैं ये इस बार, मेट्रो के लिए खुरचन लेकर आए हैं और मेट्रो, पता नहीं, आपकी कब पूरी होगी।

यही कहानी आपकी रिंग रोड की है, आपको यही पता नहीं है कि रिंग रोड 360 मीटर की बनानी है या 90 मीटर की बननी है। धारीवाल जी कहते हैं 360 मीटर की बनानी है, चन्द्रभानजी कहते हैं कि 90 मीटर से एक इंच ज्यादा देंगे ही नहीं। महेश जी ऐसे कहते हैं कि नहीं, नहीं, 90 मीटर ही होनी चाहिए। 90 मीटर और 360 मीटर के बीच चलते-चलते रिंग रोड यहां तक आ गई। अभी तक दो किलोमीटर की जगह आपके कब्जे में नहीं है और आप कह रहे हैं, हम रिंग रोड बनाना चाहते हैं।

अब चाहे रिंग रोड का मामला हो, चाहे मेट्रो का मामला हो और इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने यहीं पर कहा था, हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन करेंगे। कहां करेंगे, इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर बनाएंगे। कहां बनाएंगे, प्रतापनगर में। मैंने तब भी कहा था, आप फाउंडेशन भी नहीं लगा पाएंगे। यह प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हो गया, वे प्रवासी बेचारे दुःखी होकर चले भी गये लेकिन इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर की अभी तक नींव आपके हाथ से नहीं लगी।

आप राहुल जी के सगे नहीं, सोनिया जी के आप सगे नहीं, उनकी बात नहीं मानते तो राजस्थान की गरीब जनता के सगे तो हो ही नहीं सकते आप और इसीलिए गरीब जनता की, मैंने कहा, 10 हजार से नीचे की उनकी इन्कम आपके राज में हुई। हालत यह है कि आपने कहा, हमारी सरकार चल रही है; आज राजस्थान के अन्दर, आपके राजस्थान के अन्दर न तो फिस्कल प्रूडेंस है, न गवर्नेंस है। आपके राज के अन्दर जितनी ज्यादा मौतें अस्पताल गये लोगों की हुई, आपके भरोसे जो अस्पताल चला गया, वह अस्पताल से वापस नहीं आया। आप जोधपुर के सबसे बड़े बैरी हो, आप जोधपुर के सबसे बड़े बैरी हो। यह लगातार, एक बार गलती हो जाए माना, दूसरी बार भी मुख्य

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मंत्री बने; पहली बार यह फिस्कल डेफिसिट नहीं पता था, प्लान साइज बड़ा होना चाहिए, यह नहीं पता था तो नहीं होगा, तो 2011 के सितम्बर में मौतें हुईं, 3 दिन में 74 गये; दिसम्बर 2011 में मौतें हुईं 70 से ज्यादा; और 13 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रसूताएं मरती गईं; फ्लूड चढ़ता गया, सरकार सोती रही। जो जोधपुर के अन्दर प्रसूताओं की रक्षा नहीं कर सकता, उनकी, अस्पताल में आए हुए, लम्बी-लम्बी बातें कर रहे थे कल, प्लान साइज बढ़ाने की बातें कर रहे थे, 200 के ऊपर मौतें हुई हैं। राजस्थान के इतिहास के अन्दर इससे ज्यादा कोई +++ राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। (व्यवधान)

आपके यहां कोई देहदान कर दे तो आपके चूहे कुतर जाएंगे; कोई गलती से आई सी यू में भर्ती हो जाए, नली काट गया, मरीज को भी काट गया। जो नली को काट जाए, मरीज को काट जाए, आई सी यू की हालत आपकी यह है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार खुद आई सी यू में है। यह सरकार आई सी यू में है। इसलिए इस प्रकार की हैंडिकैप्ड सरकार, किसी की भलाई करने की स्थिति में नहीं है।

200 से ऊपर मौतें, कहीं फायरिंग होती है; मौतें हो सकती हैं, लॉ-एंड-आर्डर की प्राब्लम हो जाए तो मौतें हो सकती हैं लेकिन गलती से कोई आपके भरोसे चला गया, और कौन गया होगा, राजेन्द्रजी राठौड़ तो जा नहीं सकते, राजपाल सिंह शेखावत तो गया नहीं होगा, जिसके पास इलाज का पैसा नहीं। कौन मरा, गरीब मरा। उसके इलाज का पैसा नहीं, जो जानता था कि डाक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, ...(व्यवधान) जानता था, सरकार लाचार है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए अस्पताल गया और किसलिए गया, मरने के लिए गया। जिसके राज के अन्दर इस प्रकार की मौतें हो सकती हैं, उसको राज करने का एक दिन का अधिकार नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप प्लान साइज बढ़ा रहे हैं, आप कर्जे को बढ़ाये जा रहे हैं, आप कर्जा बढ़ाये जा रहे हैं, आप इंवेस्टमेंट ले ही नहीं पा रहे हैं। वसुंधरा जी के राज में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था, एक लाख 62 हजार से ऊपर के एम ओ यू हुए थे। आपके कहने से एक एम ओ यू नहीं हुआ, आपके कहने से एक आदमी रुपया लगाने का तैयार नहीं हुआ। जो एक लाख 62 हजार के एम ओ यू दे गये, उसका बैक-अप तो कर लेते आप। आपने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन तो कर लिया, आप काहे के लिए, प्रवासी कम, कलेक्ट, सेलीब्रेट। इसके लिए आये थे? प्रवासी इसलिए आये थे कि बीनाजी काक की प्रजेंटेशन मिलती। अपना प्रजेंटेशन भी नहीं दे पाये; इसलिए देखने आये थे वे? शांतिजी धारीवाल जवाब नहीं दे पाये, यह देखने आये थे वे लोग? आपने एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये के जो एम ओ यूज भारतीय जनता पार्टी की वसुंधराजी की सरकार ने किये थे, उन एम ओ यूज को कैपिटलाइज करने की आपकी हैसियत नहीं है। इतनी नाकारा सरकार जो एम ओ यू को कन्वर्ट नहीं करा पाये, एम ओ यू के इन्वेस्टमेंट को चैनेलाइज नहीं कर पाये, उस सरकार के बारे में कहने की कोई स्थिति नहीं है।

आप कड़ी से कड़ी बनाने की बात कर रहे थे, मिल गई कड़ी से कड़ी और इधर कड़ी से कड़ी मिलते ही जनता की कड़ी टूट गई। क्या हुआ रिफाइनरी का? जो 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आपकी इन्कम इस साल हुई है, 3,140 करोड़ घर बैठे-बैठे, रामधुनी करते-करते, इसलिए राजस्व अधिशेष आ गया। आपकी कृपा से नहीं आया, आपकी कोशिश से नहीं आया। वह रिफाइनरी क्यों नहीं लगाई आपने? जयपुर की मेट्रो आपको पसंद है, जहां 20 हजार, 22 हजार करोड़ तो आप लगा सकते हैं लेकिन जिससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, रिफाइनरी के लिए, उसके लिए पीछे-पीछे घूम रहे हैं। हमारी बात चल रही है, मार्केटिंग करने के लिए फलाने से; आज बात चल रही है, 4-4 साल बाद। आप रिफाइनरी खुद क्यों नहीं लेकर आए? जब मेट्रो के अन्दर इक्विटी पार्टिसिपेशन आप करा सकते हैं हाउसिंग बोर्ड का, जब मेट्रो का आप लोन दे सकते हैं, मेट्रो के लोन की गारंटी दे सकते हैं तो रिफाइनरी के अन्दर इस प्रकार का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर सकते थे आप? लेकिन रिफाइनरी लगाना ठीक नहीं समझते आप। आप रिफाइनरी लगा नहीं पाये यहां, वहां आपकी चलती नहीं। वहां पानी का पैकेज मांगने गये थे, क्या हुआ? आप हर जगह चले आए, प्लानिंग कमीशन में आप, एन डी सी की मीटिंग में आप, सब जगह जा आए आप, जूते घिसट-घिसट कर आ गये। पेयजल की समस्या का इलाज आप नहीं कर पाये, पेयजल के लिए कोई पैकेज आप लेकर नहीं आ पाये।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति आपने पैदा की है और जिस प्रकार की लैक आफ गवर्नेंस राजस्थान में पैदा हुई है, जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति राजस्थान में पैदा हुई है और प्लान के नाम पर जिस प्रकार का फंड का मिस-यूज हुआ है, वह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान के इतिहास के अन्दर अनोखा है। आज आपकी प्लान फंडिंग हो रही है, 44 परसेंट, 45 परसेंट कर्जे से और उस कर्जे को छिपा रहे हो आप। कर्जा कर्जा होता है। कर्जा, आपकी सरकार का कर्जा जनता को चुकाना पड़ेगा। लंच कभी फ्री नहीं होता। लंच मेरे लिए फ्री हो सकता है, आपके लिए फ्री हो सकता है, किसी और को पैसा देना पड़ेगा। कर्जा लिये हुए हो, चाहे किसी के नाम पर आपने कर्जा लिया हो, चाहे आपने पावर सेक्टर से कर्जा लिया हो, चाहे एम एम डी सी के नाम से कर्जा लिया हो, चाहे जे डी ए के नाम से कर्जा लिया हो, चाहे आपने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के नाम से कर्जा लिया हो और यह सब कर्जे की जिम्मेदारी आपकी कैसे नहीं है? आज प्लान को फंड करने के लिए कर्जा लेने का आपने इंस्ट्रक्शन दिया। उनका कोई अपना निर्णय नहीं है, वह निर्णय आपका है, आपकी पहल के बाद में।

आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्थिति आपने पैदा की है, राजस्थान की जी डी पी का 8 से 9 प्रतिशत के ऊपर राजस्थान के ऊपर कर्जा है। आप कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि यह एक्ट से बच जाएं, उस एक्ट से बच सकते हैं आप लेकिन राजस्थान की जनता की तलवार के नीचे से नहीं बच सकते हैं। वह इंतजार कर रही है आपका और इंतजार इस बात का है कि राजस्थान को जिस प्रकार से पिछड़ेपन में आपने पहले पहुंचाया, नवीं पंचवर्षीय योजना में 27,650 करोड़ की योजना को 19 हजार काटकर राजस्थान को पिछड़ा किया, उसी प्रकार इस प्लान की फंडिंग के अन्दर पैसे की पूरी बरबादी करके राजस्थान को कर्जे में डुबोकर, राजस्थान की जनता को धोखे में रखकर, राजस्थान की विधान सभा को धोखे में रखकर जिस प्रकार से स्थिति आपने पैदा की है, राजस्थान डेस्ट्रक्शन के कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर फिस्कल इम्प्रूडेंस को दिखाने वाला सबसे बड़ा स्टेट होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके लेवल पर कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का समर्थन केवल थोथी घोषणाओं के भरोसे नहीं किया जा सकता। घोषणाएं तो आप तीन-चार साल से कर रहे हैं, लगातार अखबारों में आ रहा है लेकिन घोषणाएं पूरी हो नहीं रही हैं और इतनी घोषणाएं आपने कर दीं कि आपको खुद को याद नहीं कि कितनी घोषणाएं आपने कर दीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति से राजस्थान को कंगाली के कगार पर ले आये हैं, राजस्थान के आम गरीब को गरीबी की रेखा के नीचे ले आये, 42 प्रतिशत जनता को,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान के ऊपर एक लाख 85 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लाद दिया है और कर्जे के रिपेमेंट का कोई बंदोबस्त करने की स्थिति में सरकार नहीं है, उस बजट का समर्थन करने की स्थिति में कोई नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह राजस्थान की सरकार जितनी जल्दी जाए, उतनी राजस्थान की जनता की भलाई है। राजस्थान पिछड़ेपन के लिए लगातार, अभी आपने देखा होगा, ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर राजस्थान जो आगे था, वह पीछे चला गया और गहलोत साहब के राज में, मैं सोचता हूं, आने वाले दो साल बाद भी ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें राजस्थान फिर पीछे चला जाएगा। इसीलिए आपने न तो राज्यपाल के अभिभाषण पर और न आपके बजट में इस बात की चर्चा की।

ग्यारहवें प्लान में आपका एचीवमेंट क्या है? आप बार-बार बात करते हैं पावर की, पावर जनरेशन की। आपका आधे से ज्यादा पावर जनरेशन तो वसुंधराजी के राज में जो पाइपलाइन में थे, उन प्रोजेक्ट के कारण हुआ और हालत यह है कि जो प्रोजेक्ट हमने लगा दिये, बिजली पैदा होने लग गई, वहां बिजली पहले ज्यादा पैदा होती थी।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, बार-बार आप ताली बजाते हैं और ताली बजाकर यह कहते हैं, हमने बिजली इतनी पैदा की, हमारी पहली प्रायोरिटी बिजली है, हम पहले भी मुख्य मंत्री थे तब हमारी प्राथमिकता बिजली थी, आज मुख्य मंत्री बने हैं तब भी हमारी प्राथमिकता बिजली है, लेकिन बिजली भी आप भाटे से भाटा भिड़ाकर पैदा नहीं कर सकते। कोल लिंकेज का क्या हुआ? सूरतगढ़ की 250 मेगावाट की इकाई लगने के बाद 250 मेगावाट की इकाई लगने से पहले की स्थिति में प्रोडक्शन हो रहा है। आपका प्रोडक्शन घट गया। छबड़ा की हालत यही है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पावर जनरेशन के अलावा अब स्वीकृतियां जारी कर देंगे, स्वीकृतियां जारी करने वाले हैं। ऐसे ही रोजगार देते-देते चार साल हो गये, अब खुद ही बूढ़े हो गये, रिटायरमेंट के नजदीक आ गये आप। अब आपका रिटायरमेंट नजदीक है और 5 साल से लगातार कोई 20 हजार, 30 हजार नौकरियां हैं और अगर आपने नौकरी देने का वादा पूरा किया तो जिस राजस्व अधिशेष की बात आप कर रहे हैं, अगर आपने वादा पूरा किया और जिन नौकरियों की चर्चा आपने बजट में की है, अगर आपने नौकरियां दीं तो मैं आपको आज कह सकता हूं, मेरा नाम लिखे लो, आज का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

टाइम लिख लो, राजस्थान का बजट अधिशेष में नहीं रहेगा। जब रिवाइज्ड एस्टिमेट आएगा, जब एक्चुअल्स आएंगे, तब पता लगेगा, राजस्थान रेवेन्यू सरप्लस में नहीं है।

लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, आप घोषणा करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। ऐसी थोथी, ढपोरशंखी घोषणाएं करने वाले मुख्य मंत्री के बजट का समर्थन न तो राजस्थान की जनता करती है और न भारतीय जनता पार्टी करती है और न सदन के अन्दर कुछ लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, वे समर्थन करें तो मैं नहीं कह सकता, बाकी राजस्थान के हित का खयाल रखने वाला, राजस्थान के गरीब का खयाल रखने वाला एक भी आदमी इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। इस बजट का समर्थन मैं भी नहीं करता, मेरी पार्टी भी नहीं करती। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय महेन्द्रजी चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 मार्च को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री इस तेरहवीं विधान सभा में जो बजट पेश किया उस बजट के समर्थन में मैं... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): उपाध्यक्ष महोदय, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है। पहले तिवाड़ीजी खड़े हो गये, अब आप खड़े हो गये, फिर हम भी खड़े हो रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): महेन्द्रजी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, न मेरी आपको डिस्टर्ब करने की मंशा है, मैं तो आसन से केवल इतना ही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): डा. जितेन्द्र सिंहजी हैं, बहुत अच्छी बात है; भरत सिंहजी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस विभाग के जितने अधिकारी होंगे, जब बजट पर डिस्कशन होगा तब भी वित्त विभाग के अधिकारियों को कोई आवश्यकता नहीं इस बजट को सुनने की। यह स्थिति हमने तो 30 साल में कभी नहीं देखी। इस बार इस तेरहवीं विधान सभा में जिस तरह से ये अधिकारी इसको हल्केपन में लेकर सोचते हैं कि हम शायद यहां कोई फालतू की बातें बोलते हैं या कोई तर्क की बात नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बोलते, कृपा करके आसन अगर व्यवस्था करा सके तो जो अधिकारी हैं, जो इससे संबंधित हैं, जिन्होंने बजट बनाया है, हमारे बजट के कुछ सुझाव होंगे तो उसका कोई लाभ मिलेगा जवाब के समय। नहीं तो वे लिखा-पढ़ा देंगे, जो बोल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय महेन्द्रजी चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने कल इस सदन में बतौर वित्त मंत्री इस तेरहवीं विधान सभा का जो चौथा बजट पेश किया, उस बजट के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बजट पहले भी पेश होते थे, बजट अब भी पेश हुआ है, लेकिन इस राजस्थान के इतिहास में जिस प्रकार का बजट कल पेश किया गया है, उसकी पूरे राजस्थान के अन्दर प्रशंसा हो रही है। हमारे सारे समाचार-पत्रों में, चाहे संपादकीय हो या अन्य माध्यम से, सभी जगह इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर उस कमजोर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा है जो इस समाज का अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है। चाहे आदिवासी हों और चाहे किसान हों या अन्य लोग हों, सभी को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है।

इस बजट पर वाद-विवाद में पक्ष और विपक्ष में जो चर्चा होगी, उसमें मैं सबसे पहले माननीय सदन के नेता को, हमारे मुख्य सचेतक रघु शर्माजी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे प्रथम वक्ता के रूप में उन्होंने बोलने का अवसर दिया है। विपक्ष के लोग हैं, उनका आज तक, बजट हो, चाहे गवर्नर अभिभाषण का हो, कभी भी आप उठाकर देख लें, इन्होंने पहली बार जीतकर आये किसी भी व्यक्ति को इस सदन में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का मौका नहीं दिया है और विशेष रूप से जो गांव से, जो प्रथम बार जीतकर आये हैं, उनको तो लास्ट की पंक्ति में बिठा रखा है; उनका नम्बर आएगा रात को 11 बजे या लेट नाइट के अन्दर, तब उनको 5-10 मिनट बोलने का मौका मिलेगा।

इससे पहले की सरकार में जो बजट बनते थे, वे महलों के कंगूरों पर बजट बनते थे; यह पहला बजट बनाया गया है जो किसान की झोंपड़ी में, गरीब के घर में बनाया गया है। इसीलिए इस बजट की प्रशंसा पूरे प्रदेश के अन्दर हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं सबसे पहले चिकित्सा पर आना चाहूंगा। चिकित्सा के अन्दर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आपने देखा कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट पर सबसे पहले चिकित्सा का जिक्र किया। मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, यह इस प्रकार की योजना है जिसको शहर से जीतने वाला विधायक या शहर से जीतकर आने वाला माननीय सदस्य उतनी गम्भीरता से नहीं ले सकता जितना गांव से आने वाला, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला माननीय सदस्य या गांवों में रहने वाले लोग वे जितने अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस गरीब व्यक्ति को दवा नहीं मिलती थी, बीमारी होने के बाद उसके पास में पैसा नहीं होता था, आज दवा की दुकान पर, जहां डाक्टर को दिखाता है, डाक्टर दवा लिख देता है और आराम से दवा लेकर आ जाता है। इस प्रकार की जो निःशुल्क दवा वितरण योजना है, इसमें दो लाख लोगों को इस राजस्थान के अन्दर अब तक पूरा फायदा मिल चुका है।

दूसरी मुख्य मंत्री सहायता कोष और जीवन रक्षा कोष योजना। इस योजना के अन्दर भी राजस्थान की जनता, राजस्थान की गरीब जनता को इस योजना के अंदर काफी फायदा मिल चुका है। मुख्य मंत्री ग्रामीण बी पी एल आवास योजना, इसमें 10 लाख मकान बनाने की योजना है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश में उन गरीब बी पी एल लोगों के लिए जो योजना प्रारम्भ की है, उसकी भी पूरे राजस्थान में बहुत प्रशंसा हो रही है। शिशु जननी सुरक्षा योजना, यह इस प्रकार की योजना है जिसका फायदा विशेष रूप से गांव और ढाणियों के अन्दर रहने वाली उन गरीब औरतों को मिल रहा है जो प्रसव के वक्त हास्पिटल नहीं आ सकतीं, उनके पास में हास्पिटल का किराया नहीं होता था। आज सभी जगह 108 एम्बुलेंस रख दी गई हैं और जहां पर 108 एम्बुलेंस नहीं मिलती हो, प्राइवेट गाड़ी के अन्दर भी वे हास्पिटल के अन्दर आ सकती हैं; उनका किराया भी सरकार दे रही है। शहर में रहने वाली उस महिला को हजार रुपया दे रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला को 1,400 रुपया दे रहे हैं। यह सरकार का बहुत ही उल्लेखनीय कार्य चिकित्सा के अन्दर हो रहा है। 3 लाख 70 हजार महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित किया जा चुका है।

अन्य योजनाओं में, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 का उल्लेख किया जिसमें अब तक 31 लाख 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए एवं 30 लाख 33 हजार का निस्तारण हो गया। इससे आप जान सकते हैं, इस योजना का कितना फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बजट में महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यक, ओ बी सी, एस बी सी, किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। चिकित्सा के अन्दर 3 हजार सब-सेंटर खोले जाएंगे। हर विधायक को 15-15 गांवों के अन्दर सब-सेंटर मिलने का मौका मिलेगा, जहां वे चाहेंगे वहां सब -सेंटर खोल सकेंगे। वहां ए एन एम बैठेंगी। यह फायदा गांव और ढाणियों में रहने वाले उन लोगों को निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से मिलेगा।

एक हजार पी एच सी खोलने का प्रावधान रखा है, 25 पी एच सी को सी एच सी के अन्दर क्रमोन्नत करने का रखा है और एक हजार के करीब शय्याओं की वृद्धि इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखी। 100 शय्या वाले अस्पताल में न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट शुरू की गई, उससे भी जनता को काफी फायदा होगा। दूसरा महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात प्रदेश में घटता जा रहा है, हजार के ऊपर 812 महिलाओं का जो प्रतिशत आ रहा है, उसको देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने लिंग परीक्षण के अन्दर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है और कहीं पर भी इस प्रकार का व्यक्ति लिंग परीक्षण कराता हुआ पाया जाता है और जो सूचना देने वाला होता है, उसको एक लाख रुपये का पुरस्कार इस सरकार ने घोषित किया है। एन आर एच एम के तहत 21 हजार नियमित पद सृजित किये हैं। एक हजार ए एन एम के पद और 3 हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्र जो खुलेंगे, उनमें भी ए एन एम के पद सृजित करने की सरकार की योजना है। संतानहीनता, अगर किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति के संतान नहीं होती है तो उसके बहुत सोच का विषय होता है। उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने हर जिले के अन्दर, फर्टिलिटी क्लीनिक कहीं पर नहीं है तो एक करोड़ रुपये की राशि देकर उसको भी एक अच्छी राशि देने का प्रावधान रखा है।

पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर जो नरेगा योजना पहले भारत के अन्दर, पूरे प्रदेश के अन्दर लागू है, राजस्थान के अन्दर लागू है, उस नरेगा योजना का सबसे बड़ा फायदा गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले उस गरीब मजदूर को मिला है जिसको पहले काम करने बाहर जाना पड़ता था। अब नरेगा योजना के अन्दर वह मजदूर सुबह काम करने जाता है, शाम को वापस आ जाता है। इससे सड़कें अच्छी चौड़ी हो गईं और गांव के लोगों को फायदा मिल गया। उनकी मजदूरी भी अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो पहले 119 रुपये थी, उसको 133 रुपये कर दिया है। नरेगा सड़कें जो बन गईं, उन सभी सड़कों को जो 250 से 500 तक की आबादी की सड़कें हैं, उनका डामरीकरण कराने का

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सरकार ने निर्णय लिया है। वह वास्तव में बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 16 मेगा हाइवे बजट के अन्दर सैंक्शन किये गये हैं और इन पर 3,590 करोड़ का पैसा खर्च होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन 16 मेगा हाइवे में दो मेगा हाइवे मेरे विधान सभा क्षेत्र नावां के अन्दर भी दिये हैं। इनमें जयपुर-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलौदी के अन्दर पहला मेगा हाइवे और कोटपूतली-नीमकाथाना-सीकर-कुचामन के अन्दर दूसरा हाइवे जो सैंक्शन किये हैं, उनके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। पड़ोसी राज्यों को जोड़ने के लिए 500 किलोमीटर की सड़कों का प्रावधान रखा गया है। मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने के लिए हो, चाहे दुर्घटना संभावित क्षेत्र को चौड़ा करने के लिए हो, चाहे बरसात के अन्दर जो रास्ता खराब हो जाता है, उनका भी इसके अन्दर काफी प्रावधान रखा गया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में अभी मेरे से पहले जो झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको मैं काफी देर से सुन रहा था, कर्जा, कर्जा, कर्जा; खाली कर्जे के अलावा इस बजट के अन्दर जितने प्रावधान किये गये हैं, उनका इन्होंने किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। थोड़ा सा ऊर्जा का जरूर इन्होंने जिक्र किया है। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, डाक्टर जितेन्द्रजी साहब यहां पर बैठे हैं, 1998 के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी, 2003 के अन्दर आपकी सरकार थी और अब फिर वापस 2008 के अन्दर कांग्रेस की सरकार आई। उत्पादन कितना हुआ है? आंकड़ों को उठाकर देख लो, आप लोग खुद पता कर लो, कांग्रेस ने उस वक्त भी 1,750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था और इन तीन वर्षों के अन्दर भी 3,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन कांग्रेस सरकार कर चुकी है। डाक्टर साहब, आपकी सरकार ने भी किया लेकिन आप तुलना कर लो, आपकी सरकार ने जो पैदा किया वह 950 मेगावाट पैदा किया और हमने, 1,750 मेगावाट तो उस सरकार में किया और 3,800 मेगावाट इस सरकार में तीन साल में कर चुके हैं।

आप किसान नहीं हैं, आपको किसान की परवाह नहीं है, आपको किसान की चिंता नहीं है और आप किसान विरोधी रहे हो। आप हमेशा किसान विरोधी रहे हो और आपकी सोच किसान के विरोध में रही है। आपने खाली पैसे वाले और धनाढ्य व्यक्तियों के लिए सोचा है और जब भी आप लोगों का बजट आता था तो आप लोग उसमें पैसे वाले और धनाढ्य लोगों के लिए

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सोचकर बजट में प्रावधान रखते थे और किसान के लिए आपका किसी प्रकार का बजट नहीं आता था। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की चिंता है, अगर कोई इसके लिए कहना चाहता है, हमारे प्रभूलालजी सैनी भी पिछली बार सरकार के अन्दर मिनिस्टर थे, वे भी यहां पर बैठे हैं, हम भी यहां पर किसान के बेटे के रूप में उपस्थित हैं, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, वे भी एक किसान के बेटे हैं और किसान के हितों का ध्यान रखते हुए उन्होंने जितने प्रावधान इस बजट के अन्दर किये हैं, वे उल्लेखनीय हैं।

अभी बजट के अन्दर ऊर्जा के अन्दर 400 केवी के ग्रिड सब-स्टेशन जयपुर (उत्तर) तथा उदयपुर में स्थापित किये जाएंगे तथा 132 केवी के 53 जी एस एस जिनमें 28 चालू एवं 25 नये होंगे, 33 केवी के 200 सब-स्टेशन बनाये जाएंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, ऊर्जा मंत्रीजी ने इस क्षेत्र में गांव में रहने वाले किसान को, आज 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, 70 प्रतिशत लोग बिजली के ऊपर आधारित हैं और उस बिजली की सोच तो इस सरकार ने बनते ही अपने आप में विचार ली थी और सरकार बनने के साथ में जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, माननीय सोनिया गांधीजी उस सम्मेलन के अन्दर आई थीं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि इस प्रदेश के अन्दर किसी भी प्रकार की स्थिति हो लेकिन किसान का 5 साल के अन्दर बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसान के हक में रहा है। आज भी इन तीन सालों के अन्दर करीब 2 लाख लोगों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं, करीब 13 लाख लोगों को घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 1,983 गांव और 15 हजार ढाणियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। यह गांवों के लिए इस सरकार की सोच प्रकट करती है कि किस प्रकार की गांवों के प्रति इस सरकार की सोच है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, 2012 के अन्दर 300 से अधिक जनसंख्या के गांव और ढाणियों को जोड़ दिया गया है और इस साल के अन्दर 100 से कम आबादी की 67 हजार के करीब ढाणियों को जोड़ दिया गया है और 60 हजार के लगभग ढाणियां इस बजट के अन्दर जुड़ेंगी। चाहे पवन ऊर्जा नीति हो, चाहे सौर ऊर्जा नीति हो, इसके लिए भी सरकार बहुत गम्भीरता से कार्य कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र के अन्दर 12,726 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो इस प्रदेश की वार्षिक योजना का 38.4 प्रतिशत है। यह मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी के अन्दर कहना चाहता हूं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अन्दर पहले 8 वर्ष की आयु होने के बाद ही उस नि:शक्त व्यक्ति को पेंशन मिलती थी लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने उसकी भावना समझी और 8 वर्ष से कम आयु का जो नि:शक्त व्यक्ति है, उसको भी 250 रुपये पेंशन के कर दिये। यह भी बहुत अच्छा कार्य इस सरकार के बजट में हुआ है। चाहे पोलियो करेक्शन आपरेशन हो, चाहे मोटराइज्ड ट्राईसाइकल हो, उनके अन्दर भी गरीब लोगों का विशेष रूप से इस बजट में ध्यान रखा गया है। निराश्रित सम्बल योजना हो, एस सी के छात्रावासों का निर्माण हो, एस सी के छात्रावासों के लिए और एस सी के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष रूप से इस बजट के अन्दर जगह-जगह जो 9 से 12 तक जो छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको कम्प्यूटर, सी.डी., इंटरनेट के माध्यम से अंग्रेजी और गणित विषय का विशेष रूप से अध्ययन कराया जाएगा। जयपुर में एक छात्रों के लिए, दो छात्राओं के लिए, सात शहरों के अन्दर छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कराने का इस सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं भी इस सरकार ने विशेष रूप से रखी हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पिछले बजट में भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया था और इस बजट के अन्दर भी अल्पसंख्यक समुदाय का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। 500 कम्प्यूटर पैरा-टीचर हों, चाहे 3,500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती हो, वह भी इस बजट में रखा गया है। बालिका छात्रावास जयपुर, कोटा, अजमेर और इस वर्ष उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर हज हाउस के लिए दो करोड़ रुपये का भी प्रावधान रखा गया है।

पंचायती राज के अन्दर भी मुख्य मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना जो प्रारम्भ की गई है, इस योजना से एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवक-युवतियों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक अवसर दिया जाएगा। यह भी सरकार का बहुत उल्लेखनीय कार्य है।

आई.टी. के अन्दर बात आती है तो राजीव गांधी सेवा केन्द्र की। हमारे दूसरे लोग जब राजीव गांधीजी का नाम सुनते हैं तो पता नहीं, उनके दिमाग में किस प्रकार की बात आती है। राजीव गांधी खाली एक पार्टी के नेता नहीं थे, राजीव गांधी इस देश के महान् प्रधान मंत्री थे और उन राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दिया था। उन राजीव गांधी जी की यह सोच थी कि गांव और ढाणी में रहने वाले व्यक्ति को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें जो शहर में रहने वाले व्यक्ति को उपलब्ध होती हैं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

उन्हीं के नाम पर इस सरकार ने आई.टी. केन्द्र खोले हैं, 10-10 लाख रुपये के आई.टी. भवन बनाये हैं। उनका अब विस्तार होगा ताकि उस विस्तार में कृषि और राजस्व से सम्बन्धित जो भी कार्य हों, उनका भी फायदा मिलेगा। कृषि और राजस्व के अलावा पंचायत समिति स्तर पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्य भी प्रारम्भ किया जाएगा और उसके लिए आई.टी. केन्द्र का बहुत बड़ा महत्व होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक कम्प्यूटर दिया जाएगा ताकि हर बेरोजगार व्यक्ति वहां पर रोजगार की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके।

उसके अलावा इस सरकार ने कब्रिस्तान और श्मशान घाट की चारदीवारी के लिए, छाया के लिए, पानी के लिए एक विशेष प्रावधान रख दिया है। उसमें 10 प्रतिशत हिस्सा गांव वाले जमा कराते हैं तो 90 प्रतिशत हिस्सा अनुदान राशि के रूप में दिया जाता है। यह भी सरकार ने एक प्रावधान रखा है।

कृषि के अन्दर, इस सरकार ने खरीफ और रबी में बुवाई के समय जो डीएपी और अन्य उर्वरकों की मांग रहती है, उसके लिए पहले से प्रावधान कर दिया है कि 2.50 मैट्रिक टन डी.ए.पी., दो लाख मैट्रिक टन एस.एस.पी., 50,000 मैट्रिक टन काम्प्लेक्स उर्वरक और एक लाख मैट्रिक टन यूरिया का राजफैड के माध्यम से अग्रिम भण्डारण इस सरकार ने कर दिया है।

कृषि महाविद्यालय, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने जो पहले प्रोत्साहन राशि होती थी, उसको बढ़ा दिया है। बी.एससी. और एम.एससी. वाली छात्राओं को 5,000 से 10,000 रुपये कर दी है प्रोत्साहन राशि, पी.एच.डी. करने वाली छात्राओं को 10,000 से 15,000 रुपये इस सरकार ने कर दिये हैं।

बूंद-बूंद सिंचाई, पानी की कमी की गम्भीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी चिंतित थे। उन्होंने सिंचाई में ज्यादा पानी वेस्ट नहीं हो, इसके लिए बूंद-बूंद सिंचाई की जो योजना है, उसमें 90 प्रतिशत अनुदान देने का एक प्रावधान किया है जिसके अन्दर राज्य सरकार के 190 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ड्रिप सिंचाई में भी 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक अधिकारियों के भी करीब 750 नवीन पद सृजित किये हैं।

सहकारिता में भी एक साथ अगर किसान पूरा ऋण चुका देता है तो उसका पूरा ब्याज माफ हो जायेगा, इस प्रकार का भी सरकार ने ध्यान दिया है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मैं इस सदन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपना एक सुझाव रखना चाहता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं नागौर जिला, नागौर जिले में पहले तीन साल से कम उम्र के बछड़े जिनको किसान एक आजीविका के रूप में रखता था, लेकिन इस पिछली सरकार ने, उन्होंने यह शिकायत की, गुमानमल लोढ़ा की एक कमेटी बिठाई और उसके अन्दर आरोप लगाये कि ये बैल बाहर जाते हैं, वे कटने के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश जाये, चाहे आन्ध्र प्रदेश जाये, चाहे यू.पी. में जाये, वहां पर चावल की खेती होती है और चावल की खेती के लिए पानी भरा हुआ रहता है, उनमें ट्रैक्टर चल नहीं सकते हैं, उसके अन्दर ये बछड़े ही काम आते थे। लेकिन इन्होंने जो गुमानमल लोढ़ा की कमेटी बैठाकर इन आर.एस.एस. और बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक रिट लगा दी कि इनकी हत्या होती है। तो इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जो रोक लगाई गई है, उस रोक को इन पर से हटाया जाये ताकि नागौर जिले के उन किसानों को जिनकी आजीविका का यह साधन था, उनको बछड़ों को वह वापस पालने का मौका मिल सके। यह भी इस सदन के माध्यम से मेरी मांग है।

दूसरा, रबी की फसलों की कटाई हो रही है, किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिल सके, उसके लिए समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है। आज चना, सरसों, जौ, गेहूं, मसूर के अन्दर समर्थन मूल्य घोषित है लेकिन प्याज और मैथी को भी इसके अन्दर शामिल किया जाये क्योंकि मेरे इलाके कुचामन सिटी के अन्दर जो प्याज होता है, वह पूरे भारत के अन्दर फेमस है इसलिए उसको भी सम्मिलित किया जाये।

दूसरा, पेयजल योजना के लिए मैं विशेष रूप से इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। जिस सदन में मैं बार-बार कहता था कि मेरा विधान सभा क्षेत्र नावां, जो नमक की नगरी से जाना जाता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन गुजरात में होता है और उसके बाद में नावां के अन्दर होता है, नावां के अन्दर खारा पानी, फ्लोराइड का पानी है। बीसलपुर का पानी लाने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत था। कल की बजट घोषणा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीसलपुर का पानी नावां लाने के लिए उसमें 125 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार और उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। वैसे ही मुख्य

(श्री महेन्द्र चौधरी)

मंत्रीजी ने चाहे नागौर लिफ्ट परियोजना का पानी हो, उसको भी सेकंड फेज के अन्दर स्वीकृत कर दिया है। और भी पूरे प्रदेश के अन्दर इस योजना का पूरा ध्यान में रखा है।

झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अभी बार-बार कह रहे थे, बड़े चिंतित हो रहे थे कि किस प्रकार का बजट है, किस प्रकार लोग इसको कहेंगे, घोषणाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी; हम उनके ऊपर नहीं जाना चाहते, निश्चित रूप से ये घोषणाएं पूरी होंगी। आपकी सरकार की नेता नहीं हैं, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की सोच है; जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो यह बजट पेश किया है, वे बजट की घोषणाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, उनकी घोषणाएं पूरी होंगी, यह हम आपको इस सदन के अन्दर कहना चाहते हैं। आपके समय के अन्दर किस प्रकार, क्या-क्या घोषणाएं हुई थीं, अगर आप वे देखना चाहें तो मेरे पास में सूची है। एक पानी, पानी की योजना के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं शार्ट के अन्दर, आपके समय के अन्दर पानी के लिए किस प्रकार से घोषणाएं हुई थीं, वह आप लोगों की 16 घोषणाएं इस प्रकार की हैं, अगर कोई माननीय सदस्य मांगना चाहें तो मैं सूची मेज पर रख सकता हूं। वे 16 घोषणाएं आप लोगों ने दुनिया को, जनता को गुमराह करने के लिए इस सदन के अन्दर बजट सत्र के अन्दर रखीं और 16 की 16 पूरे पांच साल के अन्दर आप लोगों से क्रियान्वित नहीं हो सकीं। यह आप लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।

निःशुल्क दवा के साथ-साथ पशुपालन के अन्दर पशुओं की दवा को आपने मुफ्त कर दिया, वह एक बहुत बड़ा फैसला ग्रामीण जनता को राहत देने वाला रहा है। उसके लिए भी हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। 400 नवीन पशु उप-केन्द्र आप लोग खोलेंगे या खोलने का प्रावधान रखा है, 200 अस्पतालों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है, उसके लिए सरकार ने, जो बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान रखा है, उसके लिए भी हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, आज सुबह जब सदन चल रहा था, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं कई बार बोलते हुए उनको देखता हूं, उनको बहुत पीड़ा होती है, आज तो उन्होंने उदयपुर शहर से आये हुए ग्रामीणों के लिए, आज तो वे बड़े शिक्षकों की बात कहते हुए यह कहने लगे कि इतिहास के अन्दर मैं ऐसा कर जाऊंगा कि कुछ नया हो जायेगा। हम लोग

(श्री महेन्द्र चौधरी)

तो बड़े चिंतित हो गये थे कि माननीय सदस्य क्या करने वाले हैं। उनको पीड़ा होती है, कई बार वे अपने शब्दों के माध्यम से इस सदन के अन्दर आंकड़े पेश करते हैं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य आंकड़े पेश करते हैं और आंकड़े पेश करके इस प्रकार से सदन के अन्दर लहराते हैं कागजों को कि जिस प्रकार से लोग देखने वाले यह सोचें कि वास्तव के अन्दर, पता नहीं, इनकी सरकार ने क्या कर दिया हो और आने वाली सरकार क्या कर रही है। मुझे याद है उनके शब्द, जब सरकार के अन्दर यह पहला बजट पेश हुआ था, उस समय आप वहां पर बोलने के लिए खड़े हुए थे। 2008 के अन्दर कांग्रेस को कितने वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, आंकड़े पेश किये लेकिन आंकड़ों के जाल में हम नहीं जाना चाहते। उस समय 39 प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 35 प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले थे लेकिन आपने जो आंकड़े बताने का काम किया है, जिस प्रकार से बोडी लैंग्वेज और लहजा आप लोगों ने दिखाने का इस विधान सभा के अन्दर एक तरीका अपनाया, उसको देखते हुए हम उस तरीके में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इतनी-सी बात कहना चाहते हैं, उस समय भी आप लोग कहते थे, 1998 के अन्दर जिस अशोकजी गहलोत ने, जिस कांग्रेस सरकार ने उस समय भी 11 महीने तक इस अकाल का सामना किया था, आप कहते थे कि दिल्ली में अशोकजी गहलोत भीख मांगने गये हैं, भीख का कटोरा लेकर गये हैं। चाहे भीख मांगो या किसी भी प्रकार की राहत मांगो, इस प्रदेश की जनता के लिए अशोकजी गहलोत ने उस समय भी पूरे पांच साल तक सरकार चलाई थी और आज भी पूरे पांच साल तक सरकार चल रही है और कल दावे के साथ उन्होंने आपको इस प्रकार से कह दिया है, बजट के बाद कि अगली सरकार भी कांग्रेस की आयेगी। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको कह दिया है। आप लोगों के पास में कहने का किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं है इस बजट के लिए। आप लोगों ने यह कह दिया, यह हमारी वह घोषणा है जो हमने घोषणा की थी, तो आप लोग कहां गांव गये हुए थे क्या? जब पांच साल के अन्दर आपकी सरकार थी, आप लोगों ने उसको पूरा क्यों नहीं किया? आप पूरा कर लेते ताकि आज हमें कहने का मौका नहीं मिलता। आज किसी प्रकार से और दूसरी बार उन घोषणाओं को वापस रिपीट किया है। आप यह कहते थे, लोग भूख से मर रहे हैं। अशोकजी गहलोत ने उस समय भी कहा था कि लोग भूख से मरना तो दूर, मैं भूखे लोगों को भूख से सोने नहीं दूंगा। यह अशोकजी गहलोत ने उस समय भी कहा था।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

शिक्षा के मामले में भी काफी भर्तियां कीं, आपने देखा। शिक्षा के मामले में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा की बात आ रही थी, विद्यार्थी मित्र जो हमारे भी विद्यार्थी मित्र हैं, हमारे भी गांव के हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारी भी बहिनें हैं लेकिन शिक्षा का जितना बंटाढार आप लोगों ने अपने कार्यकाल के अन्दर किया, आज क्यों जरूरत पड़ी अच्छे शिक्षकों को लगाने की? आप लोगों की सरकार जब जा रही थी तो आप लोगों ने झूठी वाहवाही लेने के लिए स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं, फीते काट दिये। शिक्षकों की भर्ती आपसे नहीं हुई। आज वह सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती हो रही है और आज थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती हो रही है, चाहे उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हो रही है। 8,993 सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, 11,865 की प्रक्रिया चालू है और 41,000 शुरू होने वाली है और 30,000 की कल मुख्य मंत्रीजी ने फिर घोषणा कर दी है। उर्दू में चाहे 100 व्याख्याता हों, वरिष्ठ अध्यापक 200 हों, चाहे थर्ड ग्रेड के 500 हों। यानी 82,000 स्कूलों में शिक्षक इस सरकार के अन्दर भर्ती करने का प्रावधान रखा गया है जो एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है।

इसके अलावा, गांव में रहने वाले ग्रामीण छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आठवीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चे-बच्चियों के लिए लैपटोप की व्यवस्था की गई है। जो अन्य क्लासों के अन्दर, 10वीं और 12वीं के अन्दर मेरिट में आने वाले 10-10 हजार लड़कों को, छात्र-छात्राओं को जो लैपटोप देने की व्यवस्था की गई है, यह इस प्रदेश की जनता के लिए, यह इस प्रदेश के बच्चों के लिए, यह इस प्रदेश की शिक्षा के लिए एक बहुत उल्लेखनीय कार्य और अच्छा योगदान इस प्रदेश के अन्दर शामिल होगा। यह भी मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खेल के अन्दर एक इतिहास रच दिया है इस सरकार ने। खेलकर बाहर से जो खिलाड़ी आता था, कहता था गौरव के साथ कि मैं राजस्थान का हूं, चाहे वह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे वह अपने राज्य स्तर पर हो, उसकी राशि जो है, मैं पांच मिनट और बोलूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी राशि दस गुना बढ़ा दी। यह पूरे भारत के अन्दर और भी स्टेट होंगे, लेकिन यह पहला राजस्थान स्टेट ऐसा है जिसके अन्दर इस प्रकार की राशि बढ़ाई गई है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद और

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आभार प्रकट करता हूं। खेल में युवाओं का ध्यान रखते हुए स्टेडियम का चाहे निर्माण हो, चाहे जम्बूरी के अन्दर राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हो, उसके अन्दर भी निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन युवाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा है।

शहर के लोगों का भी ध्यान रखा है, यही नहीं कि खाली गांव-गांव के लोगों का ध्यान रखा है, शहर के अन्दर भी शहरी बी पी एल आवास योजना प्रारम्भ कर दी है। शहर में प्रशासन-शहरों-के-संग कैम्प लगने वाले हैं; ये आर ओ बी बन रहे हैं। 32 आर ओ बी पहले स्वीकृत हो गये, 10 आर ओ बी कल स्वीकृत हो गये और दस आर ओ बी के अन्दर एक मेरे विधान सभा क्षेत्र नावां के अन्दर जो आपने सैंक्शन किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। मेट्रो रेल परियोजना, मेट्रो रेल परियोजना इस प्रकार की परियोजना आ रही है, उसकी तारीफ करनी चाहिए सब लोगों को लेकिन पता नहीं, क्यों नहीं करते, लेकिन प्रदेश की जनता आज मेट्रो ट्रेन को देख रही है। उसके लिए भी हम मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहते हैं।

गृह विभाग के अन्दर चाहे नफरी में 60 बढ़ाये हों शहरों में, चाहे ग्रामीण में बढ़ाये हों, चाहे होम गार्ड में दस प्रतिशत की वृद्धि की हो, इस प्रकार का कार्य जो है, वह भी बहुत उल्लेखनीय प्रावधान बजट के अन्दर रखा गया है।

एक गांव के आने वाले, क्योंकि मैं खुद गांव का आदमी हूं, गांव से आने वाले व्यक्ति को इस बजट के अन्दर जो प्रावधान दिया गया है, रास्ते का अधिकार, पहले रास्ते का अधिकार नहीं हुआ करता था, एक व्यक्ति जब एक खेत के अन्दर रहता था उसके पड़ोस का व्यक्ति उसका रास्ता रोक देता था तो उसको बहुत तकलीफ होती थी लेकिन सरकार ने जो रास्ते का अधिकार दे दिया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा।

जमाबंदी की नकल, पहले एक पटवारी को ढूंढना पड़ता था जमाबंदी की नकल के लिए लेकिन अब जमाबंदी की नकल के लिए पटवारी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब आई टी केन्द्र के अन्दर, जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र हैं, उनमें जो कम्प्यूटर लगाया जा रहा है, उनके अन्दर व्यक्ति जायेगा, अपना खसरा नम्बर बतायेगा और दस रुपये, बीस रुपये, जो भी चार्ज होगा,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

वह चार्ज वहां दे देगा तो निश्चित रूप से वह हाथों-हाथ जमाबंदी की नकल मिल जायेगी, जिसके ऊपर तहसीलदार, पटवारी के साइन किये हुए होंगे। यह गांव के किसान के लिए, गरीब के लिए इस बजट के अन्दर विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है।

24 नई तहसीलें हों, 6 अतिरिक्त तहसीलें हों, छह अतिरिक्त तहसील के अन्दर मेरे कुचामन को भी नई तहसील के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया है, मास्टर भंवर लालजी बैठे हैं, इनके भी बीदासर को क्रमोन्नत कर दिया गया है और भी कई प्रकार की लोगों की जो उप-तहसीलें हैं, उनको भी क्रमोन्नत किया गया है।

पंजीयन के अन्दर, जहां पर 2007 में कहीं भी पंजीयन चल रहा था, उस योजना से दुरुपयोग और नागरिकों के साथ में बड़ी-बड़ी धोखाधड़ी हो रही थी। अब मुख्य मंत्रीजी ने क्रमोन्नत कर दिया है, अंशकालिक उप-पंजीयक को पूर्णकालिक कार्यालय में खोल दिया गया है, इसमें मेरे कुचामन में भी खोल दिया गया है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

महिलाओं का भी इसके अन्दर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे सहायिका हों, चाहे साथिन हों, चाहे आशा सहयोगिनियां हों, उनके मानदेय के अन्दर दस प्रतिशत वृद्धि इस बजट के अन्दर की गई है।

उच्च शिक्षा के अन्दर विश्वविद्यालय, कितने विश्वविद्यालय खोल दिये। आप लोगों ने अपनी सरकार के अन्दर कितने विश्वविद्यालय खोले होंगे, आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है, हमें भी अच्छी तरह पता है लेकिन कल की घोषणा के अन्दर, उदयपुर में राजीव गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय, सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय, भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय, जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय और जयपुर के अन्दर पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, यानी सात-सात विश्वविद्यालय इस बजट के अन्दर खोले गये हैं। यह भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा। प्रशासन-गांवों-के-अन्दर कैम्प लगे हैं, उसके अन्दर भी इस जनता को निश्चित रूप से फायदा होगा, इसके लिए भी सरकार ने पूरा प्रावधान कर दिया है।

इसके अलावा मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं, मैं अभी देख रहा था, बजट सेशन से पहले,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सांगानेर से आने वाले सदस्य यहां हैं नहीं, उन्होंने कहा कि इस सरकार के अन्दर चौदह हजार मौतें हो गई हैं सड़क दुर्घटनाओं में। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह चौदह हजार का जो आंकड़ा है, क्या आपने कोई सूचना के अधिकार के तहत लिया है? या उसके अन्दर जो कीड़े-मकोड़े, जानवर मर रहे हैं, उनको भी आपने चौदह हजार के अन्दर शामिल कर लिया है और उसको जनता को दिखा रहे हैं कि चौदह हजार के आंकड़े पेश कर दिये हैं? यह इस प्रकार से गुमराह, इस सदन के अंदर असत्य आंकड़े नहीं पेश करने चाहिए। वे भले ही विद्वान हों, भले ही कई बार जीत कर आये हों लेकिन सदन के अन्दर सही बात होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि यह सरकार समय से पहले ही जायेगी, हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, सरकार अस्पताल में है, जैसे अभी माननीय झोटवाड़ा से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि यह सरकार अस्पताल के अन्दर है और वे यह कह रहे थे कि कांग्रेस को बी जे पी की चुनौती है, सिंहासन खाली करो, हमारी बारी है। यह आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, भले ही हम पहली बार जीत कर आये हैं, आप चाहे पांच-पांच बार जीत कर आये होंगे, आपका अनुभव कितना ही होगा, हमारा भी अनुभव कम नहीं है। यह जो प्रदेश की जनता है, इस जनता ने इस राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की भावनाओं को, उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को बहुत अच्छी तरह देख रखा है और जो योजनाएं वे प्रदेश की जनता के लिए ला रहे हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति के बाद के अन्दर हम आपको पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि 2013 के चुनाव के अन्दर वापस राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार आयेगी, यह हमारा दावा है। आप घमंड मत करो।

आप घमंड के साथ में कहते हो, दादागिरी के साथ में कहते हो, कहते हो, अभी सुबह बात चल रही थी, जब कह रहे थे माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य, दो-दो हाथ कर लो, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यह शोभा नहीं देता है इतने पुराने व्यक्ति के लिए। हमारे जैसा नौजवान, भाई मदन प्रजापत जैसा नौजवान अगर खड़ा होकर इस प्रकार की बात कह दे तो फिर भी समझ में आती है लेकिन इतने पुराने और इतने बुजुर्ग आदमी के लिए इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। घमंड हर व्यक्ति को चूर कर देता है। घमंड के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले की सरकार के अन्दर कलक्टरों की मीटिंग होती थी, माननीय मुख्य मंत्री कलक्टर को डांट देती थीं, कलक्टर के दिल का झटका आ जाता था, कलक्टर बाहर आकर रोने लग जाता था। लेकिन अशोकजी गहलोत की सरकार के अन्दर अगर मुख्य मंत्री का ओ एस डी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कलक्टर को कान में धीरे से कह दे कि मुख्य मंत्री आपसे नाराज हैं तो वह वही काम करेगा जो उनके कहने के बाद में होता। उनके इशारे में हो रहा है। यह पहले के मुख्य मंत्री और इस मुख्य मंत्री में फर्क है।

घमंड के लिए मैं, माननीय, सिर्फ दो मिनट की एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं, हमें प्रयास करना चाहिए। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहेंगे, आपने स्कूल खूब खोल दिये, एक हजार स्कूल खोल दिये, छह सौ आपने स्कूल क्रमोन्नत कर दिये, मांग भी करेंगे हम कि सेकंडरी स्कूल और सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल इस बजट के अन्दर और खुलने चाहिए ताकि हम जनता को उसका जवाब दे सकें। हमारा जो बजट है, जो सब जगह बजट बढ़ रहा है, पार्लियामेंट मेम्बरों का बजट बढ़ रहा है, उस बजट के अन्दर भी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव होना चाहिए। क्यों, बाबू सिंहजी, आप भी इसके लिए सहमत होंगे? यह इस प्रकार की बात भी हम रखेंगे लेकिन बातचीत के जरिये कोई समाधान हो सकता है, घमंड से कोई किसी प्रकार का समाधान नहीं हो सकता।

घमंड के लिए मैं कहना चाहूंगा, घमंड व्यक्ति को चूर कर देता है, घमंड ने भगवान को भी चूर कर दिया था। गणेशजी महाराज बहुत बड़े थे, शरीर में हृष्ट-पुष्ट थे और गणेश, सुनो अब, डाक्टर साहब जितेन्द्र सिंहजी, डाक्टर साहब जितेन्द्र सिंहजी, प्रकाशजी, एक मिनट आप, बस मैं दो मिनट कहकर बैठूंगा, घमंड की बात के ऊपर मैं कहता हूं कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। गणेश जी बहुत मोटे थे, गणेशजी को घमंड हुआ और गणेश जी ने ...(व्यवधान) हां, वह है, बता रहा हूं, आप सुनो तो सही। गुप्ताजी, आप सुनो इस बात को। गणेशजी को घमंड हुआ, गणेशजी घूमते-घूमते यह कहने लगे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो मां पार्वती ने यह बात सुन ली और मां पार्वती ने कहा, गणेशजी घमंड मत करो, आप काहे से बड़े? आप तो जो हैं, आप काहे से बड़े? मां पार्वती ने कहा, तू काहे से बड़ा, तू मेरी गोद में पड़ा। तो मां पार्वती कहने लगी कि मैं बड़ी, मैं बड़ी। मैं बड़ी तो शिवजी भगवान ने सुन लिया और शिवजी ने कहा कि तू काहे से बड़ी, तू तो मेरी जटा में पड़ी। तो

(14.00 बजे)

शिवजी कहने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो उस बात को पर्वत ने सुन लिया और पर्वत ने यह कहा कि तू काहे से बड़ा, तू तो मेरी गुफा में पड़ा। तो पर्वत कहने लगा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो हनुमानजी ने सुन लिया और

(श्री महेन्द्र चौधरी)

हनुमानजी ने कहा तू काहे से बड़ा, तू तो मेरी हथेली में पड़ा। तो हनुमानजी कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो उधर से भगवान राम निकल रहे थे तो राम ने कहा, तू काहे से बड़ा, तू तो चरणों में पड़ा। तो राम कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो उधर से लाल कृष्ण आडवाणी और अपने अटल बिहारीजी निकल रहे थे तो उन्होंने कहा तुम काहे के बड़े, तुम तो हमारे लफड़े में पड़े।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय महेन्द्रजी, कौनसी किताब में यह लिखा है, यह तो बता दीजिए। माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) खीवाराम सबसे बड़ा है। अभी तो वही बड़ा है जो मुख्य मंत्रीजी के...। बताओ, इतनी हिम्मत कर ली उसने। कितनी बड़ी हिम्मत है उसकी। दाद देनी चाहिए उसकी हिम्मत की।

श्री उपाध्यक्ष: आपने बोलने की पर्ची भेजी है क्या? आपका नाम नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह बजट देखने में भी सुन्दर है और सुनने में भी सुन्दर है। लेकिन इसके अन्दर जब गोता लगाते हैं तो इसमें कई कमियां सामने आती हैं और मैं आपके सामने, आप इसे ठीक करना चाहें तो करें, न करें तो भी आपकी इच्छा है लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ध्यान में लाना चाहता हूं। इतना बजट, जिसने सुना उसको लगा कि 33 हजार 500 करोड़ का बजट निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से स्वर्ग उतारेगा और पहले भी, इसके पहले वाला बजट भी, अब तक इस सरकार का यह चौथा बजट है, पहला बजट 18 हजार करोड़ का, उसके बाद 23 हजार करोड़ का, उसके बाद फिर 28 हजार करोड़ का। 70 हजार करोड़ रुपया अब तक अपन इस मार्च, 2012 तक प्लान बजट पर खर्च कर चुके हैं और यह 33 हजार करोड़ और मिला दें तो 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्लान बजट हम पेश कर रहे हैं। मैं बिलकुल साधारण आदमी हूं, मैं बिलकुल गांव में घूमता हूं, गांव के कोई भी अनपढ़ आदमी को इस सरकार के द्वारा 70 हजार करोड़ रुपया प्लान का खर्च करने के बाद उसे यह अहसास हो जाए कि वास्तव में उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को इस सरकार ने पूरा कर दिया है तो मैं इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बजट को सफल मानूंगा। बाकी रुपयों और पैसों से जब तक जमीन पर चीज नहीं उतरती, तब तक यह नहीं है।

तो वास्तव में इस बजट में इसको मूलभूत जमीन तक उतारने का प्रयत्न अगर सरकार ने किया और उसमें सफल हो गई तो निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हकीकत, जो अब तक बजट पेश हुए हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर 2012 तक पूरी की है, उसमें हमारा लक्ष्य था 71 हजार करोड़ का और उसकी जगह हमने खर्च किया है 97 हजार। 97 हजार हमने खर्च किया, जो लक्ष्य हमने तय किया था उसके ऊपर भी। मैं किसी और डाक्युमेंट से नहीं निकाल रहा हूं, जो डाक्युमेंट आपने मुझे दिया है, उसी डाक्युमेंट के आधार पर मैंने ये आंकड़े निकाले हैं। आपने जो विकास दर तय की थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की वह 7.4 तय की थी, अब यह 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही है इसी 31 मार्च के दिन और आपका जो टारगेट अचीव हो रहा है, वह 6.1 के लगभग हो रहा है, 6 प्रतिशत। आप टारगेट को पूरा कर पा रहे हो, वह नहीं कर पाये।

शिशु मृत्यु दर का जो लक्ष्य आपने इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा, 32 हम लाएंगे एक हजार पर, उसकी जगह आज की तारीख में भी 55 है। मातृ शिशु मृत्यु दर हम 141 पर लाएंगे एक हजार में से, वह आज की तारीख में 318 है।

कुल साक्षरता का प्रतिशत हम 80 प्रतिशत तक लाएंगे, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार के दस साल के प्रयत्न के बाद भी केवल 6 परसेंट साक्षरता बढ़ी जबकि इसके पहले वाले 91 से लेकर के 2001 के बीच में 22 परसेंट राजस्थान की साक्षरता बढ़ी है। यह इस बात को इंगित कर रही है कि हम केवल हवा में उड़ रहे हैं और धरातल पर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और अपने अभिमान में चूर हैं। कोई मेरे को बड़ा बताएगा, कोई उसको बड़ा बताएगा।

आपने उस समय तय किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की जो सीमा लाएंगे, वह 12 प्रतिशत तक लाएंगे, आज की तारीख में राजस्थान का जो गरीबी प्रतिशत है, वह 22 से अधिक है। अब आप कहें कि हम आपके बजट की तारीफ करें। जरूर करेंगे लेकिन हम इस बात को भी देखें कि जो पुरानी घोषणाएं हैं, उनकी क्या गति बनाई है आपने। वैसी गति इसकी तो नहीं बनेगी?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने बहुत बार कहा था, हमारे टाइम पर कहते थे रिफाइनरी करो, रिफाइनरी करो; अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है और यहां भी आपकी सरकार है, फिर क्या हो गया रिफाइनरी को? पिछले बजट में रिफाइनरी थी, क्या हुआ उसका? इस बार भी आप फिर वही बात कर रहे हो। भूमि अधिग्रहण कानून लाएंगे, ले आये ना? आ गया ना भूमि अधिग्रहण कानून? नहीं आया तो देख लेना एक बार पुरानी किताब को देखकर के। तीन वर्षों में हम ज़िलों का निर्माण करेंगे, कब से? जब आपने चुनाव का घोषणा-पत्र निकाला ना तब से। अभी आपने निकाला, छह महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी, तब तक तो आपका चुनाव आ जाएगा। प्रति वर्ष एक लाख ग्रामीणों को रोजगार देंगे, दे दिया ना? मैं इसीलिए यह कह रहा हूं कि जो कुछ भी चीज़ें सामने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के खाली पदों को भरेंगे, भर दिया क्या? ये सारी घोषणाएं पिछले बजट की हैं।

आपने कहा था, 90-बी समाप्त करेंगे, कर दिया? हुआ क्या साल भर में? 90-बी समाप्त हो गया? जमीन का जो भी काम होना है, जो कंस्ट्रक्शन होना है, जो चीज होनी है, डवलपमेंट होना है, वह तो बंद पड़ा है लेकिन अभी तक तो कानून नहीं आया ना? पूरा साल निकाल दिया है, 31 तारीख तो कल-परसों आ जाएगी। तो यह भी आपका नहीं बना।

आपने पिछले बजट में घोषणा की थी शीतलहर, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय उचित मुआवजा देने की नीति बनाएंगे, बना दी ना? नीति बना देते तो यहां इतना हो-हल्ला नहीं करना पड़ता और अब आपको 200 करोड़ रुपया ऐसे स्वीकृत नहीं करना पड़ता। नीति बन जाती तो अपने आप हो जाता।

साक्षरता की प्रभावी दर है; बहुत प्रभावी दर है, छह प्रतिशत साक्षरता दस साल में बढ़ाई और वास्तव में हम जो जहां थे, उससे भी नीचे गिर गए। सभी तहसीलों में कालेज स्थापित करेंगे, कर दिए ना? यह घोषणाएं मैं आपकी स्वयं की बता रहा हूं। जवाहर लाल नेहरू शहरी रिन्युअल मिशन के तहत अजमेर, पुष्कर, जयपुर के विकास के लिए 2009-10 में हम 544 करोड़ खर्च करेंगे। कब? 2009-10 में। आज हो गया क्या? इसका हिसाब दे देना, मुझे बता देना कि हमने कर दिया।

चिकित्सा की दृष्टि से आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक ए एन एम की नियुक्ति तथा सभी ग्राम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पंचायतों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की थी जो अधूरी है आज भी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी अस्पतालों में चिकित्सा, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ के सभी पदों पर तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति करने का आपने पिछले बजट में कहा था, भर दिए न?

सिंचाई की दृष्टि से अंतरराज्यीय समझौते के तहत राज्य के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने का दावा किया था जो पूरा नहीं हुआ है। बाण गंगा, गंभीर, रूपारेल नदियों का पानी भरतपुर को तथा यमुना नदी और गुडगांव नहर का पानी भरतपुर और अलवर जिले को उपलब्ध कराने का वादा किया था, पूरा हो गया क्या?

मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट में कह देना एक अलग बात है और उसकी पूर्ति कराने के लिए जिस प्रकार की मानिटरिंग चाहिए, जिस प्रकार की चिंता चाहिए, वह हमारे पास नहीं है। या तो हमारा प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर है कि हम उसको काम में नहीं ले पा रहे हैं।

आपने कहा था, कर्मचारी कल्याण के लिए राज्य कर्मचारियों को रियायती दर पर आवासीय कालोनियों के लिए जिला स्तर पर भूमि उपलब्ध कराने का वादा किया, हो गया पूरा? मिल गया क्या? श्रम एवं रोजगार में कहा था, दस लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, हो गया ना? सूचना का अधिकार, हैदराबाद की तर्ज पर, इस बार फिर लिखा आपने, पिछली बार भी लिखा था, हैदराबाद की तर्ज पर प्रदेश में आईटी सीटी एंड साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना की जाएगी। पिछली बार भी की, इस बार भी की लेकिन अभी तो स्थापना हुई नहीं।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की जो प्रोपर मानिटरिंग होनी चाहिए, वह नहीं होती है। यह पिछली साल का 2011-12 का जो बजट रखा, यह अपना बजट था 28 हजार 461.30 करोड़ का और जो मैंने आंकड़े निकाले हैं जनवरी तक के, उसमें से मात्र 65 प्रतिशत अभी तक खर्च कर पाए हैं। और इसमें भी, क्योंकि दुर्भाग्य है कि इस विभाग के अधिकारियों ने जिस प्रकार से अपने आपको एक अभिमानी समझ रखा है कि किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं। इस विधान सभा को इतने हल्के रूप में लेते हैं जैसे हम कोई यहां आकर के खाली यूं ही टोरे मारने का काम करते होंगे। किसी को, जिम्मेदार आदमी को इस बात की पीड़ा ही नहीं लगती है कि हम लोग भी, आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं और सुझाव कहीं आपके काम में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आ जाए और इस प्रदेश का भला हो जाए तो उसका उपयोग करना चाहिए ना। केवल इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि जो है ना, एयरकंडिशनर में बैठकर के इस सरकार को चलाएंगे। हम जन-प्रतिनिधि कोई यहां ऐसे ही नहीं आते हैं। हम भी कोई सोच समझकर के आते हैं और साल में जब कभी भी, एकाध बार मौका मिलता है ना, तब भी आपके अधिकारियों को फुर्सत नहीं होती है, वे इतने बिजी रहते हैं। जब बजट बनाते हैं, तब तो समझ में आ सकता था, बजट बन जाने के बाद बजट की कमियों पर जब डिस्कसन हो रहा है तब सारी की सारी लॉबी खाली क्यों पड़ी है? इसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा? बहुत अफसोस है।

इस पैंसठ प्रतिशत में मेरा दावा है, मेरा दुर्भाग्य यह है कि जब मुख्य मंत्रीजी जवाब देते हैं तो टू-द-पाइंट नहीं देते हैं; लिखा लाते हैं, उसको पढ़कर के हा-हू करके निकल जाते हैं। न प्रश्न पूछने देते हैं, न सवाल-जवाब करने देते हैं। यह जो पैंसठ प्रतिशत खर्चा आप दिखा रहे हो, इसमें से कुछ विभाग तो ऐसे हैं, खनिज और उद्योग विभाग आपका ही है, जिनमें खर्चा 178 करोड़ की जगह 49 करोड़ कुल खर्च हुआ है, 27 प्रतिशत ही अब तक जनवरी, 2012 तक हुआ है। इसी तरह से आपका यह आर्थिक सेवाओं में जो 1,144 करोड़ रुपया रखा हुआ था, उसमें से 149 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं, केवल 13 प्रतिशत खर्च हुआ है। यह पैंसठ प्रतिशत में तो आता है लेकिन ये विभाग ऐसे हैं जो 13 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इसमें से भी, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से मेरा निवेदन है कि इसमें से आप इतना बता दें कि पी डी अकाउंट में पैसा डालकर ये पैंसठ प्रतिशत के आंकड़े किस-किस विभाग ने अब तक पूरे किये हैं? यह पैसा खर्च नहीं हुआ है। वित्त विभाग से निकल करके पी डी अकाउंट में जाकर के पड़ जाता है, उसके बाद अपनी जोड़-बाकी में मिला देते हैं कि हमारा ये पैसा काम में आ गया, नहीं आया। नहीं आया तो जवाब में बताना कि इस साल के बजट का कितना पैसा आज की तारीख में किस-किस विभाग के पास पी डी अकाउंट में पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, इसको जरूर बतायें। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था लेकिन मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी मैं सोचता हूं कि अभिमान में कोई ध्यान देगा नहीं।

कांग्रेस का जब-जब भी सालाना बजट पेश हुआ, एक भी बजट चाहे अशोक गहलोतजी का पिछले पांच साल का, या अभी ये जो तीन साल गुजरे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं, एक भी बजट का सेंट-परसेंट खर्चा कर दिया हो तो इस आर्थिक समीक्षा में से निकाल कर मुझे बतायें। हमने हर बार जितना हमको बजट दिया था, अगर समय हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1999-2000 में 5,622 करोड़ का बजट था, उसमें से 3,600 करोड़ रुपये केवल खर्च किया, 1,421 करोड़ रुपये बाकी रह गया; फिर 2000-01 में 4,146 करोड़ का हुआ, उसमें से 3,722 करोड़ रुपये आपने खर्च किये, 423 करोड़ रुपये बाकी रह गये; फिर 2003 में भी इसी तरह से 789 करोड़ रुपये आपने बचा लिये। उसके बाद आपने देखा कि हमने बजट जब से शुरू किया, बजट का पूरा खर्च किया। हर समय बजट को हमने जितनी सीमा थी, उससे अधिक निकाला। आप 2007-08 का देखो, हमने 11,638 करोड़ का बजट पेश किया, 13,794 करोड़ रुपये खर्च किये, प्लस किये 2,156 करोड़ रुपये; 2008-09 का अगर देखेंगे तो हमने प्लस किया था 915 करोड़ का। उसके बाद 2009-10 का आपका आ गया तो आपने 18,634 करोड़ का बजट पेश किया, 18,022 करोड़ रुपया केवल खर्च किया, माइनस 600 करोड़ रुपया आपका बाकी रह गया। उसके बाद 2010-11 में आपने 23,822 करोड़ रुपये का बजट पेश किया इसी सदन में और उसमें से आपका माइनस हुआ 2,282 करोड़ रुपया। इसी तरह से यह जो 2011-12 है अभी, जिसमें अपन चल रहे हैं, इसमें आपने जो बजट पेश किया 28,661 करोड़ का, उसमें से अभी तक जो मैंने आंकड़े लिये हैं जनवरी तक के, उसमें आपका खर्चा 65 प्रतिशत का; मतलब माइनस 9,886 करोड़ रुपया आज बाकी है, उसमें भी पी डी अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है।

कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है और सम्पूर्ण देश में हर राज्य कर्ज लेता है लेकिन कर्ज लेकर के अगर आप एसेट्स बनाते हैं, अगर आप सम्पत्ति बनाते हैं और उसके कारण से वापस पैसा जनरेट होता है तो वह कर्जा कभी भी नहीं अखरेगा। लेकिन कर्जा लेकर के वेस्ट खर्चा कर दें तो निश्चित रूप से प्रदेश दिवालिया बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये जो सारा 2005-06 से लेकर के, आप चाहेंगे तो मैं बता रहा हूं, 1999-2000 में 24,000 करोड़ का कर्जा था हमारे पास में, 2003-04 में ये 54,000 हो गया। 2006-07 में 66,686, फिर आप घटते-घटते अब जो कर्जे पर आये, आज की तारीख में 2011-12 में 1,07,026 करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान पर है और अगले वर्ष का जो अनुमानित आपने अपने चार्ट में जो दिया है, वह कर्जा होगा 1,16,074 करोड़ रुपये का। आपका यह जो हर साल का लिया हुआ कर्जा है, उसके अगेंस्ट में कितना पूंजी का निर्माण किया, कितना आपने कंस्ट्रक्शन में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगाया, कितना उसका एक तरह से पूंजीगत निर्माण किया, वह अगर आप देखें तो आपके राज में 1999-2000 से लेकर टोटल जितना कर्जा लिया उसका 35 प्रतिशत, 46, 36, 43, 42; 2003-04 में आपकी 42 प्रतिशत एसेट्स बनी थीं कर्जे के अगेंस्ट में। हमने 2004-05 में आकर के 51 प्रतिशत बनाया, फिर उसके बाद 2005-06 में 68 प्रतिशत बनाया, उसके बाद 2006-07 में 101 प्रतिशत बनाया। जितना कर्जा लिया, उसको हमने विकास के काम में लिया। 2007-08 में तो हमने 109 प्रतिशत, जो कर्जा हमने लिया, आप चाहें तो बताना चाहूंगा कि हमने लिया था 5,992 करोड़ रुपया और हमने इसकी जो एसेट्स बनायीं, वह 6,555 करोड़ रुपया, 109 प्रतिशत। उसके बाद 2009 के लास्ट के तीन महीने में आप आ गये। 2008-09 का बजट हमने पेश किया, उस समय जो कर्जा लिया था वह 7,166 लिया था, उसकी जगह 5,899 करोड़, मतलब 82 प्रतिशत असेट्स बनीं। उसके बाद आप फिर ग्राफ देखो, 2009-10 में यह ग्राफ घट करके जो निर्माण आया, वह 68 प्रतिशत आ गया। फिर उसके बाद 2010-11 में ये 67 प्रतिशत आ गया और आज की तारीख में यह जो वर्ष 2011-12 है, इसमें जितना कर्जा लिया, उसके अगेंस्ट में केवल 61 प्रतिशत आप अपनी असेट्स बना सके, बाकी कर्जा सारा का सारा वेस्ट हुआ। अब इन सवालों का जवाब कोई नहीं देगा, यानी इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा।

यह बहुत अच्छी बात है, ये निर्माण होगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, सबको अच्छा लगता है; इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन आप इस बारे में भी तुलना करो कि जो हमारी जी डी पी है, उसके अगेंस्ट में हमारी प्रति व्यक्ति की आय क्या बढ़ी। स्टेट की जो जी डी पी बढ़ी है, 2006-07 से लेकर के 2011-12 तक जी डी पी में 41.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई? जो पहले 2006-07 में 21,342 रुपये थी, वह अभी 2011-12 में 27,421 रुपये प्रति व्यक्ति हमारी आय बढ़ी, जिसमें वृद्धि हुई है 28 प्रतिशत। यानी जी डी पी बढ़ी आपकी 41 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी आपकी 28 प्रतिशत। इसका मतलब आप विकास की ओर जा रहे हो या विनाश की ओर जा रहे हो, इसका भी कहीं न कहीं मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं।

अब आपने इस एफ आर बी एम एक्ट का हवाला दिया और इस हवाले में आपने वाहवाही लेने का प्रयास किया। यह आपने अपने बजट भाषण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के पहले ही पैरे में कहा जैसे कोई बहुत कीर्तिमान कर दिया होगा आपने। आपने इसमें दूसरे पैरे में, 'आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से बीते वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। राज्य की कर एवं गैर-कर राजस्व (टैक्स एण्ड नान-टैक्स रेवेन्यू) आय में भारी वृद्धि हुई है तथा खर्चों को नियंत्रित करने के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व खाते में अधिशेष की स्थिति बनी है।' और वर्ष 2009-10 में जो 4,747 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था, वह आपने वर्ष 2010-11 में प्लस में लाकर के 1 हजार 55 करोड़ रुपये कर दिया और आपने एफ आर बी एम एक्ट का हवाला देकर कहा कि 2005-06 में जो हमारी जी डी पी थी, उसके अगेंस्ट में जो हमारा कर्जा था वो 47 प्रतिशत था और आज की तारीख में आपने इसमें दे दिया कि हम इस साल इसको 29 प्रतिशत ले आएंगे। कहां से ले आएंगे? आपकी यह किताब तो बताती है कि आज की तारीख में, 2011-12 में आपका 41 प्रतिशत है। या तो आप इसको ठीक करो या आप इसे बताओ। यह तो आप कह सकते हो 2012-13 में लेकिन आप तो इस साल का देओ न कि आपने वास्तव में एफ आर बी एम एक्ट का पालन किया कि नहीं किया। आपने नहीं किया, उसी कारण से तो स्टेट को नुकसान हो रहा है। एफ आर बी एम एक्ट के तहत हम लोगों ने प्रयास किया था, यह जितना आपका एफ आर बी एम एक्ट के तहत यह जो आपने देखा होगा कि जो घाटा है, वह हमको 3 प्रतिशत पर लाना था। वह तीन प्रतिशत, आपने 2004-05 में सरकार छोड़ी थी तब हमको आप यह देकर गये थे 4.8 पर, फिर हमने 2005-06 में इसको कम किया, 3.62 पर लाये, फिर उसके बाद 2006-07 में 2.3 पर लाये, फिर 2007-08 में हम 1.7 पर लाये। उसके बाद 2008-09 में आप वापस आये तो इसको 3.10 पर ले गये, कर्जे को। 3 प्रतिशत ही रहना चाहिए कर्जा, यह एफ आर बी एम एक्ट, 2005 का आपको बाध्य करता है लेकिन उसके बाद 2009-10 में यह बढ़ कर के 4.03 हो गया। फिर उसके बाद आप अभी 2.4 पर लाये हो।

तो वास्तव में एफ आर बी एम एक्ट के तहत हमने जब राजस्व घाटा घटाया था तो केन्द्र सरकार ने हमको स्पेशल एड दी थी इस बात के लिए कि आप रेवेन्यू सरप्लस ले आये और रेवेन्यू सरप्लस लाने के कारण से हमको तीन साल एक्स्ट्रा पैसा मिला केन्द्र सरकार से। 2006-07 में हमको 617 करोड़ मिला, 2007-08 में हमको 308 करोड़ मिला, 2008-09 में हमको 308 करोड़ रुपया मिला। यह एक्स्ट्रा इस बात के लिए कि आपका फाइनेंशल मैनेजमेंट अच्छा है। उसके बाद आप जीरो, जीरो, जीरो; कुछ भी नहीं आ रहा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह आपका जो प्रति व्यक्ति कर्जा है, इसको भी ध्यान में लाना चाहिये, केवल प्रति व्यक्ति आय के बारे में नहीं चलेगा। आज की तारीख में वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया 5597 रुपया और टोटल जो कर्जा है वह 99,285 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा और 2012-13 में आपका जो कर्जा बनेगा, यह 16,915 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा बनेगा और टोटल कर्जा जो राजस्थान पर होगा वह 1,07,000 करोड़ रुपया हो जायेगा। एक तरह से आपका कर्ज निरन्तर बढ़ रहा है।

आपका जी डी पी और प्रति व्यक्ति आय का मैंने आपको अभी बताया ही था, 41 परसेंट जी डी पी में ग्रोथ है लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है वह 28 परसेंट ही बढ़ी है। यह आश्चर्य है, कोई देखता ही नहीं, किसी को मानिटरिंग करने की फुर्सत ही नहीं। सब सोचते हैं, बजाओ ताली, बजाओ ताली। भले आदमी, पैसा हमारा ही है, केन्द्र का पैसा है तो भी हमारा ही है, अगर वह राजस्थान के हित में खर्च होगा तो उसका एडवांटेज मिलेगा।

आपको मैं बताता हूं, केन्द्र प्रवर्तित योजना के वर्ष 2010-11 के व्यय का मेरे पास चार्ट है। वाटर शैड डवलपमेंट का आपको केन्द्र से 22 करोड़ मिला, इसमें से आप केवल 8 करोड खर्च कर पाये। इसमें राज्य का हिस्सा था 8.1 करोड रुपया, उसमें से मात्र 90 लाख खर्च करके केवल 11 परसेंट खर्च किया। साक्षरता में केन्द्र सरकार ने आपको 106 करोड़ रुपया दिया, उसके विरुद्ध आपने खर्च किया 6.6 करोड़। 106 करोड़ रुपया आपको साक्षरता में दिया था, उसकी जगह आपका खर्चा हुआ 6.6 करोड़, मात्र 6.2 प्रतिशत। राज्य का हिस्सा जो 35 करोड़ रुपये था, उसके विरुद्ध आपने खर्च किया 2.23 करोड़ रुपया, मतलब केवल 6.28 प्रतिशत। हाउसिंग डवलपमेंट में जो पैसा आपको मिला, उसमें आपने 35-35 परसेंट खर्च किया। अरबन डवलपमेंट में आपका 50-50 परसेंट खर्च हुआ। अनुसूचित जनजाति वेलफेयर में आपको 45.72 करोड़ रुपये मिला, उसमें से 24 करोड़ आपने खर्च किया और केन्द्र के वेलफेयर डवलपमेंट में 11 में से 11 करोड़। मतलब एक तरह से आपके पास पैसा है लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे।

इसी तरह से फोरैन एड से जितने भी काम हमारे यहां चल रहे हैं, राजस्थान में जिन फोरैन एड से हमको पैसा मिला, उसका तो चार्ट देखकर ही बहुत दुःख होता है कि कोई मानिटरिंग करता ही नहीं, किसी को इस बात की फुर्सत ही नहीं है कि वास्तव में हमको जो पैसा विदेशी सहयोग के माध्यम से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिल रहा है, उसका डवलपमेंट पर क्या खर्च हो रहा है। जैसे आपकी जल क्षेत्र उत्थान परियोजना विश्व बैंक के माध्यम से है, इसमें आपको 970 करोड़ रुपया मिला, व्यय हुआ 729 करोड़ रुपया मार्च 2011 तक और वार्षिक बजट 2011-12 में आपने जो रखा 100 करोड़, उसमें से अभी तक केवल 46 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसी तरह से आपका जो सारा टार्गेट है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना, ए डी बी, इस ए डी बी का आपका जो 2011-12 का खर्चा है, उसमें आपको मिला 1,883 करोड़ रुपया और वार्षिक योजना में 300 करोड़, आप खर्च कर पाये केवल 141 करोड़। इन आंकडों को देखने की कोई कोशिश करता ही नहीं है कि वास्तव में हम विदेशी सहायता के माध्यम से जो 8-9 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उन प्रोजेक्ट में हम मात्र 34 परसेंट खर्चा अभी तक कर पाये। मतलब पैसा हमारे पास है पर हम खर्च नहीं कर पाते और न इसकी कोई मानिटरिंग है।

अब आपने बजट तो बहुत बढ़ा दिया लेकिन इस बजट की तुलना करो कि महंगाई की तुलना में यह कहां जाकर स्टैंड करेगा। आपने कहा कि हमने 21.8 परसेंट इस साल का प्लान बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाया आपने, धन्यवाद आपको। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आप अच्छा काम करोगे उसे हम अच्छा कहेंगे, कम से कम मैं उस तरह का नहीं हूं। जैसे मुफ्त दवा योजना आपकी वास्तव में काबिले तारीफ है, अगर पशुओं के लिये भी कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, पर इसमें सुधार की जरूरत है। क्या है कि बेईमानों को बेईमानी का रास्ता बनता है, इसमें से ही लोग लूट खाते हैं। क्यों न आपकी जो भी सरकार कम्पनी है जो दवाइयां बनाती है, जो अच्छी स्टैंडर्ड की कम्पनी है, उसी से आप खरीदो ना, यह कमीशन के लफड़े में पड़ते ही क्यों हो? अगर आपको अच्छी दवाई चाहिये तो अच्छी दवाई खरीद कर इस समस्या का समाधान हो जायेगा। लेकिन आप अच्छे के लिये करो और इसमें बेईमानों को उतारकर वे सारा पैसा लूट खाये और गरीब तक दवाई पहुंचाने के जिस मन से आपने इसे किया, वह नहीं पहुंचती हैं। महंगाई की हालत इतनी खराब है कि 2004 से अगर अपन 2012 में तुलना करें तो कई आइटम तो ऐसे हैं जिनमें 300 गुणा वृद्धि है। विशेषकर आप लें पेट्रोल जो कि 2004 में 24 रुपये लीटर था, आज 72 रुपया लीटर है, तीन गुणा वृद्धि है। इसी तरह से डीजल जो 22 रुपया था, आज की तारीख में 42 रुपया है। सीमेंट का बैग 125 रुपये का था वह आज 270 रुपये का है। इसी तरह से स्टील 23,000 रुपये टन थी,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज की तारीख में 52,000 रुपये टन है। अर्थात् जिस प्रकार से इन सामग्रियों में बढ़ोतरी हुई, एक तरह से आपका बजट दो गुणा भी हो तो काम तो उतना ही होगा जितना एक काम उस समय हुआ था। इसके साथ इसकी तुलना करके आप बोलेंगे तो कम से कम आपको भी ठीक लगेगा।

मैं मेरे मेवाड़ का तो दुर्भाग्य ही मानता हूं क्योंकि हम राज बनाने वाले लोग हैं, हमारे यहां विकास की कोई आवश्यकता नहीं। जिस पार्टी को 21 एम एल ए जिता कर देते हैं, खर्चा मैं अभी निकाल कर बताऊंगा आपको, 23,000 करोड़ रुपये में से उदयपुर डिविजन को आपने क्या-क्या दिया। हमारा दुर्भाग्य है। उस क्षेत्र से जो माननीय सदस्य आये हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि यहां अगर नहीं बोलो, कोई बात नहीं लेकिन कम से कम अपने विधायक दल में तो कहो, आखिर हमारे साथ यह अन्याय कब तक चलेगा? हम पहले से ही दुबले हैं, पहले से ही कमजोर हैं और उसके बाद भी अगर हमको बजटरी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मैं सोचता हूं कि मेवाड़ के बारे में आपने जो घोषणाएं की हैं, वे आज भी पूरी नहीं हुईं। आपने कहा, ए टी एस बनायेंगे उदयपुर में, अभी तक तो केवल एक डीवाई एस पी की पोस्टिंग हुई साल भर में। इसमें कितने आदमी चाहिये, 10-12 आदमी लेकिन आपकी जो एंटी-टेरेरिस्ट टीम बननी चाहिये, वह नहीं बन पाई। इसी तरह से सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में लाइट एंड साउंड अभी शुरू नहीं हुआ; जो आपने पिछले बजट में घोषणा की थी, अभी तक नहीं हुई। बैनेश्वर धाम में विकास के लिये पिछली बार भी आपने बजट में 50 लाख कहा, अबकी बार भी बजट में 50 लाख किया परन्तु खर्च एक पैसा नहीं हुआ। भीखाभाई कैनाल को आप पूरी करेंगे, राम धर्म से कमेटी के लोग जाकर देख आओ, भीखाभाई नहर पूरी हो गई क्या, या जहां है वहीं अटकी पड़ी है।

एक मुझे आश्चर्य है कि पिछले बजट में मैंने पढ़ा, आसपुर, डूंगरपुर पेयजल योजना के लिये 72 करोड़ रुपया रखा, मुझे कोई बता दे कि उस काम में हुआ क्या है? और अबकी बार बजट में उसका नाम-निशान भी नहीं है। तो क्या उसको ड्राप कर दी है? उसको खतम कर दी है? इसी तरह से बेगूं के विधायक अभी यहां हैं नहीं, उनके यहां पिछले बजट में यह घोषणा हुई थी कि 75 बेड का हास्पिटल बनेगा, एक भी बेड का बना है क्या? मतलब घोषणा कर देना बहुत आसान लगता है।

वास्तव में आपने 33,141 का प्लान किया और केन्द्र ने 33,500 का प्लान पास कर दिया लेकिन आपने मेवाड़ को दिया क्या है? मेवाड़ को दिया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है आपने 356 करोड़ रुपया सड़क में। उसमें से भी आपने दिया है, यह जो सड़क है कीर की चौकी-सलूंबर-आसपुर-डूंगरपुर-सरथुना, 167 किलोमीटर, 239 करोड़; रतलाम की जो 38 किलोमीटर की सड़क है, उसमें 117 करोड़ दिया। रतलाम-डूंगरपुर-बांसवाडा रेल लाइन के लिये आपने 200 करोड़ रुपया दिया। फिर आपने 16 करोड रुपया हरिदेव जोशी कैनाल को दिया। उसके बाद आपने उदयपुर में एक छात्रावास दिया; मानगढ़ के ऊपर 4 करोड़ रुपया दिया; उदयपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये 20 करोड़ दिया और उदयपुर में ही एक ट्राइबल के लिये 5 करोड़ रुपया दिया। इन सबको मैंने जोड़ा, यह सारा जोड़ मिलाकर होता है 602 करोड़ रुपया। क्या हमारा इतना ही हक बनता है? 33,000 करोड़ में हम इतने ही लायक हैं कि हमारे इस पिछड़े क्षेत्र को मात्र 602 करोड़ रुपया मिले? यह हमारे साथ न्याय नहीं है। मैं वहां से आने वाले कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, भगवान के लिये उस ट्राइबल एरिये पर दया करो और अपने हक को लेने के लिये यहां नहीं बोल सकते हो तो कम से कम घर में बोलकर के तो अपना प्रयास करो ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके।

दुर्भाग्य क्या है, यह पैसा कैसे डम्प पड़ा रहता है और काम क्यों नहीं होता है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभिन्न विभागों ने 16,092 काम स्वीकृत किये, उनके विरुद्ध में 796 काम बाकी हैं; इसमें 2,326 करोड़ रुपया दिया, 1,429 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज की तारीख में आपके पास विभिन्न विभागों का 1,100 करोड़ रुपया आपकी जेब में बंद पड़ा है। इसको कौन देखेगा कि आखिर जिन विभागों ने आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया अपने कामों के लिये, वह आखिर क्यों नहीं खर्च होता है? साल का अंत होने वाला है और 1,100 करोड़ रुपये लेकर आप बैठे हैं।

अभी बड़ी तारीफें कीं कि ऐसा सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, यह कर रहे हैं, थोड़ा आपकी आर्थिक समीक्षा की किताब को भी पढ़ो तो आपको कम से कम इन आंकड़ों से यह पता लग जायेगा कि हम धरातल पर हैं या कहां पर हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि 2003-04 में राजस्थान की जो ग्रामीण सड़कें थीं, वे 1,18,188 किलोमीटर थीं, हमने 2008-09 तक आकर 1,37,235 किलोमीटर, 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की और 19,047 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई थीं। अब आप देखो, 2009 से लेकर 2010, 2011-12 से लेकर जो कुछ भी आपने ग्रामीण सड़कें बनाईं, या तो वे जिला सड़कों में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ट्रांसफर हो गई या स्टेट में ट्रांसफर हो गई, बैलेंस आपका जीरो आ रहा है। ग्रामीण सड़क का बैलेंस जीरो आ रहा है क्योंकि आपको हमने 1,38,665 किलोमीटर सुपुर्द कीं और आज भी जो आंकड़ा मैंने इसमें से निकाला है, वह 1,38,000 ही आ रहा है। अगर आंकड़ों में गलती है तो इसे ठीक करो, किताब को देखकर इसको करेक्ट कराओ ताकि कम से कम यह भ्रम पैदा नहीं हो सके।

दूसरा, इसी तरह से आपकी जिला सड़कें, आप बड़े गुणगान गा रहे हो कि हमने यह कर दिया; क्या किया, यह तो आपके सामने है। 2003-04 में 6,117 किलोमीटर जिला सड़कें थीं, वे 2008-09 में जाकर 7,643 हुईं, अर्थात् 1,556 किलोमीटर हमारे राज के टाइम में बनीं। कांग्रेस राज का यह 2010-11, 2011-12 में वृद्धि है, वह 2,051 किलोमीटर की है। इसी तरह से स्टेट हाइवे, स्टेट हाइवे में आपने हमको 2002-03 में 8,627 किलोमीटर सुपुर्द कीं, हमने 2008-09 में 11,758 किलोमीटर पर एंड किया और 3,131 किलोमीटर की सड़कें बनाकर आपको स्टेट हाइवे में दीं। आज की तारीख में, हमने आपको 11,866 पर दीं तो आप आज भी उतने पर ही हैं, 11,866 । यह निल बैलेंस आ रहा है। यह क्या चक्कर है? यह निल बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब स्टेट हाइवे किलोमीटर की दृष्टि से अगर बनाई हों तो किसी न किसी रोड में इधर से इधर ट्रांसफर हुई, इसके कारण से बैलेंस नहीं बन रहा।

अब आप एक ही बात, रोजगार-रोजगार इतने दे देंगे, 1 लाख, 10 लाख, कितने साल तक कहोगे? यह भाषण सुनते-सुनते हमारे कान कच्चे हो गये। मैं पहले भी पांच साल था, आपकी इसी सरकार में, जब आप 156 लोग थे और बड़े अभिमान में चूर हो रहे थे; 156 से 56 आ गये थे। ध्यान तो है ना? अभिमान मत करो, ईमानदारी से काम करने का प्रयास करो। जनता आपको मौका देती है तो अभिमान करने के लिए नहीं देती है। हमारा काम बोलने का है, हम बोलेंगे; आपका काम, काम करने का है, आप करके दिखाओ। अब आपने दिखाया, रोजगार की दृष्टि से मैं आपको कम्पेरिजन करता हूं, यह मैं और किसी से नहीं लाया हूं...

श्री उपाध्यक्ष: उधर आप किनसे बात कर रहे थे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपसे।

यह जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है, इस आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में हमने 1999 तक सरकारी कर्मचारी के नाते रोजगार दिया था, वह 10 लाख

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

18 हजार। उस समय हमने आपको सुपुर्द किया और उसके बाद आपने, (-) 90 हजार कर्मचारी हो गये। हमने आपको 10 लाख 16 हजार कर्मचारी सुपुर्द किये थे, आपने जब अपनी सरकार एंड की थी तो 9 लाख 28 हजार कर्मचारी रह गये। अर्थात् जो रिटायर होते गये, रिटायर के बाद पद खाली होते गये, आपने उनको भरने का प्रयास नहीं किया। यह 90 के फीगर बता रहा हूं, 9 लाख 27 हजार उस समय थे 1999 में और आज भी आपकी स्थिति ऐसी की ऐसी ही है। 2004 से लेकर 05, 06, 07, 08 यहां तक हम रहे, हमारे टाइम में पहले हमने 91 हजार भर्ती की पिछली बार में, इसमें हमने 34 हजार लोगों को नई नौकरी दी और आपने वापस 2009 से लेकर, आप इसमें आ गये, आप माइनस हो गये (-)14 हजार नौकरियां घट गईं। 962 पर सुपुर्द किया था, आज 948 पर एंड कर रहे हो। तो है कहां नौकरी? यह जरूर है कि आप कहते हो, 50 हजार अध्यापक भर्ती करेंगे, यह दो-तीन बजट को छोड़ो, वास्तव में हमने 50 हजार की भर्ती भी कहा, 20 हजार की भर्ती भी कहा, हम इतने अध्यापक लगा देंगे, लगे क्यों नहीं? अभी भी आप कह रहे हो, 41 हजार हम तृतीय ग्रेड ट्रेनी के भरेंगे और 20 हजार हम और एक्स्ट्रा भरेंगे; यह भरेंगे तो है लेकिन भरे कहां जा रहे हैं? इसके कारण से आज राजस्थान में 1 लाख 33 हजार राज्य कर्मचारी के पद विभिन्न विभागों में रिक्त हैं। अगर आप चाहो तो मैं एक-एक की डिटेल पढ़कर बता सकता हूं, 1 लाख 33 हजार राज्य कर्मचारी के पद आज की तारीख में खाली हैं और आप उनकी भर्ती नहीं करके चाहते हो कि काम का विस्तार हो, काम आगे बढ़े, काहे को बढ़ेगा? जब आपका काम चार गुणा हो गया, आपका बजट चार गुणा हो गया, आपने काम को इतना फैला दिया और कर्मचारी को आप घटाते चले जा रहे हो, घटाते चले जा रहे हो तो किसके भरोसे काम करोगे? केवल पैसा बचाना, यही उद्देश्य बन गया हो और इसके कारण भर्ती पर कुण्डली मारकर बैठ गये हो, तो उसके कारण से वास्तव में भर्ती नहीं होना लगता है।

डा. साहब आप विराजमान हैं, मैं आपको कह रहा हूं, यह बार-बार बोलना बंद करो, ईमानदारी से यह कहो कि हमने एक मेगावाट बिजली नहीं बनाई। जो खड़ा होता है, भाषण ठोकता है। आपके राज में एक मेगावाट बिजली नहीं बनी, यह आंकड़ा मैं लाया हूं। आर्थिक समीक्षा का पेज 34 है, यह मैंने नहीं बनाया, इस बात का बहुत दुःख है, आपने देखा होगा कि 1998-99 में जब हमने आपको सुपुर्द किया था तब 3,355 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और उसके बाद आपने हमको सुपुर्द किया था तब 5,167 मेगावाट; अर्थात्

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

1,812 मेगावाट बिजली उस समय आपके पिछले राज में पैदा हुई। फिर हमने 5,167 पर लिया और हमने आपको सुपुर्द किया था 7,019 मेगावाट पर। यह कहां से मेरे घर से लाया, 1,852 मेगावाट बिजली? मैंने अपने घर से आंकड़े लिखे या मेरी सरकार ने अपने हाथ से लिख दिये? इस तरह से बोलकर केवल छीछालेदारी, कोई मतलब नहीं निकलता है कि हमने कोई बिजली पैदा नहीं की हो या बिजली के बारे में हमारा कोई ध्यान ही नहीं जाता था। ऐसी बात नहीं है।

आपने अभी जो बिजली पैदा की, या तो आप अपने आंकड़े क्लीयर करना, इस बजट में जो आपने आंकड़े दिये और जो इसमें दिये, दोनों में अंतर आ रहा है। इसके हिसाब से तो आपके तीन वर्ष के आंकड़ों में 2,400 इतना ही मेगावाट बिजली आ रहा है जबकि आपने इस भाषण में 3,400 समथिंग मेगावाट बिजली पैदा करना बताया। तो दोनों को करेक्ट करिये। यह सही है या आपने जो बजट में घोषणा की है, वह सही है? अगर बजट के आंकड़े से लूं जो आपने फिगर बताया है 2011-12 का तो 2,400 समथिंग मेगावाट बिजली ही आपके तीन साल में जनरेट हुई है, यह इसमें से निकलता है।

यह कहना और फिर आप बार-बार वाहवाही लेते हो कि हमने तो कोई पैसा नहीं बढ़ाया, डा. साहब, मैं आपको, अगर मन में थोड़ा बहुत भी जमीर बचा हो तो 2008 का किसान का बिल जो उसके कुए का हो और 2012 का बिल, एक निगाह में एक साथ रखकर देख लीजिए, अगर उसमें पैसा नहीं बढ़ा हो तो मैं इस बात को मान जाऊंगा। आपने चोर रास्ते से घुसकर उस किसान की कमर तोड़ डाली है और उसके बाद भी आप यहां वाहवाही कर रहे हैं। लोग यह सोचें जैसे हमने बहुत कीर्तिमान कायम कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि हमें हकीकत के धरातल पर आना चाहिये।

बजट बहुत अच्छा होता है; मैंने कहा ना, सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है; राजस्थान का हर आदमी सोचता है, स्वर्ग उतर जाएगा, उतरेगा कहां, जेब में पैसा होगा तब आएगा। यह काम कहां से पूरा करोगे? आपके पास फंड कहां हैं? आपने इसमें कहां बताया कि इतनी यूनिवर्सिटी के लिए कितना पैसा लगेगा और वह कहां से आएगा? इतने आपने डवलपमेंट किये, कभी आप नाबार्ड को बता देते हो, कभी इसको बता देते हो, कभी इसको बता देते हो, हैं कहां? आज की तारीख में आपका बिजली डिपार्टमेंट 50 हजार करोड़ के घाटे में है। यह दुकान किस दिन बंद हो जाएगी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और राजस्थान कब तबाह हो जाएगा, इसका थोड़ा ख्याल करो। इसके आधार नहीं चलेगा कि यह फ्री, वह फ्री। यह फ्री से अपन राज में तो आ सकते हैं लेकिन राजस्थान को ऊपर नहीं उठा सकते। थोड़ा धरातल पर आना पड़ेगा। वास्तविकता के आधार पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बजट आपने पेश किया, दिखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है लेकिन आपके तीन साल के कार्यकाल ने इस बारे में संदेह पैदा कर दिया कि यह सरकार घोषणा करती है, मानिटरिंग नहीं करती, इसके कारण से बजट का उपयोग नहीं होता और बजट पी डी खाते में पड़कर के बैलेंस और आंकड़े मिलाने का भ्रमजाल पैदा किया जाता है।

अभी तो ऐसे कई और विषय हैं, जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा; जो अच्छी योजना है वह अच्छी योजना है, उसको ईमानदारी से लागू करने का प्रयास करना चाहिये। दो रुपये का अनाज देते हैं, अगर ईमानदारी से उस गरीब के पास पहुंचे, उसका पेट भरता है। अगर किसी आदमी को दवाई मिलती है और सही दवाई मिलती है तो हर आदमी उसकी तारीफ करेगा। इसको इससे मत तोलो कि हमने कहा कि इन्होंने कहा; जो अच्छी चीज है उसको मानना चाहिये लेकिन स्टैंडर्ड नहीं गिरे, इसमें हेराफेरी का धन्धा नहीं हो, बीच का आदमी पैसे नहीं खा जाए, हमारा पैसा है। कुछ बदमाश लोगों ने मिलकर घेरा डाल दिया राजस्थान के लोकतंत्र पर, यह जो भ्रष्टाचार की जननी है और यह भ्रष्टाचार की भट्टी है, इस भ्रष्टाचार की भट्टी को जब तक नहीं जलाओगे, तब तक इस गरीब को कभी राहत नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर कुछ करना चाहते हो और हिम्मत हो तो कम से कम यह जो लीकेज है, इस लीकेज को भरो और इसमें से पैसा जहां पहुंचना है, वहां पहुंचे।

इस बात के लिए, उपाध्यक्षजी आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती ममता भूपेश ।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री और जिनका संकल्प, जिनके कार्य करने की शैली, जिनका कार्य करने का तरीका और जो हर वक्त राजस्थान के आम अवाम और लगभग साढ़े छह करोड़ लोगों के लिये रात-दिन सोचते हैं, उन्होंने यह कल्याणकारी बजट हमारे राजस्थान की आम अवाम

(श्रीमती ममता भूपेश)

को सुपुर्द किया है, पेश किया है, उसके लिये बहुत-बहुत मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहती हूं। यह सिर्फ कोई महज एक किताब नहीं है, यह सरकार के द्वारा पेश किया हुआ कागजों का पुलिन्दा नहीं है,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, नई परिपाटी क्यों प्रारम्भ करवा रहे हैं? ट्रेजरी बेंचेज के मिनिस्टर्स और संसदीय सचिव बोल रहे हैं। क्या सत्तारूढ़ दल के पास वक्ताओं का अभाव आ गया? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): तो आपको क्या तकलीफ है इसके अन्दर? आपको क्या तकलीफ है इसके अन्दर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह परम्परा नहीं रही है, उपाध्यक्ष महोदय। यह परम्परा नहीं रही है इस राजस्थान विधान सभा में।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य महोदय, आपको क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह परम्परा नहीं है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तकलीफ केवल इनको नहीं है, हमको भी है।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): आप तो महिलाओं की बातें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, मुख्य सचेतक भी हैं, आपको यह जानकारी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ हमको भी है। (व्यवधान) तकलीफ हमको भी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको डिस्टर्ब करना हो, आपको यदि माननीय सदस्या को डिस्टर्ब करना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप देखिये, अगर आपको डिस्टर्ब होना हो, ...

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उनके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है। यह सच्चाई को सुनने में इनको बड़ी परेशानी महसूस हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपना भाषण चालू रखें।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): यह ऐसे बजट के बारे में, जिसको मैं कहूंगी कि राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान) आप लोग बोल लो, अगर आप लोगों को बोलना हो तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप पर तरस आ रहा है।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): मुझे तो आपके ऊपर ज्यादा आ रहा है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य महोदय, जैसे वह +++ की तरह बीच में बोलते हैं, वैसे आप बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय यादव साहब, कृपया पड़ोसी जिले की माननीय सदस्या को डिस्टर्ब नहीं करें।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महज एक किताब नहीं है और न ही कागजों का पुलिन्दा राजस्थान की जनता को सुपुर्द किया गया है। यह कल्याणकारी बजट जो कि राजस्थान के आम अवाम को, उनके दु:ख तकलीफों को दूर करने के लिये और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये, उनके भविष्य को सुधारने के लिये और उनकी दिनचर्या को किस प्रकार से हमको एक आवरण के रूप में देना है, किस प्रकार से हमको बातों को संकल्पित करना है, उसका एक बजट पेश किया। उसके लिये बहुत-बहुत मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहती हूं। इस बजट के अन्दर अगर मैं पढ़ूं और आपने भी देखा होगा, तमाम सदस्यों ने देखा होगा, इसमें एक-एक लाइन और इसकी एक-एक पंक्ति जो लिखी हुई है, उसमें 80 प्रतिशत जो बातें हैं, वह अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. और अल्प-संख्यकों के लिये लिखी गयी हैं। यह एक बहुत ही सुनहरा, राजस्थान के इतिहास के अन्दर, अपने आपके अन्दर एक मील का पत्थर साबित होने वाला बजट पेश किया गया है।

कल मैंने टेलीविजन के अन्दर देखा, बार-बार यह प्रतिपक्ष की तरफ से, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने बार-बार टी.वी. में यह कहा कि ये हमारी घोषणाएं थीं, ये हमारे द्वारा ही बोली गई बातें थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इन्होंने इसी तरह की थोथी घोषणाएं की थीं, इसलिये आज इनको सामने बैठना पड़ रहा है। अगर उस समय ये घोषणाएं जो ये कहते हैं कि हमने की थीं, अगर पूरी कर देते तो शायद इनका सपना साकार होता। लेकिन इनका मुंगेरीलाल का हसीन सपना, मुझे नहीं लगता कि शायद कभी साकार होगा। मैं एक शेर के साथ में इनके ऊपर कहना चाहती हूं-

(श्रीमती ममता भूपेश)

"ए मौज-ए-बला इनको भी जरा दो-चार थपेड़े लेने दो,

कुछ लोग अभी तक साहिल से सिर्फ तूफान का नजारा देखते रहे हैं"

इनको यह लग रहा है कि बड़ा नजदीक है सब कुछ लेकिन जिस प्रकार से कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकार चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और गरीबों के लिये, गरीब को गणेश समझकर यह बजट पेश किया गया है और ये लोग सपने ले रहे हैं कि हम लोग आएंगे। इन्होंने तो सिर्फ एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा तालियां बजाईं कि विधान परिषद् बनेगी क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारा भविष्य पता नहीं, किस प्रकार का रहेगा। इसलिये विधान परिषद् के नाम पर पूरे सदन के विपक्ष के साथियों ने भी बहुत तालियां बजाईं। लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान को अग्रिम श्रेणी के प्रदेशों में लाने का, जो अभी तक हिन्दुस्तान में सिर्फ 6 प्रदेशों के अन्दर विधान परिषदें चल रही हैं, सातवां प्रदेश जो हमारे राजस्थान को जुड़वाने की उन्होंने एक बहुत नई घोषणा हमारे यहां पर की है कि इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहती हूं।

साथ ही हमारी राष्ट्रीय नेता, महबूब नेता, हमारी सोनिया गांधीजी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने पूरे राष्ट्र के अन्दर जननी-शिशु सुरक्षा योजना जैसी एक नायाब योजना लागू की, जिसमें सरकार की, केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, उसकी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नजर आयी। पिछली सरकार, जिसमें कई मांओं के बेटे गये, कई बहनों के भाई गये और कई मांगों के सिंदूर उजड़े, जबकि हमारी सरकार यह चाहती है कि जननी भी सुरक्षित रहे, उसका बच्चा भी सुरक्षित रहे, कोई बहन अपना भाई न खोए...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या कह रही हैं? जोधपुर में क्या हुआ?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय, आप बहुत वरिष्ठ हैं, एन्करेज कीजिए, सर।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): और कोई पत्नी अपने पति को न खोये।

नि:शुल्क दवा वितरण योजना, जो आप सबके सामने पूरे प्रदेश भर में चल रही है, मैं कहूंगी कि शायद उत्तर और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी योजना है और इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। केन्द्र सरकार इसके ऊपर बातचीत भी कर रही है। चार सौ तरह की

(श्रीमती ममता भूपेश)

दवाइयां हमारे यहां पर चल रही हैं। साथ ही जो अभी पशुओं को भी निःशुल्क दवा वितरण का जो एक ऐतिहासिक कदम मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर रखा है, इसकी भी मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी कि जो इन्सान, मानव के साथ-साथ पशुधन, क्योंकि हमारा राजस्थान राज्य जो कि किसानों और पशुधन के ऊपर आधारित राज्य है, यहां कोई बड़े-बड़े कल-कारखाने नहीं हैं, यहां की 70 प्रतिशत जनता आज भी पशुधन और खेती के ऊपर अपना जीवन बसर करती है, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के घर के अन्दर कोई गाय, भैंस, बकरी या किसी भी प्रकार का पशुधन जरूर होता है, उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो पशुओं के लिये निःशुल्क दवा वितरण की योजना हमारी सरकार के द्वारा लाई जा रही है, उसकी बहुत-बहुत, उसके लिये मुख्य मंत्री को कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूंगी।

हमारी सरकार चाहती है कि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, चाहे महिला हो, सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आपको सुरक्षित महसूस करे। व्यक्ति नई सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है, जिस पार्टी को तीन साल पहले राजस्थान की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया था, 3 हजार नये स्वास्थ्य केन्द्र, ए.एन.एम. की भर्तियों के साथ में खोले जाएंगे। डाक्टर साहब, सामने बैठे हुए, अभी चले गये यहां से हमारी बातें सुनते हुए, डीग से आने वाले माननीय सदस्य अभी हंस रहे थे लेकिन जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, तब कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? शायद पांच साल में नहीं खोले होंगे जो कि हमारी सरकार सिर्फ एक बजट के अन्दर 3 हजार खोलने का प्रावधान लेकर आयी है। 108 एम्बुलेंस, जिस दिन हमने सरकार ली थी, उस दिन सौ का आंकड़ा पार नहीं कर रही थी। राजस्थान की जनता, जो कि कोई बीमार है, किसी के लग गयी, कोई एक्सीडेंट के अन्दर मरने की स्थिति के अन्दर आ गया, उसको सेवा देने के लिये पहले जब हम सरकार के अन्दर हम 2008 में आये थे, उस समय सौ का आंकड़ा भी पार नहीं कर रही थी, आज साढ़े चार सौ 108 एम्बुलेंस राजस्थान की जनता की सेवा के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और 200 नई एम्बुलेंस और लाने का प्रावधान हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसके लिये भी मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगी।

हमारे पशुधन की बात जब हम कर रहे थे तो नये अस्पताल, 200 हास्पिटल जो कि क्रमोन्नत किये जाएंगे, हमारे पशु स्वास्थ्य के अस्पताल,

(श्रीमती ममता भूपेश)

और 400 नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र पशुओं के लिये स्थापित किये जाएंगे। मैं समझती हूं कि राजस्थान के अन्दर, यह कृषि और पशुओं की जब बात करते हैं तो हर किसान के चेहरे पर खुशी नजर आने लगती है। हर आदमी यह सोच रहा है कि जो उम्मीदें मुख्य मंत्रीजी से और राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार से हमारे किसानों ने, हमारे गरीब लोगों ने की थीं, उन उम्मीदों पर जब हम आज खड़ा उतरते हुए नजर आ रहे हैं तो हमारे विपक्ष के साथियों को बड़ी अजीब-अजीब सी बातें, क्योंकि ज्यादातर ये बातें, जितने भी, दो वक्ता विपक्ष के बोल चुके हैं, पूरी शहरीकरण की बातें करते हैं, इनको मालूम नहीं है, बहुत कम पता है कि गांव के अन्दर स्थिति कितनी खराब छोड़ कर गये थे। पहले कांग्रेस की सरकार थी, ढांचा सुधार कर गयी; फिर विपक्ष, ये लोग आकर बैठ गये, उन्होंने हमारे सारे किये हुए कामों को फिर खराब करने की कोशिश की। अब हम वापस सरकार के अन्दर आये हैं और चौथे बजट के साथ, जो कि ऊर्जा से भरा हुआ है, संचार से भरा हुआ है, राजस्थान के आमअवाम को सुपुर्द है, वापस हम उन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के नेतृत्व के अन्दर हमारी सरकार, हमारा बजट, आम आदमी के लिये कारगर साबित होगा।

ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर हमने नई पालिसी बनाई और प्रत्येक तीन ग्राम पंचायतों के अन्दर 33 के.वी. का सब-स्टेशन स्थापित करने का संकल्प ऊर्जा क्षेत्र में लिया गया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान आने वाले वर्षों के अन्दर अपने आप के अन्दर, मेरे ख्याल से पंक्ति के अग्रिम श्रेणी के अन्दर खड़ा हो जाएगा। 300 से अधिक आबादी वाले गांव, प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण का लक्ष्य हमारे बजट के अन्दर रखा गया है। सौर ऊर्जा की नीति के अन्तर्गत 873 मेगावाट की 72 परियोजनाएं राजस्थान की जनता के सामने आने वाले वर्षों के अन्दर स्थापित हो जाएंगी जिससे कि सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान आत्मनिर्भर होगा और उसके साथ ही हमारी सरकार की कल्पनाएं भी पूरी होंगी। आगामी वर्ष में 20 हजार घरेलू सोलर प्रकाश संयंत्र, अभी हमने पिछले दिनों ही अख़बार के अन्दर सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा एक विज्ञापन छापा गया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और जब मैंने उस विज्ञापन को देखा तो मेरे को लगा कि गांव के अन्दर रहने वाला वह व्यक्ति जो कभी यह नहीं समझता था कि मेरे घर में भी लाइट आएगी, 24 घंटे लाइट जलेगी; एक तरफ एक बड़ा सा मकान था, बड़ी दो-तीन मंजिल

(श्रीमती ममता भूपेश)

इमारत थी और एक तरफ एक छोटी-सी झोंपड़ी थी और दोनों के ऊपर हमारे सोलर संयंत्र लगा हुआ था, जिसके ऊपर राजस्थान की सरकार तीन हजार रुपये सब्सिडी भी देने की घोषणा कर चुकी है। मेरे ख्याल से, मैं मानती हूं कि ऊर्जा की दृष्टि से हमारे गांवों तक विद्युत पहुंचाने का बहुत बड़ा सपना हमारी सरकार ने देखा था जो कि साकार करने हम लोग जा रहे हैं।

राजस्थान के अन्दर पानी की काफी समस्या है और जो पेयजल हम लोगों को उपलब्ध है, उस पेयजल के अन्दर भी फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा, बहुतायत के अन्दर है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, फ्लोराइड की बीमारियों से ग्रसित नहीं रहे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फ्लोराइडयुक्त पानी को फ्लोराइडमुक्त करने के लिए लगभग साढ़े पांच हजार गांवों को डी-फ्लोराइडेशन मशीन के द्वारा जोड़ा जा रहा है, जिसका कार्य संचालित है और कार्य गांवों के अन्दर चल रहा होगा, जिसको आप लोग भी देख रहे होंगे।

पेयजल परियोजना के लिए लगभग चार हजार करोड़ रुपये की स्कीम्स बजट के अन्दर लायी गयी हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार से पेयजल की समस्याओं को हमारे राजस्थान के अन्दर समाप्त करने का प्रयास राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

मैं भी इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह प्रार्थना करना चाहूंगी और यह आग्रह करना चाहूंगी कि मैं दौसा जिले से ताल्लुक़ रखती हूं और हमारा जिला भी पानी की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। पानी की बहुतायत में कमी हमारे जिले के अन्दर है। हमारे जिले को भी चम्बल और बीसलपुर से अगर जोड़ा जाए तो मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार दौसा की आम जनता और अवाम की तरफ से।

साथ ही देवनारायण योजना एक ऐसी योजना है जो कि चलाई गई है खास तौर से, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सिकराय से आती हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी बहुत से साथी हमारे गुर्जर भाई हैं और हमारी सरकार चाहती है कि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा के अन्दर लेकर आयें, उनका शैक्षणिक स्तर सुधारें और उनको जिस भी प्रकार की जरूरत है, चाहे वह छात्रवृत्ति की हो, चाहे वह स्कूटी देने का कार्य हो, चाहे साइकल वितरण का कार्य हो, चाहे कोई स्कूल खोलने का कार्य हो, चाहे महाविद्यालय खोलने का कार्य हो, देवनारायण योजना के तहत ये सभी चीजें संचालित की जा रही हैं।

(श्रीमती ममता भूपेश)

मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपये का बजट तो हम लोग पहले पूर्व में दे चुके हैं और अब जरूरत रहेगी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी आगे भी इस योजना के लिए बजट देकर अच्छी घोषणाएं करेंगे और ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाली योजनाएं चलेंगी। निश्चित तौर पर जो समाज का तबका, जो पिछड़ा हुआ था, जो कि अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर समझता था, इस योजना के तहत उनका बच्चा भी पढ़ेगा-लिखेगा और आने वाले समय में कोई डाक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा और वे भी अपने आपको उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे।

इसी के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र का सिकन्दरा जो कि गुर्जर आन्दोलन के तहत अपने आप बहुत विख्यात हो गया था, वह भी देवनारायण योजना के तहत, इसी क्षेत्र का बहुतायत का इलाका है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगी इस बात के लिए कि सिकन्दरा के अन्दर एक महिला एस.बी.सी. का छात्रावास और कालेज खोला जाए तो हमारे वहां की बच्चियां भी जो कि इस समाज से ताल्लुक रखती हैं, उनको पढ़ने-लिखने और आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी।

मैं दो रुपये किलो अनाज, राज आटा, राज नमक, राज चाय, राजस्थान का नाम कई चीजों से जुड़ा हुआ है, हर पैकेट के ऊपर हम देखते हैं तो राज लिखा हुआ है। हमें बड़ी खुशी होती है इस बात को देखकर कि आज गांवों का, अभी मुख्य मंत्रीजी पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र के गीजगढ़ कस्बे में आये थे और अचानक वे एक पी.डी.एस. सिस्टम की दुकान के सामने रुककर और वहां पर अन्दर चले गये। तो जब हम वहां पर गये और वहां का जो व्यक्ति था, जो दुकानदार था, उस दुकानदार ने जब यह कहा कि साहब, जब से यह आटा आया है, जब से यह नमक आया है, जब से यह चाय आई है, मेरी दुकान की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान की जनता को मुख्य मंत्रीजी ने पी.डी.एस. सिस्टम के तहत विभिन्न प्रकार की जो सुलभ उपलब्ध होने वाली चीजें सस्ती दरों पर दिलाने का जो निर्णय किया है, यह अपने आप में बहुत ही आलीशन निर्णय है और जनता इसमें बहुत अच्छी तरह से खुश हो रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वाह-वाह।

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): अब ये तो कह रहे हैं वाह-वाह, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बातों का पक्ष कर रहे हैं या

(श्रीमती ममता भूपेश)

विपक्ष कर रहे हैं। शायद मैं यह मानती हूं कि सांगानेर से आने वाले हमारे बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य हैं और निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता का भला ही चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, मैं आपसे तो यही प्रार्थना करूंगी और यही उम्मीद करूंगी कि आप हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को क्योंकि अच्छा कार्य करने वाले बच्चे को जब शाबासी दी जाती है तो वह और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है।

शिक्षा में, सुनिये हमारी सरकार है ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बच्चों को तो दे सकते है, मतलब तुम्हें तो दे सकते हैं पर बच्चों के बाप को नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (संसदीय सचिव): शिक्षा की दृष्टि से मैं कहूंगी कि मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हूं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस बार आठवीं के, दसवीं के और बारहवीं के बच्चों को लैपटाप देने का एक अनूठा राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का नायाब काम जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है, इसमें निश्चित तौर पर हमारे बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जो गांव और ढाणियों में रहने वाले बच्चे जो कभी, आज ही मैंने एक न्यूजपेपर के अन्दर देखा कि एक बच्चे ने, लिखा है, उसमें एक बच्चे की फोटो थी और वह ग्रामीण परिवेश का बच्चा था, उसने कहा कि हम तो सपने देखते थे कि कभी कोई सरकार हमको किताबें और कापियां मुफ्त देगी लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने कम्प्यूटर, डिजिटल लैपटाप जैसी चीज हमारे बच्चों को देकर, 44 हजार बच्चों को प्रति वर्ष लैपटाप दिये जाएंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र के अन्दर, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और नई प्रतिभाएं निकलकर पढ़ाई-लिखाई के अन्दर दसवीं में, बारहवीं में, बोर्ड में नई प्रतिभाएं निकलकर आएंगी जो कि आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में राजस्थान का एक बहुत बड़ा अपने आप में नाम रोशन करेगी।

मैं जब से विधायक बनी, मैंने देखा, मैं तीन सालों से गांवों में गई, बहुत सी छोटी-छोटी ढाणियों में गई, जहां पर लोग कहते हैं हमें कि एम.एल.ए. साहब, पांचवीं की स्कूल खुलवा दो, आठवीं की स्कूल खुलवा दो। यह बहुत मांग थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार पांचवीं और छह सौ आठवीं के स्कूलों की जो घोषणा की

(श्रीमती ममता भूपेश)

है, यह उनकी सोच, इस बात को प्रदर्शित करती है कि मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि दूरदराज और पंक्ति के जो अंतिम छोर के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वह व्यक्ति भी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं रहे। इसलिए पांचवीं की और आठवीं की स्कूलें, करीब पिछले वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर दसवीं के विद्यालयों की जो घोषणा की थी, उनको सुचारु रूप से संचालित किया गया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही अगर बात करूं तो 16 विद्यालय मुझे क्रमोन्नत कराने पड़े आठवीं से दसवीं के और ये लोग बातें करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। अगर इतना कुछ किया होता और पांच साल के अन्दर इस शिक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक अनूठा उदाहरण पेश किया होता तो शायद मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. बहुल इलाका है, वहां 16 स्कूलें, जहां पर दसवीं के विद्यालय तक नहीं थे, शायद रिक्त नहीं रहतीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वे चाहते हैं कि हर पंचायत पर रहने वाला व्यक्ति, हर छात्र कम से कम दसवीं की पढ़ाई अपने ही गांव के अन्दर, अपनी ही पंचायत में करे जिससे उसको किराया-भाड़ा नहीं देना पड़े, उसके ऊपर भार नहीं पड़े क्योंकि वह गरीब की कोख से जन्म लिया हुआ होता है, उसके लिए दस-बीस रुपये रोजाना का किराया उठाना अपने आप में बहुत कठिन कार्य रहता है।

शिक्षकों की नियुक्तियां अभी हो रही हैं, जिला परिषद के माध्यम से सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की आप सब लोगों के सामने आ जाएंगी। आई.टी.आई. कालेज खोलने का, जो 20 नये आई.टी.आई. कालेज राजस्थान के नये छात्रों को सुपुर्द किये जा रहे हैं, वह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम मुख्य मंत्रीजी उठा रहे हैं और मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगी कि यह 20 आई.टी.आई. जो कालेज खुलेंगे, वे सारे आई.टी.आई. कालेज ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएं जिससे ग्रामीण बच्चा अपने आपको टेक्नोलाजी से जुड़ा हुआ महसूस करे। अपने ही क्षेत्र में और सिकराय के अन्दर भी एक आई.टी.आई. कालेज खोलने की मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहती हूं।

जिस प्रकार से बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा था, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जा रहा है, जब हम कई बार यह इनाम, 40-40, 50-50 हजार रुपये जब बच्चियों को देते थे तो मैं देखती थी कि कई बार सामान्य वर्ग की बच्चियां, जिनका परिवार, जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, वे अपने आपको उपेक्षित महसूस करती थीं और उनको यह लगता था

(श्रीमती ममता भूपेश)

कि यह तो एस.सी., एस.टी. को ही मिल रहा है, हमें नहीं मिलेगा। मुख्य मंत्रीजी ने समानता की दृष्टि रखते हुए जो सामान्य वर्ग की बच्चियों के लिए भी यह योजना शुरू की है, इसकी भी एक महिला होने के नाते मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगी कि चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, विचार से ताल्लुक रखती हों, किसी भी समाज से ताल्लुक रखती हों, अगर वे बच्चियां पढ़ने के लिए, छात्राएं पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके ललक है कि वे शिक्षा में आगे कर पायें तो उनको हमारी सरकार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के माध्यम से सभी समाज की बालिकाओं को पुरस्कृत करेगी। यह बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है।

मैं छह नये विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान की जनता को सुपुर्द हैं, आज हम जब कहीं भी जाते हैं तो कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो आजकल बहुत से बच्चे यह बात कहते हैं कि हम जर्नलिज्म के अन्दर पी.जी. करने जा रहे हैं और हमको बाहर जाना पड़ रहा है। क्योंकि पत्रकारिता के अन्दर पी.जी. करना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हो गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया और हमारे राजस्थान के बच्चे भी चाहते हैं कि पत्रकारिता के अन्दर पी.जी. हम लोग करें

(15.00 बजे)

और अच्छे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार हमारे राजस्थान से पढ़कर जायें। यहां की पत्रकारिता को बहुत बड़ा सहयोग मुख्य मंत्रीजी का रहेगा कि पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना करने की जो घोषणा की है, यह पहली बार राजस्थान के अन्दर पत्रकारों की तरफ इतना देखा गया है, उनके बारे में इतना सोचा गया है, जिसमें उनकी बीमा पालिसीज भी लागू हैं। इसमें हमारे दौसा के अन्दर भी 50 लाख रुपये की लागत से सूचना केन्द्र की घोषणा की गयी, जिसका भी मैं धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी को देना चाहूंगी।

आदिवासियों के लिये अभी गुलाबचन्दजी कटारिया कह रहे थे कि हमारे आदिवासियों के लिये क्या किया है, मेवाड़ के लिये क्या किया है। मेवाड़ के लिये आदिवासी यूनिवर्सिटी दी, जो कि आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले बच्चों के लिये, जो कि ट्राइबल जाति के अन्दर आते हैं, के लिए बनाई गई है। यह राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका है, माननीय कटारियाजी तो बहुत सालों से वहां से विधायक बनते आ रहे हैं, मैं समझती हूं, उस इलाके से चार-चार, पांच-पांच, छह-छह बार कोई व्यक्ति विधायक और

(श्रीमती ममता भूपेश)

गृह मंत्री जैसे पदों पर रह जाये और उसके बाद भी अगर उस इलाके को वह अपने मुंह से पिछड़ा कहे तो उससे बड़ी हमारे लिये शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी सदैव आदिवासियों का भला चाहते हैं, उनके उत्थान के लिये, उनके विकास के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है, हम संकल्पित हैं इस बात के लिये कि आदिवासियों का भला हमको करना है।

मैं विभिन्न प्रकार की शहरी बी पी एल आवास योजना, जो कि मुख्य मंत्रीजी ने लागू की, लगभग एक लाख मकान शहरों के अन्दर रहने वाले बी पी एल लोगों को भी, क्योंकि जब अख़बार पढ़ते हैं कि गांवों में 10 लाख मकान बनाये जा रहे हैं तो शहरी क्षेत्र के लोगों के अन्दर भी इस प्रकार की भावना आती है कि हमारे लिये सरकार क्या कर रही है, उनके लिये भी मुख्य मंत्रीजी ने जो एक लाख मकान बनाने के लिये शहरी निकाय योजना के अन्दर दिये, उसका मैं बहुत-बहुत अभिवादन करना चाहूंगी।

साथ में मेट्रो की बात, अभी थोड़ी देर पहले झोटवाड़ा से आने वाले सम्माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि मेट्रो पर पैसा खर्च किया जा रहा है। आज जब राष्ट्र की राजधानी के अन्दर मेट्रो दौड़ती है, तो हमारे राजस्थान के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव आता है कि हमारी जो राजधानी है जयपुर, वह भी दिल्ली की तर्ज पर आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां पर नई चीजें आयें। हमारे गांव का व्यक्ति भी चाहता है कि हमारे राज्य की राजधानी वर्तमान जगत के हिसाब से अपने आपको जुड़ती हुयी महसूस करे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि शहर से आने वाले विधायक, जो कि शहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वे मेट्रो जैसी परियोजना का विरोध कर रहे हैं और यह कहते हैं कि वह पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात के लिये कि उस पैसे को फिजूल क्यों माना जा रहा है? जो कि शहरी क्षेत्र को खास तौर से कहते हैं; उपाध्यक्ष महोदय, जब हम घर में आते हैं और चूंकि मैं एक महिला हूं, यह मानते हैं कि ड्राइंग रूम को हमारे सबसे सुंदर सजाया जाता है, उससे पूरे घर की एक रूपरेखा नजर आ जाती है इंसान की कि किस प्रकार उसके रहने का तरीका है, किस प्रकार की उसकी जीवन शैली है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मेट्रो जैसी बड़ी परियोजना, जो कि गरीब तबके के लिये, मजदूर वर्ग के लिये बनाई जा रही है, जो कि दो-दो, तीन-तीन घंटे नहीं घूम सकता है, जो जल्दी सुलभ तरीके से

(श्रीमती ममता भूपेश)

कम पैसे में अपना रोजगार कर लेगा, ऐसी योजना का अगर यहां बैठे हुए विपक्ष के माननीय सदस्य विरोध करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है इनकी बुद्धि पर, इनकी सोच पर कि ये राजस्थान को आगे लेकर नहीं जाना चाहते हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी कि रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें जैसे कि गेहूं, आटा, चावल और खास तौर से साड़ियों पर जो कर कम किया है, उससे निश्चित तौर पर हमारे राजस्थान के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना जुड़ाव महसूस होगा और उनको लगेगा कि मुख्य मंत्रीजी ने हमारे लिये कुछ किया है। उन्होंने पेट्रोल के ऊपर से जो वैट कम किया है, वह भी अपने आप में एक बहुत ही नायाब है। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रसोई गैस के ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही 25 रुपये सब्सिडी कम की थी, वह भी मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के किसी राज्य के अन्दर नहीं हुई है। सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है, जो कि रसोई गैस के ऊपर 25 रुपये की सब्सिडी कम कर चुका है।

मैं इन तमाम बातों के साथ में यह कहना चाहूंगी कि जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने कल हमारे राजस्थान की विधान सभा में पेश किया और राजस्थान के आमअवाम को सुपुर्द किया, वह एक बहुत ही नायाब बजट है, कल्याणकारी बजट है और गरीब एवं किसान वर्ग को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से एस.सी., एस.टी., अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ बी सी, अल्पसंख्यक समुदाय को समर्पित करते हुए जो बजट पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैंने अपने विचार प्रकट किये। मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिताजी भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल जो बजट प्रस्तुत किया है, सत्ता पक्ष के लोगों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं और कहा है कि यह बजट सुनने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है पर कथनी और करनी, यह तो सिर्फ कहा गया हैं; करनी कैसी होगी, यह आगे आने वाला समय बतायेगा, भविष्य के गर्भ में छिपा है लेकिन हमने किया क्या है, इस बात से मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूं क्योंकि पिछले तीन वर्ष के बजट मेरे पास रखे हैं। वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012, चौथा बजट भी मुझे कल मिला है, वह

(श्रीमती अनिता भदेल)

भी मेरे पास है। तीनों बजट की घोषणाओं में शब्दों को हेर-फेर करके किस प्रकार से कोई बात कहां रखी जा सकती है, ताकि भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके यह कहा जा सके कि यह नई बात हमने बजट में कही है। जो बात कही गयी है, उसको हमने पूरा करने का कहां तक प्रयत्न किया है, कितना प्रतिशत हम उन योजनाओं को पूरा कर पाये, यह तो गुलाबजी ने और झोटवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने बता दिया। सत्ता पक्ष के जो दो माननीय विधायक बोले हैं, उन्होंने अपने भाषण में यह जिक्र नहीं किया। योजनाएं अच्छी हैं, इस बारे में कहा और मैं भी इस बात को कह रही हूं कि हां, योजनाएं अच्छी हैं पर कथनी और करनी में अन्तर ही तो सबसे बड़ी बात है। कहने को बहुत अच्छी बातें कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है, जबान से कहना ही तो है, लिखकर के पटल पर रखना ही तो है, पर पूरा कहां तक करेंगे, यह करने वाली बात है। यदि हम कर देते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं करते हैं तो फिर कहना उतने मायने नहीं रखता और आपकी बात पर फिर विश्वास नहीं होता। यदि जो चीजें तीन वर्षों में कही गयी हैं, यदि वे धरातल पर वैसी की वैसी लागू हो जातीं तो आज हम जो राजस्थान की जनता है, चाहे वह ग्रामीण जनता है, चाहे वह अनुसूचित जाति, जनजाति की जनता है, चाहे जो बी पी एल परिवार हैं, उनके आर्थिक स्तर को हम उन्नत होता हुआ देख सकते थे।

अभी माननीय सदस्या कह रही थीं, मुख्य मंत्रीजी ने दो रुपये किलो गेहूं की घोषणा की थी। हां, की थी और उस घोषणा को पूरा एक वर्ष हो गया। मैंने पहले भी इस बात को विधान सभा में उठाया है कि दो रुपये किलो गेहूं नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ 15 किलो गेहूं दे रहे हैं और जबरदस्ती 10 किलो आटा दे रहे हैं और उस आटे की कीमत दो रुपये नहीं है। तो इसको आप धरातल पर जाकर देखिये।

आपने बात कही कि हम नि:शक्तजनों की बहबूदी के लिये कानून लायेंगे, निदेशालय का गठन करेंगे। यह बात आपने 2011-12 के बजट में कही है। वह कानून कब लायेंगे? जब सरकार चली जायेगी, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत नहीं रहेंगे तब लायेंगे क्या कानून? हम डोमेस्टिक वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिये कानून लायेंगे; एक साल हो गया, आप कानून नहीं लाये। कहां गया वह कानून? हम वाटर के मैनेजमेंट के लिये निदेशालय बनायेंगे, बीकानेर में स्थापित करेंगे। कहां गया वह निदेशालय? कहीं उसका पता नहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

है। हम बाल अधिकार आयोग बनायेंगे। आयोग बनाने की घोषणा दो साल पहले की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बनाया कब, जब विधान सभा में प्रश्न लगा और बना दिया हमारे मुख्य सचिव को। जब दूसरी बार विधान सभा में प्रश्न लगा, तब किसी कार्यकर्ता को उसका अधिकारी बना दिया। तीसरी बार विधान सभा में प्रश्न लगा, तब पता पड़ा कि हां, उसकी धूल हटाई जा रही है। तो यह क्या मतलब है कि जब कोई बात आपको याद दिलाई जाती है, तब ही आप करते हो? बगैर याद के क्यों नहीं करते? अपने आप, कहा है तो करना भी चाहिये। अजमेर से आने वाली हमारी शिक्षा मंत्री महोदया बैठी हैं नसीम अख्तर जी, एक साल पहले अल्पभाषायी एस टी सी की स्थापना की बात कही थी, आप बार-बार अखबारों में और अधिकारियों को फटकारती रहती हैं कि कब लाओगे। मंत्री महोदय की बात नहीं सुनी जाती है तो हम प्रतिपक्ष के एम एल एज की बात कौन सुनेगा? अभी तक अजमेर में उसकी स्थापना नहीं हुई है।

अजमेर की जनता ने बीसलपुर के पानी के लिये बहुत सालों तक संघर्ष किया है। अकाल की स्थिति में अजमेर में पीने का पानी नहीं मिलता। बजट में घोषणा की गई है कि हम उसको नावां तक लेकर जायेंगे। जब अजमेर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है उस पानी से, तो आप नावां कैसे ले जायेंगे? नागौर के लोगों को खुश कर दिया, माननीय चौधरी साहब तो खुश हैं, अभी तारीफ कर रहे थे कि हां, हमारे पानी की व्यवस्था कर दी। यह पुष्कर से होकर जायेगा पानी। अभी तो पुष्कर ही नहीं पहुंचा है तो नावां कैसे जायेगा। (व्यवधान) तो फिर यह घोषणा गलत है। मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है तो फिर वह गलत है। बजट में जो घोषणा की है, वह गलत है, इसका मतलब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। सदन को मालूम है कि आप दोनों अजमेर जिले की हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): देखिए, मैं तो इस बजट में जो बातें लिखी हुई हैं, उनके आधार पर कह रही हूं। यदि आपके पास कोई आधार है तो आप बता दीजिए। मुझे तो यह किताब जो उपलब्ध करवायी गयी है, उससे बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपनी बात कहिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अच्छी बातें कहना अच्छा है लेकिन उनको पूरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

करना ज्यादा जरूरी है; ज्यादा अच्छा, उनको पूरा करना है। आप देखिए, बी पी एल परिवारों की पुत्रियों को शादी के उपलक्ष्य में दी जाने वाली सहायता, जो दी जाती है, उनके आवेदन स्वीकृत हुए आठ-आठ महीने हो गये लेकिन एक पाई का भुगतान उनके नहीं हुआ है और जब यहां अधिकारियों से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि मैडम, केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। केन्द्र सरकार में तो आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ गई। फिर कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद पैसा कहां गया? पैसा क्यों नहीं आ रहा है, आप तो यह बताइये हमें। आप बार-बार इस बात की घोषणा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास वर्ष 2009-10 का बजट है, इसमें आपने यह बात कही है कि हम 17 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे। यह है पैरा नम्बर 146, सत्रह हजार तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करेंगे। फिर आप दूसरे बजट में कहते हैं, वर्ष 2010-11 के बजट के पैरा नम्बर 142 में आपने यह बात कही है कि हम शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे और बड़े मजेदार ढंग से, पैरे को देखो आप, कैसे बात कही है, "राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू होने से हमारे शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अतः हमने निर्णय लिया है कि आगामी वर्षों में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत कराने की बजाय..." यहां अधिकारी जो बैठते हैं, वे यह तो देख लें कि हमने पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी से क्या घोषणा करवायी थी, इसके विपरीत तो हम कुछ शब्द नहीं बुलवा रहे। मैं इस लाइन को वापस पढ़ूंगी, "...अतः हमने निर्णय लिया है कि आगामी वर्षों में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत कराने की बजाय प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसलिए हमारे विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने का कोई इरादा नहीं है।" उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले वर्ष का बजट है। मतलब दो-तीन साल पुराना भी बजट नहीं है। पिछले वर्ष का बजट यह कहता है और इस वर्ष मुख्य मंत्रीजी से आप यह कहलवा रहे हो कि हम विद्यालयों को क्रमोन्नत करने जा रहे हैं। तो क्या एक साल के अन्दर आपने सभी शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया? अब आपकी शिक्षक भर्ती की कोई प्राथमिकता नहीं है, अब शिक्षक भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम विद्यालयों को क्रमोन्नत करने जा रहे हैं। जो विद्यालय पहले से ही क्रमोन्नत हैं, उन विद्यालयों में

(श्रीमती अनिता भदेल)

शिक्षकों की भर्ती के लिए आपने कहा कि हम पचास हजार तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। अब इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन पचास हजार को घटाकर कह दिया कि 41 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो नौ हजार कहां गये? तो आप यह घुमा-फिराकर, तोड़-मरोड़ कर जो बातें करते हैं, वह ठीक नहीं है। हम खूब वाहवाही कर लें, आप इनके पक्ष में बोल लें और हम विरोध में बोल लें लेकिन आम जनता जिनके वोट से हम यहां चुनकर आते हैं, उनको असली फायदा होना चाहिए। यदि उनका फायदा नहीं है तो हमारे और आपके बोलने से वह बात रिकार्ड पर जरूर आ जायेगी लेकिन जनता सब समझती है, सब देखती है और जब वक्त आयेगा, तब आपसे पूछने वाली है कि आपने यह घोषणा की थी, उसका क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने विश्वकर्मा पेंशन योजना बन्द कर दी। आप बजट में यह तो कहीं नहीं लिख रहे कि हम बन्द कर रहे हैं। बन्द करने वाली चीजों का तो कहीं गुणगान नहीं है और जो नयी-नयी शुरू कर रहे हैं, उनकी हम खूब तालियां पीट रहे हैं, खूब वाहवाही कर रहे हैं। विश्वकर्मा पेंशन योजना बन्द करने का क्या कारण है? क्या सरकार के पास उसका अंशदान देने के लिए पैसा नहीं है? मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरी बात का जवाब दें कि उन्होंने यह योजना बन्द क्यों की है। या फिर जनता को बतायें; जिन्होंने इसमें पैसा डाला है, वे क्या जवाब देंगे उन लोगों को जिन्होंने विश्वास करके इस योजना में लोगों को सम्मिलित किया था? अब लोगों को जवाब देने के लिए नहीं हैं। लोग पूछ रहे हैं, हमारी उस योजना का पैसा कहां जायेगा, कैसे जायेगा और कैसे हमें रिटर्न होगा लेकिन कोई जवाब यहां देने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां बहुत सारी बातें ऊर्जा के बारे में कही हैं। गुलाबजी ने ऊर्जा के बारे में आपको बताया है। फिर भी माननीय सदस्य ऊर्जा के बारे में जो बोलने वाले हैं, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यदि आपने ऊर्जा का बहुत सारा उत्पादन किया तो कृपा करके जनता तक पहुंचाओ, किसानों तक पहुंचाओ और शहरों में पहुंचाओ। गांवों में पहुंचाओ उस बिजली को। आप रखकर क्या मुनाफा कमाने वाले हो क्या? बेचकर उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हो क्या? पैदा की है तो गई कहां वह? हमारे यहां तो रोज कटौती होती है, रोजाना फोन करते हैं कि मैडम, बिजली नहीं आ रही है। मैं कहती हूं

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि क्या करें, सरकार अशोक गहलोतजी की है। बिजली नहीं आ रही। पता नहीं, कहां लेकर जा रहे हैं। रोज चिल्लाते हैं कि बिजली का उत्पादन खूब बढ़ा रहे हैं, खूब बिजली आ रही है; गांवों में बिजली है नहीं, किसानों के पास बिजली है नहीं, फिर गई कहां बिजली? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी, बिजली मंत्रीजी तो अभी थोड़ी देर पहले तक तो बैठे थे, पता नहीं, कहां गये, वह बिजली कहां गई? बिजली मिल जाए तो हमें भी उसके दर्शन हो जाएं, इतना मैं कहना चाहूंगी। (व्यवधान) वसुन्धराजी के साथ गई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह क्या जल रही है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हम यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गांवों की बात कर रहे हैं। गांवों की ही नहीं, शहरों की भी बात कर रहे हैं, उपाध्यक्षजी। अब तो शहरों में भी बिजली दिखाई नहीं देती है। कभी एक घंटा, कभी दो घंटा और कभी अघोषित कटौती, कभी घोषित बिजली कटौती। तो पता ही नहीं चलता कि बिजली कब आयेगी और कब जायेगी।

एक माननीय सदस्य: उनियारा में भी गायब है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया है, बी पी एल शहरी आवास योजना। पिछले दो बजटों में इस योजना के बारे में बातें कही गई हैं। राजीव आवास योजना, शहरी आवास योजना और अब मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना। राजीव गांधीजी के नाम पर कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाकर पट्टे दिए जाएंगे और उनको आवास दिए जाएंगे, यह घोषणा 2010-11 के बजट में भी है और 2011-12 के बजट में भी है। अब इस घोषणा को रिपीट किया गया है। मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया था कि अजमेर की कच्ची बस्तियों का सर्वे करके क्या चिह्नित किये गये हैं कि कितने मकान आपको बनाने पड़ेंगे? उत्तर में 'नहीं' आया। इसका मतलब है कि घोषणा पर दो सालों में कोई काम नहीं हुआ।

अब वापस मुख्य मंत्री आवास योजना की घोषणा की गई है शहरों में। यह बात कही गयी है कि पचास हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बड़े ही मजाक का विषय बनाया गया है गरीब आदमी को। पचास हजार रुपये में क्या तो वह मैटेरियल खरीदेगा, क्योंकि आपने सब पर टैक्स लगाया है, लोहे पर टैक्स है, सीमेंट पर टैक्स है, अन्य सामग्री पर टैक्स है। तो पचास हजार में

(श्रीमती अनिता भदेल)

कैसे उसका मकान बनेगा? सरकार ने जो अफोर्डेबल स्कीम और बी एस यू पी में जो मकान बनाये हैं, उनकी कीमत भी कम से कम डेढ़ लाख रुपया है। डेढ़ लाख रुपये में भी वह पूरा मकान नहीं बना पाये हैं। तो कैसे पचास हजार रुपये की अनुदान राशि में बी पी एल परिवार मकान बना पायेगा? यह बहुत ही आश्चर्य की बात है।

इसके अतिरिक्त एक बात और इसमें कही गई है कि इसके लिए स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषदें लोन लेंगी। आज उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वे खुद के भी काम कर सकें। सफाई और स्ट्रीट रोशनी की व्यवस्था तक वे नहीं कर पाते हैं तो लोन लेकर कैसे बी पी एल परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया करा पायेंगे? यह ऐसी घोषणा है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

एक बात और आपने कही है, पिछले तीन सालों से सुनती आ रही हूं कि धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ेंगे। धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ना अच्छी बात है। हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यदि धार्मिक स्थानों पर आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी तो पर्यटन और बढ़ेगा तथा राज्य की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। लेकिन अजमेर जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं, प्रथम वर्ष 2009-10 में जब यह घोषणा हुई, तब से लेकर आज तक धार्मिक स्थानों के प्रस्ताव मांगे गये लेकिन उन स्थानों को आज तक नहीं जोड़ा गया। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय कहीं सुन रहे हों, तो उनसे निवेदन है कि उस 2009-10 की उस घोषणा को ही पूरा कर दें तो हम समझ जायेंगे कि हां, तीन वर्षों में सरकार को काम करने के लिए ध्यान तो आया। घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं रहनी चाहिए, काम होना चाहिए। मैं बार-बार इस बात के लिए आग्रह कर रही हूं कि आप पांच ही बातें कहें लेकिन पांच बातें पूरी तरह से आप उनको लागू करें, पूरी तरह से उन पर काम करें तब तो सरकार की वाहवाही है।

ये सारी जो योजनाएं हैं, आप बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन इसमें यह बात लिखी है कि आप सिर्फ दो वर्ष तक उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे या उसके नियोजन तक आप भत्ता देंगे। और एक बात आपने लिख दी कि जिनका एक साल पूर्व में रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हीं को हम..., तो यह राइडर्स क्यों लगाये गये हैं? यह राइडर लगाने का मतलब है, हम कम से कम, मतलब 'ऊंट के मुंह में जीरा' जितनी ही लोगों को सुविधा पहुंचाएं तो उससे सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार आम लोगों तक नहीं हो पाता और ना वे उसका

(श्रीमती अनिता भदेल)

उपयोग कर पाते और ना ही उनका फायदा उठा पाते। तो मेरा निवेदन है कि इन राइडर्स को दूर किया जाए।

एक बात और मैं विधवाओं के बारे में कहना चाहूंगी, महिला होने के नाते मेरा बहुत अधिक उनके प्रति आग्रह रहता है, विधवा महिलाएं यह चाहती हैं कि उनको पेंशन दी जाए लेकिन एक बहुत बड़ा राइडर उसमें लगा हुआ है कि 25 वर्ष से बड़ा उनका बेटा होगा तो उनको पेंशन नहीं दी जायेगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि कम से कम वे विधवा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए, उनके प्रति आग्रह रखते हुए इस राइडर को हटा दें तो उनको पेंशन मिल सकेगी। भले ही 500 रुपये उनको पेंशन मिले लेकिन उनको पेंशन का लाभ मिल जायेगा तो उनकी थोड़ी-बहुत स्थिति जो भी, जैसी भी है, उसको वे सुधार पायेंगी।

दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति के जितने भी छात्रावास संचालित हैं, उन सब छात्रावासों में या तो हास्टल वार्डन का पद स्वीकृत होने के बाद वहां पर पदस्थापन नहीं है। एक बात और कही गयी कि कम्प्यूटर दिये गये हैं उनको प्रशिक्षण के लिए। लेकिन आप देखिये कि उन बच्चों के रहने के लिए जो रूम्स हैं, उन रूम्स की भी इतनी कम संख्या है कि उनको खुद को रहने, उठने-बैठने और स्टडी के लिए जगह नहीं मिलती उन कमरों में। आपने कम्प्यूटर दे दिये, कम्प्यूटर टेबल पर रखे हुए हैं, रात को जब बच्चे सोते हैं तो कम्प्यूटर उठाकर के बाहर रखते हैं, फिर सुबह कम्प्यूटर उठाकर अन्दर रखते हैं। वे कबाड़ बन गये। तो या तो ऐसी व्यवस्था करें, जब आप कोई चीज दें तो उसके लिए पूर्व में सारी सुविधाओं का नियोजन वहां करें। आप कम्प्यूटर लैब बनाएं वहां पर अलग से, उसके लिए पैसा दें, उसके बाद कम्प्यूटर दें। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो तो हम उनका उपयोग कर पायेंगे, नहीं तो हम उनका उपयोग नहीं कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात कहकर के अपनी बात समाप्त करती हूं। बजट में अजमेर को बहुत सारी इससे अपेक्षाएं थीं। हमारे अजमेर के सब लोगों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखकर के एलीवेटेड रोड की मांग की थी क्योंकि अजमेर में जिस प्रकार से वाहनों की संख्या बढ़ी है, सड़कों पर दबाव बढ़ा है, उसके कारण से रोड एक्सीडेंट होते हैं। यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह भी किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह समझिये कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं, पूरे परिवार की

(श्रीमती अनिता भदेल)

मृत्यु है। उस कारण से हम यह चाहते थे कि अजमेर में एक एलीवेटेड रोड माननीय मुख्य मंत्रीजी देते। क्योंकि अजमेर एक ऐसा शहर है जो रेलवे के कर्मचारियों से बसा हुआ है और अजमेर शहर को रेलवे की लाइनें तीन-चार भागों में विभक्त करती हैं। मैंने आशा की थी कि आप आर.ओ.बी. देंगे तो अजमेर के लिए मिलेगा, एक एलीवेटेड रोड अजमेर के लिए दी जायेगी। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जब वे उत्तर दें तो कम से कम आर.ओ.बी. ना दें, तो एलीवेटेड रोड तो दें ताकि यातायात की जो इतनी भयंकर समस्या है, उसका हम समाधान कर पाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जो भी घोषणा करें, उनकी पूरी प्रोपर वे में मानिटरिंग हर तीन महीने में, हर 15 दिन में हम एक मानिटरिंग कमेटी बनाकर के उनकी मानिटरिंग करें कि कहां तक प्रगति हो पायी है या कितने लोगों को हम लाभ दे पाये हैं, कितने पैसों का हम उपयोग कर पाये हैं। तो शायद इस बजट में जो प्रोविजन किये गये हैं, उन प्रोविजन्स के माध्यम से हम आम जनता तक राहत दे पायेंगे। अन्यथा ये कोरी बातें कही हुई ही रह जायेंगी, इनको हम कार्य रूप में परिणत नहीं कर पायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री करण सिंहजी राठौड़।

श्री करणसिंह (छबड़ा): नमस्कार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल राजस्थान के आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उस पर काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह बजट जो पेश किया है, इस बजट के अन्दर अगर हम उठाकर के देखें तो इस बजट में उस गरीब के दर्द को, उस महिला, उस विधवा, निःशक्तजन, मंदबुद्धि, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, पत्रकार, अनाथ बच्चे, एस.सी., एस.टी., एस.बी.सी., उन सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया है। इस बजट में जो देखने को मिला है, आजादी के 64 साल बाद जिस तरह से गांवों में आज भी गरीब आदमी गरीब है और मोटा आदमी मोटा है, जब तक सामाजिक समानता पूरे देश के अन्दर नहीं रहेगी, जब तक दोनों का जीवन स्तर बराबर नहीं हो जायेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, अतः सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की बात इसके अन्दर की गयी। कभी किसी ने गरीब को छूने का प्रयास नहीं किया, कभी गरीब के दर्द को जानने का प्रयास नहीं किया, कभी निःशक्तजन और

(श्री करणसिंह)

मंदबुद्धि के बारे में किसी ने सोचा नहीं। विधवा पेंशन, गरीबों के इलाज की बात, और तो और, नि:सन्तान व्यक्ति हैं, आज तक किसी सरकार ने नि:सन्तान व्यक्ति के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने मानव समाज के बारे में तो सोचा ही सोचा, गरीब तबके के बारे में सोचा ही सोचा मगर उस व्यक्ति के बारे में भी सोचा जिसके बारे में आजादी के बाद आज तक किसी ने सुध नहीं ली, जिसका भगवान ही मालिक था।

मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इस बजट के अन्दर उन्होंने इन्सान के साथ-साथ पशुओं के बारे में भी सोचा। पशुओं को भी फ्री इलाज, मनुष्य का फ्री इलाज और साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा किया गया कि वन्य जीवों की जो दुर्घटना होती है, मुझे दर्द हुआ कि इस बार मेरे क्षेत्र के अन्दर 300 हिरणों की एक साथ मौत हुई है अत्यधिक बारिश के कारण और जब हिरणों की मौत हुई, हिरण तड़फ-तड़फ कर खेतों में भागते रहे और कुछ हिरणों को कुत्तों ने या जंगली जानवरों ने पकड़-पकड़ कर हमारे सामने, हमने खाते हुए देखा और हिरण, वगैरह जो जंगल के जानवर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनके बारे में किसी सरकार ने आज तक सोचने का प्रयास नहीं किया; वन्य जीवों के प्रति हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रेम दर्शाया, उनके प्रति जो सहानुभूति दर्शायी, यह आज तक किसी नेता ने सोचने का प्रयास नहीं किया। वन्य जीवों के साथ-साथ आसमान में रहने वाले पक्षियों को भी भोजन की व्यवस्था है, गोडावण जो विलुप्त प्रजाति है, उसके बारे में भी इसमें काफी जिक्र किया गया।

अब डिस्कशन में हम कमियां खूब निकाल सकते हैं। मैंने कटारिया साहब का स्पीच सुना तो उन्होंने कहा 41.7 प्रतिशत जी.डी.पी. कम हो गयी, इतना घाटा हो गया; गांव के आदमी को इस जी.डी.पी. से, घाटे से कोई मतलब नहीं है; उसको सुबह का भोजन चाहिए, उसको बीमार होने पर इलाज चाहिए, उसको पेट दर्द हो तो गोली चाहिए, रहने को मकान चाहिए और उसको मुफ्त इलाज चाहिए। जी.डी.पी. घट गयी, मैंने इसके पहले भी दूसरे नेताओं की स्पीच सुनी, राजस्थान की विकास दर कम हो गयी, आपका सिस्टम बिगड़ गया, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गयी; मतलब झूठ-माट के आंकड़े, पता नहीं, कहां से उठा-उठा कर के लाते हैं और सदन को गुमराह करते हैं। गांव का कोई आदमी नहीं जानता, 80 परसेंट गांव के लोग नहीं जानते कि जी.डी.पी. क्या

(श्री करणसिंह)

होती है। मैं विधायक बन के आने के बाद समझने लगा कि जी.डी.पी. क्या होती है। यह जी.डी.पी., यह कोई आदमी को रोटी खाने को नहीं देती। अच्छा राज वह होता है, लोकतंत्र वो होता है, डेमोक्रेसी वह होती है, राजा वह अच्छा होता है जिसके राज में प्रजा सुखी रहे। राजा अशोक, राजा विक्रमादित्य, सादा और ग्रेट, वे ही अशोक हमारे हैं।

आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, चिंता मत करो, ऐसा काम करने जा रहे हैं, हम इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कम से कम तीन साल में हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक भी कमी आपको नहीं दी बोलने की और जिस तरह का हम बजट लाये हैं, उसमें आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आप भी बोल रहे हैं कि बजट तो बहुत बढ़िया है, बजट में बोलने लायक कमी नहीं छोड़ी आपने, वास्तव में आप ठीक काम कर रहे हैं।

कटारिया साहब ने भी कहा है कि मुफ्त इलाज अच्छी बात है पर दवाई में गड़बड़ कमीशन है। अब कमीशन की करके फिर वापस इसको कटघरे में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कमीशन क्या, दवाई का सलेक्शन कौन कर रहा है, दवाई कहां से आ रही है, सुन लेना इस बात को कान खोलकर, पूरी जनता हमारी बात को सुन रही है, हमारे नेता का नाम है अशोकजी गहलोत, ना तो खाने देते हैं और ना खाते हैं। आपकी तरह नहीं हैं, जो तीन साल तक पूरा राजस्थान लुटता रहा, भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता रहा, 90-बी के नाम पर अराजकता फैलती रही, भय था, भ्रष्टाचार था, कोई राज नहीं था और उसके तहत जिस तरह के कार्यक्रम होते रहे, आपके नेताओं ने उंगली उठाई। स्व. नेता भैरोंसिंहजी शेखावत, मैं जाना नहीं चाहता उन चीजों में क्योंकि मेरी डिबेट का सारा मैटर रह जाएगा। इसलिए मैं उन बातों को छोड़ते हुए आपसे कहना चाहता हूं, नेता का चरित्र होना चाहिए, नेता का आचरण ठीक होना चाहिए और नेता की सोच गरीब जनता के प्रति होनी चाहिए। जब तक गरीब जनता के प्रति सोच नहीं होगी, वह राजा राजा कहलाने लायक नहीं होता है। कभी सोचा था आपने, नि:सन्तान व्यक्ति के बच्चा होने के बारे में आप सोचेंगे, मुफ्त इलाज कभी सोचा आपने, मुफ्त मकान, मुफ्त लाइट, दो रुपये किलो गेहूं? आपको कहीं बोलने का मौका नहीं देंगे, इस तरह की हमारी योजनाएं चल रही हैं।

मंद बुद्धि लोगों के लिए छात्रावास; विधवाओं के लिए अभी बात कर रही थीं बहनजी हमारी, अच्छी बात थी, मैं समर्थन करूंगा उनका, विधवाओं

(श्री करणसिंह)

को पेंशन मिलनी चाहिए। निराश्रित लोग आज भी परेशान हैं गांवों में, उनके लिए पांच वृद्धाश्रम खोलने की हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। सारी चीजें हम उठा-उठाकर देखते हैं और मैं एक-एक चीज पर बोलूंगा तो काफी लम्बा समय लगेगा, फिर भी कुछ पाइंट्स का मैं यहां जिक्र करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, इसका मतलब जानते हैं, मानसिक विमंदित क्या होता है? जिस मां-बाप के मानसिक विमंदित बच्चा होता है, उससे पूछो, वे बच्चे को कैसे पालते हैं। कभी वह इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है; मां उसको गोदी में लटकाए फिरती है; ना मां-बाप जी सकते हैं, बच्चा मरने लायक होता नहीं है। उसको कौन पालेगा? उसको पालने के लिए या उसको जिन्दा रखने के लिए, उसका जीवन गुजारने के लिए अगर किसी ने योजना बनाई है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बनाई है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

ऐसे काम किये हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। इसी तरह से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में वृद्धाश्रम स्थापित किये। गांव-गांव जाते हैं, आजकल सन्तानें इस तरह की हो गयी हैं कि मां-बाप की सेवा नहीं करती हैं और मां-बाप की प्रोपर्टी पर कब्जा करके उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। आप भी मेरे हाड़ौती क्षेत्र के हैं, जब गांवों में जाते हैं और देखते हैं कि सुबह-शाम के भोजन के लिए मां-बाप घर के बाहर तरसते रहते हैं और बहू-बेटे पलंग पर बैठकर खाना खाते रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं। यह हमारी सबकी तकलीफ है। उनको कौन पालेगा? उनके लिए वृद्धाश्रम जैसी योजनाएं बनाईं, मैं इसको भी तारीफ के काबिल मानता हूं।

कुष्ठ रोगी, इनके बारे में तो सरकार ने सोचा ही नहीं कभी। आप तो जी डी पी की बात करते हो, बस। यह बंद कमरे में जी डी पी, यह हमारी प्रमिलाजी कुण्डारा बैठी हैं, इनसे पूछो जी डी पी क्या होती है; बता नहीं सकतीं, जी डी पी क्या होती है, नहीं जानतीं, अब जानने लगी हैं। यह जी डी पी-वी डी पी रोटी नहीं देगी लोगों को। गांवों में अभी भी अस्सी परसेंट तबका गरीब है। उनको चाहिए भरपूर भोजन, उनके घर में खुशी होनी चाहिए। उनको दो रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, उनको लाइट मिल रही है, उनको मुफ्त इलाज मिल रहा है। यह आवश्यकता थी, वह हमारी सरकार कर रही है।

नि:शक्तजन को पेंशन, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कहूंगा कि नि:शक्तजन का सर्वे हुआ है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा काम किया

(श्री करण सिंह)

और नि:शक्तजन को पेंशन मिलनी चाहिए। नि:शक्तजन को कई नियम-कायदों के तहत सभी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि सर्वे कराने के बाद सोलह-सत्रह लाख की पूरी फिगर है, सबकी पेंशन बांध देनी चाहिए, यह मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है। यह धरम का काम और करना पड़ेगा।

दूसरा धरम का काम और मांग लेता हूं आपसे कि राजस्थान की जितनी विधवा महिलाएं हैं, जो ऊंचे घराने की हैं, वे पेंशन नहीं मांगती हैं; मत मांगो मगर कोई माता विधवा अपना एफेडेविट देकर के पेंशन मांगती है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसकी पेंशन बांध देनी चाहिए। यह काम होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं। इससे बड़ा धरम का काम कोई नहीं होगा। मैं आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने राजपूत समाज के सम्मेलन में कहा था कि ठाकरों, विधवा महिलाओं की सेवा करना सीख जाओ, उन पर ध्यान देना सीखो, नहीं तो उनके शाप से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि विधवाओं की पेंशन के बारे में आप भी ध्यान दें, आपने नहीं किया, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विधवाओं की पेंशन, चाहे कोई भी हों, उनको पेंशन बंधनी चाहिए।...(व्यवधान)औलाद वाला भी ठीक किया। जो भी हो, आप भेज देना; जो भी होगा, उसका इलाज पूरा ठीक करायेंगे। चिन्ता मत करो आप।

निराश्रित संबल योजना। यह आप देखिये, समाज कल्याण के माध्यम से जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने काफी योजनाएं दी हैं, ये सब तारीफ के काबिल हैं। चाहे अल्पसंख्यक वर्ग ले लें, चाहे एस सी, एस टी वर्ग ले लें। बार-बार एक शब्द पर हमारी विपक्ष की नेता ने बोला कि एस बी सी। जब हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार इसको क्लिक किया तो थोड़ा उनको बुरा लगा। यह विशेष पिछड़ा वर्ग हमने बनाया है, इनको बहुत कुछ उम्मीद हमारे लोगों से है। उनके लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने जो योजना दी एस बी सी को, वह भी तारीफ के काबिल है। एस बी सी, एस बी सी किया जा रहा था तो यह इसलिए किया जा रहा था कि हमने उनके लिए 200 करोड़ का प्लान पहले दिया था और, उपाध्यक्ष महोदय, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो जातियां शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती थीं, वे इस माध्यम से अब जागरूक हुई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, इन्होंने पिछले बजट में

(श्री करणसिंह)

सांसी, कंजर, गाड़िया लुहार, ऐसी जातियां जिनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजना चलाई, नवजीवन योजना, उससे जनता को काफी लाभ मिला है। पर कई जातियां राजस्थान में अभी ऐसी हैं जो इस लाभ से वंचित हैं, उनका सर्वे कराकर के उनको जोड़ा जाए।

मैं ऊर्जा क्षेत्र की बात करता हूं। अभी कटारिया साहब ने कहा था कि एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं करती तो इनकी सरकार के जाने के बाद और हमारी सरकार के आने के बाद जो गैप पैदा होता है डिमांड का, वह हम पूरा नहीं कर पाते। इस साल भी हमारे किसानों को हमने बिजली कहीं से लाकर दी और कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली के जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो अभी मैं पूना था एक राजस्थानी महोत्सव में, तो वहां के लोगों ने कहा है कि हम सौर ऊर्जा पर आपके यहां जो प्लांट आ रहे हैं, उनमें लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अमेरिका, जर्मनी, जापान और पूरे विश्व के लोग हमारे राजस्थान भगकर के प्लांट लगाना चाह रहे हैं। तो आप समझ जाना, राजस्थान की तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी। कमी हम कुछ भी निकाल सकते हैं, आज व्यवस्था कम हो सकती है, आज बिजली का उत्पादन कम हो सकता है, प्लांट हमारा लेट हो सकता है पर आने वाला समय, भविष्य हमारा और राजस्थान की जनता का सुरक्षित और बेहद खुश होगा। किसानों को कहीं परेशानी नहीं होगी, आम जनता को पूरे टाइम लाइट मिलेगी, यह हमारी सरकार की देन रहेगी, हमारे मुख्य मंत्रीजी की देन है, चाहे आप जी डी पी दर कितनी ही कम करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा; आपने सौर ऊर्जा में कुछ काम नहीं किया राजस्थान में, पवन ऊर्जा में कोई काम नहीं किया, बायो-मास में आपने कोई काम नहीं किया और जो प्लांट आपने लगाये, उनका भी काम हमारे कार्यकाल में प्रारम्भ हुआ।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइट के दृष्टिकोण से हमारे मुख्य मंत्रीजी की योजना है, तहेदिल से तारीफ के काबिल है पर इसमें मेरा सुझाव है बिजली उत्पादन के बावजूद भी गांवों में विद्युत सप्लाई ठीक नहीं हो पाती है। गांव-गांव में लाइट की पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं, पुरानी लाइन बिछी रहने से लाइटों के तार टूटते हैं, कई किसानों की खेत में काम करते-करते मौत होती है। इसको जब हम देखते हैं, तार टूटने से मर गया, बिजली का

(श्री करणसिंह)

तार ढीला होने से मर गया या अधिक करंट आने से चिपक कर मर गया, हजारों किसानों की मौत इस नेग्लीजेंस के कारण होती है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस बात को मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। गावं के किसान को डी बी ट्रांसफार्मर ठीक टाइम पर नहीं मिलता है। सरकार से अलाटमेंट कराकर अधिकारी लोग ले जाते हैं और वह ट्रांसफार्मर टाइम पर नहीं पहुंचता। इसमें काफी करप्शन होता है। मैं सरकार होने के बाद भी इस बात को उठा रहा हूं कि इस करप्शन को दूर किया जाए और किसान को राहत दी जाए।

तीसरी बात मैं आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गरमी का मौसम आने वाला है, कई गांवों में पानी के बिल पंचायतें जमा नहीं कराती हैं। स्कीम होती है पी एच ई डी की और वह बिजली कट जाती है। तो गरमी की व्यवस्था को ध्यान में रखकर के पेयजल के लिए बिजली उपलब्ध कराना अनिवार्य है, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। यह मेरी भावना मुख्य मंत्री तक पहुंच जाए।

साथ ही साथ मैं कृषि के क्षेत्र में भी बोलूंगा। कृषि के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी बजट में घोषणा की है। इस बार खाद का क्राइसिस रहा है। खाद का जबरदस्त क्राइसिस रहा है और किसान परेशान रहे हैं। खाद के लिये सरकार ने भण्डारण करने की बात की है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि व्यवस्था पहले से होनी चाहिये ताकि किसानों को समय पर खाद मिले। किसानों को खाद, बिजली, पानी और बीज समय पर चाहिये। इसके लिये हमारी सरकार को जो कमियां हैं, उनको दूर करने का विचार करते हुए योजना बनानी चाहिये।

मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में लहसुन होता है और लहसुन का भाव बहुत डाउन हो गया है। इस बार क्षेत्र में लहसुन की बम्पर क्राप आ रही है। तो लहसुन की फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिये। अभी मेरे साथियों ने भी कहा है, टमाटर का भाव ठीक नहीं मिलता है, फल, सब्जी का भाव ठीक नहीं मिलता। सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार यह कहती है कि सब्जी का समर्थन मूल्य नहीं होता है, समर्थन मूल्य तो नहीं होता पर सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, कोई चीज को खरीदने की व्यवस्था करे। आजकल रिलायंस वाले, सब्जी वाले, बड़ी-बड़ी बाहर की कम्पनीज आती हैं, तो सरकार खरीदकर उन कम्पनीज को दे ताकि किसानों को वह फायदा मिल जायेगा। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

(श्री करणसिंह)

साथ ही किसानों को जो तकलीफ होती है, उनके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान ज्यादातर समस्याओं की ओर ले जाऊंगा।

इस बार बजट काफी अच्छा दिया है, सड़कों के बारे में ठीक दिया, शिक्षा के बारे में ठीक दिया। शिक्षा के बारे में सब कुछ ठीक दिया है पर एक थोड़ी सी कमी जो रही है, माननीय सदस्य सभी चाहते होंगे, जो सेकंडरी स्कूल हैं, वे सीनियर सेकंडरी स्कूल होने चाहिये, यह तोहफा मिलना चाहिये, हम सब लोगों की इच्छा है। सारी व्यवस्था आपकी ठीक है। आपने बच्चों को पढ़ने के लिये लैपटाप दिये, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिये आपने छात्रवृत्तियां दी हैं, आपने मिडल स्कूल को सेकंडरी स्कूल किया है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर जो कमी है उसको मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि सेकंडरी स्कूल को सीनियर सेकंडरी स्कूल किया जाये ताकि हमारी एक जो डिमांड है, वह पूरी हो सके।

साथ ही मैं वाटर सोर्स के बारे में बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाड़ौती के रहने वाले हैं, हाड़ौती औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे है; विद्युत उत्पादन में हम नम्बर वन होने जा रहे हैं; पानी के वाटर सोर्स हमारे पास हैं; ब्राडगेज रेल लाइन हमारे पास है; कृषि उत्पादन हमारे पास है और कृषि पर आधारित उद्योग के स्कोप हमारे क्षेत्र में काफी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बजट में हमारे क्षेत्र में वाटर सोर्स के बारे में हाड़ौती में कोई विशेष योजना नहीं बन पायी। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि पानी बहकर निकलता है, आंखों के सामने पानी जा रहा है और लोग पानी के लिये लड़ रहे हैं। हमारा पानी भीलवाड़ा ला रहे हैं, कोई टौंक ला रहा है, कोई बूंदी ला रहा है पर जो हमारा पानी बहकर निकल रहा है, उसको बचाने के लिये तो आप कम से कम योजना बनाएं ताकि पूरे राजस्थान का भला हो सके। पूरी जनता का भला हो सकेगा और किसान भी सम्पन्न हो पायेगा, राष्ट्र भी सम्पन्न हो पायेगा और हम भी आगे बढ़ पायेंगे।

इन्हीं के साथ में पंचायत राज के बारे में बोलना चाहता हूं कि पंचायत राज के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट देकर एक अच्छा सिस्टम जमाया है। नयी भर्ती की बात भी की। राजीव गांधी सेवा केन्द्र जो बन रहे हैं, उनके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पंचायत स्तर पर भी व्यवस्था की है। उस गांव के गरीब आदमी को इंटरनेट

(श्री करणसिंह)

से जोड़ने की बात की है। राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का सफल संचालन करने के लिये नाबार्ड के माध्यम से कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को बैठाने की जो बात की है, वह तारीफ के काबिल है। आज तक की सरकारों ने इस बात को नहीं सोचा। लेकिन इसमें जो कमी रही है, मैं वह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। गांवों से दूर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने हैं; उसकी सुरक्षा करने का उपाय भी सरकार को सोचना पड़ेगा; उनमें बड़ी-बड़ी मोटर रहेगी, बैटरी रहेगी, ढाई लाख के उपकरण रहेंगे, कहीं वे चोरी न हो जाएं और विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथियों को लोगों को मौका मिल जायेगा कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र फेल हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाड़ौती के हैं, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान रखें। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, आपके हित की ही सारी बात बोल रहा हूं। आपको भी मौका उधर मिल गया और मुझे इधर मिल गया। दोनों की जोड़ी पहले से है ही। ईश्वर की दया से सब काम ठीक चलेगा।

132 का जी एस एस मेरे छबड़ा में, माननीय बिजली मंत्रीजी से कहूंगा कि डिमाण्ड है। मेरे यहां बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं हो पाती है, अतः यह खोला जाए।

छबड़ा में पेयजल योजना होनी चाहिये। इसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार काफी क्राइसिस रहा है, पानी की योजना बननी चाहिये।

बोलने के लिये मेरे पास काफी बातें है पर आप समय देंगे नहीं।

इसमें बहुत बड़ी चीज कही गयी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये मानदेय बढ़ाया है। यह भी खुशी की बात है। आपने खेल मैदान के लिये 10-10 लाख दिये। यह अमाउंट थोड़ा कम है। एक ब्लाक पर 10 लाख में खेल मैदान नहीं बन पायेगा। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से कहेंगे कि 10 लाख की जगह इस अमाउंट को 20-20 लाख करना चाहिये। 10 लाख में तो बाउंडरी हो पायेगी। न वह काम हो पायेगा, न पैवेलियन बन पायेगा। तो ऐसा ही कार्यक्रम दिखेगा। फिर कटारिया साहब जी डी पी की बात करेंगे और कमियां निकालेंगे। इसलिये इनको इस तरह की बात बोलने, जी डी पी का मौका ही मत दो; जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी हमको नजर नहीं आनी चाहिये।

(15.46 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री करणसिंह)

मुफ्त इलाज के लिये मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को, मुफ्त इलाज के लिये जो योजना चलायी है, उसमें अब कोई कमी नहीं है। हमें कुछ दवाई कई जगह उपलब्ध हो पाती हैं और कुछ कम उपलब्ध हो पाती हैं। इससे इस योजना को फेल करने के लिये हमारे विपक्ष में बैठे साथी भ्रम फैला सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। दवाई खराब हो सकती है, डाक्टर अवेलेबल नहीं हैं, इस तरह की बात करने का मौका नहीं दें। उस योजना को सफल क्रियान्वित करने के लिये हमको पूरी मानिटरिंग करनी चाहिये। मैं उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम गरीब आदमी जो इलाज के लिये तरसता था, जिसकी जेब में पैसा नहीं होता था और हास्पिटल आने के लिये उसको सोचना पड़ता था, उस आदमी की जान बचाने का काम अगर किया है तो हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किया है। सारे काम किये उन्होंने, चाहे जननी सुरक्षा योजना है, जननी को भी बचाया, शिशु को भी बचाया और शिशु का इलाज भी एक महीने तक के लिये करने का प्रावधान करके हमारे गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है।

मैं सारी योजनाओं की तारीफ करते हुए और मुझे आपने बोलने का जो मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। वन्य जीव प्राणियों का इलाज, पशुओं के लिये इलाज, इन्सान के साथ-साथ पशुओं के इलाज की बात की गयी। आज तक किसी ने जीवन में सोचा ही नहीं होगा कि कोई पशुओं के बारे में भी सोचेगा। तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पशुओं का इलाज फ्री करके ऐसा सन्देश दिया, इससे गौशाला में सेवा करने वाले, गांव के पुजारी, गायों को पूजने वाले, गाय के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को एक बहुत बड़ा तमाचा मिला है और गाय की सेवा करने का जिम्मा अब कांग्रेस ने लिया है। इसके लिये मैं गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही नि:शक्त जन के इलाज के लिये आपने काम किया है, वह भी बहुत बेहतरीन काम है। इसके साथ जो लोग छोटे तबके के हैं, उनके लिये भी आप करने का पूरा प्रयास करें। आपके माध्यम से विधवाओं को पेंशन, मेरी काफी तमन्ना है, चाहे वह कोई सी विधवा हो, उसका बेटा 25 साल का क्यों नहीं हो गया हो, उसके दर्द को पहचानने की जरूरत है। माता रोती है। जब हम मीटिंग में जाते हैं तो 15-20 महिलाएं लाठियां टेक-टेक कर आकर बैठ जाती हैं, वे नियमों में पात्र नहीं पायी जाती हैं तो वापस जाती हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती है। वह हमें शाप देती हैं। इसलिये उनके शाप से बचने के

(श्री करणसिंह)

लिये उनकी पेंशन बननी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा, एक काम भला और कर दें, बाकी आप 5 साल बाद करें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, बजट की चर्चा चल रही है लेकिन सरकार इसमें जरा भी संवेदनशील नहीं लग रही है, वह इसलिये कि अब जाकर कहीं एक और मंत्रीजी यहां आ गये हैं, अदरवाइज पूरी बेंचेज खाली पड़ी हैं।

कल जो सरकार ने बजट रखा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक ही लग रहे हैं क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अच्छा, एक बराबर वन टू। सबके बराबर हैं क्या? चलिये।

कल बजट रखा है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। 2 घण्टे 40 मिनट का भाषण उनका हुआ और पूरे राजस्थान की जनता उस बजट भाषण को सुन रही थी। टी वी के ऊपर भी उन्होंने सारी बातें देखीं और सोचा कि बहुत कुछ हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन इस राजस्थान की जनता को बहुत ही हताशा हुई, जब सब चीजों का विश्लेषण हुआ और सारी चीजें जब खुलकर सामने आयीं कि वास्तव में बजट के अन्दर जो सारी बातें की गयी थीं, जो सारी घोषणाएं की गयी थीं, उन सब घोषणाओं का वास्तविक स्वरूप क्या है। उस वास्तविक स्वरूप को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जिस तरीके से कल सदन के अन्दर इतनी सारी तालियां बजायी गयीं और सभी ने सोचा कि इससे अच्छा बजट तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उस बजट की समीक्षा में हम लोगों को बहुत निराशा हुई। आज अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन्होंने बजट रखकर कल वाहवाही लूटी थी, वे खुद भी और उनके कुछ ऐसे प्रिय मंत्री लोग भी यहां पर बैठते, जो उनको बात पहुंचाते, क्योंकि इतनी सारी जो चर्चाएं हुई हैं, उस चर्चा में अच्छा-अच्छा सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें कुछ और नये काम होने चाहिए, कुछ और अच्छे सजेशन भी मिल रहे हैं, उन सजेशंस को कौन नोट कर रहा है, यह मुझे नहीं पता। मैं तो मुख्य मंत्रीजी के लिए यही कहूंगी कि जो उन्होंने कल कहा, उससे तो यही प्रतीत होता है कि, 'मेरा मुंह मेरी जुबां, मुझ पर किसी का जोर क्या। शिकवा ए बेदाद बेजा है तो बेजा ही सही'। वे तो बोलकर गये अब हम लोग उसकी समीक्षा करते रहें। लेकिन वापस आकर अपनी रिप्लाई में वे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमारी बातों को जोड़ें तब तो लगेगा कि वास्तव में यह बजट की जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा का कोई सार्थक अर्थ है। अदरवाइज हम लोग यहां पर बैठकर चर्चा में भाग ले रहे हैं, चर्चा में कह रहे हैं लेकिन उसका कोई परिणाम निकले तब तो बात भी सही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का यह प्रयास कर रही हूं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राज्य का राजकोषीय घाटा बहुत कम हुआ है। वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा 4,126 करोड़ रुपये है, 2011-12 में यह संशोधित अनुमान का घाटा 7,687 करोड़ रुपये है और 2012-13 के अन्दर यही घाटा 8,650.60 करोड़ रुपये है। अब आप यह बतायें कि सरकार का जो आयोजना व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों में भी यह कम है; बजट में 63,146 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियों के समक्ष आयोजना व्यय जो है, वह मात्र 20,986 करोड़ रुपये ही है। व्यय को अगर हम देखें तो यह जो सामान्य खर्चा है, उधार लेकर सरकार यह सामान्य खर्चा कर रही है। यानी कहना चाहिए कि हम लोग घी तो पी रहे हैं लेकिन उधार का। विकास करना चाह रहे हैं, विकास करेंगे ऐसा बार-बार कहा जाता है लेकिन वह विकास कितना हो रहा है?

सभापति महोदय, वास्तविक उपलब्धियां हमारी क्या हैं, इसका एक नजारा आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहती हूं। सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में कहा कि हमने 12,726 करोड़ रुपये का प्रावधान वार्षिक योजना में किया है। इसमें यह भी कहा कि 9,780 करोड़ रुपये विद्युत कंपनियां अपने आंतरिक संसाधनों से जुटायेंगी। इस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान मात्र 2,946 करोड़ रुपये का ही किया और बाकी यह कहा कि यह सारा विद्युत कंपनी अपने स्तर पर जुटायेंगी। आज स्थिति यह है कि विद्युत कंपनियां सरकार के कहे अनुसार भारी घाटे में चल रही हैं। यह रियलिटी है कि इतने घाटे में चल रही हैं। ऐसे में आंतरिक संसाधनों से 9,780 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ये कहां से जुटायेंगी? इसके बारे में सरकार जब अपना यहां पर उत्तर पेश करे, तब दे तो ठीक होगा। यानी वास्तविक व्यय तो 3,000 करोड़ रुपये का, लेकिन झूठी वाहवाही के लिए यह आंकड़ों की बाजीगरी की गयी है।

सभापति महोदय, अब इसके अन्दर और वास्तविक उपलब्धियों का उल्लेख करूं तो यह वास्तविक उपलब्धि होगी कि सरकार ने पेयजल के लिए

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

24 योजनाओं की घोषणा की है, ये योजनाएं लगभग 5,200 करोड़ रुपयों की होंगी किन्तु वार्षिक योजना में पेयजल के लिए प्रावधान कितना किया है? वह मात्र 1,395 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यानी योजनाएं बनाते हैं 5,200 करोड़ की और प्रावधान रखा 1,395 करोड़ रुपये का। उक्त योजनाओं की कहां से क्या पूर्ति होगी, इसका कोई पता नहीं। यहां पर 300 से अधिक घोषणाएं की हैं और उन योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों को अगर देखें तो उसके ऊपर सरकार बिलकुल मौन है; क्या उनकी भौतिक उपलब्धि हुई, उसका कुछ नहीं।

सभापति महोदय, तीन साल के बजट सुने हैं, चौथे साल का और सुन लिया। चार सालों के इन बजट भाषणों को अगर हम उठाकर देखते हैं तो वे भाषण रिपीटेड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है। हर बजट भाषण में जो एक बात सामने दिखती है, वह यह कि फलां योजना की घोषणा, यह घोषणा, लेकिन हम जब दूसरे वर्ष में बजट रखते हैं तो क्या हम पिछले बजट की भौतिक उपलब्धियों की भी बात करते हैं? जैसे अभी कहा कि कुछ योजनाएं चलती हैं, कुछ योजनाएं बंद हो जाती हैं, उसकी भी कहीं चर्चा नहीं होती कि योजना चालू क्यों की थी और बंद क्यों हो गयी पता ही नहीं।

सभापति महोदय, इस तरीके से जो यह बात करते हैं, जैसे 2009-10 के बजट भाषण में सरकार ने कहा, 5,000 ए एन एम, 540 चिकित्सकों की भर्ती करेंगे, 1,400 परिचायकों की भर्ती करेंगे और 17,229 शिक्षकों की, 4,500 कम्प्यूटर प्रशिक्षकों की और मदरसों में 2,500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती का सपना उन्होंने दिखाया था। सरकार ने कहा था कि प्रति वर्ष 12,000 पद शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होते हैं, उनके ऊपर भी हम भर्ती करेंगे। अगर यह सारा उठायें तो 2011-12 के बजट में सरकार ने 50 हजार शिक्षकों की भर्ती का सपना दिखाया।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): पढ़ा हुआ मान लें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पढ़ा हुआ तो सब मान लें आप। आप कहें, तो हम कहें ही नहीं कुछ। आप कहें, तो हम बैठ जायें; अगर आपको केवल अच्छाई ही अच्छाई सुननी है। लेकिन आपको इसकी समीक्षा के लिए थोड़ा बहुत भी अगर लगता है तो जरा इस पर चिंतन करिये कि हम क्या-क्या घोषणाएं कर रहे हैं।

2009-10 में हम कह रहे हैं कि इतनी भर्ती करेंगे, 2010-11 में हम कह रहे हैं कि इतनी कर रहे हैं, 2011-12 में हमने कहा कि 50 हजार शिक्षकों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की भर्ती करेंगे और अभी आपने भाषण में कहा कि 1 लाख शिक्षकों की भर्ती और करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाये तो आपकी जो भर्ती है, वह 3 सालों के अन्दर तो 1 लाख हो गयी और यह चौथे साल में और आपने कह दिया कि 1 लाख। धरातल पर जाकर के देखो कि कहीं एक शिक्षक की भी भर्ती हुई है क्या? जब आप यहां यह बात कहते हो, बजट भाषण पढ़ा जाता है और कहते हैं कि इतने हजार शिक्षकों की भर्ती होगी तो एक उम्मीद की किरण जागती है पूरे राजस्थान के शिक्षकों के मन में। एक मां-बाप के मन में उम्मीद जागती है कि मेरे बेटे की अब की बार तो जरूर नौकरी लग जायेगी। लेकिन पता लगता है कि वर्ष के लास्ट में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। तीन, चार साल हो गये इस जनता को छलावा देते हुए। चौथे साल भी आपने बजट के अन्दर घोषणा करके तालियां तो पीट लीं, लेकिन क्या एक शिक्षक की भी भर्ती के बारे में समीक्षा की? आज तक हमने क्या घोषणा की थी, इतने सारे लोगों को कि हम ए एन एम की भर्ती करेंगे, सबकी करेंगे, क्या-क्या कर लिया आपने? यह दिखाता है कि कुछ भर्ती नहीं हुई है। वह फैक्ट सामने है।

सभापति महोदय, आपने कहा कि हम ग्रामीण निर्धन आवास योजना बनायेंगे। योजना बनाई आपने? आपने पिछले वर्ष कहा था कि 1,400 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 80 हजार आवास उपलब्ध करवाने की हम घोषणा करते हैं। हुआ क्या? 2012-13 और 2013-14 में भी, और उसी साल कहा था, पिछले साल आपने कि 2012-13 और 2013-14 तक 2-2 लाख और अतिरिक्त आवास इस योजना में स्वीकृत किये जायेंगे। यानी लास्ट ईयर ही आपने यह कह दिया। इस सबके बाद में आप मुझे बता दो कि अगर इस सबको हम लेते हैं तो आज तक हमने कितने आवास उपलब्ध करवाये? आज भी जो आवास उपलब्ध हुए हैं, उनमें भी यह स्थिति है कि जो आपने घोषणा की थी कि हम 45 हजार रुपया मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत एक व्यक्ति को पहुंचायेंगे, उसमें पहली किश्त 25 हजार की मिली और दूसरी किश्त का पता नहीं। व्यक्ति मकान तोड़कर बैठा है कि नया मकान बनायेंगे, ईंट के दाम बढ़ गये, सीमेंट के दाम बढ़ गये, लोहे के दाम बढ़ गये; उस 45 हजार रुपये में उसका एक कमरा नहीं बनता। उसमें आपने कहा कि हम लोग राजीव गांधी आवास योजना, हमारी मुख्य मंत्री आवास योजना, यह सारी आवास योजना बी पी एल को हम लोग घर बनाकर देंगे। आपने एक मजाक कर रखा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है इन योजनाओं के नाम पर। मजाक हो रहा है उस गरीब का। कांग्रेस केवल नारा देती है गरीबी हटाओ, देश बचाओ, लेकिन कौनसी गरीबी हटा दी? बी पी एल को तो कहते हो कि 22 रुपये अगर तुम्हारी जेब में हैं, तो तुम बी पी एल

(16.00 बजे)

की श्रेणी से ऊपर आ गये। यानी कैसा मजाक उस गरीब से इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। राजस्थान में आप बैठकर योजनाओं पर योजनाएं बनाते जा रहे हैं लेकिन गरीब को उनका फायदा कहीं नहीं मिल रहा। इस बारे में जरा सोचने की आवश्यकता है।

आप लोगों ने जयपुर मेट्रो के लिए 9,700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। अब जयपुर में मेट्रो के लिए जितने भी, वायेबिलिटी के जो सारे मानदण्ड थे, उन पर देखा, उन सारे मानदण्डों के अंदर यह चीज आई थी कि यह वायेबल नहीं है। उसके बाद भी एक बात हो गई कि हमने कहा है, इसलिए हम मेट्रो तो बनाएंगे। अब 9,700 करोड़ रुपये तो यहां की मेट्रो के लिए रखने के लिए तैयार हो लेकिन मेवाड़, जिस मेवाड़ के लिए आप कहते हो कि मेवाड़ के लिए मन में बड़ा दर्द है, जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए मन में बड़ा दर्द है, वहां की एक लम्बित योजना जो बड़ी सादड़ी से लेकर, मावली से होते हुए वाया भीम, ब्यावर होते हुए मारवाड़ जंक्शन तक जानी है, उस रेल लाइन के लिए मात्र 800 करोड़ रुपये चाहिए। उन 800 करोड़ रुपयों में भी केवल 400 करोड़ रुपये यदि राजस्थान सरकार दे दे तो केन्द्र की सरकार उस योजना को स्वीकृत कर देगी। लेकिन 9,700 करोड़ रुपये से जयपुर में मेट्रो लाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन 800 करोड़ रुपये देकर वहां बड़ी लाइन खिंचवाने के लिए तैयार नहीं हैं, वहां पर बड़ी लाइन के लिए जिसमें राजस्थान सरकार को केवल 400 करोड़ रुपये देने है। यानी आपकी सोच क्या है, मुझे पता नहीं है लेकिन सोच पहले जब मुख्य मंत्री बने थे अशोक गहलोत जी तो उन्होंने कहा था कि छोटी-छोटी योजनाएं लाकर हम पूरे राजस्थान को लाभांवित करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि बहुत सारी बसें खरीद रहे हैं, 1,000 नई बसें हम खरीद रहे हैं, ऐसा आपने पिछले बजट भाषण में कहा। राजसमन्द, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उस राजसमन्द में आपने एक डिपो भी दिया पिछले बजट में। लेकिन हालत क्या है, एक वर्ष हो गया उस डिपो को और 6 बसें, मात्र 6 बसें मिली हैं उस डिपो को। इसके बारे में कहते हैं कि और अभी खरीद रहे हैं, नई बसें आएंगी तब हम यहां पर भिजवाएंगे, अभी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चल रहा है। यानी कब तक यह चलेगा, यह पता नहीं। पिछले बजट में घोषणा हुई, 1,000 नई बसें और पहुंच रही हैं। राजसमन्द जिले में मात्र 6 बसें, वह भी डिपो स्वीकृत करने के बाद में, यह हालत है।

उदयपुर में तीन साल से जो सारी सिटी बसें हैं, वे सारी सिटी बसें बंद पड़ी हुई हैं। बारम्बार यहां पर आवाज उठाते रहे, चाहे पर्ची के माध्यम से हो, चाहे वह प्रश्न के माध्यम से हो कि सिटी बसें शुरू करवाओ और मंत्री यहां बैठकर जवाब देते हैं कि हमने टेंडर कर दिया है, बहुत जल्दी सिटी बसें शुरू हो जाएंगी। दुर्भाग्य है कि तीन साल हो गये, उदयपुर में सिटी बसें बंद पड़ी हुई हैं। सरकार को उससे कोई लेना-देना नहीं है, यहां पर केवल घोषणा करनी है कि हम इतनी बसें चला रहे हैं और इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं।

अगर क्षेत्रीय असंतुलन को देखें विकास के अन्दर तो आपने यह तो घोषणा की कि हम लोग बहुत सारे न्यायालयों की स्थापना, खण्ड पीठ की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन उदयपुर में वहां के जनजाति क्षेत्र का 60 साल से आंदोलन चल रहा है कि हमें यहां पर हाई कोर्ट की बेंच दे दी जाए लेकिन उस हाई कोर्ट की बेंच को आप उदयपुर को नहीं दे पा रहे हैं और घोषणा करते हो कि हम लोग संतुलित और पूरे प्रदेश का बराबर से विकास कर रहे हैं। यह कौनसा संतुलित विकास है? इसमें साफ दिख रहा है कि कितना असंतुलन है। आप हमारी सारी बातों को नजरअंदाज करके केवल घोषणा करते हो कि हम सब के लिए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप सबके लिए हो।

सड़कों के लिए जो आपने घोषणा की, आपने कहा कि 250 तक की आबादी के गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। अब यह घोषणा तो जब पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री वसुन्धराजी थीं तभी उन्होंने कहा था। इसके अलावा जो मेगा हाइवे बनाने हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि मेगा हाइवे बनेंगे। अब वे सारी घोषणाएं उनकी थीं, टेंडर हो चुके थे, उन सबको कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? केवल यह मन में सोच कि अगर अभी हमने इसी टेंडर पर वर्क आर्डर दे दिया तो जनता यह कहेगी कि यह तो वसुन्धराजी के समय की सड़कें हैं, यह तो वसुन्धराजी ने इन सड़कों के बारे में टेंडर किया था इसलिए श्रेय वसुन्धराजी को मिल जाएगा। इसलिए उनको कैंसिल करके आप दो साल बाद वापस उन्हीं को लेकर आए। हम 16 मेगा हाइवे बना रह हैं, हम यहां पर 250 की आबादी के सब गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे, ये बातें तो पहले हो चुकी थीं। अगर तीन साल में ये सड़कें सरकार ने बना दी होतीं तो आज

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

राजस्थान की जनता को सारी सुविधा मिल जाती लेकिन ऐसा राजनीतिक सोच, इस तरीके का आप लोगों का कि केवल श्रेय चाहिये और वह श्रेय तो जनता देती है, श्रेय कोई हाथ से लिया या खींचा नहीं जाता। आप यह सोचते हो कि टेंडर कैंसिल करके और फिर वापस से नया टेंडर करवा देंगे तो जनता यह सोचने लगेगी कि हम यह लेकर आए हैं, लेकिन जनता को जो असुविधा हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बारे में जरा सोचने की जरूरत है, इस पर विचार कीजिए कि कितना आप लोगों ने जनता के साथ अन्याय किया है।

मैं आज आप लोगों को यह जानकारी देना चाहती हूं कि हमारे वहां पर जो चारभुजाजी का मंदिर है, जहां पर हजारों-हजार दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से आते हैं, वहां गोमती चौराहे से चारभुजाजी मंदिर तक की जो सड़क है उस सड़क को पिछले दो साल से खोद कर रखा हुआ है। आर एस आर डी सी को उसका काम दिया है, केवल आर एस आर डी सी काम करेगी। वहां पर कल से जनता अनशन पर बैठी है, वह इसलिए बैठी है कि यह सड़क, दो साल से रोजाना चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमको कहते हैं, कभी एक्स ईएन को फोन करो तो बस, अभी टेंडर हुआ, अभी वर्क आर्डर होने हैं; कभी एस ई को फोन करो तो अभी होनी है; कभी कहेंगे कि आर एस आर डी सी को दिया है। कल की लेटेस्ट बात यह है कि माननीय मंत्रीजी के पास फाइल पड़ी है, जब माननीय मंत्रीजी साइन करेंगे तो उनको आर्डर दिया जाएगा और वह वर्क आर्डर होगा, तब वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, तब वे उठ पाएंगे। यानी दो दिन से जनता वहां आक्रोशित है, उस सड़क पर बैठी हुई है लेकिन सरकार को उनकी परवाह नहीं है। दो साल से सड़क बंद है वहां पर और वह सड़क खुदी हुई है और दर्शनों के लिए चारभुजाजी के पूरे देश भर से लोग आते हैं, शहर के अन्दर आकर उन लोगों को वहां पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लेकिन उससे सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी आप कहते हो कि हम तो इतने हजार किलोमीटर की सड़कें दे रहे हैं। मैंने तो तीन किलोमीटर की सड़क के टुकड़े का नमूना आपके सामने रखा।

माइनिंग की सड़कों को आप देखें तो जो हमारी माइनिंग की रेवेन्यू है, उसका 80 प्रतिशत रेवेन्यू राजसमन्द डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद भी माइनिंग की सड़कों की क्या हालत है? यहां पर हम कितनी ही सड़कों की वाहवाही कर लें लेकिन माइनिंग की सड़कों की हालत बहुत खराब है, उनकी दशा को ठीक करने के बारे में सरकार की कोई सोच नहीं है। पहले

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सरकार ने वसुन्धराजी के समय यह कहा था कि चलो, हम सहभागी योजना के अन्दर करते हैं, हमने भी उसमें स्वीकृति दी कि कोई बात नहीं, सरकार पूरा पैसा नहीं दे, 75 प्रतिशत सरकार दे, 25 प्रतिशत वहां की माइनिंग एजेंसीज से इकट्ठा करके हम जमा करायेंगे। उस योजना को भी इस सरकार ने बंद कर दिया। यानी कि माइनिंग रोड्स के बारे में सरकार की कोई सोच ही नहीं है। वहां से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसा वहां से आ जाए, वह तो अच्छा दिखता है लेकिन वहां पर विकास के नाम पर बिलकुल जीरो है, कोई विकास नहीं हो रहा है और सड़कों की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि अगर आप वहां पर अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर भी जाएंगे तो आपको इतने सारे झटके लगेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां सड़कों की बड़ी वाहवाही जो लूट रहे हैं, वह वहां आकर देख लो कि क्या स्थिति है।

मैं आज सरकार के सामने यह भी कहना चाहूंगी कि जो 16 मेगा हाइवे के काम का इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने लिए हैं, इस क्षेत्र के बारे में मैं फिर से कहूंगी कि देवगढ़-आमेट-कांकरोली-रेलमगरा-कपासन मार्ग जो है, जो पहले स्वीकृत था मेगा हाइवे के अन्दर, उसका इसमें कहीं नामोनिशान नहीं है। पूरे राजसमन्द, पूरे उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र की जिस तरीके से उपेक्षा हुई है इस बजट में, आने वाले सालों में आप सबको यह जनता बताएगी कि आप लोगों ने हमें क्या दिया है और वह वोट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा।

आज मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूंगी कि पेयजल के बारे में जो बात चल रही है, अब यह सारा पेयजल का आपने आर यू आई डी पी को दिया है, यह नई पाइप लाइन डाली जाएगी, सीवरेज लाइन डाली जाएगी और क्या उसमें हो रहा है, नई पाइप लाइन जो डल रही है और जो सीवरेज लाइन डल रही है, उसमें क्या मानदण्ड रखे गए हैं, इतना घटिया काम हो रहा है और कोई सुपरविजन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जब वह घटिया काम होकर पेमेंट हो जाएगा और जनता रोती रहे, उसके अन्दर जनता परेशान होती रहे लेकिन सरकार को उससे कोई लेना-देना नहीं होगा क्योंकि सरकार तो कहेगी कि हमने तो इतने सारे करोड़ रुपए, क्योंकि यहां जब बैठेंगे तो आप कहेंगे कि इतने करोड़ रुपये हमने पेयजल की योजनाओं के लिए, इतने करोड़ रुपये हमने सीवरेज की योजनाओं के लिए लगाये। आप राजसमन्द की जनता को जाकर पूछ लो कि वहां आर यू आई डी पी का जो काम हो रहा है, वह कितना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

घटिया हो रहा है। लेकिन यहां पर तो बजट के अन्दर हमें यह बताना है कि हमने इतना करोड़ रुपया खर्च किया, इसलिए ठीक है। इसीलिये मैं कहती हूं कि जब तक आप धरातल पर इस चीज की समीक्षा नहीं करेंगे, आपकी योजना जिनकी यहां पर आप घोषणा करते हैं, उस योजना का लाभ वास्तव में जनता को मिल रहा है या नहीं, इस बात की समीक्षा भी इसी सदन में होनी चाहिए, तब जाकर हम वस्तुस्थिति पर पहुंच पाएंगे।

आपने यहां पर कहा कि हम विद्युत कनेक्शन किसानों को, यानी 2009-10 के अन्दर बजट के भाषण में कहा कि हम लोग सारे के सारे किसानों को विद्युत कनेक्शन देंगे, कोई बाकी अब नहीं रहेगा लेकिन आज की स्थिति यह है कि 2008 तक के ही विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। यह ढाई साल के बैकलाग अभी पड़े हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहा है और जब कहते हैं तो कहते हैं कि अभी तो बैकलाग है, अभी तो इतने तक ही हम पहुंचे हैं। तो अभी ढाई साल, तीन साल का बैकलॉग लेकर यह सरकार चल रही है और 2009-10 में घोषणा करती है कि 2012 तक हम सारे विद्युत कनेक्शन दे देंगे। आपके बजट के भाषणों को तो उठाकर देखो कि 2009-10 में आपने क्या कहा था और आज 2012-13 में क्या स्थिति है। किसान आज विद्युत के लिए, एक तरफ कहते हो कि हम ऊर्जा इतनी बढ़ा रहे हैं, वह ऊर्जा कहां उड़ जाती है, पता नहीं चलता। कहां जाती है वह ऊर्जा? यानी आज भी किसान को चार घंटे लाइट मिल रही है और वह चार घंटे में जैसे-तैसे अपना काम कर रहा है। सरकार बार-बार कहती है, अपने भाषणों में कहती है, हमने इतना उत्पादन कर दिया ऊर्जा का, वह ऊर्जा का उत्पादन कहां उड़ जाता है, यह हमारे समझ में नहीं आता। यानी भौतिक उपलब्धि अगर देखें तो चार घंटे लाइट मिल रही है; भौतिक उपलब्धि देखें तो कृषि के कनेक्शन जो हैं, उसके तीन साल का बैकलाग चल रहा है।

अभी आपने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत काम कर लिया, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, साथिन, सहायिका, इन सबको 10 परसेंट, मानो बहुत इतना जोर देकर कहा कि हमने 10 परसेंट जो इनकी तनख्वाह थी, वह 10 परसेंट बढ़ा दी। (व्यवधान) वही तो। अब वह 10 परसेंट बढ़ाने की बात करके आपने क्या कर लिया? वह 3,500 रुपये जिस आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को मिल रहे थे, यानी आशा की कार्यकर्ता को हजार रुपये मिल रहा था, उस हजार रुपये से सौ रुपये उसके बढ़ गये। उससे काम कितना ले रहे हो? उससे काम, 25 काम सरकार के ऐसे हैं जो वे आंगनबाड़ी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की कार्यकर्ता और साथिन कर रही हैं और 25 साल से वे बराबर नौकरी पर हैं और उनको मिल रहा है मानदेय इतना। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि मानदेय बढ़ना चाहिए, यह सब कुछ होना चाहिए और जो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, गांव के अन्दर वह साथिन और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आपकी यह जननी सुरक्षा योजना को, अगर कोई उस जननी को पहुंचाती है अस्पताल तक तो वह आशा पहुंचाती है, अगर उस योजना का लाभ दिलवा पाती है तो वह आशा दिलवा पाती है लेकिन उसकी तनख्वाह, वह मात्र एक हजार रुपये। हम अपने अन्दर झांक कर देखें, क्या सेटिस्फेक्शन होगा? यानी जो न्यूनतम मजदूरी किसी मजदूर को मिलनी चाहिए, उससे कई गुना कम है। उसके बारे में भी हम लोग यहां बैठकर केवल वाहवाही ले-लेकर, 10 परसेंट, 10 परसेंट बढ़ा दिया तो बहुत अच्छा हो गया।

मैं यह भी कहूंगी कि हां, सरकार ने कुछ अच्छे काम किये क्योंकि बजट के अन्दर जनता को जो एक बहुत अच्छी सुविधा मिली, वह जो जनता को जिसको कहना चाहिए न कि एक राहत मिली, वह राहत शायद पेट्रोल के अन्दर, जो आपका वैट था, उस वैट को 28 परसेंट से आपने 26 परसेंट करके 2 परसेंट कम किया तो एक रुपये 6 पैसे उनको मिला, फायदा हो गया कि अब हमें पेट्रोल के दाम एक रुपये 6 पैसे कम देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप सोचिए इस बात को, सारे राज्यों के साथ आसपास के राज्यों की भी सोचें कि उन्होंने कितना कम किया और हम कितना कर रहे हैं। सिर्फ दो परसेंट और दो परसेंट देकर हम लोग, हो सकता है क्योंकि आपने पेट्रोल पर कम किया तो कुछ तो राहत मिली, लेकिन क्या वह राहत सफिशिएंट है? एक तरफ अभी तीन रुपये बढ़ाया, यानी इस पूरी यू पी ए की गवर्नमेंट के अन्दर केन्द्र सरकार ने 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये और आज यह स्थिति है कि केन्द्र का मंत्री यह कह रहा है कि 5 रुपये प्रति लीटर और बढ़ने वाले हैं, वे अभिभाषण में कह रहे हैं कि संभावना है कि और बढ़ेगा, पांच रुपये और बढ़ेगा। पर अभी यह बात आ रही है कि हम लोग कितनी छूट, यानी अगर कम से कम 10 परसेंट छूट दी होती तो थोड़ी बहुत भी राहत, ऐसा लगता है, मिलती। महंगाई की मार जिस तरीके से जनता के ऊपर पड़ रही है, उसमें सरकार की कोई मदद होनी चाहिए। सरकार उसमें किसी तरीके से रिलेक्स करती तो समझ में आता कि वास्तव में गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में सोच रही है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अस्पताल के लिए और कहना चाहूंगी कि चिकित्सा के बारे में, बहुत अच्छी बात है कि आप नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन वे नि:शुल्क दवाइयां अभी भी 40 परसेंट ही मिल रही हैं। इस बात की समीक्षा कर लें, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग नि:शुल्क दवा दें लेकिन वह नि:शुल्क दवा सेंट-परसेंट तक पहुंचते-पहुंचते पहुंचनी चाहिए। यानी अभी जब से शुरू किया है, पहले 25 से 30 परसेंट, 40 परसेंट तक पहुंचे, वह बहुत ही धीरे स्पीड में, अभी भी दवाइयां नि:शुल्क हम लोग पूरी दे नहीं पा रहे हैं।

आपने घोषणा की है, एक बहुत अच्छी घोषणा थी, जो आपने कहा कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फर्टिलिटी क्लीनिक जो खोलने का कहा कि अगर कोई भी खोलेगा, उसको एक करोड़ रुपये की मदद यानी अनुदान सरकार देगी। अच्छी बात है, एक करोड़ का अनुदान देंगे, लगभग तीन से चार करोड़ लगता है कोई फर्टिलिटी क्लीनिक अगर आती है तो। लेकिन, चलिए, एक करोड़ भी आप मदद करेंगे। मेरा यह सुझाव है सरकार को आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, सरकार इसके बारे में सोचे कि सरकार मेटरनिटी क्लीनिक्स जो हैं, उनको क्यों नहीं बढ़ावा दे रही है? आज वे क्लीनिक्स, मेटरनिटी क्लीनिक्स खोलें, अपने लेवल के ऊपर कोई खोल ले तो उसके लिए कितना अनुदान गवर्नमेंट देगी, उसके बारे में सोचें। क्योंकि ज्यादा लोगों को परेशानी तो यह है कि आज वहां पर हम लोग अपने राजसमंद को अगर देखें तो वहां की जो सी एच सी है, उसमें गाइनीकोलोजिस्ट ही नहीं है। वहां की देवगढ़ की, आमेट की, रेलमगरा, खमनोर, केलवाड़ा, नाथद्वारा, इन सब सेंटर्स के अन्दर कोई गाइनीकोलोजिस्ट नहीं है। अब आप सोचें कि नर्स जो है, वही जापा करा रही है। यानी अस्पताल के अन्दर, राजसमंद हास्पिटल जो जनरल हास्पिटल है, वहां पर भी मात्र दो गाइनीकोलोजिस्ट हैं और वे पूरे जिले को देख रही हैं। यानी क्या स्थिति है, आज क्या हालत है, उसके बारे में सोचें। सर्जंस नहीं हैं, वहां पर अस्पताल के अन्दर। आप यहां पर कह दोगे कि हम इतने उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, इतने स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं लेकिन हालात यह है कि वह स्वास्थ्य केन्द्र हो, वह उप-स्वास्थ्य केन्द्र हो, वह सी एच सी हो, हास्पिटल के अन्दर अगर डाक्टर नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं तो उन हास्पिटल की बिल्डिंग देख कर उनकी आरती उतारें? उन हास्पिटल की बिल्डिंग का क्या करेंगे? जहां पर संसाधन नहीं होंगे, जहां पर डाक्टर्स और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

नर्सेज नहीं होंगे और जहां पर मशीनें नहीं होंगी, मशीनें होंगी तो वे मशीनें खराब होंगी, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। कौन सुपरविजन कर रहा है? कौन इस चीज को देख रहा है?

केवल हम अपने भाषण के अन्दर कहें, इन्होंने अपने बजट भाषण के अन्दर एंड में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गांधी जी की उन पंक्तियों को कहा कि हम लोग मनुष्य की सहायता तभी करते हैं, अत्यन्त सहनशील बन जाता है। हमें आशीर्वाद प्रदान करो ताकि हम आप लोगों से एक पल भी दूर नहीं हो सकें, हम खूब सेवा करें। महात्मा गांधी जी की पंक्तियां यहां पर पढ़कर उन्होंने अपनी यह भावना उन पंक्तियों के माध्यम से सुनाई, लेकिन क्या यह वास्तव में समीक्षाएं हो रही हैं? क्या वास्तव में आप जनता के हित में काम कर रहे हैं? आप यहां पर बैठकर घोषणाएं करो, तालियां बजाओ, सब कुछ अच्छा है लेकिन धरातल पर उन भौतिक उपलब्धियों के बारे में सोचना शुरू करें। जो मंत्रीगण हैं, वे मंत्रीगण जब जाते हैं अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर, जो प्रभारी, व्यवस्था के अन्दर जो प्रभार दिया है उनको, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जाते हैं तो वे एक फार्मेलिटी बनकर केवल फीता काटने के लिए वहां पर जाते हैं कि किन-किन के उद्घाटन करना है। क्या वहां पर बैठकर कोई समीक्षा करते हैं? वह कहीं समीक्षा नहीं होती है।

इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जो भाषण आपने यहां पर बजट का रखा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उसको जरा अच्छा होगा कि धरातल पर उसको देखें कि किस तरीके से वह हो रहा है। वे सारी घोषणाएं जो इतनी सारी की हैं चार साल में, वे सारी घोषणाएं, उनको एक बार बैठकर समीक्षा करने के लिए भी एक चर्चा यहां पर रखवा लें तो अच्छा होगा।

मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगी कि-

जिंदगी को टालना नहीं अच्छा,
दो टूक बात करो फैसलों की भाषा में,
यह कहावत पुरानी सी, मगर सच्ची है,
चमकती हुई हर चीज को सोना न समझना।

यही बात कहते हुए, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

श्रीमती कान्ता भील (गढ़ी): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण 2012-13 के समर्थन में अपना पक्ष रखना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वागत करती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण का और बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि आपने इस प्रदेश को बहुत ही शानदार बजट दिया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य बजट में जो सौगातों की बौछार की है, इसकी आमजन ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का पूरा-पूरा ध्यान रखा है और यह बजट पूर्ण रूप से संतुलित बजट है।

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विशेषकर युवा वर्ग को तरजीह दी है। लम्बे समय से युवा वर्ग, जो बेरोजगारी की मार झेल रहा था, नयी भर्तियों की घोषणा से युवा वर्ग को बहुत जल्दी भर्तियां मिलेंगी और रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं कि रतलाम से बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेल लाइन निर्माण के लिए रेल मंत्रालय के साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित कर 1,200 करोड़ के राज्य अंशदान में से प्रथम किश्त के रूप में 200 करोड़ रुपये रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध करा दिये गये हैं और रेल का काम प्रक्रियाधीन है।

इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेषकर हमारे दक्षिण अंचल और हमारे बांसवाड़ा जिले, वागड़ क्षेत्र, यहां पर बांसवाड़ा जिले में नगर परिषद्, तहसीलें व उप-तहसील तथा सिंचाई के लिए भूंगड़ा कैनाल और हरिदेव जोशी नहर के लिए 16 करोड़ रुपये का जो बजट आबंटित किया है, उससे उस क्षेत्र की नहरों का सुदृढ़ीकरण होगा, विस्तार होगा।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की हमारे टी एस पी क्षेत्र पर बहुत अच्छी निगाह रही है और हमेशा उस क्षेत्र को कुछ न कुछ सौगातें दी हैं, लेकिन विशेषकर राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा इस बजट भाषण में करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने टी एस पी क्षेत्र को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है जिससे टी एस पी क्षेत्र खुशी से गदगद है। वहां का हर व्यक्ति, वहां का हर विद्यार्थी राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा से बहुत खुश है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहा है। सभापति महोदय, यह यूनिवर्सिटी की मांग, क्योंकि हमारा

(श्रीमती कान्ता भील)

क्षेत्र पिछड़ा हुआ है; न केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में वहां के जनजाति वर्ग के लिए राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा करना अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है। सभापति महोदय, बहुत लम्बे समय से जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, उस समय से इस यूनिवर्सिटी की लगातार मांग की जा रही थी। इससे पहले कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने इस मांग को नहीं समझा। मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और धन्यवाद देती हूं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, दयाराम जी परमार साहब को जिनकी पहल से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे इस क्षेत्र को, जनजाति क्षेत्र को यूनिवर्सिटी दी है। इस यूनिवर्सिटी से हमारे टी एस पी क्षेत्र के छात्रों को, वहां पर अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों के चयन का सुअवसर प्राप्त होगा और इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। हमारा क्षेत्र जो प्रशासनिक सेवाओं में पिछड़ा हुआ है, निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता आएगी, यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक छात्र पढ़ेंगे और प्रशासनिक परीक्षाओं चाहे राज्य सरकार की हों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की हों, इन सेवाओं में हमारे ज्यादा से ज्यादा लड़कों का चयन हो सकेगा।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं किसान भी हैं और किसानों के हितों का इन्होंने इस बजट में पूरा-पूरा ध्यान रखा है। विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है क्योंकि विरोध करने के लिए उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि विपक्ष में रहते हुए, वे अपना धर्म निभाते हैं। अभी फसली ऋण किसानों को दिया जाता है, एक लाख तक के फसली ऋण समय पर चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि की अनुदान के रूप में जो घोषणा की, इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप जानते हैं, किसान की कमर टूटी हुई रहती है। अगर फसल खराब होती है, अधिक बारिश होती है तो भी खराबा रहता है, कम बारिश होती है तो भी खराबा होता है, पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने फसल बीमा योजना की घोषणा की थी जिसके तहत हमारे क्षेत्र में 8 करोड़ का फसल बीमा वहां के किसानों को मिला और यह एक लाख रुपये का फसली ऋण समय पर चुकाने से किसानों को ब्याजमुक्त किया जाएगा, निश्चित ही इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत बहुत संवेदनशील हैं, हर छोटी से छोटी बात, हर व्यक्ति, आम गरीब व्यक्ति हो,

(श्रीमती कान्ता भील)

चाहे पशु हो, उसकी पीड़ा को इन्होंने समझा है। किसान की पीड़ा को इन्होंने समझा है और निश्चित ही इस पीड़ा को समझते हुए मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना की तर्ज पर उन्होंने पशुओं के लिए भी अधिक काम में आने वाली जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों को नि:शुल्क राजकीय पशु चिकित्सालय में वितरित करने की योजना लागू की है। इससे निश्चित ही आर्थिक तंगी से जूझते किसान को यह सुविधा देकर माननीय अशोक जी गहलोत ने बहुत बड़ा संबल प्रदान किया है।

सभापति महोदय, आज के इस अवसर पर विशेषकर हमारे जनजाति क्षेत्र के एस सी और एस टी छात्रों के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सौगातें दी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान 50 छात्र एवं छात्राओं के लिए जयपुर में तथा 50 छात्र एवं छात्राओं के लिए कोटा में आई आई टी, पी एम टी और आर पी ई टी आदि परीक्षाओं में बैठने हेतु कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी है तथा एस सी, एस टी वर्ग, विशेष पिछड़े एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रमुख राजकीय सेवाओं में चयन हेतु मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु जयपुर में छात्रावास एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी है। सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग के छात्र प्रतिभावान होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक तंगी के कारण से किसी कारण पिछड़ जाते हैं और जयपुर लेवल पर या कोचिंग की जो सुविधा कोटा में है, वहां से कोचिंग की जो सुविधा नहीं ले पाते हैं। निश्चित ही इन छात्रावासों के निर्माण से, छात्रावास की सुविधा से प्रतिभावान छात्र हैं, वे कोचिंग लेंगे और कोचिंग लेने से संघ लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठेंगे और उनका चयन होगा और प्रशासनिक सेवाओं में, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में जब तक इस वर्ग के लोग चयन होकर नहीं आएंगे, इस वर्ग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति जिस तरीके से होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। विशेषकर हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जाती हैं लेकिन क्योंकि वहां के स्थानीय लोग नहीं होने की वजह से बाहर के लोग आते हैं, वे सिर्फ नौकरी की भावना से नौकरी करते हैं, ड्यूटी की भावना से ड्यूटी करते हैं लेकिन उस क्षेत्र के विकास में किसी तरीके की दिलचस्पी नहीं लेते हैं जिससे जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं की क्रियान्विति सही तरीके से नहीं हो पाती है।

(श्रीमती कान्ता भील)

सभापति महोदय, आज के इस बजट भाषण में बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं जिनमें विशेषकर हमारे क्षेत्र में जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम है, वहां पर हमारे जो आदिवासी लोग शहीद हुए हैं, उसके स्मारक के लिए, उसके विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा बजट दिया है। इससे निश्चित ही आदिवासी लोगों की, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो पायेगी, इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा और निश्चित ही उनका मनोबल बढ़ेगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना लागू करके दसवीं तथा बारहवीं की मेरिट के अनुसार प्रथम दस-दस हजार बालक-बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटाप देने का जो प्रावधान किया है, निश्चित ही आधुनिक शिक्षा की तरफ माननीय मुख्य मंत्री महोदय का इन छात्रों को बढ़ावा देने का यह अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। साथ ही 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 24 हजार विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग लैपटाप पुरस्कार के रूप में देने का जो प्रावधान किया है, इससे निश्चित ही इन छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावनाएं जगेंगी और ये बच्चे अच्छे से अच्छे अंकों से पास होंगे। इसके अलावा आधुनिक जो तकनीकी शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये बालक बहुत ही प्रतिभा के साथ में पहुंच पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस बजट भाषण में सभी वर्गों को जो समान रूप से और विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग और जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए उनके छात्रों की पढ़ाई की सुविधा के लिए जो प्रावधान किए हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तलवाड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो 50 लाख रुपये की राशि दी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। लेकिन निवेदन करना चाहती हूं कि इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, उन ज्वलंत समस्याओं को इसमें समायोजित करने के लिए मैं आज के इस अवसर पर प्रस्ताव रखती हूं कि मेरी मांगों को इस बजट में जो संशोधित बजट प्रस्तुत किया जाएगा, संशोधित बजट में उन मांगों को समायोजित किया जाए। विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में माही की जो नहरें हैं, सिंचाई का साधन एक मात्र माही की नहरें हैं और वे माही की नहरें पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी हैं। उन नहरों का निर्माण आज से

(श्रीमती कान्ता भील)

ठीक 42 वर्ष पहले हुआ था और आज की स्थिति यह है कि वे नहरें जर्जर हो चुकी हैं, पानी का बहुत ज्यादा उनमें रिसाव होता है। पानी का रिसाव होने की वजह से नहर के आस-पास का जितना भी एरिया है, जितनी भी जमीन है, वह जमीन लगभग ऊसर हो चुकी है। जो कम जमीन वाले काश्तकार हैं, जिनकी 2-3 बीघा जमीन है, उनकी आजीविका का साधन सिर्फ वह जमीन है और यदि वह जमीन ही ऊसर हो जाती है तो उस काश्तकार के लालन-पालन के लाले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की नहरें बहुत पुरानी हैं, जर्जर हैं और इतनी पुरानी हैं कि इन नहरों का 31.10.1983 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, इस माही बजाज सागर परियोजना की जो बायीं और दायीं मुख्य नहरें हैं, उन नहरों का जो अंतिम छोर है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। ऐसी स्थिति में जर्जर नहरें होने की वजह से सीपेज का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में नदियों और नालों में बहकर गुजरात के कड़ाना बांध में जाता है और टेल पर जो काश्तकार पानी का इंतजार करता है, उस काश्तकार के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे मेरे क्षेत्र की जनता में भयंकर आक्रोश है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंच सके, इसके लिए बजट दिया जाए ताकि जो जर्जर अवस्था में नहरें हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जा सके और जहां नहरों का विस्तार नहीं हो सका है, जहां कच्ची नहरें हैं, उन कच्ची नहरों को पक्का किया जा सके। माननीय मुख्य मंत्रीजी का नारा है – 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ' और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान देकर के, बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा देकर जो व्यर्थ पानी जाता है, उस पानी को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र की नहरें जर्जर हैं, उनका पानी नदी-नालों में बहकर बहुत अधिक मात्रा में गुजरात के कड़ाना बांध में जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की जर्जर नहरों के सुदृढ़ीकरण और नई नहरों के विस्तार के लिए बजट दिया जाए। विभाग ने 66 करोड़ रुपये का बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, निश्चित ही मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुसार मुझे बजट दिया जाए।

सभापति महोदय, एक जो विशेष ज्वलंत समस्या है, मैं तीन साल से पेयजल के लिए बार-बार निवेदन कर रही हूं, बार-बार मैंने विभागों के मार्फत्

(श्रीमती कान्ता भील)

प्रस्ताव बनवाकर भिजवाये लेकिन हर साल मुझे यही कहा जाता है कि आपके प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएंगे, आपकी स्कीम स्वीकृत हो जाएगी लेकिन अभी तक, यह तीसरा साल निकल गया लेकिन मेरी पेयजल स्कीम्स स्वीकृत नहीं हुईं, जबकि सैकड़ों-करोड़ों रुपयों के रूप में पेयजल के लिए बजट दिया जाता है और मेरे तो इतना बड़ा बजट नहीं है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल स्कीम के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट मांगती हूं। मेरे यहां चूंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और नलों की जो पाइप लाइनें बिछाई हुई हैं, वे बहुत पुरानी हैं, वे टूट चुकी हैं, वे खतम हो चुकी हैं, वे गल चुकी हैं। ऐसी स्थिति में नई पाइप लाइन बिछाने के लिए और नई पेयजल स्कीम के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र को पैसा दिया जाए। अगर फिर इस बजट में चूक गया और इसमें मुझे बजट नहीं मिला तो फिर विभागों में बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बजट मिल पायेगा जो तीन साल तक मुझे नहीं मिला। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में पेयजल के लिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है, वहां पर एस सी, एस टी के लोग रहते हैं, एस सी, एस टी के विकास के लिए बहुत सारा बजट दिया जाता है, पेयजल का भी बजट दिया जाता है, पिछली बार भी यही कहा गया था कि जनजाति पेयजल स्कीम में आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन वह पैसा मुझे नहीं मिला। मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे पेयजल के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जाएं।

मेरे यहां नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए, नई नहरों के विस्तार के लिए जो 66 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाये गए हैं, उनकी स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि लगभग 42 साल पुरानी जो नहरें हैं जो जर्जर अवस्था में हो गई हैं, आज मैं काश्तकार को कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं, काश्तकार बहुत आक्रोशित हैं, पानी लोगों को टेल पर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से कल इस बजट भाषण को जब हमारे लोगों ने सुना, उन्होंने देखा तो वहां से बार-बार मेरे क्षेत्र के काश्तकारों के फोन आ रहे हैं कि इस बजट में हमारी नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए पैसा नहीं मिला। भूंगड़ा कैनाल के लिए और हरिदेव जोशी कैनाल के लिए जो पैसा मिला है, उसके लिए धन्यवाद लेकिन वह कैनाल मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं आती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की कैनाल पुरानी है, इसलिए उसके लिए पैसा दिया जाये, यह मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है।

(श्रीमती कान्ता भील)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट भाषण के बारे में, इसके समर्थन में आपके समक्ष बोलने के लिए खड़ी हुई, आपने मुझे अवसर दिया, पूरे राजस्थान की जनता ने इस बजट को सराहा है। हर आम व्यक्ति ने, हर वर्ग ने, हर क्षेत्र ने इस बजट की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आज के इस अवसर पर मैं इस बजट का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डा. श्री रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इससे पहले, सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन

(संख्या 22)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 31 मार्च, 2012 से दिनांक 19 अप्रैल, 2012 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये:-

(डा. रघु शर्मा)

शनिवार, दिनांक 31 मार्च, 2012 से	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2012 मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2012 बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2012 गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2012	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2012	गैर सरकारी दिवस।
शनिवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2012	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2012 गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2012	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग की जाकर दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

श्री ज्ञानचन्द पारख।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, बजट एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है, जिसको सुनने के लिए आमजन बहुत ज्यादा उत्सुक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

होता है और उसके प्रति उम्मीद भी बहुत होती है कि हमारे जो काम वर्षों से नहीं हो रहे हैं, हमारी जिन समस्याओं का समाधान कुछ सालों से नहीं हो रहा है या जो राहत हमको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है तो बजट की ओर उम्मीद उठाकर देखता है कि शायद इस बार के बजट में मेरी उम्मीद पूरी होगी। चाहे महंगाई से त्रस्त जनता हो, चाहे जन समस्याओं के प्रति सरकारी उदासीनता से त्रस्त लोग या बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा के अभावों से जूझता हुआ जनमानस हो या रोजगार की उम्मीद लेकर बैठा शिक्षित युवा हो या असहाय वर्ग जिसको सरकारी मदद की आवश्यकता है, ये सारे उम्मीद लगाकर बजट की ओर ताकते हैं कि शायद सरकार बजट में हमारे लिए कुछ प्रावधान करेगी। देखने में और सुनने में यह बजट अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो यहां मुख्य मंत्रीजी ने कीं लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक तरफ आवश्यकता देखें, आवश्यकता कितनी और एक तरफ देखें, राहत कितनी दी, तब नजर आयेगा कि नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। जनता की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा थीं। सरकार ने दिया तो है लेकिन आवश्यकता की तुलना में बहुत कम। माननीय सभापति महोदय, जैसा इस सरकार का स्वभाव रहा है कि घोषणाएं बड़ी-बड़ी करती है, बातें बड़ी-बड़ी, लेकिन उनमें से कइयों पर क्रियान्विति नहीं हो पाती और जब बजट सुनकर व्यक्ति खुश होता है, उम्मीद लगाता है और उसके बाद जब एक साल पूरा बीतता है तो उसकी वही उम्मीद हताशा और निराशा में बदल जाती है। लेकिन जैसी आदत है, जैसा स्वभाव है, फिर नई उम्मीद करता है सरकार से कि सरकार शायद कुछ करेगी और इस बार सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसलिए उम्मीद कि अब जनता जानती है कि डेढ़-दो साल में चुनाव आने वाले हैं, जिस सरकार ने तीन साल कुछ नहीं किया, कम से कम चुनाव में अपनी बात को रखने के लिए कुछ हमारे लिए भी करेगी और उसको देखते हुए सरकार ने कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, इस बजट से बहुत ज्यादा राहत उसको मिल जाये, यह सोचना बेमानी होगा। कुछ मिलेगा, पर उम्मीद की तुलना में बहुत कम और जैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी का करिश्मा है, मैंने पहले भी कहा था पिछली बार, वे काफी सारे जादुई करिश्मे जानते हैं, कालेज के जमाने में दिखाते भी थे और जैसा जादू के खेल में होता है, जो दिखता है, वह सच्चाई नहीं होती; जो दिखता है, वह मात्र भ्रम होता है, कहीं यह बजट भी जादुई करिश्मा न हो जाये। जो पढ़ा, वह सुना, वह सच्चाई

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं और आगे जाकर कल के दिनों में वह भ्रम साबित हो जाये, ऐसा हश्र, मुझे लगता है, इस बजट का होगा।

माननीय सभापति महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्रीजी सड़कों को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और विस्तार से उनका वर्णन किया, जिनमें 16 मेगा हाइवे, जिनकी लागत 3,590 करोड़ रुपये है, उनकी घोषणा बजट में की है। माननीय सभापति महोदय, यह सब जानते हैं कि इसमें कोई सरकार का पैसा लगने वाला नहीं है, ये सारी सड़कें बी.ओ.टी. में बनेंगी। एक तरफ मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमने जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, जनता से इन सड़कों का टैक्स टोल के रूप में लिया जायेगा, जिसका भार जनता की जेब पर पड़ेगा। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि अच्छी सड़कें हों, बढ़िया सड़कें हों तो अपने खर्चे से बनाये और टैक्स के रूप में जनता से कुछ वसूल नहीं करे। ये सड़कें वे हैं जो ठेकेदार अपने निजी पैसे से बनाकर जनता से बाद में वापस पैसा वसूल करेगा।

माननीय सभापतिजी, मैंने बजट के अभिभाषण में भी सरकार की जानकारी में एक बात लानी चाही थी कि ग्रामीण सड़कों की जो हालत है, वह इतनी दयनीय है, उनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है, उनका नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, जिसमें राज्य सरकार का पैसा लगता है पर सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। एक साल पहले के बजट में जो नवीनीकरण था, जो मिसिंग लिंक्स थीं, उनको जरूर कंटीन्यू रखा है लेकिन कितनी सड़कों का, क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जायेगा, कितनी मिसिंग लिंक्स एक विधान सभा क्षेत्र में दी जायेंगी, इसका कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है।

माननीय सभापतिजी, यह आम तौर पर देखते हैं कि एक विधान सभा क्षेत्र की सड़क है, एक जिले की सड़क है तो किसी न किसी योजना में वह कवर हो जाती है, बन भी जाती है पर जो अंतिम छोर की सड़कें हैं जिले की या विधान सभा क्षेत्र की, बाद में अलग जिला लगता है, जिनकी लम्बाई ज्यादा नहीं, मात्र चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर, छह किलोमीटर, कोई भी विधायक अपनी जो योजना में, वह पैसा भी है तो उसको करवा नहीं पाता क्योंकि दो जिले अलग-अलग लगते हैं उसमें। मैंने पहले भी सरकार की जानकारी में यह बात लाई थी कि दो भिन्न जिलों की जो सड़कें हैं अंतिम छोर की, उनके लिए भी बजट में कोई प्रावधान किया जाय। जैसे मेरे क्षेत्र में गेलावास से घाना जुड़ जाय, मात्र छह किलोमीटर सड़क, एक पाली जिले का

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गांव, एक जालौर जिले का गांव लेकिन सैकड़ों गांव अपने आप जुड़ जायेंगे उससे। यह लामड़ा से सामुदा जुड़ जाय, तीन किलोमीटर मात्र, पर दो अलग-अलग जिले पाली और बाड़मेर जिला, किसी में कवर नहीं होती वह। न मैं पैसा देता हूं, न वहां के विधायक पैसा देते हैं और वह सड़क वर्षों तक वैसी की वैसी जबकि वहां आवाजाही बहुत ज्यादा है। तो मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि जिले के अंतिम छोर की जो सड़कें हैं या विधान सभा क्षेत्र के अंतिम के जो गांव हैं जहां दूसरा जिला उसका होता है, उन सड़कों के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार अगर सबसे ज्यादा वाहवाही लूटती है तो वह ऊर्जा उत्पादन में है। बड़ी-बड़ी बातें करती है कि हमने हमारे कार्यकाल में 3,380 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि की। यह इतनी वृद्धि की तो यह बिजली गयी कहां? जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, उनको पता है कि पिछले डेढ़ साल में जितनी बिजली कटौती की मार इस जनता को झेलनी पड़ी, वह पिछले सात सालों में कभी नहीं झेलनी पड़ी। गांवों में हालत यह है कि मुश्किल से चार घंटा कृषि बिजली मिलती है और आठ या दस घंटे डोमेस्टिक बिजली, ऐसी दुर्दशा और शहरी क्षेत्र में भी नियमित रूप से जो जिला हैडक्वार्टर हैं, संभागीय हैडक्वार्टर छोड़ दो आप, वहां अभी भी एक-डेढ़ साल हो गये, चार घंटे की बिजली कटौती की मार हमको झेलनी पड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, यदि वाकई में सरकार ने उत्पादन किया होता न, तो आज हमको बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

अब यह सरकार बात करती है कि हमने 3,380 मेगावाट की वृद्धि की। माननीय सभापति महोदय, जो सरकारी दस्तावेज हैं वे इस बात को साबित करते हैं कि सरकार की 3,380 मेगावाट बिजली में अधिकांश जो बिजली उत्पादन की, वह हमने हमारी सरकार के कार्यकाल में की। सूरतगढ़ की छठी इकाई का उत्पादन 30.3.2009 को हुआ, हमारी सरकार गई दिसम्बर 2008 में, तीन महीने में या चार महीने में कोई बिजली का संयंत्र लग नहीं सकता, कम से कम चार-पांच साल लगते हैं, 200 मेगावाट वहां बिजली इससे उत्पन्न होती है, इसका मतलब यह है कि यह काम हमारी सरकार के कार्यकाल में लगभग पूर्ण हो गया था, पाइपलाइन में था, इनको अवसर मिल गया उसका उद्घाटन करने का। चाहे कोटा सुपर थर्मल पावर की पांचवीं इकाई हो, वह भी 16.4.09 को शुरू हुई, मतलब हमारी सरकार के जाने के चार

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

महीने बाद। यह इकाई भी पाइपलाइन में थी, इनका भाग्य अच्छा, इनको श्रेय मिल गया, काम हमने किया। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, पहली इकाई 250 मेगावाट की, 16 अप्रैल, 09 को इसकी शुरुआत हुई; चार महीने का इनका कार्यकाल, श्रेय इनको, काम हमारा। और दूसरी इकाई 250 मेगावाट, 4 मई 2010, एक साल पांच महीने। मतलब साढ़े तीन साल तक हमारी सरकार ने उस पर काम किया, हमारी सरकार ने पैसा दिया, हमारी सरकार ने वित्तीय संसाधन दिये, यह झूठी वाहवाही की जो यह आदत पड़ गई न कि काम कोई करे, श्रेय हमको लेना है, जनता को भ्रमित करना है, यह बजट मात्र भ्रम पैदा करने वाला दस्तावेज है, सच्चाई कुछ और ही है इसमें। माननीय सभापति महोदय, चाहे गिरल ग्रिड थर्मल हो, वह भी 26.12.08, मतलब हमारी सरकार जाने के बीस दिन बाद मात्र, पच्चीस दिन बाद, 125 मेगावाट बिजली। पच्चीस दिन में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी हो, थर्मल प्लांट बन गया हो। यह सारे काम वे जो हमने शुरू किये।

माननीय सभापति महादेय, हालत देख लो आप विद्युत उत्पादन की। नये प्लांट लगे, क्षमता बढ़ी लेकिन उत्पादन घटा। यह इनकी कार्यकुशलता का नमूना है। यह मैं नहीं, यह सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं आपके। यह जो आपका सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, चौथी इकाई इसकी 30.3 को चालू हुई और हमारे कार्यकाल में जो 2007-08 को विद्युत उत्पादन था 10,207.50 मेगावाट और इनके कार्यकाल में घटकर, बढ़ना चाहिए था क्योंकि नई इकाई एक और लग गई, 2009-10 में 9,552.75 और 10-11 में 9,408.78 । जब नई इकाई लगी, उत्पादन बढ़ने की बजाय आपकी कमजोरी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से उत्पादन घटा। ऐसा लगभग हर एक में है। नये प्लांट लगे लेकिन उत्पादन घटा और उसका परिणाम है, आज राजस्थान की जनता बिजली के संकट को झेल रही है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बात करती है कि हम गांव, ढाणियों को नये कनेक्शन देंगे, इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार ऐसा आदेश आया कि जो ढाणी आबादी क्षेत्र में नहीं है, जिसके पास पट्टा नहीं है उसको विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाय, जबकि दो साल पहले यह विद्युत कनेक्शन दिये जाते थे। सरकार ने उलटा रोक लगाई है। मेरा सरकार से आग्रह है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वहां ढाणियों में लोग निवास करते हैं और ढाणी-ढाणी को आबादी में परिवर्तित करना कोई आसान काम नहीं। जहां व्यक्ति

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निवास करता है, वहां जो आपने रोक लगाई, मेहरबानी करके उस रोक को हटाकर जो व्यक्ति विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं, उनको विद्युत कनेक्शन जारी करने का काम आप करें।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी कई ऐसे गरीब परिवार जो कच्ची बस्ती में या कृषि भूमि पर भवन बनाकर अपना निवास कर रहे हैं, आज से छह महीने पहले अगर कोई मालिकाना हक का उसके पास सबूत या दस्तावेज है तो पांच सौ रुपये अतिरिक्त फीस लेकर, राशि लेकर उसको भी घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाता था पर इस सरकार ने तो उनको भी अंधेरे में रखने का एक प्रकार से संकल्प ले लिया कि नहीं, उनको कनेक्शन नहीं देंगे, पहले पट्टा लाओ। अब पट्टा बनाना इतना आसान काम तो नहीं क्योंकि इतने सारे नियम, पुराने मकान बने हुए।

तो इस सरकार से मेरा यह आग्रह रहेगा कि आप मेहरबानी करके जो नई-नई शर्तें लगाई हैं न विद्युत कनेक्शन रोकने की, आप नया कुछ न कर सको, कोई दिक्कत नहीं, पर जो पुराने काम चल रहे हैं न, कम से कम उसमें कोई अड़चन या रुकावट न डाले यह सरकार, यह मेरा सरकार से आग्रह है।

माननीय सभापति महादय, यह सरकार इस बात पर भी वाहवाही ले रही है कि हमने पिछले तीन वर्षों में 5 लाख 71 हजार बी पी एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिये। इन्होंने दिये नहीं हैं, ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के माध्यम से हुए जिसमें इस सरकार का कोई योगदान नहीं। इस सरकार की लापरवाही से तो उलटा यह हुआ कि अभी भी लाखों ऐसे

(17.00 बजे)

परिवार हैं जिनको इस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन का लाभ मिल जाना चाहिए था लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से आज भी वे विद्युत कनेक्शन से वंचित बैठे हैं। सरकार से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि जो बी पी एल परिवार विद्युत कनेक्शन से छूट गए, उनका सर्वे कराकर उनको भी मेहरबानी करके विद्युत कनेक्शन आप दे दो।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए भी इस सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं, कई करोड़ों की घोषणाएं की हैं। इस सरकार के काम का एक नमूना मैं बता दूं आपको कि पाली से काला पीपल ढाणी की पेयजल की योजना, अगस्त 2008 में जिसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दोनों जारी हो गईं, राज्य सरकार ने बजट भी दे दिया, साढ़े तीन साल का समय बीत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गया, कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है, साढ़े तीन करोड़ या सवा तीन करोड़ की योजना है, उसके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। नौ गांव जो इससे लाभान्वित हो सकते थे, आज भी वे पानी की समस्या को झेल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पता नहीं, जोधपुर के लिए मुख्य मंत्रीजी इतने मेहरबान क्यों हैं। पिछले बजट में भी जोधपुर शहर की पेयजल हेतु उन्होंने ढाई सौ करोड़ का प्रावधान किया और इस वर्ष भी उन्होंने साढ़े पांच सौ करोड़, जहां पानी का कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। एक शहर के लिए पिछले वर्ष ढाई सौ करोड़ और इस वर्ष पांच सौ पचास करोड़ रुपए का प्रावधान, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए सिर्फ; जबकि पाली शहर में सन् 2011 तक की संभावित आबादी को देखते हुए पूर्ववर्ती योजना मंजूर हुई थी, 2011 में वह नई बनकर लागू हो जानी चाहिए थी। पाली की आबादी भी बहुत बड़ी है, नई बस्तियां बसी हैं, आवश्यकता है, नई शहरी पुनर्गठित जल योजना मंजूर हो, जो पाली के दायरे में 2011 में आ चुके थे, परन्तु यह सरकार गम्भीर नहीं है। उसके कारण हालत क्या, जो नई बस्तियां बसी हैं, नई आबादियां बसी हैं, जवाई बांध में पर्याप्त पानी होते हुए भी वहां की जनता को पानी मुहैया नहीं होता है। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि जिन-जिन शहरों की, जितने वक्त के लिए जलदाय योजना बनी थी, यदि वह कार्यकाल पूरा हो गया तो वापस वहां सर्वे कराकर नई पुनर्गठित शहरी योजनाएं मंजूर करें ताकि आबादी को पर्याप्त पानी मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के कुछ गांव हैं जिनके लिए मैं कई बार मंत्रीजी से आग्रह कर चुका था पहले, जितड़ा, हिन्दुगो की ढाणी, माडपुरिया, जिसके लिए योजना बनी थी, पाली से लेकर जितड़ा तक पाइप लाइन, मंत्रीजी, पता नहीं, किन चक्करों में व्यस्त रहे, सबको पता है यह तो लेकिन जनता तो अभी भी पानी के लिए तरस रही है। मेरा नए मंत्री से आग्रह है कि आप इसमें रुचि लेकर जो छोटे-छोटे गांव हैं, वहां भी पर्याप्त पानी पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार जो आज की तारीख में अपने उस काम को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत प्रदेश के हर मरीज को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करानी चालू कर दी है। माननीय सभापति महोदय, आंकड़े उठाकर के देखें आप कि जितने मरीज आते हैं और जितनी राशि की दवा दी जाती है, प्रति मरीज 50 रुपए से ज्यादा नहीं बैठता है वह। एक मरीज को 50 रुपए की राशि,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

दवाई आपने फ्री कर दी, अच्छा काम किया आपने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए लेकिन आपने जांचों की दरें कितनी बढ़ा दीं, यह पता है कि नहीं आपको? लगभग हर जांच महंगी हो गई है। आज जितना मरीज का पैसा दवाई पर खर्च नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा पैसा जांचों में खर्च होता है। किसी का पेट भी दुखता है तो दवाई लिखने से पहले डॉक्टर उसकी सोनोग्राफी लिखता है कि जाकर पहले सोनोग्राफी कराकर लायें; दवाई लिखेगा 25 की और सोनोग्राफी कराएगा 300 की। कोई बीमारी हो, जांचें पहले करवाते हैं। आप चाहे एस एम एस हो, चाहे पाली का बांगड़ अस्पताल हो, आपने हरेक में जांचों की दरें बढ़ा दी हैं। आउट डोर की पर्ची पहले दो रुपए में, अब आपने उसमें पांच रुपए कर दिये हैं। भर्ती का टिकट पहले पांच रुपए में, आपने बढ़ाकर उसको दस रुपया कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इनका जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है चिकित्सा व्यवस्था का, उसका नमूना मैंने पहले अभिभाषण के दौरान भी दिया था। मेरे पाली बांगड़ चिकित्सालय में आज से दो साल पहले प्रति माह कम से कम 300 आपरेशन होते थे। एक-डेढ़ साल में हालत यह हो गई कि प्रति माह मात्र 10 आपरेशन होते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, कोई मेरे नहीं हैं। मैं विधान सभा में बोल रहा हूं यह बात। एक-डेढ़ साल से मात्र एक एनस्थेशिया का डाक्टर नहीं होने की वजह से या उसके काम नहीं करने की वजह से है। सर्जरी विभाग के चार सर्जन, आर्थोपेडिक विभाग के दो सर्जन, गायनिक विभाग के 2 सर्जन और आई विभाग के दो सर्जन एक साल से फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय से कई बार आग्रह किया है कि एक एनस्थेशिया या दो एनस्थेशिया के डाक्टर लगा दो, जिला हास्पिटल है, साढ़े तीन सौ बेडेड हास्पिटल है लेकिन एक-डेढ़ साल तक यह सरकार एनस्थेशिया के डाक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकी।

माननीय सभापति महोदय, जननी शिशु सुरक्षा योजना जिसकी वाहवाही भी यह सरकार लेती है, उसकी दुर्दशा यह है कि जो नार्मल प्रसव है वह तो हो जाता है पाली में, कोई दिक्कत नहीं है और जो सीजेरियन होते हैं, चूंकि एनस्थेशिया वाला नहीं है इसलिए सारे सीजेरियन या तो प्राइवेट हास्पिटल में होते हैं या उनको जोधपुर जाना पड़ता है। रोज के चार-पांच सीजेरियन जिस अस्पताल में होते थे, एक साल से वहां कोई सीजेरियन नहीं हुआ है। यह उस जननी की हालत है, इस जननी की दुर्दशा इस सरकार के कार्यकाल में हुई है और यह सरकार वाहवाही लूट रही है। यह शर्म की बात है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, एस एम एस में ओपन हार्ट सर्जरी होती है, यह सरकार दावा करती है कि हमने 400 से भी ज्यादा दवाइयां नि:शुल्क देने के आदेश पारित कर दिया, तो ओपन हार्ट सजरी के जो मरीज हैं, उनके खर्चे में कुछ कमी आनी चाहिए थी। एक के भी खर्च में किसी प्रकार की एक रुपए की भी कमी नहीं है। उनका बिल उठाकर के देख लो जो उनको सरकार या अस्पताल प्रशासन देता है। उसमें डिस्पो सीरिंज के पैसे भी जोड़ रखे हैं, छोटे-मोटे इंजेक्शन भी हैं, वे भी उनके खाते में जोड़ रखे हैं। एक रुपए की भी दवाई उस हृदय रोगी को जिसको मदद की ज्यादा जरूरत है, उसको नहीं दी जा रही है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में 400 तरह की दवाइयां नि:शुल्क, जिनकी हमने सूची जारी की है, तो उन सारे मरीजों के बिल के जो पैसे हैं ना, सरकार उनको वापस लौटाये और भविष्य में इस बात के निर्देश भी दे कि जो दवाइयां नि:शुल्क मिलनी चाहिए थीं या मिलनी हैं, कम से कम उनकी राशि तो उनके बिलों में नहीं जोड़ी जाए ताकि उस मरीज को भी राहत हो सके।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करुंगा कि हमारे यहां गुर्दे के भी काफी रोगी हैं जिनको प्रति सप्ताह डायलिसिस की आवश्यकता होती है। बहुत महंगा होता है डायलिसिस करना। जिनको महंगे इलाज की आवश्यकता है, उनकी ज्यादा मदद करे सरकार; पचास-सौ वालों में कोई नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। जिनको लगातार महंगे इलाज की आवश्यकता है, उनके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को प्रावधान करने चाहिए। मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह रहेगा कि जो गुर्दे के रोगी हैं, जो हृदय रोगी हैं, जिनके इलाज में बहुत बड़ा खर्चा आता है, उनके डायलिसिस की, उनकी जांचों की व्यवस्था भी नि:शुल्क कर दें। बजट में वापस उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो यह मेहरबानी भी राजस्थान की जनता के ऊपर मुख्य मंत्रीजी कर दें। क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन फायदा बड़ा मिल नहीं रहा है। तो यह घोषणा कर देंगे तो बहुत बड़ा फायदा इस प्रदेश के बहुत सारे गुर्दे रोगियों को मिल जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल की हालत यह है कि आपकी नि:शुल्क दवाइयों की वजह से मरीज तो आने बहुत बढ़ गए, संख्या बढ़ गई लेकिन उसके भवन विस्तार के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जब आपने मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी को भांप लिया कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज आएंगे, तो निश्चित रूप से उनको वहां रहने की या

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रुकने की पर्याप्त सुविधा मिल जाए। उसके लिए जो आवश्यक वार्डों का निर्माण कराना है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान करना चाहिए था। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि जो न्यूरोसर्जरी वार्ड हैं या कार्डियक सर्जरी वार्ड हैं जहां मरीज बहुत बड़ी संख्या में बढ़े हैं, प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हैं जहां मरीज बढ़े हैं, जिन-जिन वार्डों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहां भी अतिरिक्त वार्डों का निर्माण कराकर हर मरीज को वहां सोने के लिए पलंग मिल जाए, ऐसी व्यवस्था तो कम से कम यह सरकार करवा दे, वरना वहां की हालत यह है कि वहां जो रैम्प है उस पर मरीज लेटे हुए हैं। गैलेरी में छोड़ दो आप, वार्ड में छोड़ दो, नीचे पर जो रैम्प है न, वहां भी मरीज लेटे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस वर्ग को सबसे ज्यादा सरकारी मदद की आवश्यकता होती है, उस वर्ग के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं। विधवा की बात अजमेर से आने वाली माननीय विधायक ने कही, और भी विधायकों ने कही कि विधवा चाहे किसी भी स्तर की विधवा हो, चाहे उसका बेटा जवान हो, विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए। विकलांग पेंशन में भी काफी सारी शर्तें आपने जोड़ रखी हैं, इसलिए कई विकलांग उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कुछ छूटें भी आपने दी हैं लेकिन कुछ छूटें और देने की आवश्यकता है और महंगाई बढ़ने के बाद भी आपने इस बार विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की। मेरा सरकार से यह आग्रह रहेगा कि जब महंगाई बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं तो कम से कम विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी आप थोड़ी बढ़ा दें, पांच सौ को आप छह सौ कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत पैसा है सरकार के पास, इन्कम बहुत बढ़ी हुई है।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, अवैध शराब के धन्धे में लिप्त जातियों को उस धन्धे को छोड़ने एवं नया रोजगार करने का अवसर देने के लिए नवजीवन योजना चालू की गई थी और उसमें प्रावधान रखा गया था कि आबकारी की आय का एक प्रतिशत हिस्सा नवजीवन योजना में आने वाले परिवारों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। पहले नवजीवन योजना में मात्र एक या दो जातियां थीं, अब आपने पांच जातियां और जोड़ दीं, बहुत अच्छा काम किया आपने, उसके लिए आपको धन्यवाद, वाकई में वे भी हकदार थे, लगभग चार सौ प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई उन परिवारों में लेकिन आपने बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं। बजट प्रावधान वह ही एक प्रतिशत। जब

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चार सौ प्रतिशत परिवार और जुड़ गये उसमें तो कम से कम बजट भी चार गुना बढ़ना चाहिए। सरकार से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि आप आबकारी की आय का कम से कम पांच प्रतिशत हिस्सा नवजीवन योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवारों के उत्थान में, शिक्षा में, उनके रोजगार में व्यय करें, यह मेरा आग्रह रहेगा और साथ में सरकार से यह भी आग्रह रहेगा, मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने व्यक्तिगत भी निवेदन किया था कि कुछ जातियां ऐसी हैं अभी जिनको भी सरकारी मदद या सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। इनमें एक बावरी जाति है, चौकीदार जाति, जो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में है, उनके पेट पालन का सबसे बड़ा काम है, अंग्रेजी बबूल को काटकर उसका कोयला बनाना और उसको बेचना। सरकार ने अंग्रेजी बबूल की कटाई पर रोक लगा दी, उसको अवैध मान लिया, उसके बाद में यह जाति रोजगार के लिए तरस रही है और आज भी इस जाति में अशिक्षा और गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आप इस बावरी जाति के लिए भी कोई योजना बनायें या उसको भी नवजीवन में शामिल करें। एक जाति है साटिया जो देह व्यापार का धन्धा करके अपने परिवार का पेट पालती है, इस जाति को भी मदद की आवश्यकता है। सरकार इसकी मदद करके इस धन्धे से छुड़वा दे तो इनकी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अच्छे संस्कारों में पलेगी। तो मेरा सरकार से यह भी आग्रह रहेगा कि आप जो यह साटिया जाति है, बावरी जाति है, उनके लिए भी कोई विशेष योजना बनाये ताकि इनका भी सामाजिक स्तर अन्य जातियों के बराबर हो सके और ये भी समृद्ध हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की बहुत सारी योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की हैं लेकिन हरेक में बजट की कमी है। जितनी आवश्यकता है उतना बजट मिलता नहीं है और उसके कारण आवेदन लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं। चाहे विधवा पुत्री के विवाह की योजना हो जिसमें सहायता राशि दी जाती है, चाहे बी पी एल पुत्री के विवाह की सहायता राशि वाली योजना हो, चाहे एस सी/एस टी की बालिकाओं के लिए विवाह की अनुदान राशि हो, एक-एक साल से ऊपर हो गया आवेदन किये हुए, योजना नाम की कागजों में है लेकिन पैसा नहीं मिला। चाहे बी पी एल परिवार के मुखिया हों या अन्य लोग हों, चक्कर लगाते हैं समाज कल्याण के कार्यालय में लेकिन उनको पैसा मिल नहीं रहा है। तो जब आपने कोई योजना लागू कर दी,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चालू कर दी, जिसका ढिंढोरा आपने पीट दिया तो जितनी आवश्यकता है, उतना बजट का प्रावधान यह सरकार करे, मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

साथ में, ऐसे परिवार जिनमें दो विकलांग हों, उनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आस्था कार्ड जारी किया जाता है। सरकार ने आस्था कार्ड जारी कर दिया और आस्था कार्ड में यह दर्शा भी दिया कि आपको ये-ये सुविधाएं मिलेंगी, ये सरकार की घोषणाएं हैं उसमें लेकिन हालत क्या है, मात्र एक-दो लाभ उनको मिलता है, बाकी अभी भी जो पीछे लिखी हुई सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से आज तक कार्डधारी वंचित हैं तो मेरा सरकार से यह भी आग्रह रहेगा कि जो आपने सुविधाओं की घोषणा उस आस्था कार्ड के पिछले वाले पृष्ठ पर कर रखी हैं, उनको पूरी करने के लिए आप संबंधित विभाग को निर्देश दें ताकि वे उनकी क्रियान्विति करके उस आस्था कार्डधारी परिवार को जो मदद मिलनी चाहिए, वह मदद मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में कुछ घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कीं जिनको पिछले तीन सालों से मैं भी सुनता आ रहा हूं। शिक्षक भर्ती की घोषणा हर बार, जब से सरकार बनी लेकिन भर्ती एक भी नहीं। इस बजट में भी द्वितीय श्रेणी के 11,865 एवं तृतीय श्रेणी के 41 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया और आगामी वर्ष में बीस हजार और शिक्षक भर्ती की घोषणा यह सरकार कर रही है। यह सरकार लगातार इस प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है, छलावा कर रही है, उनको झूंठा आश्वासन दे रही है। तीन साल बीत गये, जिन 56 हजार शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी आज से तीन साल पहले, वह भर्ती आज तीन साल बाद भी नहीं हुई और यह सरकार वापस ये ही घोषणाएं करके वाहवाही लूटना चाहे तो फिर इनकी मर्जी।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सारे लोग जानते हैं। आज की तारीख में हालात ये हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि यदि मैंने मेरे बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ा दिया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, बरबाद हो जाएगा। तो कहीं से भी पैसा लाकर वह निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाता है। यह सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा है। इस सरकार ने तो जो निजी विद्यालय थे, उनको भी एक षड्यंत्र के तहत बंद करने की मंशा ठान रखी है। मान्यता के लिए ऐसे नियम, कायदे, कानून बना दिये कि शायद जो छोटे-छोटे निजी विद्यालय हैं, वे सारे के सारे बंद हो जाएं। अब शहरी क्षेत्र

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

में एक एकड़ जमीन, उसका मतलब होता है कि कम से कम ढाई करोड़ रुपया। कम से कम पाली जैसे शहर में ढाई करोड़ से कम एक एकड़ जमीन मिलती नहीं और उसके बाद में जो बिल्डिंग दी है उन्होंने, उस पर एक करोड़ और खर्च। अब जिसके पास ढाई-तीन करोड़ रुपये हैं, वह स्कूल लगायेगा क्या? और काम करेगा वह। हमारे यहां जो शिक्षित युवा हैं, वे नौकरी नहीं मिलती तो अपना छोटा विद्यालय खोलकर खुद की जीविकोपार्जन भी करता है और बच्चों को शिक्षा भी देता है। ऐसे छोटे-छोटे विद्यालय पाली शहर में आठ सौ होंगे। पर जो मान्यता के नये नियम लाद दिये न सरकार ने, ये आठ सौ विद्यालय बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। जिनसे हज़ारों युवा जो रोजगार कर रहे हैं, वे भी रोजगार से वंचित हो जाएंगे इनके कारनामों से। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि ये जो आप नये नियम बना रहे हो न, ये राजस्थान को देखते हुए व्यावहारिक नहीं हैं। ऐसे व्यावहारिक नियम बनाओ आप जिससे निजी विद्यालय वाले उन नियमों की पालना कर सकें, कुछ राशि खर्च करके। ऐसे नियम बिलकुल नहीं जो बहुत मुश्किल हों, नामुमकिन हों। तो सरकार से यह भी आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, उद्योगों के प्रति भी यह सरकार कोई बहुत ज्यादा चिंतित या गम्भीर नहीं है, चाहे अख़बारों में बजट की वाहवाही करा कर ये बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमने बजट की बहुत वाहवाही करवा दी। हमारे बजट को हरेक व्यक्ति ने सराहा है, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने हमारी तारीफ की है। मैंने शुरुआत में कहा था कि जो आवश्यकता है और जो दिया है, उसका आकलन करो तो अंतर इतना ज्यादा है, तब लगेगा कि यह बजट वाकई में कुछ नहीं है। क्योंकि आवश्यकता और दिया, उसकी तुलना नहीं की थी लोगों ने। जिस दिन तुलना कर लेंगे न, उस दिन आम व्यक्ति कह देगा कि इस बजट से कुछ नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग के बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पाली जो औद्योगिक नगरी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट भाषण में इस बात की घोषणा यहां की थी कि पाली शहर में पावरलूम के लिये पैकेज यह सरकार देगी। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की पिछले बजट में की गई घोषणा है। एक साल बीत जाने के बाद भी इस सरकार ने पावरलूम के लिये कोई विशेष पैकेज पाली को नहीं दिया, मात्र रॉ मैटेरियल पर वैट में कुछ कटौती कर दी। पाली वालों ने मांगी बिजली दरों में सब्सिडी, वह दी नहीं; जमीनों के आबंटन में थोड़ी रेट कम हो जाये, वह दी नहीं। सभापति महोदय,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जब तक यह सरकार उद्योगों को नहीं पनपायेगी तब तक यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी इस सरकार के अकेले की बात नहीं। उद्योग-धंधे लगेंगे, इस सरकार पर बोझ कम होगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप उद्योगों के लिये भी विशेष पैकेज लाये और हमारे प्रदेश में उद्योग-धंधे पनपे, उद्योग लगाने के लिये उद्योगपति आकर्षित हों, यहां निवेश करें, उसके लिये कुछ ऐसा पैकेज उनको दो। हो सकता है, एक बार आपका पैसा खर्च हो लेकिन उसके बाद में टैक्स के रूप में आपकी जो आय होगी, वह आपके खर्च से कई गुणा ज्यादा होगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर में प्रदूषित पानी है उसके ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 75 करोड़ की राशि इस बजट में जोधपुर को दी। हमारा पाली भी प्रदूषण की समस्या से बहुत ग्रस्त है। आज तक जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट लगे, इंडस्ट्री वाले अपनी ओर से 50 परसेंट का अंशदान देते हैं, बाकी सरकार देती है, फिर भी पाली की समस्या बहुत बड़ी है। मुख्य मंत्रीजी को इस समस्या के बारे में पूरी जानकारी दी। जब 75 करोड़ रुपया आप जोधपुर को दे सकते हो तो मेरा आग्रह रहेगा कि ट्रीटमेंट प्लांट के लिये पाली शहर को भी आप सरकार की ओर से कुछ राशि दे दें ताकि पोल्युशन की समस्या का वहां और अच्छे तरीके से समाधान किया जा सके। ऐसा मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से कुछ और चाहूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट और चाहूंगा, मेरे चार-पांच सुझाव हैं, ज्यादा नहीं हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कुछ और निवेदन भी करना चाहूंगा, जैसे आपने घोषणा की है मुख्यमंत्री बीपीएल शहरी आवास योजना, माननीय मुख्य मंत्रीजी को पता नहीं कि शहर में बी पी एल वालों को प्लाट लेने में भी बहुत मुश्किल आती है, इतने भाव बढ़ गये हर शहर में। कम से कम बीपीएल आवास योजना में एक छोटा भूखंड भी उनको दे दें जिनके पास अपना भूखंड नहीं है, क्योंकि अधिकांश बी पी एल वाले वे हैं जो कच्ची बस्ती या कृषि भूमि पर बैठे हैं, जहां आप नियमों में दे नहीं सकते। उनके पास पट्टा नहीं है। तो एक-एक भूखंड हर बी पी एल परिवार को कम दर में, रियायती दर में या नि:शुल्क दे दें तो बहुत बड़ी कृपा इन पर हो जायेगी। क्योंकि पाली शहर में भी बांडी नदी है, उस नदी में कम से कम 100 परिवार बसते हैं; रामलीला मैदान है वहां

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

स्थायी परिवार बसते हैं। कई जगह हैं जहां सैकडों परिवार ऐसे हैं जो सरकारी भूमि पर तंबू लगा कर रह रहे हैं, आप चाह कर भी उस आवास योजना का लाभ उनको दे नहीं पाओगे। तो कम से कम उनको एक भूखंड दे दो, उसके बाद में वहां पर मकान के लिये पैसे दे देना, यह मेरा आग्रह है।

इसी तरह से पाली शहर में गाड़िया लुहार भी बहुत बडी संख्या में हैं जो इधर-उधर बसते हैं। सरकार ने पहले प्रावधान भी रखा था कि जो भी गाड़िया लुहार हैं उनको सरकार की ओर से नि:शुल्क भूखंड दिया जायेगा। जो परिवार इस नि:शुल्क भूखंड योजना से वंचित रह गये, उनका वापस सर्वे करवाकर यह सरकार उनको भी भूखंड दे दे और बाद में मकान के लिये जो लोन अनुदान देती है, वह भी दे दे, यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा।

सरकार से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य होता था, अब उस नियम में सरकार ने छूट दे दी कि पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य नहीं होगा। अगर घर वाले सहमत हैं और पुलिस अगर सहमत है तो लिखकर दे दें कि हमें पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, बिना पोस्टमार्टम के ही लाश दे दी जाती है। लेकिन मुख्य मंत्री सहायता कोष से पीड़ित परिवार को जो राशि मिलती थी 20 हजार रुपये, वह मात्र उसी पीड़ित परिवार को दी जाती है जिसने अपने परिवार के मृतक का पोस्टमार्टम कराया हो। चूंकि कई व्यक्तियों को इस बात की या इस नियम की जानकारी नहीं होती कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवायेंगे तो हमें इस राशि से वंचित रहना पड़ेगा, वे पोस्टमार्टम नहीं करवाते और बाद में सहायता राशि के लिये चक्कर लगाते हैं। तो उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया है, नियमों में नहीं आता है इसलिए आपको सहायता राशि नहीं मिलेगी। कई बार जब दुर्घटना होती है, एक ही दुर्घटना में कई मृतक होते हैं, तो यह राशि नियमों में छूट देकर दे दी जाती है लेकिन आम तौर पर यह दी नहीं जाती। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जब आपने दुर्घटना में मृतक के पोस्टमार्टम के नियम को समाप्त कर दिया तो इस सहायता राशि के नियम में भी थोड़ा संशोधन करके या शिथिलता देकर वह सहायता राशि जो परिवार लेना चाहे, या जो गरीब है, उसको दो। नियमों में यह थोड़ा संशोधन कर दो।

साथ में, अज्ञात वाहन से दुर्घटना में जो मृत्यु होती थी उसमें तोषण निधि से 25 हजार रुपये मिलते हैं। पहले वाहन से जो मृत्यु होती थी, उसमें

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

10 हजार रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिलते थे, उस राशि को बढ़ाकर आपने 20 हजार कर दिया। पर अज्ञान वाहन से मौत पर पहले 25 हजार मिलते थे और बाद में उसको कोई क्लेम भी नहीं मिलता। तो सरकार से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि जब आपने दुर्घटना में ज्ञात वाहन से मौत पर सहायता राशि बढाकर 10 से 20 हजार कर दी तो अज्ञात वाहन पर भी आप 25 हजार से बढ़ाकर दोगुनी, 50 हजार कर दें ताकि उनको बहुत बडी राहत मिल जाये।

आगजनी से जो नुकसान होता है, उसमें भी जो सहायता दी जाती है वह इतनी नाम मात्र की होती है कि एक लाख का नुकसान हुआ तो 2-4 हजार रुपये दे दिये। तो सरकार से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि इसमें भी आप सहायता राशि बढ़ायें।

चूंकि आपने कल जो बातें की हैं कि हम समाज के लिये बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं; अगर वाकई में मदद करना चाहते हो तो मेरे इन सुझावों पर सरकार गौर करे, यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा।

सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि वाकई में यह बजट कोई जादुई करिश्मा साबित न हो जाये, जनता सोचे कि हमको कुछ मिलेगा और आंखों से जब पर्दा हटे तो खाली हाथ वापस अपने घर आये, यह बजट शायद ऐसा ही साबित होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल बैरवा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): माननीय सभापति महोदय, इस बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं तहेदिल से आपका आभारी हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत-बहुत बधाई व साधुवाद देता हूं कि उन्होंने वर्ष 2012-13 का जो बजट पेश किया है, वह बहुत ही बढ़िया और शानदार बजट पेश किया है। इस बजट में मेरी विधान सभा क्षेत्र की भूपालसागर उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया है, इसके लिये मैं इस अवसर पर आपको बहुत-बहुत बधाई एवं साधुवाद देना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र की जनता भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को तहसील बनाये जाने पर बहुत बधाई एवं साधुवाद दे रही है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बजट में हर विभाग को दिल खोलकर बजट दिया है और किसी विभाग को

(श्री शंकर लाल बैरवा)

वंचित नहीं रखा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एस सी, एस टी, अल्पसंख्यक, ओ बी सी, सामान्य वर्ग, काश्तकार एवं व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। इसके लिये पूरे राजस्थान की जनता आपको बहुत-बहुत बधाई व साधुवाद दे रही है और कह रही है कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब, हम आपको कभी नहीं भूल पायेंगे। इसी तरह संत कबीर दास जी ने कहा था कि-

'चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटया नीर,

धर्म करतां धन नहीं घटे, कह गये दास कबीर।'

मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि शिक्षा के बिना छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में रहता है। इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोक गहलोत साहब को आग्रह करूंगा कि हमारा विधान सभा क्षेत्र कपासन पूरे मेवाड़ संभाग में एक मात्र एस सी विधान सभा की सीट है और इस क्षेत्र में गरीब एस सी, एस टी के लोग ही ज्यादातर निवास करते हैं परन्तु कपासन विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है। हम गरीबों के पास पैसा नहीं होने के कारण हमारे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को हम प्राइवेट कालेजों में नहीं पढ़ा पाते हैं। अतः श्रीमान् से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं कि इसी बजट 2012-13 में कपासन में महाविद्यालय खोलने का आदेश फरमाया जावेगा तो हमारे कपासन विधान सभा क्षेत्र के सभी छात्र-छात्राएं आपके सदैव ऋणी रहेंगे।

सभापति महोदय, हमारे कपासन विधान सभा क्षेत्र में भूपालसागर क्षेत्र बड़ा है जो कि थाना आकोला में आता है। भूपालसागर से होकर फोर लेन चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के लिए गुजरती है। इस फोर लेन पर आये दिन दुर्घटनाएं एवं आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं और थाना आकोला दूर होने के कारण पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। अतः मैं श्रीमान् से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पुलिस चौकी भूपालसागर को थाने में क्रमोन्नत करवाने का आदेश इसी बजट में फरमाया जावे तो क्षेत्र की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी।

सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति भूपालसागर क्षेत्र की 19 ग्राम पंचायतों में करीबन 100-125 के लगभग गांव

(श्री शंकर लाल बैरवा)

आते हैं। इस क्षेत्र में आये दिन बिजली की समस्या आती रहती है। बिजली की पूर्ति नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता एवं किसानों को संकट का सामना करना पड़ता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि 132 केवी जीएसएस भूपालसागर में स्थापित करने की घोषणा इसी बजट 2012-13 में करें ताकि हमारे काश्तकारों को राहत मिले।

सभापति महोदय, मैं अन्त में कहना चाहूंगा, कहावत में कहते हैं कि बोलना तो मोर का होता है और बरसना राजा इन्द्र का होता है, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मोर की भांति मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता के लिए मांग करूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप हमारे राजा इन्द्र की तरह बरस कर कपासन विधान सभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने की कृपा करें।

आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत द्वारा राजस्थान की विधान सभा में जो बजट रखा है, वह केवल आंकड़ों के मायाजाल में इस विधान सभा में केवल आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह चौथा बजट है और हर बजट की अगर तुलना की जाए तो वही आंकड़े दूसरे बजट में, वही आंकड़े तीसरे बजट में और आंकड़ों का मायाजाल फैलाकर केवल यहां पर समय जाया कर रहे हैं। वे की वे ही घोषणाएं हैं। नया कोई काम किया हो तो बतायें कि राजस्थान के इस नये काम से कायाकल्प हो गई है।

सभापति महोदय, इन्होंने जनता के लिए पेट्रोल सस्ता किया, मनोरंजन शो के लिए पैसे कम किये, दो पहिया वाहन, दस लाख से अधिक के गैर-परिवहन वाहन सस्ते किये मगर इन्होंने कभी यह सोचा कि ये चीजें किसान के काम आती हैं क्या? इस बजट में किसान के लिए क्या किया? इस बजट में राजस्थान का किसान राजस्थान की विधान सभा की तरफ देख रहा था कि इस बजट में मेरे लिए कोई राहत का पैकेज आएगा और उसमें मुझे कोई राहत मिलेगी। इस बजट में कहीं भी किसान को राहत देने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। फार्म पोंड, यह जिसमें कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए उसके लिए पैसे बढ़ाये जा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि गत बजट में आपने यह प्रावधान किया था कि डिग्गी, पोंड बनाएंगे, मगर कितने बने, यह कोई बताने वाला नहीं है। पिछले बजट में आपने अपने भाषण में जो घोषणाएं

(श्री केसाराम चौधरी)

की थीं, उसके कारण से क्या काश्तकार ने कोई फायदा लिया है? नहीं ले रहा है। इसीलिए उसके दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिये, डिग्गी बनाने के लिए। पानी तो है नहीं, फिर पानी के बिना डिग्गी का क्या करेगा? ऐसी सूरत में जो घोषणाएं की हैं, वे किसान के लिए थोथी हैं। अगर किसान को सही मायने में फायदा देना होता तो किसान का ट्रैक्टर सस्ता करते या उसके एग्रीकल्चर में जो इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, उनमें सब्सिडी या राहत दी जाती तो किसान को फायदा होता।

आज की तारीख में इन्होंने अगर कोई फायदा किया है तो माननीय अशोकजी गहलोत ने जुआरियों के लिए फायदा किया है। उन जुआरियों को जुआ खेलने की खुली छूट दे दी वायदा बाजार में, जो सी टी टी टैक्स लगता था उसे माफ करके। आज खुले आम बाजार में कोई भी चीज कितनी खरीदी, क्या किया, कोई हिसाब-किताब नहीं है। आज ग्वार का भाव 30 हजार रुपये क्विंटल, यानी एक बोरी ग्वार में एक तोला सोना आता है। माननीय सभापति महोदय, अगर यह व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रही, जब काश्तकार का माल निकल गया और उसके बाद भाव आता है तो उससे किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर किसान के लिए भण्डारण की व्यवस्था हो, बिना ब्याज उसको भण्डारण करने की जगह मिले ताकि वह अपने माल का कहीं भण्डारण कर सके और जब भी मार्केट में भाव आते हैं तो उस समय अपनी फसल को बेच सके और उसको उचित दाम मिल सके, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कहीं की नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह बजट किसान का घोर विरोधी बजट है। इसमें जो भी किसान के लिए करना चाहिये, वह नहीं है, किसान के लिए निराशाजनक बजट है।

माननीय सभापति महोदय, गत बजट में इन्होंने घोषणा की थी, हम किसानों के लिए 500 सौर ऊर्जा संयंत्र, पम्प सेट लगाने के लिए व्यवस्था करेंगे मगर मेरे ख्याल से एक भी पम्प सेट, मेरे विधान सभा क्षेत्र में या पाली के क्षेत्र में कहीं एक भी सौर ऊर्जा संयंत्र लग गया होता तो अफसोस नहीं होता। इन्होंने किसान को लुभावनी बात करने के लिए, केवल कागजों में बात करने के लिए, अब की बार भी 2,200 पम्प सेट सौर ऊर्जा से चलने वाले किसानों के लिए दिये जाएंगे और उसमें साठ करोड़ रुपये का प्रावधान बता रहे हैं मगर, सभापति महोदय, सौर ऊर्जा से चलने वाले ये पम्प राजस्थान में कहां लगा रहे हैं, इसका कहीं भी विवरण नहीं है।

(श्री केसाराम चौधरी)

आप हर बजट में घोषणा करते हैं कि हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, 3,380 मेगावाट बिजली हमने एक्सेस पैदा की, मगर हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि घी खाने के बाद में कुल्हड़ कहां गया, इतनी बिजली पैदा की तो किसान को मिली कहां? किसानों को वसुन्धरा जी के राज में 8 घण्टे बिजली निश्चित रूप से मिलती थी। वह किसान इस बार इतना परेशान रहा कि उसको रात को बिजली दी जाती है। खेत के अन्दर रात को काम करने वाला किसान यह सोच भी नहीं सकता, अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी रात में जाकर पानी में खड़े रहकर खेत में काम करे। आपने उसको सस्ती बिजली, हरियाणा और पंजाब में रात में किसान उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए सस्ती बिजली खरीदकर किसान को मजबूर किया, रात में खेत में पानत करने के लिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, किसान के लिए फायदे की बात, 8 घण्टे बिजली नहीं दी और केवल 6 घण्टे बिजली दी और 6 घण्टे में भी कितनी बार ट्रिप हो जाती थी, वह किसान यह सोच भी नहीं सकता। पानी पहुंचता और बंद हो जाता है, पानी पहुंचता है और बंद हो जाता। ऐसी परिस्थिति में ऐसी बिजली देकर किसानों के साथ घोर अन्याय किया है।

किसानों को कनेक्शन देने की बात के लिए इन्होंने इस वर्ष जो डिमांड्स निकालीं, अभी तक उन डिमांड्स के पैसे लेकर सरकार बैठ गई लेकिन काश्तकार को आज तक कनेक्शन नहीं मिला। डिमांड के खम्भे खड़े हैं, पोल खड़े कर दिये, कभी माल के लिए ट्रैक्टर मंगवाते हैं, किसान को भारी मुआवजा बिजली के पेटे चुकाना पड़ता है। किसान के डिमांड के पैसे आज जमा होते हुए भी उसे कनेक्शन नहीं मिला है। ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 72 घण्टे में वसुंधराजी उस ट्रांसफार्मर को बदल देती थीं मगर आज अशोकजी के इस राज में ट्रांसफार्मर 15-15 दिन तक काश्तकार को नहीं मिलता है। जब हमें इस बात की इत्तला होती है, जब टेलीफोन करते हैं तो 2-3 दिन में कहीं जाकर वह ट्रांसफार्मर लगता है। तब तक काश्तकार की जो फसल होती है, वह सूख जाती है। वसुंधराजी ने हर खेत में किसान को बिजली देने के लिये, घरेलू बिजली देने के लिये, केवल एग्रीकल्चर बिजली 6 घण्टे आती है, मगर उसको 18 घण्टे की बिजली मिले इसके लिये छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगा करके बेरों पर बिजली देने की व्यवस्था की थी लेकिन आपकी सरकार ने आते ही उन बेरों पर जहां किसान अपना निवास बनाकर रहता है, उसमें बिलकुल रोक लगा दीं। किसान को खेत में जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, उसकी फाइल भी जमा नहीं करते हैं। क्या वह भारत का नागरिक नहीं है? क्या वह राजस्थान में रहने

(श्री केसाराम चौधरी)

वाला नागरिक नहीं है? क्या उसको बिजली का उपयोग करने का अधिकार नहीं है? ऐसी सूरत में ऐसी रोक को आपको हटाना चाहिए और किसान जो अपने खेत में मकान बनाकर रहता है, उसमें अपना कनेक्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी मांग है कि आप इस रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाएं और किसान को जल्दी से जल्दी बिजली दें।

पाली जिले में किसानों पर यह बिजली की लूट मचा रखी है। किसान से विजिलेंस के नाम पर, पाली जिले में किसानों की मोटरें चलती नहीं हैं, कुओं में पानी नहीं है, केवल मात्र एक घण्टे या दो घण्टे चलती हैं, उस किसान के लिये इन्होंने विजिलेंस के नाम से, दूसरा तो कुछ होता नहीं है कि कोई डाइरेक्ट टैपिंग लेकर के या मोटर चलाये, ऐसा केस नहीं मिलता है तो विजिलेंस वालों के ऊपर प्रेशर डालकर के यह पाबन्द करते हैं कि आप कैसे भी करके, आपकी रेवेन्यू इतनी कम हो रही है, आपको रेवेन्यू लानी है, तो वे जाते हैं और किसान की मोटर अगर पांच हार्स पावर की है तो उसे साढ़े सात हार्स पावर की बता देते हैं, अगर साढ़े सात हार्स पावर की है तो दस की बता देते हैं, साढ़े बारह की बता देते हैं और विजिलेंस शीट भर करके किसान को उससे लूटा जा रहा है। इस लूट को रोकना चाहिए, मेरी मांग है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सड़कों के लिये, 1,873 ढाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के कार्य आरम्भ किये जाने की बात कही थी किन्तु प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत मेरे क्षेत्र में एक भी सिंगल सड़क नहीं बनी। उसमें सिर्फ एक धारेश्वर और दूसरा निचली नीमड़ी, जो इसके क्राइटेरिया में आते थे, मगर उनके भी अभी तक टेंडर नहीं हुए, जिससे ये काम भी अधूरे पड़े हैं। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में राज्य की ग्रामीण सड़कों पर सात करोड़ रुपये खर्च होंगे, 16 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें प्रत्येक विधायक को दी थीं मगर उसमें से केवल 8 किलोमीटर सड़क बनी और 8 किलोमीटर के प्रस्ताव हमने भेज दिये मगर अभी तक उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं। 5 किलोमीटर मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कें जरूर मिली हैं किन्तु 30 से 40 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को सुदृढ़ीकरण एवं रिकार्पेटिंग के कार्य प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में करने थे मगर एक भी सड़क कोई रिन्युवल नहीं हुई, न रिकार्पेटिंग हुई। ऐसी सूरत में सड़कों की ऐसी हालत हुई है। स्टेट हाइवे-61 और स्टेट हाइवे-62, गजनीपुरा गांव, माननीय मंत्रीजी जब अभी चामुण्डा में आये थे तो मैंने इस बात को कहा तो उन्होंने खुद ने

(श्री केसाराम चौधरी)

जाकर के मौका देखा और ऐसी हालत थी, सड़कों की हालत को देखकर के उन्होंने वास्तव में दुःख व्यक्त किया। 3 साल के पीरियड में एक भी कोई सड़क बनाने की बात हो तो ठीक, मगर हमारी तो बनी हुई सड़कों को खोदकर के डाल दिया और 3 साल से पड़ी हुई सड़कें हैं, प्रति दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट के कारण से कई लोग जानें भी गवां चुके हैं किन्तु वे खुदी हुई सड़कें अभी आज दिन तक रिन्युवल नहीं हो सकीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र की सड़कें जो बिलकुल खराब हो चुकी हैं, उनको अतिशीघ्र ठीक करवाने के लिये मैं निवेदन करता हूं। मेरे 8 किलोमीटर के जो प्रस्ताव थे, अलखजी के मंदिर से बाली, रीषाणिया से 3 किलोमीटर, शेखावाट से राजोला 3 किलोमीटर, बोड़ नदी से गुढांगिरी 2 किलोमीटर, इनकी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इन्हें अतिशीघ्र स्वीकृत कर हमारे कार्य शुरू करवाने की व्यवस्था करावें।

मैं माननीय वसुंधराजी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में जन-सहभागिता योजना चलाई थी। उसमें उन्होंने 70 प्रतिशत सरकार से और 30 प्रतिशत जनता से लेकर के कोई कार्य करवाना, अति महत्वपूर्ण कार्य होता था तो जनता करवा सकती थी। मगर इस सरकार ने आते ही जन-सहभागिता योजना को बंद किया और एक साल बंद रखकर फिर देखा, वापस दूसरे साल जन-सहभागिता योजना को चालू किया और चालू करके उन्होंने 10 प्रतिशत जमा करके 90 प्रतिशत सरकार द्वारा देने की बात कही। मगर इसके पेटे में श्मशान घाट की चारदीवारी, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था के लिये बात की थी। इस पर ग्रामीण जनता ने कोई हजारों रुपये जमा करा दिये किन्तु सरकार ने एक भी काम की स्वीकृति नहीं निकाली। डी.आर.डी.ए. में पैसा जमा पड़ा है। मगर उन स्वीकृतियों को नहीं निकाला और इस बजट में नई घोषणा और करके उन्होंने कहा है कि हम इस योजना के तहत 20 करोड़, योजना 20 करोड़ से बढ़ाकर उसे 35 करोड़ करने की जो बात कही है, पैसे हैं भी नहीं, और ऐसे ही लोगों के पैसे जमा है, पहले वे स्वीकृतियां जमा पैसों की निकालें ताकि जनता के जो महत्व के कार्य है, वे हो सकें और यह सही मायने में कार्य हो सकें।

एक मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, जो माननीय वसुंधराजी ने पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रों के लिये, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद के लिये यह योजना बनाई थी। अरावली घाटी में रहने वाले लोग

(श्री केसाराम चौधरी)

मगरा में रहते हैं, उनकी हालत बड़ी खराब रहती है। इनके आने-जाने के रास्ते और पीने के पानी की जो आम सुविधाएं हैं, उनसे यह मगरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। माननीय वसुंधराजी ने इस बात को लिया और उनके लिये एक मगरा विकास बोर्ड का गठन किया और विकास बोर्ड के अध्यक्ष को मनोनीत किया था। मगर इस सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। दूसरे वर्ष वापस चालू की और दूसरे वर्ष 5 करोड़ का प्रावधान किया मगर एक रुपया भी उसमें से खर्च नहीं हुआ। इस साल इन्होंने गत वर्ष के इस बजट को बढ़ाकर 10 करोड़ करने का कहा था मगर आज की तारीख में इस बजट में कहीं भी मगरा विकास बोर्ड का न तो कहीं भी नाम आया, न निशान आया, न ही मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष की घोषणा की है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये यह मगरा क्षेत्र विकास योजना अतिशीघ्र चालू की जाए।

माननीय सभापति महोदय, तीन वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बात की जाए तो तीन वर्षों की अवधि में एक भी अध्यापक की नियुक्ति आज दिन तक नहीं हुई है। ऐसी सूरत में स्कूलों की क्या हालत हुई है? माननीय सभापति महोदय, यह सरकार की सबसे बड़ी साजिश, जिसको कहा जाए, इस राजस्थान के लिये सबसे बड़ी साजिश रची है और वह साजिश है कि किसी भी बच्चे को आठवीं तक फेल नहीं करना। इसका मतलब यह है कि आठवीं तक बच्चा चाहे एक दिन स्कूल गया, उसे आठवीं की परीक्षा दिलवानी है और उसे पास करना है, यह व्यवस्था इस सरकार ने की है। इससे आने वाले 10 साल में ये बच्चे 10वीं पास नहीं कर पाएंगे और नरेगा के एक मजदूर के रूप में, पढ़ा-लिखा मजदूर साबित करने के लिये यह सरकार की साजिश है। मैं चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था आपने फेल नहीं करने की की है, उसे वापस लिया जाए और इन स्कूलों में परीक्षा, वापस आठवीं तक का बोर्ड रखा जाए और उससे परीक्षा दिलवाई जाए ताकि आने वाले समय में उस बच्चे की यह भावना रहे कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, नहीं तो वह पढ़ता भी नहीं, और 8वीं तक फेल नहीं होगा तो 10वीं पास कर ही नहीं पायेगा। मेरी यह मांग है।

प्रदेश में 186 माडल स्कूल खोलने थे, जिसका एक भी कार्य आज दिन तक शुरू नहीं हो पाया। गत बजट में इन्होंने यह घोषणा की थी मगर एक भी माडल स्कूल आज दिन तक, केवल माडल ही दिख रहा है, कागजों में या नक्शे में माडल दिख सकता है। प्रदेश में 'रमशा', राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा

(श्री केसाराम चौधरी)

अभियान के तहत मूलभूत भवन निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किये किन्तु कार्य शुरू एक का भी हुआ हो तो बता दें। ऐसी घोषणाएं करके आप वाहवाही लूटने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं।

आपने प्रदेश की गरीब जनता के साथ यह बहुत बड़ा धोखा किया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान और अन्य विषयों के अध्यापक नहीं हैं। आप कैसी कल्पना करना चाह रहे हैं? गांव में जो शिक्षा है, उसकी हालत इस तरह से खराब हो रही है, आप उसमें विषय अध्यापक ही नहीं है तो उनको पढ़ाने वाला कौन होगा? तीन साल में कहीं भी एक भी अध्यापक आपने लिया नहीं। तो आने वाले समय में आप तो यह चाह रहे हैं कि कैसे करके भी टाइम पास हो जाए। अगले सत्र तक भी मास्टर लेने की स्थिति हमको नहीं लगती। न मालूम किस सोच को लेकर, राजस्थान को किस दिशा में ले जाने के लिए ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं। वसुन्धराजी ने हर पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की थी और आपने भी आते ही इस बजट में घोषणा की थी मगर मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये हर पंचायत हैडक्वार्टर पर माध्यमिक विद्यालय खुल गये? मेरा आपसे अनुरोध है कि जो-जो भी माध्यमिक विद्यालय नहीं खुले हैं, उनको अतिशीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करें ताकि आपकी की हुई घोषणा की क्रियान्विति सफल हो सके।

मेरा विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर करीबन 50-60 हजार बच्चे आज की तारीख में पढ़ाई कर रहे हैं मगर पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। आपने पाली जिले में कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर में खोला, अगर यही महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन में खोलते तो मेरे खयाल से इस क्षेत्र को भी एक महाविद्यालय मिल सकता था और सेंटर पाइंट था उदयपुर और जोधपुर के बीच में। बिलकुल सेंटर में यह महाविद्यालय खुलता। मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी कोई न कोई ऐसा महाविद्यालय खोला जाए। 125 किलोमीटर लम्बे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है, इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि मेरे क्षेत्र में भी महाविद्यालय खोला जाए। ताकि ये बच्चे उच्च माध्यमिक करने के बाद में कालेज में अपना अध्यापन कर सकें। इससे महिला शिक्षा में सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। महिलाएं, जो बच्चियां दसवीं पास, बारहवीं पास करने के बाद बाहर नहीं जा सकतीं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि महाविद्यालय खोला जाए।

(श्री केसाराम चौधरी)

मेरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्योंकि दसवीं और बारहवीं की स्कूलें नहीं हैं, जोजावर में उनको क्रमोन्नत किया जाए और दूसरी स्कूलें जैसे एक-एक स्कूल में, सिरयारी एक ऐसी स्कूल है जिसमें दसवीं और बारहवीं की स्कूल में साढ़े तीन सौ लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां पर भी एक बालिका विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। साथ ही इसके साथ डिंगरला, पुनाड़िया, डूठारिया में यह उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। ऐसे ही जबकि आप यह सरकार कहती है कि हम शिक्षा जगत में क्रांति लाने की चेष्टा कर रहे हैं, मास्टर नहीं हैं, ऐसे किस तरह से क्रांति लाएंगे?

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने पानी के लिए, पेयजल के लिए पाली में एक योजना बनाई है और उस योजना में जवाई-पाली परियोजना जो 2010-11, 2009-2010, 2010-2011 में, दोनों ही ये प्रगति प्रतिवेदन पड़े हैं, इनमें दोनों में देखा जाए तो एक पैसे का, एक धेले का भी अंतर नहीं और यह कहते हैं कि हम पानी, जवाई से पाली को पानी, जो वसुन्धराजी ने योजना बनाकर 395 करोड़ रुपये की योजना को 634.79 करोड़ की योजना बनाकर मारवाड़ जंक्शन के 116 गांवों को पीने का पानी देने की जो बात कही थी मगर इस सरकार ने आते ही इस योजना को ठंडे बस्ते में इस तरह से डाल दिया कि अभी तक तो द्वितीय फेज का भी काम जो पम्प-सेट लगाकर पानी सप्लाई करना था जवाई बांध में, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ।

(17.54 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चौथे और पांचवें चरण में कब तक पहुंचेंगे, यह समझ में नहीं आ रहा है। मारवाड़ जंक्शन के लिए जो फोर्थ फेज में इस कार्य को करना था और 116 गांवों को पानी देना था, उन गांवों के लिए तो, मुझे लगता है, इस सरकार के रहते यह कार्य पूरा नहीं हो सकेगा इस कछुआ चाल से। सोजत को भी पानी पिलाना, 2010 में सोजत को देने की सरकार की जो योजना थी, वह आज दिन तक सोजत और मारवाड़ जंक्शन के गांवों में पानी पहुंचाने की बिलकुल ऐसी गुंजाइश नहीं है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि यह जो योजना मंद गति से चल रही है, उस योजना को गति प्रदान करें।

इस बजट में की गई थोथी घोषणाओं के आधार पर ऐसा लगता है कि यह योजनाएं, पता नहीं, कब तक पूरी होंगी। मैं इस बजट में वाहवाही

(श्री केसाराम चौधरी)

लूटने की जो यह कोशिश की गई है, उसकी पुरजोर निंदा करता हूं और यह पिछले बजट में जो घोषणाएं की थीं, पहले उनको पूरा किया जाए और अबकी बार जो घोषणाएं की हैं उनको भी साथ-साथ पूरा किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपको सब कुछ देंगे पर राज नहीं देंगे।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): राज तो हम आपको वापस देंगे तभी तो आपसे लेंगे। यह तो राज तो हमारे ही पास रहेगा, चिंता न करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिये। ये तो भाटी साहब हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आप अपनी बात बोलें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): नहीं, मैं भी चाहता हूं इनको, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा बजट आज तक राजस्थान के इतिहास में तो पहले कभी आया नहीं, आगे भी आएगा तो हम ही लेकर आएंगे, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे गांव की बात हो, चाहे ढाणियों की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे महानगर की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, पत्रकारों की बात हो, कोई भी ऐसा वर्ग, मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में नहीं छोड़ा कि उनको किसी न किसी प्रकार से किन्हीं भी सरकारी योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाए।

मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि कल नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि ये हमारी घोषणाएं थीं; जो घोषणाएं हमने की थीं, वही घोषणाएं आज दुबारा हुई हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह आपको पूरे पांच साल का समय राजस्थान की जनता ने दिया था तो ऐसी घोषणाएं आपने क्यों कीं, कि आप उन पांच सालों में उनको पूरा ही नहीं कर पाये? और अब भी... (व्यवधान) आपने तो, हमने दो परसेंट घटाया, आप बता तो आज तक कभी एक पैसा भी आप लोगों ने घटाया था क्या? चैलेंज है।

(श्री टीकाराम जूली)

खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, वे गांव, वे ढाणियां, जिनकी आबादी एक हजार से कम थी और जिनके आज भी हम गांव में जाते थे तो रास्ते की समस्या थी, कच्चे रास्ते, पगडंडियों से वे आते-जाते थे, आज मुझे खुशी है कि ऐसी 2,900 ढाणियां और गांव पक्की सड़कों से जोड़े जाएंगे। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सड़कें ही नहीं, सड़कों के साथ-साथ वहां बिजली भी पहुंचायी जाएगी। ऐसे प्रस्ताव सरकार के द्वारा बनाये जा रहे हैं कि आने वाले वर्ष में 100 से ज्यादा की आबादी, 300 से ज्यादा की आबादी, जो विद्युतीकरण से रह गई; जहां बी.पी.एल. के लोग हैं, वे विद्युतीकरण से रह गईं; उनको सरकार के द्वारा बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी। मैं खास तौर से कहना

(18.00 बजे)

चाहूंगा कि जो घोषणाएं पिछले राज में कर दी थीं, वाहवाही लूटने के लिये चुनाव के समय में जो घोषणाएं कर दी थीं, वे सारी घोषणाएं असत्य साबित हुई हैं। आज नये तरीके से खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि एससी., एस.टी. और अल्पसंख्यक समुदाय की जो ढाणियां थीं, जो गांव थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में लिया गया और आज 2,569 गांव और ढाणियां और उनके साथ-साथ 7,500 एस.सी. की ढाणियां, 300 एस.टी. की ढाणियां और 120 अल्पसंख्यक समुदाय की ढाणियों में 106 करोड़ के काम आने वाले साल में कराये जायेंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी को जिन्होंने आम आदमी के लाभ को देखते हुए मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना शुरू की। आज हर पंचायत समिति पर, हर सी.एच.सी. पर 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की। आज जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू की। इसके साथ-साथ 25 पी एच सी नयी खोली जायेंगी, 100 सी एच सी खोली जायेंगी और गांव-ढाणियों में आम आदमी को इनका लाभ मिले, इसके लिये 3,000 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि विभिन्न हास्पिटल्स में 1,000 बेड्स की वृद्धि की जायेगी और जिन हास्पिटल्स में, जो 100 बेड के हास्पिटल हैं, उन सभी में न्यू-बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट स्थापित की जायेगी। जो जिला मुख्यालय हैं, उनमें भी 30-30 जननी वार्ड बढ़ाये गये हैं। 108 कितनी अच्छी जो सरकार की योजना है, उसमें 200 एम्बुलेंस की भी बढ़ोतरी की गयी है।

(श्री टीकाराम जूली)

मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि वे एस सी बाहुल्य गांव, जो सदा सुविधाओं से महरूम रहे हैं, सुविधाओं के लिये तरसते रहे हैं, उन गांवों को सम्बल योजना में जोड़कर 20 लाख रुपये प्रति गांव के हिसाब से 100 गांवों में सरकार की तरफ से जो घोषणा की है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भाटी साहब, इस सदन के नियम-कायदों से तो आप भी परिचित हैं। दोनों मुख्य सचेतक एक हो गये तो फिर सदन अच्छी तरह से चल जायेगा, दिक्कत ही नहीं आयेगी। अच्छा कर रहे हैं दोनों। अच्छी परम्परा है। इनमें प्रेम बढ़ता जा रहा है। भगवान का शुक्र है।

हां, जूली साहब आप बोलें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): इसके साथ-साथ एस सी के बच्चों के लिये भी 10 छात्रावासों की पूरे राजस्थान में घोषणा की गयी है। साथ ही 35 हजार एस सी के लोगों को 58 करोड़ के ऋण और अनुदान देने की भी घोषणा की गयी है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिये पूर्व में 500 कम्प्यूटर पैरा-टीचर्स और 3,500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की गयी थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब इसमें एक हजार पैरा-टीचर्स कम्प्यूटर और एक हजार शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की जायेगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना की जो शुरुआत की गयी है, निश्चित तौर पर जिन मदरसों में कमरों की या मरम्मत की या हास्टल की आवश्यकता थी, वे आवश्यकताएं पूरी होंगी, इसके लिये जो बजट 10 करोड़ रुपये रखा गया है, निश्चित तौर पर उन्हें इसका लाभ पहुंचेगा।

खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए महिला हेल्प-लाइन, एक लाख 80 हजार जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, साथिन हैं, आशा सहयोगिनियां हैं, उनके मानदेय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, जैसा मुख्य मंत्री का एक विजन पूरे राजस्थान के प्रति रहा है और लगातार हरित राजस्थान की जो कल्पना उन्होंने की है, उसी श्रेणी में उन्होंने राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कारों की घोषणा की है। उसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये रखा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में पेड़ों के प्रति, वृक्षों के प्रति हम लोगों की जो जागरूकता है, वह बनी रहे, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये, इसमें निश्चित तौर पर आम आदमी को भी इसका लाभ मिलेगा।

(श्री टीकाराम जूली)

मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना लागू की थी, उसी प्रकार, क्योंकि इंसान के लिये तो यह सारी व्यवस्था हो सकती है लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास पशु हैं पर उनका इलाज नहीं करा पाते हैं। आज जहां पशुओं की कीमत 50-50 हजार रुपये से लेकर 80-80 हजार, एक-एक लाख तक हो चुकी है, वहां इनकी दवा के लिये जो नि:शुल्क दवा की घोषणा की है, निश्चित तौर पर वे धन्यवाद के काबिल हैं। साथ ही साथ 400 नवीन पशु केन्द्र, 200 पशु केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करके भी पशुपालकों और किसानों को राहत देने का काम किया है।

इस बजट में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, क्योंकि शिक्षा आज इस समय हमारे लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरत का काम है और आज हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पायेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जो एक दौड़ पूरे विश्व में चली हुई है, उसमें हम काफी पिछड़ जायेंगे। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी ने एक पहल की है। मैं कहना चाहूंगा कि जो राजीव गांधीजी ने सपना देखा था कम्प्यूटर का, वह सपना, क्योंकि उस समय के लोगों ने बहुत कहा था कि कम्प्यूटर आ जायेगा और इंसानों का काम कम्प्यूटर करेंगे तो इंसान खाली हो जायेंगे, और एक बहुत ही दुष्प्रचार किया गया था लेकिन मुझे खुशी है कि आज वही कम्प्यूटर करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। जो पूरा हाइटेक जमाना आया है, उसमें हम इंटरनेट से जुड़कर पूरे विश्व की, पूरे देश की सभी चीजें हमारी मुट्ठी में रहती हैं, पाकिट में रहती हैं।

खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 7,310 यू पी एस, विद्यालयों में पहले कम्प्यूटर दिये जा चुके हैं और आने वाले समय में एक हजार कम्प्यूटर यू पी एस विद्यालयों में दिये जायेंगे। साथ-साथ इन विद्यालयों में पुस्तकालय भवन की कमी को देखते हुए 12 हजार पुस्तकालय भवन भी देने की सरकार ने घोषणा की है। मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी पहल, खास तौर से शिक्षा की गुणवत्ता में उससे बढ़ोतरी तो होगी ही होगी। जो बच्चे राजकीय माध्यमिक विद्यालय से नहीं जुड़ पा रहे थे, उनको एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। 10वीं और 12वीं में 10-10 हजार लैपटाप और 8वीं के जो 24 हजार बच्चे टापर आयेंगे, हर विद्यालय में, उनको लैपटाप देने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस बजट में एक हजार नये प्राइमरी स्कूल और 600 प्राइमरी से अपर प्राइमरी करने का प्रावधान है। 200

(श्री टीकाराम जूली)

कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का जो प्रावधान इसमें लिया गया है, निश्चित तौर पर मैंने देखा है इन कस्तूरबा गांधी विद्यालय को, इनमें कितनी अच्छी पढ़ाई होती है और एक डिमांड सभी विद्यालयों से इस चीज की आती थी। तो मैं अपनी ओर से इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री शहरी बी पी एल आवास योजना, जिसमें एक लाख मकान शहर में जो बी पी एल के लोग रह रहे हैं, उनके लिये सरकार द्वारा घोषणा की गयी है और काफी समय से हमारे ऊपर यह प्रेशर था कि गांवों के जो बी पी एल हैं उनको तो मकान मिल रहे हैं, पर शहर के बी पी एल के लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन गरीब लोगों को, बी पी एल लोगों को ध्यान में रखते हुए इस चीज की घोषणा की है और निश्चित तौर से उन लोगों ने जिन्होंने कभी अपने ऊपर छत होने का सपना देखा था, वह सपना आदरणीय गहलोत साहब के द्वारा पूरा किया जायेगा।

खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि विशेष योग्यजन को एक हजार मोटर ट्राइसाइकिलों का वितरण किया जायेगा। जो विशेष योग्यजन हैं, खास तौर से उनको साइकिल चलाने में इतनी असुविधा होती थी। अब ट्राइसाइकिल दी जा रही है तो अब निश्चित तौर पर उनको इसका फायदा मिलेगा। हमारे माननीय श्रम मंत्रीजी भी यहां पर मौजूद हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि श्रमिकों को भी उन्होंने साइकिल देने की जो घोषणा की है, उसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

खास तौर से सबसे बड़ा धन्यवाद मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि इस बजट में अलवर जिले का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि अलवर जिले को जो उन्होंने मत्स्य विश्वविद्यालय दिया है; अलवर जिले को उन्होंने खुशखेड़ा और टपूकड़ा में आटो जोन दिया है; खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा में लघु नेशनल मैन्युफेक्चरिंग एंड इंवेस्टमेंट जोन घोषित किया है; भिवाड़ी में जिला परिवहन कार्यालय दिया है; कृष्ण कुण्ड का सौन्दर्यकरण एवं साइनेज दिया है; ए सी डी कोर्ट अलवर में दी है; बानसूर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय उन्होंने दिया है; रैणी और नीमराना में तहसीलें उन्होंने इस बजट में दी हैं; खास तौर से पर्यटन को ध्यान में रखते हुए हेरिटेज वाक वहां पर दिए है; चार पुलिस थाने एन सी आर को उन्होंने दिए हैं; एस सी की बालिकाओं को हास्टल वहां पर दिया है; और रामगढ़ में अंशकालिक पंजीयन कार्यालय जो वहां था, वहां पर पूर्णकालिक पंजीयन

(श्री टीकाराम जूली)

कार्यालय उन्होंने दिया है; भरतपुर, अलवर, बहरोड़, नारनौल मेगा हाइवे इस बजट में दिया गया है; समर सरोवर परियोजना सिंचाई के लिए किसानों को दी गई है; चम्बल से पानी लाने के लिए फीजिबिलिटी सर्वे का प्रावधान इस बजट में किया गया है; सघन वृक्षारोपण और जल ग्रहण जोन जो बनेगा उसमें अलवर का नाम लिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि सरिस्का के आसपास की जो आबादी है और खास तौर से जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें पांच हजार गैस कनेक्शन सरकार की ओर से दिए जाएंगे जिसमें 1,800 रुपये का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेवात योजना जिसमें पहले चार करोड़ रुपये का बजट आता था, उसको माननीय गहलोत साहब ने ही साढ़े सात करोड़ रुपये किया था और साढ़े सात को पन्द्रह करोड़ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया था और अब पन्द्रह करोड़ से बढ़ाकर उसको पच्चीस करोड़ किया गया है। इससे निश्चित तौर पर मेवात क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। मुझे खुशी है कि वहां इस पैसे से बालिका छात्रावास कस्तूरबा पैटर्न पर आवासीय विद्यालय वहां पर चलाये जा रहे हैं जिनसे कि आम जन को इसका बहुत लाभ मिला है।

इसके साथ ही हमारे यहां चालीस हेक्टेयर पर होर्टीकल्चर पार्क दिया है और दो करोड़ रुपये की लागत से खेल संकुल आपने हमें दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा ऐसा बजट जिसको सब लोगों का ध्यान रखकर बनाया गया, निश्चित तौर पर इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा। (व्यवधान) विश्वविद्यालय के लिए तो सबसे पहले कह दिया, मत्स्य विश्वविद्यालय हमारे अलवर में दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां एक बहुत बड़ी डिमांड मालाखेड़ा को तहसील बनाने की है। यह वहां के लोगों की डिमांड ही नहीं, उनका हक है। वे इस हक से काफी पिछड़ते जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बजट में मालाखेड़ा को तहसील का दर्जा दें।

इसके साथ ही, गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन की बात आती है। मेरे अलवर जिले में लोगों की यह भारी समस्या है। किसान कुए पर बसा हुआ

(श्री टीकाराम जूली)

है, उसको वहां पर कनेक्शन चाहिए। गैर आबादी का नोट लगाकर उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। आज जिस व्यक्ति ने हिन्दुस्तान में जन्म लिया है, राजस्थान में जन्म लिया है, उसको बिजली, पानी, सड़क की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इसलिए उन लोगों को भी उसका लाभ दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो किसी भी माननीय सदस्य ने मांग नहीं रखी है, मैं कहना चाहूंगा कि एमएलए लैड की राशि को इस बजट में बढ़ाया जाए। (व्यवधान) वह तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को महसूस हो, उतना उसमें बढ़ोतरी कर दें क्योंकि महंगाई बढ़ी है, बी एस आर रेट बढ़ी है और पहले के मुकाबले तो आधे ही काम इसमें हो पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें तीन करोड़ रुपये का प्रावधान करें जिससे कि विधायकगण अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवा सकें।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की महति आवश्यकता क्षेत्र में है। इसके लिए भी हमारे यहां स्कूल क्रमोन्नत किये जाएं।

इसके अलावा एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि मनरेगा जो एक कानून था, वह आज राजस्थान में योजना का रूप ले चुका है। पिछले वर्षों में क्योंकि सरपंच भी नये आये थे, उनको कार्य समझने में समय लगा इसलिए इसके काम बहुत कम हो पाये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस योजना के नियमों का सरलीकरण किया जाए और एक विश्वास सरपंचों पर जताते हुए आम जन के जो कार्य हैं, उनको प्राथमिकता से लिया जाए जिससे कि जो योजना श्रीमती सोनिया गांधीजी और आदरणीय मनमोहन सिंहजी ने आम आदमी के लिए लागू की थी, उसका लाभ आम आदमी को मिल सके।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर एक पी एच सी है बहादुरपुर, उसको क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि इलाके की काफी मांग है।

माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि माडल स्कूल्स की घोषणा हुई थी लेकिन कहीं पर भी चालू नहीं हो पाये। मैं आपके माध्यम से उनको अवगत करवाना चाहूंगा कि अलवर जिले में पांच जगह पर काम शुरू हो गया है। परसों एक जगह तो मैं खुद ही होकर आया हूं, वहां पर काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी योजना जो माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषित की

(श्री टीकाराम जूली)

गई हो और उसका काम नहीं हो रहा हो, ऐसी नहीं है। सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। मैं पुनः अपनी ओर से और राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय गहलोत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूल चन्दजी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का राजस्थान के वित्त मंत्री के नाते यह चौथा बजट है। शायद कोई योग्य और पात्र विधायक कांग्रेस में नहीं है, इसलिए स्वयं को ही वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करना पड़ रहा है।

मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बजट एक अर्द्ध संकल्प है, उसमें चार-पांच ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर इसमें होता है कि जो कैपिटल अकाउंट है, उसको हम प्रोपर्टी में कितना बदल पाते हैं, असेट्स में कितना बदल पाते हैं। यह एक परीक्षा का कारण होता है। इसको परफोर्मेंस बजट कहते हैं। पिछले तीन सालों में कभी भी परफोर्मेंस बजट की बात नहीं आयी, इस सदन का यह दुर्भाग्य है। पिछले साल क्या कहा और इस साल क्या हुआ, यह परफोर्मेंस में आया ही नहीं। उनको छुपा लिया जाता है। पिछले वर्ष यह घोषणा की गई कि 65 हजार किसानों को हम कृषि कनेक्शन देंगे, बिजली बोर्ड का रिकार्ड तो कहता है कि हम केवल 22 हजार के डिमांड नोट जमा करवा पाये 65 हजार के अंगेस्ट में। पिछले तीन साल में हमने कितने कनेक्शन दिए, यह बजट परफोर्मेंस नहीं मानता; बजट मानता है कि पिछले वर्ष हमने क्या घोषणा की थी और क्या प्राप्त किया। इस कारण से इस बजट में परफोर्मेंस नाम का जो इंडिकेटर है, इसकी कोई पालना नहीं की गई।

अभी कई माननीय सदस्य जो बिलकुल नयेपन से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि दलितों के लिए कर दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 49 हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की बात कही गई थी पिछली बार, केवल चार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। यह परफोर्मेंस बजट है, आठ परसेंट! हरिजनों के लिए केवल आठ परसेंट कनेक्शन किये गये। यह परफोर्मेंस की बात मैं कर रहा हूं।

इसी प्रकार से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का जो पैसा है, वह हम पब्लिक से लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं और केन्द्र सरकार को

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

जो टैक्स चुकाते हैं, उसको हम वापस लेते हैं। जैसे कि इन्कम टैक्स इस साल गया, अगले साल वापस आता है। यह प्रान्त के व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ पैसा है, उसका उपयोग अच्छा होना चाहिए। जो कैपिटल लगायी जाती है, कहा जाता है कि उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 से 2008 तक जो कैपिटल आउटपुट का रेश्यो रहा राजस्थान का, वसुन्धराजी के बजट में एक रुपये में 82 पैसे पैदा किए गए और गहलोतजी के बजट में, दो साल के अकाउंट जो मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार एक रुपये में 38 पैसे पैदा किये गये हैं। उसमें तो शर्मनाक स्थिति और भी है कि प्राइवेट सेक्टर का जो डवलपमेंट है, उसके कारण से यह दिया गया है। पब्लिक सेक्टर में माइनस में ग्रोथ रेट है; दो हजार करोड़ रुपये की जो असेट्स हैं वह पब्लिक सेक्टर के घट गयीं और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसमें सात हजार करोड़ की असेट्स हमने दी हैं, इस कारण से हम बैलेंस में आ गये। वरना यह शर्मनाक स्थिति है कि राजस्थान सरकार का बजट, उसमें भी पब्लिक सेक्टर माइनस में आता है। यह दुर्भाग्य की स्थिति है, क्योंकि दो हजार करोड़ का घाटा हुआ है, पब्लिक असेट्स कम हुई हैं। इस कारण परफोर्मेंस के हिसाब से यह बजट रद्द करने योग्य है, निरस्त करने योग्य है। इस बजट में परफोर्मेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्षजी, इस टर्म के पहले के पांच सालों का जो हमारे ऊपर आरोप लगता है, 183 परसेंट ग्रोथ की हमने असेट्स में। अब तीन साल में जो ग्रोथ हुई है, 9.12 परसेंट हमें असेट्स प्राप्त हुई हैं अतिरिक्त, जिसको इन्क्रीमेंटल असेट्स कह सकते हैं, जबकि पहले पांच साल में 183 परसेंट हुई। यह भी एक शर्मनाक स्थिति है इस सरकार के लिए कि जो पब्लिक एकाउंट्स है, पब्लिक का जो पैसा है, उस पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। हमें खैरात बांटने से काम नहीं चलने वाला। गुजरात हमारे पास में है, गुजरात में इन्क्रीमेंटल ग्रोथ रेट है और यहां हमारे माइनस ग्रोथ रेट है। यह एक शर्मनाक स्थिति है इस स्टेट की। यह एक दुर्भाग्य मानता हूं इस स्टेट का।

इतना ही नहीं, महोदय, प्रति व्यक्ति आय की बात कही, 47,506 रुपये हमारी प्रति व्यक्ति आय हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि प्रति व्यक्ति आय हमारी जो बढ़ी है साल भर में वह 11.95 परसेंट है। यहां

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

अधिकारी बैठे हैं, मैं भी पेंशन वाला हूं, 14 परसेंट डी.ए. बढ़ा है मेरा, 14 परसेंट और स्टेट में जो पैदा हुआ करंट प्राइस पर, वह 12 परसेंट है; इसका मतलब दो परसेंट माइनस ग्रोथ रेट है। 14 परसेंट महंगाई बढ़ी और ग्रोथ रेट हुई 12 परसेंट, वह भी पर्सनल इन्कम में। पर्सनल पर-कैपिटा इन्कम में अगर ग्रोथ रेट 12 परसेंट है और महंगाई 14 परसेंट बढ़ती है तो व्यक्ति तो गरीब हुआ है, धनवान नहीं हुआ। इसके कारण से इस आंकड़े को भी मैं गलत साबित करता हूं, यह जो इन्होंने बजट में घोषणा की है।

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में हम अगले साल के लिए क्या कर पायेंगे, आगे की पीढ़ी को क्या दे पायेंगे? अभी भी राजस्थान की स्थिति यह है कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में अभी तक हमारा योगदान 23.35 परसेंट है; यह मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, एग्रीकल्चर का स्टेट इन्कम में 23.35 परसेंट योगदान है और हमारे बजट में प्रावधान किया है एग्रीकल्चर का 6.08 । 6.08 से 24 परसेंट, मतलब किसान से एक रुपया देकर चार रुपये पैदा करवाना चाहते हैं।

उद्योग की तो और ज्यादा स्थिति है। यहां उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं, रमेश जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उद्योग मंत्रीजी का ध्यान खींचो इधर, इधर बताओ उनको। उद्योग मंत्रीजी, उद्योग की तो और ज्यादा स्थिति है। उद्योग हमें दे रहा है 28 परसेंट, लगभग 28 परसेंट दे रहा है हमें, जो हमारी इन्कम है स्टेट इन्कम, वह 28 परसेंट और आप कितना दे रहे हो, .07 परसेंट। क्या दुर्गति है। इस देश में, इस प्रांत में युवकों को रोजगार देना चाहते हैं, ट्रेनिंग का नाटक करते हैं, हम कम्प्यूटर देना चाहते हैं, क्यों, आगे जाकर स्किल्ड होगा, स्किल्ड होकर के रोजगार करेगा। आप इंडस्ट्री पर एक परसेंट भी खर्च नहीं कर रहे हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से होगा? एक परसेंट उद्योग को दिया गया और 26 परसेंट, 28 परसेंट...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पारीक साहब, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं भिण्डा साहब, आप उनकी पूरी बात सुनिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उद्योग मंत्रीजी, मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, 28 परसेंट आप योगदान कर रहे हैं स्टेट इन्कम में और आपको अभी एक परसेंट भी पैसा नहीं दिया गया। आपने विरोध भी नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी, कैबिनेट में बैठकर आपने एप्रूव किया उसको। स्टेट तब डवलप होगा जब इंडस्ट्री हों और इंडस्ट्री में

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

इतना नहीं, अब सारी दुनिया में यह स्थिति आ गयी और भारत में विशेषकर आ गये 91 के बाद में कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, वह मल्टिपल इम्पेक्ट होना चाहिए, हमारे तो माइनस इम्पेक्ट हो रहा है। राजस्थान में माइनस इम्पेक्ट है। यह तो सौभाग्य से पिछले वर्ष बरसात हो गयी, इस कारण से हमारी जो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की है, उसके बढ़ने के कारण से ग्रोथ रेट लाये हैं, इंडस्ट्री के कारण से नहीं लाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन आपके माध्यम से कर रहा हूं कि बजट में यह जो परफोर्मेंस की बात है, उसको मैं नेगेटिव मार्क देता हूं और किसी भी स्थिति में यह माफ करने योग्य नहीं है क्योंकि स्टेट का मामला है, अगली पीढ़ी का मामला है।

इतना ही नहीं, और भी इंडिकेटर्स हैं। हमने कहा, हम ऐसा कर रहे हैं; अभी कहा, हम बालिकाओं के लिए ऐसे कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में पुरुष और स्त्री की जो शिक्षा की रेट है उसमें सबसे ज्यादा गैप अगर है तो राजस्थान में है, वह भी 26 परसेंट। पुरुषों की जो शिक्षा है वह 26 परसेंट ज्यादा है और स्त्रियों की 26 परसेंट कम। इसका क्या कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी ध्यान है कि पिछले चार साल में एक भी कालेज खोला लड़कियों का, एक भी सीनियर हायर सेकंडरी खोला आपने, एक भी सेकंडरी स्कूल खोला, एक भी मिडल स्कूल खोला? यह शर्मनाक स्थिति है। मैं तो महिला सदस्यों से कहूंगा कि इन मुख्य मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए कि ये महिलाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। चार साल से उपेक्षा हो रही है। चौथा बजट है, एक नया पैसा, एक नयी स्कूल नहीं खोली आपने, एक नयी सेकंडरी स्कूल नहीं खोली, एक सीनियर सेकंडरी स्कूल नहीं खोली। यह दुर्भाग्य है।

रिसोर्सेज की बात भी आती है बजट में, रिसोर्सेज कहां से लायेंगे। माध्यमिक शिक्षा बनी हुई है, जितना आप मांगोगे उतना देंगे माध्यमिक शिक्षा में। आपने एक स्कूल खोला नहीं सेकंडरी, एक सीनियर हायर सेकंडरी नहीं खोला लड़कियों का, कहां से बजट मिलेगा केन्द्र से? केन्द्र के रिसोर्सेज कहां से आयेंगे आपके पास में? वे लाने पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: भिण्डा साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय का ध्यान रखें, सात बजे तक। फिर दो मेम्बर और बोलने हैं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ अन्याय होता है हमेशा।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा समय का ध्यान रखो आप। न्याय मिलेगा, थोड़ा समय का ध्यान रखो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, औरों को जितना दिया है, उतना दीजिए मुझे।

इतना ही नहीं, मैं तो और माननीय सदस्यों से कह रहा हूं, ड्राप-आउट का पैरा डाला है इसमें, ड्राप-आउट कम होगा। पिछले वर्ष एक वर्ष में एक लाख 26 हजार बच्चे ड्राप-आउट हुए; कौनसे बच्चे, जो पांच साल से 12 साल तक की उम्र के, 13 साल तक की उम्र के थे। उसमें दुर्भाग्य रहा कि सबसे ज्यादा ड्राप-आउट हुए हैं जोधपुर जिले में, जहां से मुख्य मंत्री आता है, 28 हजार ड्राप-आउट बच्चे जोधपुर से आये हैं एक लाख 26 हजार में से। कितनी शर्मनाक स्थिति है यह। क्या विकास की बात कर ली आपने? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आते हैं। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, आते हैं, आते हैं। मैं सम्मान में कमी नहीं करने वाला हूं। नहीं, वहां से आते हैं। बिलकुल, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आपको।

यह इसलिए कह रहा हूं कि आखिर यह बजट है, बजट दिशा देने के लिए है, खैरात बांटने के लिए नहीं है कि कुछ बांट दें हम। साहब, उससे रिटर्न भी मिलना चाहिए, हमें कुछ प्राप्त भी होना चाहिए।

अभी सिंचाई की बात कर रहे थे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस राजस्थान का कि सिंचाई में जो 45 लाख हेक्टेयर की हम क्षमता छोड़ कर गये थे, जब हम सत्ता में थे उस समय 45 लाख हेक्टेयर और वह घटकर के अब रह गया 43 लाख हेक्टेयर सिंचाई में। यह आपके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। दो लाख सिंचाई का कम हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अभी सड़कों की बात कर रहे थे, वसुन्धराजी के टाइम में 23,340 किलोमीटर नयी सड़कें बनायी गयीं; राजेन्द्रजी, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि वसुन्धराजी के टाइम में 23,340 किलोमीटर नयी सड़कें बनीं पांच साल में और अब बनी हैं केवल 3,596 किलोमीटर। यह अंदाजा कर लें, अनुमान कर लें कि परफोर्मेंस बजट क्या कहता है, सरकार की परफोर्मेंस क्या कहती है। इस प्रकार की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उत्पादन सूचकांक एक और इंडिकेटर होता है, उस उत्पादन सूचकांक में 154.25 से बढ़कर हमने 185 किया था और वापस घटकर 138 रह गया। यह आपके आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

उत्पादन इंडिकेटर कहता है राजस्थान का कि जो 154 से 185 वसुन्धराजी ने किया था, उसमें अशोकजी गहलोत, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 138 कर दिया, 47 घटा दिया। यह उत्पादन इंडिकेटर की बात मैं कह रहा हूं।

इतना ही नहीं, पिछली पंचवर्षीय योजना में यह कहा था, हमने गारंटी दी थी योजना आयोग को कि जो शिशु मृत्यु दर है, उसको हम 1000 पर 33 करेंगे, आंकड़े देख लो सब लोग, यहां वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, वे भी देख लें, 33 करेंगे, अभी 55 की शिशु मृत्यु दर है। मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार के पैसे से एक विज्ञापन देते हैं, सुरक्षित बच्चा जनने के लिए सरकारी अस्पताल में पधारें और जो महिलाएं सुरक्षित प्रसव के लिए गयीं जोधपुर में, वे मारी गयीं। विज्ञापन आप निकाल रहे हो, सरकारी मद से विज्ञापन कि सरकारी हास्पिटल में जाओगे तो सुरक्षित प्रसव होगा और जो जोधपुर में गयीं, वे मारी गयीं। क्या दुर्गति है! हम प्रांत को क्या दे रहे हैं? यह सोशल की, उसकी बात कर रहा हूं।

वेलफेयर स्टेट, बजट में आप डवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हैं तो वेलफेयर ओरिएंटेड तो होना चाहिए और वेलफेयर ओरिएंटेड भी नहीं हैं, आप ऐसे बांट रहे हो, चाहे जैसे बांट रहे हो। वह व्यक्ति को क्यों बांट रहे हो? आप व्यवस्था को क्यों नहीं बांटते जिसके कारण से व्यवस्था बढ़े?

इस सदन में पुराने शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, एक आदेश निकाला था बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए कि पूरे राजस्थान की प्रत्येक पंचायत जिसमें मिडल स्कूल नहीं है, सबको मिडल स्कूल दी जायेगी। उसके कारण से राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ गया था। माननीय गुलाब चन्द जी यहां बैठे हैं, एक यहां नहीं हैं, भंवर लाल जी भी थे, अधिकारी कौन हैं, वह उनको मालूम है, 78 में एक आदेश निकाला कि तीन हजार की आबादी पर, प्रत्येक तीन हजार की आबादी पर सेकंडरी स्कूल होगा। यह बैलेंस्ड ग्रोथ की थी हमने। वसुन्धराजी ने अंतिम बजट में कहा, एक साथ 2,100 स्कूल खोलकर कहा, प्रत्येक पंचायत में सेकंडरी। हम चले गये, इसके बाद 1900, अब मैं पूछना चाहता हूं, सभी पंचायत में सेकंडरी स्कूल होगा, 79 कहां से आ गये? अब वह फिर शिक्षा को ले गये, 79 स्कूलें खोलेंगे हम। यह कहां चला गया?

इसके कारण से मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि इस प्रकार की जो स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

बैलेंस्ड ग्रोथ की बात आयी, इस साल घोषणा की गयी, मैं पिछले तीन साल से मेरे भाषण में कह रहा हूं कि चिमनभाया कालेज, सवाई माधोपुर एग्रीकल्चर फैकल्टी है, उसमें अगर कालेज बना दिया जाय सेपरेट, उसी स्थान पर जहां वह चलता है, तो आई.सी.ए.आर. से करोड़ों रुपये ग्रांट मिल सकती है। अब इन्होंने जोधपुर में खोला, जोधपुर में क्यों खोला? जोधपुर से बढ़िया तो बाड़मेर भी था, जैसलमेर भी था, बीकानेर यूनिवर्सिटी है। यह इस प्रकार का इसलिए खोला क्योंकि अब तो प्रकृति को भी आपने नियंत्रण में कर लिया। क्या किया नियंत्रण में, प्रकृति को भी बेईमानी सिखा दी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार दिन पहले घोषणा हुई कि जो पाला आया, कहां से आया, हिमाचल से चलकर, हिमालय पर्वत से चला, जो शीतलहर आयी उसने अलवर को छोड़कर दौसा में जाकर अत्याचार किया; उसने हनुमानगढ़, गंगानगर छोड़ कर के जैसलमेर में अत्याचार किया; उसने जयपुर जिले को छोड़कर, सीकर जिले को छोड़कर, झुन्झुनूं जिले को छोड़कर चूरू जिले में अत्याचार किया। यह भी बेईमानी प्रकृति करने लग गयी। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी के कहने से प्रकृति बेईमानी करने लग गयी। इसके लिए समाधान चाहिए। यह भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बेईमानी किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान इस देश का पला बेईमानी नहीं करता, हमारी इच्छा शक्ति बेईमानी करती है और इस बेईमानी को रोका जाना चाहिए। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं आह्वान करता हूं कि पाले में जितने बीच में जिले हैं, उन सब में पाला पडा है, सबकी स्थिति खराब है, सबको मुआवजा दिया जाए। एक तो यह निवेदन है।

दूसरा, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे होंगे, उनसे पूछो कि देवनारायण बोर्ड का जो एरिया है, उसमें कोटपूतली नहीं है और स्कूटी वहां बांटी जा रही है। सारे जिले बाकी हैं। क्या तमाशा है यह? स्कूटी पहले वहां बांटी जाएं जहां देवनारायण बोर्ड की सीमा है, जिसको हमने तय किया था। यह पक्षपात नहीं तो क्या है?

इस कारण से मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ भी करे लेकिन सरकार बेईमानी नहीं करे। कम दे, ज्यादा दे लेकिन बेईमानी नहीं करे। सवाई माधोपुर और चिमनपुरा जो पिछले 35 साल से एग्रीकल्चर फैकल्टी है, उनको पूरे कालेज बनाए जाएं जिस कारण से एड मिल सके।

दूसरी बात और कि हमने विश्वविद्यालय खोल दिये, मैं कहना चाहता हूं, हमने ओ एस डी नियुक्त किये, एक-एक करोड़ रुपये दिये। आप आर्डर देख

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

लो कि जो भी ओ एस डी थे कांग्रेस के शासन में, उनके आगे लिख दिया कि देखते-देखते ओ एस डी का चार्ज भी रखेंगे। इसका मतलब हमारा जो आर्डर था, वह स्टैंड कर रहा है लेकिन उसमें काटा क्या, महाराज भर्तृहरि का नाम काट दिया, महाराज सूरजमल का नाम काट दिया। इस कारण से इस प्रकार की बेईमानी को रोका जाए।

आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द जी मीणा।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं । जिस तरह का उन्होंने सभी वर्गों को और सभी समाजों को ध्यान में रखते हुए 2012-13 का बजट पेश किया, उसके लिए मैं तहेदिल से राजस्थान की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं।

जैसे कि यहां पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सारे विचार रखे, सत्ता पक्ष के लोग सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिक्र कर रहे हैं और विपक्ष के लोग प्रतिपक्ष की नेता का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस जिले से आता हूं जहां से प्रतिपक्ष की नेता मुख्य मंत्री रही थीं। इस बजट में जो हमारे झालावाड़ जिले को दिया गया है, उसमें करोड़ों रुपये की घोषणाएं हमारे झालावाड़ जिले के लिए की हैं जिनमें चार-चार परियोजनाएं, परवन वृहद परियोजना, माधवी, राजगढ़, भीमनी, चार इस तरह की एक साथ परियोजनाएं जो मेजर और मध्यम वर्ग की हैं। आप इससे अन्दाजा लगाओ कि यदि पूर्ववर्ती सरकार इन कामों को कर देती तो आज सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को ये घोषणाएं नहीं करनी पड़तीं। आप इससे अन्दाज लगा सकते हो कि दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि पूर्व मुख्य मंत्री ने बहुत कुछ किया राजस्थान में, हम उस जिले के रहने वाले हैं जहां कि प्रतिपक्ष की नेता थीं, आधी कांस्टीट्यूएंसी से मैं चुनाव लड़ा हूं उनकी से, अभी पंचायत हैडक्वार्टर के अलावा एक भी गांव उनका रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। भला हो सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी का, जो उन्होंने घोषणा की 250 से 500 की आबादी वाली, अब इन योजनाओं में वे जुड़ पायेंगे।

यह सभी लोगों को पता है कि पटवारियों की क्या स्थिति थी पूर्ववर्ती सरकार में, ग्राम सेवकों की और अध्यापकों की क्या स्थिति थी। एक पटवारी के पास पांच-पांच पटवार मण्डल हुआ करते थे और पंचायत के ग्राम सेवक के

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

पास आठ-आठ ग्राम पंचायतें हुआ करती थीं। यह किसी से अछूता नहीं है। आज इस सरकार ने पिछला जो साल निकला है, उसमें हर पंचायत में एक ग्राम सेवक लगाया है और हर पटवार मण्डल में एक पटवारी लगाया है। यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जबरदस्ती अपन कहते रहें कि वसुन्धरा जी ने यह किया और वसुन्धराजी ने वह किया, कहीं कुछ करने की यह नहीं है। क्योंकि आज जो घोषणाएं की हैं, आम जनता को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह शिक्षा की हो, शिक्षा में आपने देखा कि आठवीं से लेकर दसवीं तक के बच्चों को कितना प्रोत्साहित उन्होंने किया है; चिकित्सा देख लो, सैकड़ों की तादाद में पी एच सी, सी एच सी खोलने की घोषणाएं की हैं, हजारों बेड चिकित्सा में उन्होंने बढ़ाए। चाहे वह रेफरल हास्पिटल हो या जिला हास्पिटल हो या मेंटलों के लिए, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, वे सब तारीफ योग्य हैं। आज बिजली के बारे में आप देख लो, जो 100 से 300 की आबादी के गांव छूट गये थे, उन्हें राजीव गांधी विद्युत योजना से जोड़ने का उन्होंने जिक्र किया है। तो जो योजनाएं आज उन्होंने लागू की हैं, वह आम जनता को, आम गरीब को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का जिक्र किया।

चाहे हमारे झालावाड़ की मैं बात करूं, झालावाड़ ऐसा जिला है जिसकी जोधपुर की आप तुलना कर रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि हमारे यहां की मुख्य मंत्री बनी हैं, बहुत सारे काम हमारे यहां होंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी पर झालावाड़ की आज वही स्थिति है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में शायद ही किसी जिले की इस तरह की स्थिति हो और इनके बनने से हमारा जिला पांच साल और पीछे चला गया, क्योंकि मुख्य मंत्री होते हुए हमारे जिले का उद्धार नहीं हुआ तो आने वाले समय में होने वाला नहीं है। पर मैं सम्माननीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह की योजनाएं उन्होंने हमारे जिले में लागू कीं और जो योजनाएं दीं, सम्माननीय अनिलजी भी झालावाड़ जिले से आने वाले बैठे हैं और भी हाड़ौती से आने वाले बैठे हैं, उपाध्यक्ष जी भी हाड़ौती से आए हुए हैं, जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया, उनमें हजारों बार प्रदर्शन लोग यहां कर चुके हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के। आज जो परवन वृहद सिंचाई योजना की घोषणा की, बिलकुल तारीफ करने योग्य है, ...(व्यवधान) पिछले बजट में उसका सर्वे करवा दिया...

एक माननीय सदस्य: प्रस्तावित है।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): प्रस्तावित है तो आगे बनेगी तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया बोलने दें। सदन को पता नहीं चलना चाहिए कि झालावाड़ के लोग आपस में....

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): मैं उनकी एक काबिलियत और बताऊं कि सम्माननीय जो पूर्व मुख्य मंत्री थीं, उनके इस तरह के बढ़िया काम, आठ विधान सभा सीटों में से छह विधान सभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में वहां की गयी हैं। मात्र दो सीटें जिसमें एक तो सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी और एक अनिलजी जैन, दो सदस्य इनके वहां से जीते हैं। (व्यवधान) वे वहां की खुद हैं, वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह बैठे-बैठे जो माननीय सदस्य इंटरप्ट कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): यह पहले वाले सदस्य बजट पर बोल रहे थे, फिर बीच में वसुन्धराजी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप रमेश जी से नाराज हो क्या? आखिरी वक्ता रमेश जी हैं, आप उनका टाइम लोगे तो रमेश जी रह जायेंगे। यह देख लो आप। हां, बोलिए, कैलाश जी।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): मेरे पहले वाले वक्ता क्यों उनका जिक्र कर रहे थे? फिर उनका क्या लेना-देना था? भिण्डा जी बोल रहे थे, ...(व्यवधान) पाठ जप रहे थे।

आज माडा क्षेत्र की पिछली बार दो करोड़ की जो उन्होंने घोषणाएं की थीं...

श्री उपाध्यक्ष: आप इधर देखिये, कैलाश जी।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): प्रत्येक जिले को दो-दो करोड़ की योजना थी, दस करोड़ रुपये दिये। उन्होंने जो यह किया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज जितनी भी योजनाएं चाहे वह पशुओं की फ्री मेडिसिन की बात अपन करें, मेडिकल की बात अपन करें, आज जो सी एच सी, पी एच सी खाली पड़ी रहती थीं, उन पर दो-दो डाक्टर उन्होंने कर दिये। जहां पहले कम्पाउंडर भी नहीं हुआ करते थे, आज उस पी एच सी के अन्दर दो डाक्टर हैं। यदि किसी सदस्य के नहीं हो तो राजकुमारजी बैठे हैं, मंत्रीजी बैठे हैं, इनको बता दें। क्योंकि आज की तारीख में जो स्टाफ की कमी थी,

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

चाहे वह टेक्निकल स्टाफ हो या इंजीनियरिंग का हो, किसी भी क्षेत्र में आज की तारीख में हजारों की तादाद में नौकरियों की बात है, वह मुख्य मंत्रीजी ने पूरी की है। क्योंकि आने वाला समय शिक्षा का है, शिक्षा में जो उन्होंने 8, 10, 12वीं में लैपटाप, मिनी लैपटाप देने की बात की है, बिलकुल तारीफ योग्य है।

इसके साथ ही, सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द जी मीणा। काफी टाइम है आपके लिए।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट भाषण पर चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

इस बजट वर्ष 2012-13 में रेवेन्यू रिसीट्स 63 हजार 146 करोड़ रुपये है, बजट एस्टीमेट्स 2012-13 में और बजट एस्टीमेट्स 2011-12 में 52,287, जबकि रिवाइज्ड में 56,121 करोड़ रुपये का आया है, 2011-12 में। इसमें नॉन-प्लान एक्सपेंडिचर 2011-12 में 39,530 करोड़ रुपये, इसके बाद में रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 2011-12 में 45,733 करोड़ रुपये, फिर बजट एस्टीमेट्स 52,846 करोड़ रुपये। प्लान एक्सपेंडिचर 2010-11 में 12,059 करोड़ रुपये था लेकिन 2012-13 में वही 20,986 करोड़ रुपये है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह अन्तर लगातार जो नान-प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर है, इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले डा. फूलचन्दजी भिण्डा ने जो बताया था और जो परफोर्मेंस बजट जिसको बोलते हैं, उसके रेफरेंस में अगर इसको देखेंगे तो लगातार पिछले 3 साल से अच्छे मानसून के बावजूद जो कृषि अर्थव्यवस्था पर, आधारभूत अर्थव्यवस्था के जो इंडिकेटर हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि बजट जो लगातार पेश किया जा रहा है, उसके कारण अर्थव्यवस्था के आधारभूत घटक, उनमें लगातार कमजोरी आती जा रही है। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृषि उत्पादन, जबकि औसत वर्षा अच्छी हुई है इस साल, खाद्यान्न उत्पादन इस बार (−)11.10 2011-12 में रहा है। जो खाद्यान्न उत्पादन 2010-11 में 235.61 लाख मैट्रिक टन था, वही अब 209.45 लाख मैट्रिक टन रह गया है। रबी उत्पादन दर तो और भी कमजोर हुई है, यह तो (-)18.01 परसेण्ट चली गयी है। अब इसका स्पष्ट प्रमाण कृषि

(श्री रमेश चन्द मीणा)

पर जो पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे-सीधे प्रति व्यक्ति आय कम होगी और आय कम होने के साथ-साथ शहरों में और भी समस्या उत्पन्न होती जायेगी। इस कारण से राजस्थान प्रदेश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसका ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया है। इसी का कारण है कि लगातार अच्छे मानसून के बावजूद भी लगातार उत्पादन भी घट रहा है और किसानों की हालत कमजोर होती जा रही है। जिसका प्रमाण है कि इस बार जो खेती करने वाले, जोत जो किसानों के पास है, उसका आकार घट रहा है। आकार घटने का एक बड़ा प्रमाण है, सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र, यह 2007-08 में जहां आठ हजार अठ्यासी हेक्टेयर था, वह सकल सिंचित क्षेत्र 2009-10 में सात हजार तीन सौ नौ हेक्टेयर हुआ और शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी लगभग आठ सौ हेक्टेयर घट गया। इसमें जब जिलेवाइज भी हम देखते हैं तो हर जगह लगातार कमजोरी आ रही है।

सबसे बड़ा अन्याय तो करौली जिले के साथ हुआ है, सवाई माधोपुर जिले के साथ भी हुआ है जहां लगातार अच्छे मानसून के बावजूद, वर्षा जल उपलब्ध होने के बावजूद, पर्याप्त मात्रा में नदियां उपलब्ध होने के बावजूद एनिकट बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। वहां के किसानों हेतु वर्षा जल संरक्षण के लिये भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यहां तक कि, और तो और, एक सबसे बड़ा अन्याय राजस्थान प्रदेश में करौली, सवाई माधोपुर और बाकी पूर्वी राजस्थान के जिलों के साथ यह हुआ है कि फार्म्स, पोंड्स के निर्माण के लिये और वर्षा जल संरक्षण के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनमें मात्र 50,000 रुपये दिये जा रहे हैं जो कि उनके साथ सरासर अन्याय है। अन्याय का एक और बड़ा प्रमाण है कि इस बार जब श्रीगंगानगर के किसानों के डिग्गी निर्माण के लिये 2 लाख से 3 लाख बढ़ा दिये गये हैं तो इन क्षेत्रों के लिये खाली 50 हजार से 60 हजार किया गया है, जबकि हमारी मांग थी कि यह 2 लाख तो कम से कम होने चाहिये। कारण कि उस क्षेत्र में फार्म पोंड्स बड़ी मात्रा में किसान काम ले रहा है। गत वर्ष जो 8 करोड़ रुपये का प्रावधान करौली जिले के लिये किया गया था तो उसमें से अत्यन्त अल्प मात्रा में ऊपर से इस तरह के प्रावधान कर दिये कृषि निदेशक ने कि किसानों को छाती पर प्लेट रख-रखकर उनके फोटो लिये और तब भी उनको पैसे नहीं दिये। इतना बड़ा अन्याय राजस्थान में करौली के साथ हो रहा है।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

इसलिये इस व्यवस्था और कृषि विभाग के अधीन जो इस प्रकार की नीतियां अपनायी जा रही हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं, उन अधिकारियों का, उन नियमों का ठीक से अवलोकन किया जाये, उनको दण्ड दिया जाये और नियमों को ठीक किया जाये, जिस कारण से 8 करोड़ रुपयों में से अभी तक 1 करोड़ रुपये भी किसानों को डिस्बर्स नहीं हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बाकी जो थोड़े बहुत दिये हैं, चैक जेब में लेकर ग्राम सेवक घूमता रहता है और जब उसके पास रिश्वत का पैसा आ जाता है, अधिकारियों तक पैसा पहुंच जाता है, तब जाकर उनको चैक दिये जाते हैं। इससे रिश्वतखोरी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी, आगे भी जैसे-जैसे टार्गेट बढ़ायेंगे। इस प्रोसीजर को ठीक नहीं किया गया तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसानों को फायदा नहीं पहुंचेगा।

मैंने स्वयं भी पत्र लिखा है। अब इस सदन के माध्यम से भी इस बात को रखना चाहता हूं कि प्रोसीजर को इस तरह से किया जाए कि किसानों का खाता नम्बर शुरुआत में ही ले लिया जाए। फार्म पोंड्स बनवाने के लिये जो भी अनुदान राशि किसानों को दी जाती है तो उनका खाता संख्या ले लिया जाए। बहुत सी ऐसी प्रोसीजर की बातें हैं, कृषि अर्थव्यवस्था में एकल खिड़की की तरह थोड़ा सा भी अगर नियमों में प्रावधान ठीक से करेंगे, सिंगल विंडो सिस्टम खेती में भी किया जा सकता है। क्या जरूरी है कि उसको पटवारी के पास जाना पड़े, ग्राम सेवक के पास जाना पड़े, फिर सरपंच के पास जाना पड़े? छह जगह जाना पड़ता है किसान को, जो उसके लिये सम्भव नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। उसके लिये हमारा प्रस्ताव है कि अनुदान या सहायता राशि फार्म पोंड्स में तो करनी ही चाहिये, अन्य भी सहायता और अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि को इस तरह से किया जाये कि जैसे सिंगल विंडो सिस्टम का है, आजकल कम्प्यूटरीकृत हो गयी है, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से उसमें खसरा, खतौनी देखकर अपने आप एग्रीकल्चर आफिसर उसको ठीक कर ले, पता लगा ले और उसको सहायता दे दे, उसकी राशि को हस्तांतरित कर दे। शुरुआत में जो एक फार्म लगाना होता है, वह उनसे प्राप्त किया जाये।

एक बात मैं विशेषकर सदन के सामने रखना चाहता हूं कि बजट तैयार करने वाले, बजट को हम सदन में पास करते हैं फिर इसको कार्यान्वित करते हैं। तैयारी से लेकर कार्यान्वित करने तक अपने को यह सोचना पड़ेगा कि पूरे तन्त्र को कैसे व्यवस्थित किया जाये जिससे यह इस तरह का हो सके

(श्री रमेश चन्द मीणा)

कि राजस्थान का जिस तरह से हम विकास करना चाहते हैं, इस अर्थव्यवस्था के लिये, इस प्रदेश को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने के लिये कैसे करना है, इसका भी सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचने पर हमको यह पता चलेगा कि जहां पर अपन जो बात करते हैं, तो सबसे पहला विकास तो है एकता। एकता इस सदन में इस बात के लिये रहनी चाहिये कि इस क्षेत्र का गौरव और विकास निरन्तर होता रहे। इसके लिए बहुत सारी आवश्यक चीजें हैं, स्टेट में मूलभूत बातें कुछ करने की आवश्यकता है।

मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहले कानून और व्यवस्था है। कानून-व्यवस्था का बजट भी यहां से पारित होता है। जब कानून-व्यवस्था में हम देखेंगे तो राजस्थान के पुलिस संगठन में बहुत बड़ी खामियां हैं, उसमें कमजोरी है, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, उसको ठीक करने के लिए जब हम देखते हैं तो यह राजस्थान पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन 2011 को देखने पर पता चलता है कि भारतीय पुलिस सेवा के स्वीकृत पद 205 और उसमें से कार्यरत पद 162, यानी रिक्त पद 43, जो कि लगभग 20 परसेंट होते हैं। इसी तरह से राजस्थान पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक 739, उनमें से कार्यरत हैं 592 और खाली पद 147 हैं। इसी तरह से पुलिस संगठन के सारे दूसरे पदों को मिलाकर, लगभग कांस्टेबल स्तर पर तो 10 परसेंट खाली हैं अभी, भर्ती के बावजूद भी, बाकी ऊपर के क्लास वन और उससे ऊपर की 20 परसेंट पोस्टें खाली हैं। इनमें नियुक्तियां करने के लिए, इसमें रिपोर्ट तो खाली यही की गयी है कि 6,947 नियुक्तियां कांस्टेबल की दी गयी हैं। इनको पर्याप्त मात्रा में भरने की जरूरत है। जब जनसंख्या बढ़ रही है, थाने बढ़ रहे हैं तो इनकी सैंक्शन भी बढ़ानी चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में उसकी स्वीकृति, बढ़ाने की जरूरत है। उसके कारण से कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि संगठन की फेल्योर से भी होती हैं और सरकार की मंशा ठीक नहीं होती है, तब भी होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्क फेल्योर में दो बहुत बड़े ऐसे उदाहरण हैं, जो कि राजस्थान के इतिहास में सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़े धब्बे हैं, एक तरह की कालिख हैं, जब सूरवाल कांड हुआ था और उसके साथ में गोपालगढ़ कांड था। सूरवाल कांड में जो रिपोर्ट की गयी है, वह बहुत ही गलत रिपोर्टिंग हुई है। उस गलत रिपोर्टिंग में सूरवाल कांड में विविध क्षेत्रों के बारे में कहा गया है कि 17.03.2011 को ग्राम सूरवाल में दाखा देवी हत्या कांड के

(श्री रमेश चन्द मीणा)

आरोपियों के मामले में पुलिस थाना खण्डार के बनवारी लाल मीणा और राजेश मीणा अचानक, बिना प्रशासन एवं गांव वालों को सूचना दिये पेट्रोल की दो बोतल लेकर सूरवाल कस्बे की पानी की टंकी पर, जो कि करीब 60-70 फीट ऊंची थी, सुबह 9 बजे चढ़ गये। जबकि दो दिन पहले हमको पता है, मैं भी उस समय वहां पर हाजिर था सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट में, तो यह गलत रिपोर्टिंग की गयी है। दो दिन पहले उसी राजेश ने ज्ञापन दिया है और उससे पहले उसने मौखिक चेतावनी दी, तो यह गलत रिपोर्टिंग की गयी है। इस न्याय की चाहत में उस छात्र के साथ यह अन्याय है और उसकी कठोर शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूं कि इस कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं जिस कारण वह सूरवाल कांड घटित हुआ। आज भी उस मृतक राजेश के साथ में न्याय नहीं हुआ है। न्याय नहीं होने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लिखित में कलेक्टर ने जो आश्वासन दिया था...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रमेश जी, आपके पास मात्र सात मिनट हैं।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): राजकीय माध्यमिक विद्यालय उसके नाम पर खोला जायेगा और आज तक भी उसको लागू नहीं किया गया है। उसके नाम पर यह किया नहीं गया है। उसको 32 लाख रुपये की सहायता देने का कलक्टर ने लिखित आश्वासन दिया था, वह भी नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेवात में भी गोपालगढ़ में जो घटना हुई, लगातार 6 सालों से हम भी वहां पर जाते हैं, मेवों और मीणाओं के कई गोत्र एक मिलते हैं और काफी दिनों से ऐसी मुहिम थी। दोनों समाज आपस में भाईबंदी की तरह से रहते थे, लेकिन जो गोपालगढ़ में कांड हुआ है वह प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। कुछ लोग जो शरारती हैं और प्रदेश में शांति नहीं चाहते हैं, ऐसे तत्वों को इस तरह की शह दी गयी और उनको यह भरोसा था कि हम कुछ भी कर देंगे तो हमें बचाने वाले अमुक व्यक्ति बैठे हैं या अमुक पार्टी के हैं। यहां पर थोड़े दिन पहले जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें राम मंदिर की और गोपालगढ़ कांड की तुलना कर रहे थे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह बजट पर है क्या?

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): कानून-व्यवस्था का मामला है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह बजट का ही हिस्सा है। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): पुलिस संगठन में क्या खामियां हैं, कैसे ठीक हो सकती हैं, वह भी बोलना जरूरी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह सब ठीक है, माननीय सदस्य, आपके पास केवल चार मिनट बचे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): टू दी पाइंट तो बुलवायें उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) बजट पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान) बजट का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं वे। इसका क्या लेना देना बजट से?

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): अब यह जो कांड हुआ है, उसमें जिस तरह की ढील दी गयी है,...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये कांड के बारे में बोल रहे हैं, बजट पर बोलें। कोई बात है तो अलग से चर्चा करें। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस के बारे में, संगठन के बारे में जो कहा गया है...

श्री उपाध्यक्ष: आपके पास चार मिनट हैं।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): जो बजट हम पास करने वाले हैं, उसमें क्या रिपोर्टिंग हुई है, यह सदन के सामने बोलना बहुत जरूरी है और सरकार की क्या मंशा है और किस तरह के उसके कृत्य हैं और किस तरह से वहां इंटेलीजेंस फेल्योर हुआ है, वह भी देखना बहुत जरूरी है। उसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो दुबारा इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। एकता किस तरह की होनी चाहिए, राजस्थान में कानून-व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाना चाहिए, यह भी देखना बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो यह बताया गया है, मेव और गुर्जर, जबकि मेव और गुर्जर का मामला तो बाद में हुआ है। वह मस्जिद तो वास्तव में कसाइयों की थी लेकिन तो भी धार्मिक स्थान था और किसी कारण से वहां विवाद ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह चीजें सदन की कार्यवाही में आ रही हैं, यह सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर इन्हीं विषयों पर बोलना है तो अलग से कोई बात कहें। यह क्या बजट पर बात हो रही है?

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पुलिस संगठन की जो रिपोर्ट है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं और उसमें गलत रिपोर्टिंग हुई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुलिस पर घोषणाएं की हैं और पुलिस कानून-व्यवस्था रखने में नाकामयाब हुई है। इसलिए वे बता रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको वकील बनाया है क्या उन्होंने? (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): यह भी बजट का ही मामला है।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये यूं कह रहे हैं कि होम की जब डिमांड आयेगी तब बोल लेना, बाकी अब बजट पर बोल लें। ये यूं कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जब भी पुलिस पर चर्चा हो, उस दिन ये बातें आ सकती हैं। (व्यवधान) मना थोड़े ही कर रहे हैं। आज तो बजट पर बोलो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उस पर दुबारा फिर बोल लेंगे।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): मुख्य सचेतक जी, आपने जब समय दिया है तो इस तरह की बातें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके पास तीन मिनट हैं।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): तीन मिनट में ही बोल लूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी।

गोपालगढ़ में जिस तरह का सौहार्द हमने स्थापित किया था लगातार अपने प्रयत्नों से, मैं तो व्यक्तिगत रूप से वहां 6 साल रहा हूं और कैसे विभिन्न गोत्रों के बीच में एकता स्थापित हुई थी, यहां तक कि ऐसा भी हुआ कि दोनों समाजों ने मिलकर के शादी-ब्याहों के संबंध भी स्थापित करने, वह ऐसे लोगों ने खराब किये, जैसे महात्मा गांधी जी ने सम्पूर्ण वांगम्य में लिखा था कि राम जन्म भूमि को उसी तरह से देखना चाहिए जिस तरह से... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है यह? (व्यवधान) यह बजट पर चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान) यह मजाक बना रखा है।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): चोरी की हुई वस्तु है। अगर उसको पता चलता है...(व्यवधान) 200 साल में भी पता चलेगा तो उसको वापस कर देना चाहिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): टू दी पाइंट बात करें। (व्यवधान) चर्चा ही कहां से कहां जा रही है। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): यहां पर माननीय सदस्य जो सवाई माधोपुर से आने वाले हैं, उन्होंने राम जन्म भूमि और गोपालगढ़ कांड दोनों को एक कर दिया। वह आपकी मनोवृत्ति है। मेरा निवेदन है कि ऐसे बिन्दुओं को कभी भी नहीं उठाना चाहिए।

उस समय हम सुनते रहे, अब आप सुनो। वहां पर भी आपके पास बैठे थे माननीय सदस्य, उन्होंने भी यह बात बोली थी तो हमें भी लगा कि हमें उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। भावना सबकी है और प्रदेश का गौरव और एकता को कैसे सुरक्षित रखना है, यह सोचना बहुत ही जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): इसलिए बजट के ऊपर जो आज हम राजस्थान विधान सभा में बोल रहे हैं, आपने जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे 28 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टौंक जिले की नगरपालिकाओं की भूमि पर अतिक्रमण

110. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला टोंक की नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह की बेशकीमती जमीनों पर अतिक्रमणों को लेकर संवेदनशील है? यदि हां, तो अब तक कितने अतिक्रमण हटाये तथा कितने शेष हैं और सरकार द्वारा शेष अतिक्रमणों को अब कब तक हटा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में अतिक्रमण हटाने हेतु समिति का गठन कर तिथि निश्चित की गई थी और किस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही के चलते उक्त अतिक्रमण नहीं हटाये गये? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार अतिक्रमणों को हटाये जाने के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। नगर पालिका मालपुरा ने 177 अतिक्रमण चिन्हित किये हैं, उनमे से 30 अतिक्रमण दिनांक 7.2.12 को हटा दिये गये हैं। शेष को हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिका टोडारायसिंह क्षेत्र में पालिका भूमि में कुल 3 अतिक्रमण चिन्हित हुऐ थे। जिन्हें हटाया जा चुका है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया अपितु नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में अतिक्रमण हटाने हेतु अधिशासी अधिकारी मालपुरा के निवेदन पर उप खण्ड अधिकारी के द्वारा तहसीलदार को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनांक 21.7.11 को अतिक्रमण हटाने हेतु तिथि निश्चित की गयी थी परन्तु अधिशासी अधिकारी मालपुरा के बीमार पड़ जाने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाये जा सके। इसके बाद जिला कलक्टर टोंक ने अपने आदेश क्रमांक एफ12( ) राज/विसप्र/11/4592-95 दिनांक 16.8.11 के द्वारा उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का

(स्वायत्त शासन मंत्री)

गठन किया गया था जिसकी पालना में उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 7.2.12 को 30 अतिक्रमणों को हटाया गया । शेष अतिक्रमणों को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी पत्र क्रमांक प4(क)विस/एलएसजी/केम्प मालपुरा/एसपी-1 दिनांक 1.3.12 के द्वारा नगरपालिका को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के संबंध में यदि कोई लापरवाही की स्थिति सामने आती है तो निदेशक स्तर से जांच करवायी जायेगी ।

राजकीय महाविद्यालयों की पंजीकृत विकास समितियों की बैठक

112. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में पंजीकृत विकास समितियां हैं? यदि हां, तो उनकी नियमानुसार वर्ष में कितनी बैठक होनी आवश्यक है तथा गत 8 वर्षों में कितनी-कितनी बैठकें आयोजित की गई? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विकास समितियों का गठन किस प्रकार किया जाता है तथा विकास समितियों की समय पर बैठक नहीं होने के क्या कारण रहे और नियमानुसार बैठक नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) उक्त विकास समिति के माध्यम से गत आठ वर्षों में कितनी-कितनी राशि के विकास कार्य करवाये गये? महाविद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमानुसार वर्ष में विकास समिति की 4 बैठकें होना आवश्यक हैं। गत 8 वर्षो में महाविद्यालयवार हुई बैठकों का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 3 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विकास समिति का पंजीकरण राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत करवाया जाता है। उक्त समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है -

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

1	प्राचार्य	अध्यक्ष
2	सांसद	सदस्य
3	विधायक	सदस्य
4	जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद/नगरपालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच	सदस्य
5	जिला कलक्टर का प्रतिनिधि जो उपखण्ड अधिकारी स्तर से कम का न हो	सदस्य
6	निदेशक कालेज शिक्षा का प्रतिनिधि	सदस्य
7	दो स्थानीय शिक्षा विद प्राचार्य द्वारा मनोनीत	सदस्य
8	दो प्रबुद्ध नागरिक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	सदस्य सचिव
9	उपाचार्य/संकाय का वरिष्ठतम सदस्य	सदस्य
10	छात्रसंघ/अध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा मनोनीत छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
11	प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्य	कोषाध्यक्ष
12	दो अभिभावक (सहवरण द्वारा)	सदस्य
13	दानदाता/ट्रस्टी (समिति द्वारा सहवरण)	सदस्य

महाविद्यालयों में विकास समितियों की समय पर बैठकें नहीं होने के निम्न मुख्य कारण रहे हैं :-

1. संबंधित जन प्रतिनिधि उपलब्ध न होने के कारण विकास समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित नहीं हो पाई।

2. बैठक में कोरम पूरा नहीं होने के कारण भी बैठक स्थगित की गई।

3. विश्वविद्यालय एवं अन्य परीक्षाओं के आयोजन के कारण भी विकास समिति की बैठक का आयोजन नहीं हो पाया।

विकास समिति की बैठक आयोजित करने के लिए प्राचार्य (अध्यक्ष की हैसियत से) व उपाचार्य (सदस्य सचिव की हैसियत से) उत्तरदायी होते हैं।

(3) विकास समिति की गत 8 वर्षों में विकास कार्यों पर

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

व्यय की गयी राशि का महाविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4-5 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सोजत विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को मुआवजा

113. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2009-10 में खरीफ की फसलों व चारे का खराबा हुआ था? यदि हां, तो किस-किस कृषक को कितना-कितना कब-कब मुआवजे का भुगतान किया गया? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 से फरवरी, 2012 तक सर्दी में पाला पड़ने से गेहूं, सरसों तथा मेहन्दी की फसलों का खराबा हुआ है? क्या सरकार इसका मुआवजा कब तक देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषकों को स्वीकृत की गई सहायता का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 से 2012 के फरवरी तक पाला पड़ने से सोजत में गेहूं की फसल में 6 प्रतिशत सरसों की फसल में शून्य तथा रायपुर तहसील के सोजत विधान सभा क्षेत्र में गेहूं की फसल में 10 प्रतिशत, सरसों में शून्य प्रतिशत खराबा हुआ है एवं मेहन्दी की फसल खरीफ की फसल है । पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को राहत पैकेज जारी किया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

आरक्षित वर्ग के कार्यरत चिकित्सक

114. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कुल कितने चिकित्सक चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त कार्यरत हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (मेडिकल कालेज को छोड़कर) में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 996 चिकित्सक कार्यरत हैं जिनमें से 655 चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में एवं 341 चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 731 चिकित्सक कार्यरत हैं जिनमें से 474 चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में एवं 257 चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

बाल श्रमिक कल्याण हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स

115. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिये टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो जिलेवार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा विगत दो वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया है? जिलेवार मुक्त कराये गये बच्चों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा बाल श्रमिकों का नियमित रूप से सर्वे कराना अनिवार्य है? क्या विगत तीन वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिये कोई सर्वे कार्य किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त सर्वे को नहीं करने के लिये कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला स्तर पर सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। जिलेवार गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) टास्क फोर्स द्वारा 692 बाल श्रमिकों को गत 2 वर्षों में मुक्त कराया गया है जिन्हें राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर तथा राज्य के

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

बाहर के बालकों को उनके माता-पिता के पास भिजवाकर पुनर्वास किया गया है। उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा गत दो वर्षों में मुक्त कराये गये बालकों की जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय संचालन हेतु सर्वे कराया जाता है। एक बार सर्वे में चिन्हित बालकों को 3 वर्ष तक शिक्षा प्रदान कर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है, तत्पश्चात् पुनः नवीन विद्यालयों हेतु बालकों के चयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राशि आबंटन की स्थिति में सर्वे कराया जाता है। अतः नियमित रूप से सर्वे कराने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता के अनुसार जयपुर, अलवर, उदयपुर, जालौर, बांसवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, टौंक, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, नागौर, झालावाड़, भरतपुर, झुन्झुनुं एवं बारां, में सर्वे कार्य कराया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर शहर के धोक तेलियान एवं थोक मालियान राजस्व ग्रामों के अभिलेख

116. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के धोक तेलियान एवं थोक मालियान राजस्व ग्रामों का प्रचलित राजस्व रिकार्ड अप्रमाणित है?

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक डीबीसीडब्ल्यू पिटीशन 8777/06 की पालना में उक्त राजस्व रिकार्ड को प्रमाणित करने की कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26-5-2009 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अजमेर लैण्ड रिफोर्म रिजम्पशन आफ स्टेट लैण्ड 1956 तथा जमीदारी बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट, 1959 को प्रभावशील किये जाने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु अध्ययन करने एवं राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(4) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने सर्वे कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट संभागीय आयुक्त, अजमेर को दिनांक 14-9-2010 को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो करीब डेढ़ वर्ष पश्चात् भी परीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार अजमेर के उपरोक्त दोनों राजस्व ग्रामों के रिकार्ड प्रमाणित करने की कोई अन्तिम दिनांक तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि अजमेर शहर के थोक मालियान की संवत 2020-23 तथा थोक तेलियान की संवत 2022-25 की जमाबन्दी को वर्तमान में प्रचलित राजस्व अभिलेख के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। ये जमाबन्दियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अन्य नियमों के प्रभावशील किये जाने में आ रही कठिनाइयों के कारण अप्रमाणित रही है।

(2) जी हां। मा. न्यायालय के निर्णय के क्रम में अजमेर शहर के थोक मालियान व थोक तेलियान के राजस्व रिकार्ड को प्रमाणित करने की कार्यवाही जैरकार है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22/5/09 के द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर की अध्यक्षता में विभिन्न प्रचलित नियमों को प्रभावशाली किये जाने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है।

(4) उक्त कमेटी द्वारा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20/4/2011 को राज्य सरकार को प्रेषित की गई है।

(5) राज्य स्तर पर प्रकरण के विधिक पहलुओं पर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रकरण में कुछ बिन्दुओं की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण संभागीय आयुक्त से पुनः सूचना चाही गई है। सूचना प्राप्त होने पर पुनः राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाकर उक्त दोनों राजस्व ग्रामों के रिकार्ड को प्रमाणित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

"नया जयपुर" हेतु अवाप्त भूमि

117. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया जयपुर बनाने की योजना बनाई गई थी? क्या इसके लिये भूमि अवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का मौके पर डिमार्केशन किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त सम्पूर्ण जोन की कालोनियों के नियमन करने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया जयपुर बनाने की योजना बनाई गई थी। अवाप्ति से पूर्व की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2010 को इकोलोजिकल क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन पर स्थगन आदेश के कारण अवाप्ति की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त योजना का मौके पर डिमार्केशन नहीं किया गया। नया जयपुर की प्रथम अधिसूचना दिनांक 27.10.2009 के पश्चात् प्रारम्भिक तैयारियां यथा नजरी सर्वे एवं नजरी माप की कार्यवाही की गई थी, जिसके आधार पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01.11.2010 में अधिसूचित क्षेत्र में रोड नेटवर्क प्लान तैयार करने तथा अधिसूचित क्षेत्र में से कम बसावट एवं तुलनात्मक रूप से अधिकांशतः खाली क्षेत्र में हेरिटेज सिटी एवं ग्रीन सिटी बसाये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 09.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटीशन नम्बर 1554/04 गुलाब कोठारी बनाम सरकार में इकोलोजिकल जोन में स्थित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जिस कारण से योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयों के मद्देनजर डिमार्केशन नहीं किया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि नया जयपुर शहर हेतु अधिसूचित क्षेत्र की कॉलोनियों में नियमन पर रोक लगाई गई है। प्रस्तावित नया जयपुर शहर की सीमाओं में अव्यवस्थित विकास नहीं हो एवं नियोजित विकास सुनिश्चित हो

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सके, इस हेतु 90बी, ले-आउट प्लान अनुमोदन, भू-उपान्तरण, भूमि आबंटन एवं नये निर्माण पर रोक लगाई गई थी। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 09.12.2010 के निर्णय में इकोलोजिकल क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर जिले के पर्यटन स्थलों पर व्यय राशि

118. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित व प्रोत्साहित करने के लिये विशेष योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के अनेकों शहर जैसे जयपुर, उदयपुर व भरतपुर शहर पर्यटन के हिसाब से अपना विशेष स्थान रखते हैं?

(3) क्या सरकार ने उक्त शहरों में आधारभूत सुविधा दिये जाने की कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत तीन वर्षों में सरकार ने पर्यटन के माध्यम से कितनी आय अर्जित की है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि धौलपुर को भी टूरिस्ट डेस्टीनेयशन घोषित किया गया है और उसे विकसित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां तो वर्ष 2003 से 2008 तक कुल कितनी राशि जिला धौलपुर में पर्यटन विकास पर व्यय की गई है और वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक कुल कितना व्यय किया गया है? पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन को उद्योग का दर्जा वर्ष 1989 में दिया जा चुका है। पर्यटन इकाई नीति-2007 के तहत विभिन्न रियायतें एवं सुविधाएं पर्यटन इकाइयों को दी जा रही हैं। उद्योग विभाग की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के तहत औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही रियायतें पर्यटन इकाइयों को उपलब्ध है, इसमें लग्जरी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, मनोरंजन कर, विद्युत कर, ऋण ब्याज पर अनुदान आदि छूटें उपलब्ध हैं।

(पर्यटन मंत्री)

(2) जी हां।

(3) उक्त शहरों में आधारभूत सुविधा दिये जाने हेतु विभिन्न कार्य करवाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में आधारभूत सुविधाएं दिये जाने हेतु कराये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

आर.यू.आई.डी.पी. के द्वितीय ट्रेंच में भरतपुर शहर हेतु राशि रु.117.11 करोड़ एवं तृतीय ट्रेंच में राशि रु.71.84 करोड़ (कुल राशि रु. 185.95 करोड़) के कार्य प्रस्तावित हैं। जिनके विरूद्ध जनवरी, 2012 तक कुल राशि रू. 26.44 करोड व्यय किया जा चुका है। कार्यो का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत उदयपुर शहर की दो झीलों फतहसागर एवं पिछोला के संरक्षण एवं पुर्नउद्धार के लिए परियोजनाओं को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों परियोजना की कुल लागत 25.40 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर एवं उदयपुर शहरों में किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न है।

राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जयपुर, उदयपुर एवं भरतपुर शहरों के स्मारकों में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये गये हैं, जिनमें पर्यटकों हेतु आधारभूत सुविधाएं भी सम्मिलित हैं, कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-4 में संलग्न है।

(4) पर्यटन के माध्यम से हुई आय का आंकलन पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य होटल निगम राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग एवं वन विभाग के गत तीन वर्षों में हुए आय का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(5) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित नहीं किया जाता है अपितु पर्यटकों की आवाजाही के आधार पर स्थल स्वतः ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है।

पर्यटन की दृष्टि से धौलपुर में स्थित ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन का विकास किए जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गई है। स्वीकृति उपरान्त विकास कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

(पर्यटन मंत्री)

वर्ष 2003 से 2008 तक एवं वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक धौलपुर में पर्यटन विकास पर कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराये गये कार्यो में हुए व्यय परिशिष्ट-6 पर एवं राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से कराये गये विकास कार्यों पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

आर.यू.आई.डी.पी. के द्वितीय ट्रेंच में धौलपुर शहर हेतु राशि रु. 98.08 करोड़ एवं तृतीय ट्रेंच में राशि रू. 33.52 करोड (कुल राशि रु. 131.60 करोड) के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके विरुद्ध जनवरी, 2012 तक कुल राशि रू. 19.94 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। शहर में हैरिटेज संरक्षण के कार्य के अन्तर्गत चौपड़ा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु कुल आवंटित राशि रु. 50.00 लाख में से राशि रु. 26.06 लाख 31 जनवरी, 2012 तक व्यय किये जा चुके हैं। धौलपुर शहर में कराये जा रहे कार्यों की सूची परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

खींवसर उप खण्ड (नागौर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

119. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कितने महाविद्यालय कार्यरत हैं एवं इनमें कितने सरकारी हैं व सरकारी महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कितनी-कितनी संख्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खींवसर उप खण्ड में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) सरकारी महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल 44 महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 4 राजकीय महाविद्यालय तथा 1 राजकीय विधि महाविद्यालय हैं। नागौर जिले के राजकीय महाविद्यालयों में 5081 छात्र तथा 2061 छात्राएं एवं कुल 7142 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय में 20 छात्र तथा 4 छात्राऐं अध्ययनरत हैं।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। खींवसर में सत्र 2003-04 से निजी क्षेत्र में शहीद सुरेन्द्र सिंह महाविद्यालय पूर्व में ही संचालित है।

वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए खींवसर उप खण्ड में सरकारी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) सरकारी महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. प्रस्तावित स्थान के 30 कि.मी. की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित ना हो यह शर्त सम्भागीय मुख्यालय तथा औद्योगिक शहरों में लागू नहीं होगी।
2. प्रस्तावित स्थान के 20 कि.मी. की परिधि में कम से कब चार सीनियर सैकण्डरी विद्यालय संचालित हों, ताकि महाविद्यालय में प्रस्तावित विषयों में पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हो सके।
3. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टि से उपयुक्त हो।
4. महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु भवन आदि की उपयुक्त व्यवस्था हो।

"सिंथेटिक दूध" निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही

120. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंथेटिक दूध बनाने का अवैध कारोबार चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) गत दो वर्षों में प्रदेश में सिंथेटिक दूध बनाने के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिंथेटिक दूध बनाने वाले कारोबारियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं में जागरुकता फैलाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सिंथेटिक दूध का अवैध करोबार का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) प्रदेश में गत दो वर्षों में सिंथेटिक दूध बनाने का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इस अवधि में दूध के कुल 2377 नमूने पीएफए एक्ट/एफएसएसए एक्ट के तहत लिये गये, जिनमें से 565 नमूने अपमिश्रित/मिसब्राण्ड/सब स्टेण्डर्ड पाये गये। जिनमें से 499 प्रकरणों का चालान माननीय न्यायालय/न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये। शेष 66 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) दूध में मिलावट करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दूध के नमूनीकरण एवं निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है साथ ही चल प्रयोगशालाओं के माध्यम से भी उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है।

बाल श्रमिकों हेतु निर्धारित आयु

121. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) व **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय संस्था प्लान इण्डिया तथा वाग्धारा एनजीओ की ओर से बाल श्रमिकों का सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाल श्रमिकों की कानूनी उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में राज्य में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया? क्या बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के लिये सरकार कोई अभियान प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था प्लान इण्डिया तथा वाग्धारा को सर्वे हेतु कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया है

(2) बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार ही सक्षम है।

(3) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

जिला	2010	2011
अलवर	3	-
बांसवाड़ा	26	-
जयपुर	17	252
डूंगरपुर	70	67
उदयपुर	179	78
योग	**295**	**397**

बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के लिए तथा बाल श्रम के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न करने के लिए विभाग द्वारा नवम्बर माह में एक सप्ताह/पखवाड़े का अभियान राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के श्रम निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से बाल श्रमिक मुक्त कराने हेतु निरीक्षण किये जाते हैं।

रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल की प्राप्ति हेतु कार्य योजना

122. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रावी-व्यास के पानी में से राजस्थान को आबंटन का अन्तर्राज्यीय जल समझौता कब और किन-किन राज्यों के मध्य हुआ था?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान को रावी-व्यास नदियों के अधिशेष 0.60 एम.सी.एफ. पानी लेने हेतु सुप्रीम कोर्ट की राय ली गई है? यदि हां, तो कब और क्या राय प्राप्त हो चुकी है? यदि नहीं, तो राय कब तक प्राप्त होने की उम्मीद है?

(3) वर्ष 2010 व 2011 में उक्त अधिशेष पानी लेने हेतु सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय शीघ्र मंगवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल के बंटवारे का समझौता राजस्थान व पंजाब राज्य के मध्य दिनांक 29.01.1955 को हुआ। पुनः दिनांक

(जल संसाधन मंत्री)

31.12.1981 को पंजाब, राजस्थान व हरियाणा राज्य के बीच संशोधित समझौता हुआ।

(2) पंजाब द्वारा 12.07.2004 को पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेन्ट एक्ट, 2004 पारित कर रावी-व्यास नदियों के संबंध में दिनांक 31.12.1981 को अन्तर्राज्यीय समझौता सहित रावी व्यास नदियों से संबंधित सभी जल समझौतों को निरस्त कर दिया। इस एक्ट की वैधता के संबंध में दिनांक 22.07.2004 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संविधान की धारा 143 की उपधारा 1 के अन्तर्गत रेफरेंस की है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकरण के शीघ्र निपटारे के लिए प्रार्थना हेतु भारत सरकार को माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान की ओर से समय-समय पर पत्र लिखे गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) माननीय मुख्य मत्री महोदय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को पत्र दिनांक 23.05.2005, 12.06.2007, 09.06.2009 एवं 02.04.2010 द्वारा एवं माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन, भारत सरकार को पत्र दिनांक 12.06.2007 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का शीघ्र गठन करवाकर इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बून्दी नगरपालिका में लम्बित भू-परिवर्तन प्रकरण

123. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र बूंदी की जनसंख्या लगभग 1.20 लाख के करीब है? क्या सरकार नगरपालिका बूंदी को नगर परिषद् बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या नगरपालिका बूंदी नगर परिषद् के लिये निर्धारित मानदण्ड पूरा करती है?

(3) उक्त नगरपालिका में भू उपयोग परिवर्तन के कितने प्रकरण लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार घोषणा अनुसार भू रूपान्तरण कर पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री अशोक डोगरा)

(5) क्या यह सही है कि नगरपालिका बूंदी में अधिकांश समय अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त रहने से शहर का विकास प्रभावित हो रहा है? क्या सरकार शीघ्र ही अधिशाषी अधिकारी के पद पर स्थाई नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि बूंदी शहर के सिलोर रोड पर आर.के. पुरम कालोनी में कुछ भू-खण्डों के पट्टे जारी हो गये हैं? यदि हां, तो अब उक्त कालोनी में भूखण्डधारियों को पट्टे जारी क्यों नहीं किये जा रहे? उक्त कालोनी में पूर्व में किन नियमों के तहत पट्टे जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका बूंदी क्षेत्र की वर्ष 2001 के अनुसार जनसंख्या 88871 है। नगरपालिका बूंदी को नगर परिषद बनाने का कोई निर्णय फिलहाल नही लिया गया है ।

(2) जी नही ।

(3) नगरपालिका बूंदी में भू-उपयोग परिवर्तन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी (1) के अन्तर्गत दिनांक 17.6.99 से पूर्व कृषि भूमि पर अवस्थित कालोनियों के भू रूपान्तरण प्रकरण प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार पटटे जारी करने की कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी(3) के अन्तर्गत मा. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 6307/2011 में दिनांक 27.5.2011 को स्थगन दिये जाने से भू रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है किन्तु स्थगन तिथि से पूर्व जिन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90बी की कार्यवाही कर भूमि का पुर्नग्रहण आदेश जारी किया जा चुका है । उन प्रकरणों में पटटे जारी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(5) जी नहीं। नगरपालिका बूंदी में पूर्णकालीन अधिशासी अधिकारी लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) जी हां। अवशेष भूखण्डों का ले आउट प्लान स्वीकृत नहीं होने व्यक्तिश: भूखण्ड बिके होने तथा सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण एवं 90बी की कार्यवाही नहीं होने से जारी नहीं हो पाये।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ मोबाइल कैंटीन

160. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सैनिक कल्याण बोर्ड कहां-कहां स्थित हैं तथा उनमें भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अधिक संख्या वाले जिलों में इनकी सुविधा हेतु मोबाइल कैंटीन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य स्तर पर जयपुर में राज्य सैनिक बोर्ड स्थित है एवं 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वर्तमान में कार्यरत है। इसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की जिलेवार संख्या एवं देय सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" एवं परिशिष्ट "ग" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

पाली नगर परिषद् की आवासीय योजनाएं

161. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद् पाली द्वारा शास्त्री नगर आवासीय योजना में पहली बार भूखण्ड कब आबंटन किये गये थे एवं अब तक परिषद् को इस योजना के भूखण्डों के आबंटन या निलामी से कितनी आमदनी हुई?

(2) उक्त आवासीय योजना के विकास हेतु नगर परिषद् द्वारा किस-किस वर्ष में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली द्वारा शास्त्री नगर आवासीय योजना में पहली बार दिनांक 17.09.1999 को लाटरी द्वारा भूखण्ड आबंटित किये गये थे तथा

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अब तक इस योजना में भूखण्ड आबंटन/नीलामी से परिषद को 2,07,66,814 रुपये की आय हुई।

(2) उक्त आवासीय योजना में निम्न प्रकार से राशि व्यय की गयी :-

1. वर्ष 2002-03 में डिमारकेशन पर रुपये 1,29,636 व्यय किये गये।

2. वर्ष 2003-04 में डब्ल्यूबीएम सडक निर्माण पर रुपये 3,86,561 व्यय किये गये।

फलौदी नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण

162. **श्री ओम जोशी** (फलौदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डल फलौदी की बेशकीमती जमीन पर भू-माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर मंदिर/समाधि के नाम पर अतिक्रमण किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त नगरपालिका की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? अतिक्रमियों की सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। कुछ जमीनों पर मंदिर/समाधि बनाकर अतिक्रमण किया गया है ।

(2) पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। अतिक्रमियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर नगरपालिका में रिक्त पद

163. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है एवं उनके अनुपात में नगरपालिका में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर में जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नगरपालिका बाड़मेर में सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) उक्त नगरपालिका बाड़मेर में अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं तथा क्या सरकार उनको भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगरपालिका बाड़मेर क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 83500 है। जनसंख्या के मुताबिक 334 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जिसके विरुद्ध 187 सफाई कर्मचारी नगरपालिका में कार्यरत हैं।

(2) यह आंशिक रूप से सही है कि नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर में जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारी कम है। सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हैं। शेष उत्तर भाग संख्या 3 के उत्तर में निहित है ।

(3) जी हां, नगरपालिका बाड़मेर में 62 सफाई कर्मचारियों के पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर पालिका द्वारा भर्ती की कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

(4) नगरपालिका बाड़मेर में अन्य कर्मचारियों (विभिन्न संवर्गों) के 50 पद रिक्त है। उन्हें भरने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर शहर में पार्किंग ठेकेदारों द्वारा अधिक वसूली

164. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में नगर निगम द्वारा कहां-कहां पर पार्किंग के ठेके किस-किस को कब से दिए हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम द्वारा वर्तमान में पार्किंग का किस-किस स्थान का कितना-कितना शुल्क निर्धारित किया हुआ है?स्थानवार, वाहनवार एवं निर्धारित समयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से निर्धारित

(श्री निर्मल कुमावत)

शुल्क से अधिक शुल्क जनता से वसूला जा रहा है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नगर निगम, जयपुर द्वारा अपने जोन क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग ठेके पर संचालित है। पार्किंग स्थल, उनके ठेकेदार एवं अवधि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर निगम, जयपुर द्वारा स्थानवार, वाहनवार एवं समयानुसार पार्किंग शुल्क निर्धारित किया हुआ है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) नगर निगम, जयपुर के सिविल लाइन जोन द्वारा वर्ष 2008-09 में पुराने आलू फैक्टरी के बाहर एवं आनन्द भवन के सामने पार्किंग स्थल के ठेकेदार श्री महेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूली पर 5 हजार रुपये जुर्माना किया गया।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में नीलाम किये गये पार्किंग स्टैण्डों की सूची वर्ष 2011-12

क्र. सं.	जोन कार्यालय का नाम	पार्किंग स्थल का नाम	पार्किंग ठेकेदार का नाम व पता	अवधि कब से कब तक (01.04.11 से 31.03.12)	नीलामी राशि 2011-12	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	CLZ	मालवीया मार्ग (एयरटेल कार्यालय) पोस्ट आफिस बिल्डिंग के सामने सनी टावर के बाहर	श्री जयकरण पूनिया पुत्र श्री रामकुमार पूनिया, क्वींस रोड, वैशाली नगर, जयपुर	01.04.2011 से 31.03.2012	3,01,800/-	वर्ष 2011-12 में शर्तोनुसार 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर ठेका नवीनीकरण किया गया।
2.	CLZ	आकाशवाणी के बाहर सेन्ट्रल बैंक के कोने से शनिचर जी के मंदिर तक	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह 202, गणेश नगर विस्तार, कालवाड़ रोड, जयपुर	01.04.2011 से 31.03.2012	2,71,200/-	वर्ष 2011-12 में शर्तोनुसार 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर ठेका नवीनीकरण किया गया।
3.	CLZ	इन्द्रा मायाराम जी के मकान के पास से अहिंसा सर्किल तक	श्री भंवर लाल शर्मा पुत्र कमलचन्द शर्मा ए-140, धन्नादास जी की बगीची, आदर्श नगर, जयपुर	01.04.2011 से 31.03.2012	5,11,200/-	वर्ष 2011-12 में शर्तोनुसार 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर ठेका नवीनीकरण किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
4.	CLZ	राज मंदिर सिनेमा के सामने, भगवान दास रोड, जयपुर	मो. शरीफ कुरैशी पुत्र श्री जुम्मा कुरैशी म. नं. 2522, बापू बाजार, टांक काम्पलेक्स, जयपुर	15.01.2011 से 31.03.2012	5,00,000/-	नीलाम किया जा चुका है।
5.	HMZ(E)	संजय बाजार कार पार्किंग, सांगानेरी गेट, जयपुर	श्री मोहम्मद जाकिर हुसैन पुत्र श्री मुंशी खां म.नं. 2538, बापू बाजार, तेलीपाड़ा, जयपुर		16,64,000/-	-
6.	HMZ(W)	रायसर प्लाजा	गणेश कुमार शर्मा 289-ए, महेश नगर, टोंक फाटक	01.04.2011 से 31.03.2012	11,70,000/-	-
7.	HMZ(W)	मोरीजा टावर के पास	मोहम्मद जाकिर हुसैन 2538, तेलीपाड़ा, बापू बाजार	01.04.2011 से 31.03.2012	4,80,000/-	-
8.	HMZ(W)	आतिश मार्केट	उमर दराज 4224, शिकारियों का मोहल्ला, जौहरी बाजार	01.04.2011 से 31.03.2012	18,30,000/-	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	MDZ	रामनिवास बाग के पीछे जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दायें-बायें	श्री सलीम पुत्र श्री उमरदराज पुरानी अनाज मंडी, म.नं. 4215	01.04.2011 से 31.03.2012	13,00,00/-	-
10.	MDZ	नगर निगम जयपुर मुख्यालय के बाहर	कर्मचारी ट्रेड यूनियन, नगर निगम जयपुर	01.04.2011 से 31.03.2012	7,466/-	-

आयुक्त राजस्व
नगर निगम जयपुर

परिशिष्ट 'ब'

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में नीलाम किये गये पार्किंग स्टेण्डों की वर्ष 2011-12 की दरें निम्न प्रकार है

क्र.सं.	समय	स्कूटर/मोटर साईकिल/ मोपेड	साईकिल	कार	बस
1.	प्रथम 3 घण्टे	3 रु.	2 रु.	10 रु.	30 रु.
2.	3 घण्टे से 12 घण्टे	5 रु.	3 रु.	15 रु.	50 रु.
3.	12 घण्टे से 24 घण्टे	10 रु.	5 रु.	20 रु.	100 रु.
4.	मासिक	150 रु.	75 रु.	400 रु.	1500 रु.

आयुक्त राजस्व
नगर निगम जयपुर

रामगंज (जयपुर) क्षेत्र में मांस के अवैध विक्रय केन्द्र

165. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के रामगंज बाजार स्थित लुहारों का खुर्रा एवं इससे लगते हुए क्षेत्रों में अवैध रूप से मांस एवं मछली का व्यापार संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये नगर निगम द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा मांस के व्यापारियों को स्थान आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किस स्थान पर? आबंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर के रामगंज बाजार स्थित लुहारों के खुर्रा एवं इससे लगते हुए क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मांस एवं मछली का व्यापार संचालित किया जा रहा है। इनको रोकने हेतु नगर निगम जयपुर में प्रचलित नियम/उप नियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध चालान एवं जब्ती की कार्यवाही की जाती है एवं समय-समय पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट–अ

जयपुर के रामगंज बाजार स्थित लुहारों के खुर्रा एवं इससे लगते हुए क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मीट एवं मछली का व्यापार करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	नाम	पता	व्यवसाय	चालान की दिनांक	कार्यवाही अन्तर्गत धारा
1	2	3	4	5	6
1.	फारूक/शाहाबुद्दीन	पुरी कोतवाली, घाटगेट	बकरा	15.04.11	राज. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 248 एवं 270
2.	मुबारक/बल्लू	रैगरों की कोठी घाटगेट	बकरा	15.04.11	उपरोक्तानुसार
3.	लाला/रजाक	मछली मार्केट	बकरा	15.04.11	उपरोक्तानुसार
4.	बल्लू/सलीम	रैगरों की कोठी घाटगेट	बकरा	16.04.11	उपरोक्तानुसार
5.	रईस/मुन्ना	घोड़ा निकास रोड	मुर्गा	22.04.11	उपरोक्तानुसार
6.	श्री ईमरान मेहराज	ट्रांसपोर्ट नगर	बकरा	28.04.11	उपरोक्तानुसार
7.	साजिद/चुन्नु	रैगरों की कोठी	बकरा	02.05.11	उपरोक्तानुसार
8.	अलाउद्दीन/काल्या हाजी	रैगरों की कोठी	बकरा	03.06.11	उपरोक्तानुसार
9.	शहाबू/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा		उपरोक्तानुसार
10.	वहाब/सलीम	रैगरों की कोठी	बकरा	04.05.11	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5	6
11.	रफीक/रमजान	कुम्हारों की नदी, रामगंज	बकरा	12.05.11	उपरोक्तानुसार
12.	रहीमदुद्दीन/ईमामुद्दीन	पतंग वालों का मोहल्ला	बकरा	13.05.11	उपरोक्तानुसार
13.	फिरोज/बाबू	काजी का नाला	पाडा	13.05.11	उपरोक्तानुसार
14.	राजन/बशीन	बांदरी का नासिक	बकरा	14.05.11	उपरोक्तानुसार
15.	ईमरान/मेहराज	ट्रांसपोर्ट नगर	बकरा	18.05.11	उपरोक्तानुसार
16.	छुटटी/कमरू	नवाब का चौराहा, घाटगेट	बकरा	19.05.11	उपरोक्तानुसार
17.	आदिल/कल्लन	काजी का नला	पाडा	24.0.11	उपरोक्तानुसार
18.	नईम/जह्रू	नवाब का चौराहा घाटगेट	मुर्गा	02.06.11	उपरोक्तानुसार
19.	अलमुददीन/काले खां	रैगरों की कोठी	बकरा	03.06.11	उपरोक्तानुसार
20.	मकसूद/महम्मूद	बाल जी का रास्ता घाटगेट	बकरा	07.06.11	उपरोक्तानुसार
21.	नईम/जह्रू	नवाब का चौराहा	मुर्गा	14.06.11	उपरोक्तानुसार
22.	नईम/जह्रू	नवाब का चौराहा	मुर्गा	16.06.11	उपरोक्तानुसार
23.	लिकायत/शदरू	बालाजी का रास्ता	बकरा	16.06.11	उपरोक्तानुसार
24.	उमरदीन/फजलूददीन	घोड़ा निकास रोड	मुर्गा	22.06.11	उपरोक्तानुसार
25.	पप्पू मेहरा/भूरया	घोड़ा निकास रोड	मुर्गा	22.06.11	उपरोक्तानुसार
26.	सलमान/ईमामुद्दीन	कुम्हारों की नदी	मुर्गा	22.06.11	उपरोक्तानुसार
27.	साजिद/चुन्नु	रैगरों की कोठी	मुर्गा	23.06.11	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5	6
28.	ईकबाल/हकीमुद्दीन	रैगरों की कोठी	मुर्गा	04.07.11	उपरोक्तानुसार
29.	शहाबू/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	19.07.11	उपरोक्तानुसार
30.	शहीद/सलीम	घोडा निकास रोड	मुर्गा	19.07.11	उपरोक्तानुसार
31.	रफीक/अजीज	घोडा निकास रोड	मुर्गा	19.07.11	उपरोक्तानुसार
32.	शहाबू/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	12.07.11	उपरोक्तानुसार
33.	ईकबाल/हकीमुद्दीन	रैगरों की कोठी	मुर्गा	12.07.11	उपरोक्तानुसार
34.	मुन्ना/जह्रू	रैगरों की कोठी	मुर्गा	16.07.11	उपरोक्तानुसार
35.	शहाबू/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	15.07.11	उपरोक्तानुसार
36.	बल्लू/सलीम	रैगरों की कोठी	बकरा	14.07.11	उपरोक्तानुसार
37.	नईम/जह्रू	नवाब की कोठी	बकरा	13.07.11	उपरोक्तानुसार
38.	ईकबाल/हकीमुद्दीन	रैगरों की कोठी	मुर्गा	13.07.11	उपरोक्तानुसार
39.	कमरूद्दीन/काल्या	रैगरों की कोठी	बकरा	11.10.11	उपरोक्तानुसार
40.	शाबु/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	11.10.11	उपरोक्तानुसार
41.	सलीम/उमर	हीदा की मोरी	बकरा	14.10.11	उपरोक्तानुसार
42.	सफीक/इमामुद्दीन	हीदा की मोरी	बकरा	04.10.11	उपरोक्तानुसार
43.	सलीम/उस्मान	हीदा की मोरी	बकरा	04.10.11	उपरोक्तानुसार
44.	लियाकत/सदरू	बालजी का रास्ता	बकरा	14.10.11	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5	6
45.	शकील/कन्नू	विसातियों का मौहल्ला	बकरा	18.10.11	उपरोक्तानुसार
46.	छुटटी/कमरू	नवाब का चौराहा	बकरा	05.10.11	उपरोक्तानुसार
47.	शकील/कन्नू	बिसायतियों का मौहल्ला	बकरा	05.10.11	उपरोक्तानुसार
48.	नजमु/मुन्ना	रैगरों की कोठी	बकरा	05.10.11	उपरोक्तानुसार
49.	फिरोज/बाबू	काजी का नला	पाडा	07.10.11	उपरोक्तानुसार
50.	शकील/कन्नू	बिसायतियों का मौहल्ला	बकरा	25.10.11	उपरोक्तानुसार
51.	अलमुद्दीन/काले	रैगरों की कोठी	बकरा	31.10.11	उपरोक्तानुसार
52.	शाबु/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	02.02.12	उपरोक्तानुसार
53.	अलमुद्दीन/काले	रैगरों की कोठी	बकरा	03.02.12	उपरोक्तानुसार
54.	अलमद्दीन/काले	रैगरों की कोठी	बकरा	24.01.12	उपरोक्तानुसार
55.	वहीद/मकबूल	मछली मार्केट	बकरा	26.01.12	उपरोक्तानुसार
56.	लाल/रज्जक	मछली मार्केट	बकरा	26.01.12	उपरोक्तानुसार
57.	शाबु/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	26.01.12	उपरोक्तानुसार
58.	अलमुद्दीन/काले	रैगरों की कोठी	बकरा	26.01.12	उपरोक्तानुसार
59.	नवाब/सदरू	बालजी का रास्ता	बकरा	26.01.12	उपरोक्तानुसार
60.	सलीम/बसीर	घोड़ा निकास रोड	बकरा	26.01.12	उपरोक्तानुसार
61.	शाबु/रोशन	रैगरों की कोठी	बकरा	06.11.11	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5	6
62.	अलमुद्दीन/काले	रैगरों की कोठी	बकरा	06.11.11	उपरोक्तानुसार
63.	छुट्टी/कमरू	नवाब का चौराहा	बकरा	06.11.11	उपरोक्तानुसार
64.	लियाकत/सदरू	बालजी का रास्ता	बकरा	06.11.11	उपरोक्तानुसार
65.	साजीद/चिराग	रैगरों की कोठी	बकरा	06.11.11	उपरोक्तानुसार
66.	मासीन/बाबू	काजी का नला	पाडा	06.11.11	उपरोक्तानुसार
67.	राजू/खलील	महावतों का मौहल्ला	पाडा	06.11.11	उपरोक्तानुसार
68.	याकूफ/छोटेखां	मछली मार्केट	मुर्गा	23.02.12	उपरोक्तानुसार
69.	मुन्ना/रियाजुददीन	मछली मार्केट	मुर्गा	23.02.12	उपरोक्तानुसार
70.	नफीस/खलील	मछली मार्केट	मुर्गा	24.02.12	उपरोक्तानुसार
71.	यामीन/नजरमोहम्मद	मछली मार्केट	मुर्गा	24.2.12	उपरोक्तानुसार
72.	शहआलम/मुस्तकिन	मछली मार्केट	मुर्गा	24.02.12	उपरोक्तानुसार
73.	मुश्ताक/नईमुद्दीन	मछली मार्केट	मुर्गा	25.02.12	उपरोक्तानुसार
74.	वहीद/मकबूल	मछली मार्केट	बकरा	25.02.12	उपरोक्तानुसार
75.	सत्तार/रसीद	मछली मार्केट	मछली	26.02.12	उपरोक्तानुसार
76.	राजा/नसरूददीन	मछली मार्केट	मछली	26.02.12	उपरोक्तानुसार
77.	अनवरी/बुन्दु कुरेशी	मछली मार्केट	मछली	26.02.12	उपरोक्तानुसार
78.	शकील/मो. शरीफ	मछली मार्केट	मछली	28.02.12	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5	6
79	अब्दुल सला/अ. गफूर	मछली मार्केट	मछली	28.02.12	उपरोक्तानुसार
80.	शहाबुद्दीन/मो. बसीर	मछली मार्केट	मछली	28.02.12	उपरोक्तानुसार
81.	मुन्ना/रियाजुद्दीन	मछली मार्केट	मछली	29.02.12	उपरोक्तानुसार
82.	इसरार/भोला	मछली मार्केट	मछली	29.02.12	उपरोक्तानुसार
83.	शमशुददीन/ईस्लामुददीन	मछली मार्केट	मछली	29.02.12	उपरोक्तानुसार

जब्ती की कार्यवाही का विवरण :

1. दिनांक 22.02.12 को लुहारों के खुर्रा एवं इससे लगते हुए क्षेत्र से 24 मुर्गियां जब्त की गई।

2. लुहारों के खुर्रा एवं इससे लगते हुए क्षेत्र से दिनांक 29.02.12 को 190 मुर्गियां जब्त की गई। नगर निगम द्वारा 190 मुर्गियां का जुर्माना राशि रुपये 5700/- निगम कोष में जमा कर छोड़ी गई।

नोट : इस प्रकार नगर निगम जयपुर द्वारा प्रचलित नियम/उप नियम के अन्तर्गत चालान एवं जब्ती की कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

पशु चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय)
नगर निगम जयपुर

जोधपुर शहर की पार्किंग व्यवस्था हेतु योजना

166. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का संचालन सही रूप से नहीं हो रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(2) क्या सरकार शहर में बढ़ रही पार्किंग समस्या को सुधारने हेतु मल्टी स्टोरी पार्किग व पेड पार्किंग का प्रस्ताव तैयार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या नगर निगम, जोधपुर द्वारा अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को सुधारने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कब व कितना?

(4) क्या नगर निगम, जोधपुर द्वारा उक्त पार्किंग के लिये किये गये बजट प्रावधानानुसार कार्य शुरू करवा दिया गया? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त बजट प्रावधानानुसार कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर में व्यवसायिक केन्द्रों, बाजारों, मुख्य मार्गों के पास पार्किंग स्थलों की कमी होने और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के उचित संचालन न होना मुख्य कारण है ।

(2) 01. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर का काम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सलाहकार विलबर स्मिथ एसोसिएशन के माध्यम से तैयार करवाया गया है । इस काम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में वाहनों की पार्किग में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिये गये हैं:-

अ. स्टेशन रोड, सरदारपुरा सी रोड, रेजीडेन्सी रोड, नई सड़क पर सड़कों के किनारे पार्किंग स्थल बनाये जाने ।

ब. राजीव गांधी मूर्ति नई सड़क के पास उपलब्ध जमीन एवं पुराने नगर निगम कार्यालय के स्थान पर आफ स्टीट ग्रेड पार्किंग ।

2. जोधपुर नगर निगम द्वारा नई सड़क जलजोग से महावीर काम्पलेक्स सरदारपुरा सी रोड तथा मथुरादास माथुर सर्कल से मेडीकल कालेज सर्कल तक रेजीडेन्सी रोड आदि मुख्य मार्गो पर रोड साइड पार्किंग के प्रस्ताव तैयार किये हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। नगर निगम जोधपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में अत्याधुनिक बहुमंजिला पार्किंग हेतु 25 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

(4) प्रस्तावित बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए है। अत: अभी कार्य प्रारम्भ नही हुआ है ।

(5) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 4 के उत्तर में निहित है।

उदयपुर नगर विकास न्यास का प्रस्तावित फ्लाई ओवर ब्रिज

167. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास द्वारा फ्लाई ओवर निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो योजना कब प्रस्तावित की गई व सरकार द्वारा योजना को स्वीकृति कब दी गई तथा योजना की अनुमानित लागत कितनी है?

(2) उक्त योजना में निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर शहर में कोर्ट चौराहा से दिल्ली गेट, सूरजपोल, उदियापोल होते हुए रेलवे स्टेशन तक फ्लाई ओवर के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में न्यास द्वारा गठित प्रशासनिक एवं समन्वय समिति की बैठक दिनांक 09.09.2008 में फ्लाई ओवर निर्माण हेतु 70.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा 22.09.2008 को रुपये 70.14 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य पर होने वाला व्यय न्यास द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। फ्लाई ओवर निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने का कार्य परियोजना कन्सलटेन्ट मैसर्स मार्स प्लानिंग इंजिनियर्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को दिया गया है।

(2) जनसाधारण की मांग व यातायात को अधिक सुगम बनाने हेतु फ्लाई ओवर की लम्बाई बढ़ाते हुए कोर्ट चौराहे से रेलवे स्टेशन तथा इसके मध्य आने वाले विभिन्न चौराहे (दिल्ली गेट, सूरजपोल, उदियापोल) पर भुजाओं को उतारने की सम्भावनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित डी.पी.आर.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

शीघ्र तैयार करने हेतु कन्सलटेंट को निर्देशित किया गया था, जिससे कि शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग प्रस्तावित फ्लाई ओवर से लाभान्वित हो सके।

संशोधित डी.पी.आर. बाबत् कन्सलटेंट द्वारा तकनीकी परीक्षण कर बिन्दुवार टिप्पणियां दी गई थीं, जिसके अनुसार मुख्य चौराहों पर भूमि की उपलब्धता नहीं होने से भुजाएं उतारा जाना सम्भव नहीं बताया गया है एवं भुजाएं उतारने हेतु तकनीकी दृष्टि से निर्धारित ग्रेड को ध्यान में रखते हुए जितनी लम्बाई की आवश्यकता है, उसके अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं होने से मुख्य बाजार में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किया जाना व्यवहारिक नहीं बताया गया है।

वर्तमान में प्रस्तावित फ्लाई ओवर के मार्ग में पड़ने वाली सकड़ी जगह जहां की सड़क मार्गाधिकार कम मिल रहा है (जैसे दिल्ली गेट, सूरजपोल आदि) एवं देहली गेट चौराहा जहां पर 90 डिग्री से ज्यादा का घुमाव आ रहा है, इसका विकल्प तलाशने बाबत् परियोजना हेतु निर्धारित कन्सलटेंट मैसर्स मार्स प्लानिंग इंजीनियर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद एवं अन्य विशेषज्ञों की भी तकनीकी राय ली जा रही है। जिससे कि फ्लाई ओवर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके एवं फ्लाई ओवर निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु व्यवहारिक हल निकाला जा सके। वर्तमान में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

जोधपुर के अफोर्डेबल हाउस निर्माण हेतु चयनित स्थल

168. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर में अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी राजीव गांधी नगर योजना के पास आमंत्रित निविदाओं की तकनीकी बिड व वित्तीय बिड के तुलनात्मक विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आवास गृह जिस स्थान पर निर्मित किये जा रहे हैं वह भू-भाग डिप्रेशन (गहरे क्षेत्र) में आया हुआ है जहां पर वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होता है? क्या जोधपुर विकास प्राधिकरण इस समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यवाही कर रहा है? यदि हां,तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर में अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी राजीव गांधी नगर योजना के पास आमंत्रित निविदाओं की तकनीकी बिड व वित्तीय बिड के तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना के अन्तर्गत चिन्हित स्थानों में पानी की निकासी के लिए बाइपास रोड से राजीव गांधी नगर के साथ जोड़ने के लिए 100 फीट सड़क का मार्ग एवं नाला निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। उक्त नाले के माध्यम से वर्षा जल रामराज नगर, राजीव गांधी नहर होते हुए गंगाणा नाडी में डाले जाने की योजना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी के उप खण्ड कार्यालय की खण्ड कार्यालय में क्रमोन्नति

169. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बून्दी में आवासन मण्डल की कुल कितनी कालोनियां बनी हुई हैं अथवा बन रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास बून्दी शहर में आवासन मण्डल की नई कालोनी के लिये कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला बून्दी मुख्यालय पर स्थापित आवासन मण्डल के उप खण्ड कार्यालय को क्रमोन्नत करके खण्ड कार्यालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बून्दी में राजस्थान आवासन मण्डल की निम्न कालोनियां बनी हुई हैं :-

1- विकास नगर योजना एवं

2- जवाहर नगर योजना

निम्न दो स्थानों पर कॉलोनियां बन रही हैं :-

1- नैनवां कस्बे में।

2- लाखेरी कस्बे में।

(2) जी हां। बून्दी जिले में ग्राम-छतरपुरा, तहसील-बून्दी में नई

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कालोनी बनाने की योजना विचाराधीन है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके अन्तर्गत 458 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवाप्ति हेतु राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 27 की अधिसूचना के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। बून्दी शहर में भूमि की अनुपलब्धता एवं आवास आबंटन हेतु पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं होने के कारण उप खण्ड कार्यालय बून्दी को खण्ड कार्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में फिलहाल मण्डल स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीगंगानगर के रेलवे फाटक पर अतिक्रमणकर्ताओं का पुनर्वास

170. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर स्थित रेलवे फाटक खोलने के लिए कितने अतिक्रमण हटाये गये हैं? क्या सरकार द्वारा हटाये गये अतिक्रमणों की एवज में पुनर्वास व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिना नोटिस दिये अतिक्रमण हटाये हैं? यदि हां, तो इस हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उजाड़े गये लोगों को न्यास क्षेत्र में बसाने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों को न्यास क्षेत्र में कब तक बसा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार न्यास क्षेत्र में खाली पड़े भूखण्डों की नीलामी कर रही है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने भूखण्डों की नीलामी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर स्थित रेलवे फाटक एलसी-121 को खोलने हेतु रेलवे की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को दिनांक 14.01.2012 को रेलवे प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 10 अतिक्रमण हटाये गये हैं तथा इससे कुल 14 परिवार प्रभावित हुए। विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु न्यास की सदभावना नगर योजना ईडब्ल्यूएस निर्मित आवास जिनके आबंटियों ने

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बकाया किस्त जमा नहीं करवाई, उन्हें निरस्त कर तत्कालीन सचिव ने इन्हें आबंटन करने का प्रस्ताव किया। परन्तु इनमें से एक परिवार ने ही न्यास में विधिवत आवेदन कर पंजीयन राशि जमा करवाई है। लेकिन सदभावना नगर के आबंटियों द्वारा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सन्तोष सहारण के नेतृत्व में उन्हें पूर्व में आबंटित आवास निरस्त नहीं करने व बकाया किस्तें नियमानुसार जमा करवाने का अनुरोध किया गया। अतः उक्त प्रभावित परिवारों को पुनर्वास हेतु न्यास की आगामी बैठक में प्रस्ताव विचारणीय है।

(2) उक्त अतिक्रमण राज्य सरकार द्वारा नहीं, बल्कि रेलवे प्रशासन द्वारा हटाया गया है। रेलवे द्वारा उक्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया था। रेलवे द्वारा मांग किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया गया था।

(3) प्रभावित परिवारों को मानवीय आधार पर बसाने हेतु प्रस्ताव दे दिया गया था। लेकिन अभी तक विधिवत रूप से एक परिवार को छोड़कर अन्य ने आवेदन नहीं किया गया है।

(4) न्यास योजना क्षेत्र में राजस्थान शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2010 से 31.01.2012 तक न्यास योजना क्षेत्र में 29 भूखण्ड नीलामी द्वारा विक्रय किये गये हैं।

अलवर शहर का मथुरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज

171. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अलवर शहर में मथुरा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या उक्त रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु कब व कौनसी बैठक में निर्णय लिया गया एवं उक्त निर्माण हेतु कुल कितनी कीमत प्रस्तावित की गई है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु सरकार द्वारा निविदा कब आमंत्रित की गई और उक्त निविदा में किस-किस संवेदक द्वारा निविदा

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

भरी गई? प्रत्येक संवेदक द्वारा लगाई गई निविदा की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किस संवेदक को किस अनुमानित लागत पर कब दिया गया और उक्त निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अलवर शहर में मथुरा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज (एल.सी. नं. 113 एस.पी.एल./2-ई) का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु न्यास बैठक दिनांक 16.05.2011 के प्रस्ताव संख्या-3 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आरओबी निर्माण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एम.ओ.यू., मैसर्स इरकान इन्टरनेशनल लि. के साथ दिनांक 02.04.2011 को तथा अनुबंध दिनांक 05.12.2011 को किया जा चुका है। एम.ओ.यू. व अनुबंध की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त ओवरब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार के स्तर पर दिनांक 19.02.2011 की बैठक में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं न्यास की बैठक दिनांक 16.05.2011 में निर्णय लिया जाकर आरओबी के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त निर्माण हेतु कुल 4054.90 लाख रुपये कीमत प्रस्तावित की गई है।

(3) सरकार द्वारा उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु भारत सरकार का उपक्रम इरकान इन्टरनेशनल लि. के साथ दिनांक 02.04.2011 को एम.ओ.यू. किया जाकर दिनांक 05.12.2011 को अनुबंध किया जा चुका है। इरकान द्वारा उक्त कार्य की निविदाएं अभी आमंत्रित की जानी हैं।

(4) सरकार द्वारा उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु दिनांक 02.04.2011 को एम.ओ.यू. किया जाकर दिनांक 05.12.2011 को अनुबंध किया गया है। अनुबंध के अनुसार अनुमानित लागत 4054.90 लाख रुपये प्रस्तावित की गई है। इरकान का उक्त निर्माण अनुबंध से 30 माह में पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ (अलवर) में स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति

172. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खेलों के विकास हेतु किस-किस जिले में जिला क्रीड़ा परिषदें हैं तथा उनके आय के स्त्रोत क्या-क्या हैं? उक्त जिला क्रीड़ा परिषदों का वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2011 तक हुई आय एवं व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद् अलवर द्वारा वित्तीय वर्ष 2001 से 2011 तक कितना-कितना व्यय किस-किस खेल पर किया गया एवं जिला क्रीड़ा परिषद की कब-कब बैठकें सम्पन्न हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में नये स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में सभी जिला स्तर पर जिला क्रीड़ा परिषद विद्यमान है।

जिला क्रीड़ा परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत राजकीय अनुदान, ब्याज, दानदाताओं द्वारा दी गई राशि, मैदानों/दुकानों/जमीन से किराया, साईकिल स्टैण्ड, तरणताल, स्मारिका प्रकाशन आदि से आय होती है।

जिला क्रीड़ा परिषदों की वर्ष 2005 से 2011 तक आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद, अलवर पर वर्ष 2001 से 2011 तक किसी खेल विशेष पर व्यय नहीं हुआ है।

जिला क्रीड़ा परिषद, अलवर की 2001 से 2011 तक निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 20.05.2011 को
2. दिनांक 03.02.2012 को

(3) जी नहीं। अलवर जिले के बहरोड़ कस्बे में नये स्टेडियम के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के 22 पी.टी.डी. की जन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही

173. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक गांवों के दौरे व जन सुनवाई के दौरान दिनांक 27 नवम्बर, 2010 को विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के 22 पी.टी.डी. में राजस्व अभियान के दौरान प्राप्त हुए ज्ञापन व जन समस्याएं व निरीक्षण की रिपोर्ट व निरीक्षण के दौरान बताई गई समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला श्रीगंगानगर में राजस्व अभियान दिनांक 10-11-2010 से 31-12-2010 तक चलाया गया था। तत्कालीन जिला कलक्टर गंगानगर ने दिनांक 27-11-2010 को गांव 22 पी.टी.डी. में लगे शिविर का निरीक्षण किया था।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 22 पी.टी.डी. में दिनांक 27-11-2010 को लगे शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों/ज्ञापनों एवं उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. कृषि भूमि का सहमति से खाता विभाजन के 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।
2. चक 30 पीएस के स्कूल हेतु मु.न. 85 की 10-05 बीघा भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल हेतु चाही गई भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय नहीं होने व भूमि परमेश्वरी देवी के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी।
3. एक आवेदन पत्र कृषि भूमि की खातेदारी देने का प्राप्त हुआ जिसका निस्तारण कर दिया गया है।
4. मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु 61 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनका निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।
5. ग्राम वासियों का एक आवेदन पत्र खाले की पुलिया को ठीक

(राजस्व मंत्री)

कराने संबंधी प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र संबंधित विभाग को भिजवाकर पुलिया की मरम्मत करवाई जा चुकी है।

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खिवाड़ा के खसरा नं. 703 पर अतिक्रमण

174. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम खिवाड़ा में खसरा नं. 703 के खातेदार कौन-कौन हैं? खातेदार का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम खिवाड़ा के खसरा नं. 699, 700, 701, 702 के खातेदार कौन-कौन हैं? खातेदार का नाम व खातेदारी नकल सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 703 पर श्री विनोद कुमार को उपखण्ड कार्यालय देसूरी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है, जबकि श्री विनोद कुमार खसरा नं. 703 का खातेदार नहीं है? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्थगन आदेश गलत जारी किया गया है, जिसके कारण उस जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना नाजायज कब्जा करने की नियति से पुलिस थानें में सांठ-गांठ कर उस महिला खातेदार की भूमि में लगा हुआ लोहे का गेट सहित सम्पत्ति पुलिस ने जब्त कर थाने में रखवा दी? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त खसरा नं. 703 की जमीन पर वास्तविक खातेदार को काबिज करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ के ग्राम खिवाडा के खसरा नं. 703 के खातेदारों की नाम सहित सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम खिवाड़ा के खसरा नम्बरान 699, 700, 701 एवं 702 के खातेदारों के नाम व खातेदारी नकल सहित सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि ख.नं. 703 पर श्री विनोद कुमार को उपखण्ड कार्यालय देसूरी द्वारा स्थगन आदेश बाबत प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं। प्रार्थी विनोद कुमार ने न्यायालय में बंटवारा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 13 से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 17/6/81 के द्वारा क्रय करना बताया। तत्पश्चात पुनः अप्रार्थी संख्या 13 ने सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी को बेचान करने के पश्चात उक्त भूमि स्वयं की बताकर ख.नं. 703 रकबा 1-36 हैक्टेयर भूमि का 1/4 हिस्सा दिनांक 16/3/2009 को अप्रार्थी संख्या 14 को बेचान करना बताया। भूमि पर प्रार्थी विनोद कुमार का कब्जा काश्त होने से मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश को मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 27/7/2010 को स्थगित किया गया है।

(4) न्यायालय द्वारा राजस्व वाद में प्रस्तुत की गई स्थिति एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त की स्थिति के मध्यनजर मौका एवं रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये। पुलिस द्वारा लोहे का गेट पक्षकारान के मध्य धारा 107-151 सीआरपीसी में जब्त किया गया था। पुलिस थाना खिवाड़ा ने माह अप्रैल, 2011 में जप्तशुदा लोहे का गेट चुन्नी लाल सिरवी निवासी खिवाड़ा को सुपुर्द कर दिया है।

(5) उक्त खसरा नम्बर 703 से संबंधित भूमि का राजस्व वाद न्यायालय में विचाराधीन है। वाद की सुनवाई होने एवं अन्तिम निर्णय के पश्चात ही न्यायालय के निर्णय अनुसार वास्तविक खातेदार को काबिज करवाया जाना सम्भव है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कोटपूतली तहसील की मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण

175. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम शिवनगर पटवार हल्का पावटा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर की खसरा संख्या 1863 राज. सरकार, मन्दिर श्री टीलाजी महाराज विराजमान खेलना के नाम दर्ज है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि नक्शे में एन.एच-8 पर स्थित

(श्रीमती अंजु खन्गवाल)

है, फिर भी उक्त भूमि पर किसी कोलोनाइजर द्वारा प्लाट काटकर भूमि का बेचान किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त भूमि का कन्वर्जन किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि की बेचान प्रक्रिया को निरस्त कर खसरा संख्या 1863 राज. सरकार, मन्दिर श्री टीलाजी महाराज विराजमान खेलना पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम शिवनगर के खसरा नं. 1863 रकबा 1.80 हैक्टेयर की खातेदारी मंदिर श्री टीलाजी महाराज विराजमान खेलना के नाम जमाबंदी संख्या 2067-2070 में अंकन है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त भूमि एन.एच. 8 पर स्थित है। उक्त खसरा नं. का पूर्वी दक्षिणी कोना एन.एच. 8 से स्पर्श करता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूमि के समीप ग्राम शिवनगर के खसरा नं. 2434/1863 रकबा 0-12 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में संजयकुमार पुत्र जगदीशप्रसाद जाति नाई नि0 मरारीपुरा तहसील नारनौल हरियाणा के नाम से जमाबंदी संख्या 2067-2070 में अंकन है जिसमें से तहसीलदार कोटपूतली द्वारा 700 वर्गमीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण किया गया है एवं उक्त रूपांतरित भूमि पर खातेदार द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(3) ग्राम शिवनगर के खसरा नं. 1863 रकबा 1.80 हैक्टेयर भूमि जो मंदिर श्री टीलाजी महाराज विराजमान खेलना के नाम दर्ज है का बेचान नहीं हुआ है एवं उक्त भूमि मौके पर खाली है।

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में खनन एवं चरागाह हेतु आरक्षित भूमि

176. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 1990 से 2011 के मध्य विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में चरागाह एवं खनन क्षेत्र के लिये भूमि

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

आरक्षित की थी? यदि हां, तो किस-किस आराजी में कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1990 से 2011 के मध्य उक्त विधान सभा क्षेत्र में चरागाह एवं खनन क्षेत्र के लिये आरक्षित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस-किस आराजी में कहां-कहां पर चरागाह एवं खनन के लिये आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ आबंटन किया गया है? सरकार द्वारा चरागाह एवं खनन के लिये आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ आबंटन/अनारक्षण के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र में चरागाह एवं बिलानाम भूमि पर किस-किस के अतिक्रमण चिह्नित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में चरागाह भूमि पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चल रहे अवैध खनन कार्य को रोकने तथा लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1990 से 2011 के मध्य विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में खान (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के परि. क्रमांक 7(17) खान ग्रुप-2/2002-03 दिनांक 7.2.02 तथा राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के परि0 क्रमांक प. 3(8)राज-3/96 दिनांक 17.1.02 के अनुसरण में खनन क्षेत्र के लिए तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 (2) के तहत चरागाह हेतु भूमि आरक्षित की थी, जिसकी तहसील नाथद्वारा एवं तहसील रेलमगरा (विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा) की सूची परिशिष्ट "1" में संलग्न है ।

(2) जी हां। वर्ष 1990 से 2011 के मध्य उक्त विधान सभा क्षेत्र में चरागाह एवं खनन क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि अन्य प्रयोजनार्थ आबंटित की गई थी, जिसकी तहसील नाथद्वारा व तहसील रेलमगरा (विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा) की सूची तथा आबंटन/अनारक्षण आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 में संलग्न है ।

(राजस्व मंत्री)

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में चरागाह एवं बिलानाम भूमियों पर ग्रामवार चिन्हित अतिक्रमणों की तहसील नाथद्वारा व रेलमगरा की सूची परिशिष्ट-3 में संलग्न है ।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में चरागाह भूमि पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कोई अवैध खनन के प्रकरण प्राप्त नहीं हुए है ।

(सूचियां व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बायतू पंचायत समिति के ग्राम छीतर का पार की भूमि पर अतिक्रमण

177. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बायतू के ग्राम छीतर का पार में खसरा सं. 573/258 की भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आबंटित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक व इस हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, बायतू के ग्राम छीतर का पार के खसरा संख्या 573/258 में रकबा 2.00 बीघा भूमि जलदाय विभाग खण्ड (उत्तर) बाड़मेर के नाम आबंटित है।

(2) जी हां। उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है।

(3) जी हां। अतिक्रमण हटाने के प्रयास के अन्तर्गत जलदाय विभाग के कार्मिकों द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्रस्तुत की गई। पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर के निर्देश पर थानाधिकारी पुलिस थाना, नागाणा व ग्राम पंचायत, छीतर का पार के सहयोग से अधिकाश अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। अब सिर्फ एक व्यक्ति का कच्चा औरा बनाकर किया गया अतिक्रमण अवशेष है, जिसे भी प्रशासन द्वारा हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

सिरोही जिले में भू-पट्टी आबंटन हेतु लम्बित प्रकरण

178. **श्रीमती गंगा बेन गरासिया** (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए गये प्रशासन गांवों के संग अभियान में सिरोही जिले में कितने लोगों ने भू-पट्टी आबंटन के लिये आवेदन किया था? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटन के लिये कब-कब बैठकें हुईं एवं क्या निर्णय हुए? प्रत्येक आवेदन पर तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त आबंटन अब तक नहीं होने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान में सिरोही जिले में 22 लोगों ने भू-पटटी आबंटन के लिए आवेदन किया था। तहसीलवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त भू-पटटी के प्राप्त 22 आवेदन पत्रों की जांच करने पर आबंटन की पात्रता नहीं रखने से सभी 22 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है। आवेदन पत्रों को निरस्त करने का कारण परिशिष्ट "क" अनुसार है।

(3) आवेदन पत्रों का निस्तारण हो जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व प्रस्तावित ग्राम

179. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की 8 ढाणियां राजस्व ग्राम की पात्रता रखती हैं?

(2) क्या सरकार को उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम बनाने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब कब तक प्रस्तावों पर विचार कर उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की 8 ढाणियां राजस्व ग्राम बनने की अहर्तायें रखते हैं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की 8 ढाणियों में से ढाणी कल्याणपुरा के प्रस्ताव जिला कलक्टर टौंक द्वारा दिनांक 21/12/2011 को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये गये हैं, शेष 7 ढाणियां क्रमश: संग्रामपुरा, इस्लामपुरा बजारान, लक्ष्मीपुरा, भवानीपुरा, प्रतापपुरा देशवालियान, बालापुरा मालियान व नया गांव गूजरान के प्रस्ताव जिला कलक्टर टौंक के स्तर पर परीक्षणाधीन हैं।

उक्त 8 ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के माध्यम से प्राप्त होने पर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 के उत्तर अनुसार।

प्रतापगढ़ जिले की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

180. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रतापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के कई पटवार क्षेत्रों में चरणोत, बिलानाम, सरकारी विद्यालय भूमि पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण किये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमणों पर कार्यवाही के लिये तहसीलदार प्रतापगढ एवं अरनोद के समक्ष वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कई मामले विचाराधीन चल रहे हैं? उक्त तहसीलदारों द्वारा बेदखली की कार्यवाही में क्यों उदासीनता बरती जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में नदी नालों की बहाव क्षेत्र के मामलों में 15 अगस्त, 1947 के पहले की स्थिति बहाल करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपी है?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना के लिए वर्ष 2004 को तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति ने कार्यवाही के लिये कुछ बिन्दु निर्धारित किए

(श्री नन्दलाल मीणा)

थे? यदि हां, तो जिला प्रतापगढ़ में तत्संबंधी आदेश की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला प्रतापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद कई पटवार क्षेत्रों में चरनोट, बिलानाम सरकारी, विद्यालय भूमि पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण किये हैं। तहसीलदार अरनोद के प्रकरण निम्न है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्रकरण
1	2008-09	716
2	2009-10	810
3	2010-11	927
4	2011-12	1185

माह फरवरी में फसल रबी के नवीन दायर में से 5 प्रकरण फैसल से शेष हैं, शेष सभी प्रकरण निस्तारित हैं।

तहसील प्रतापगढ के प्रकरण निम्न है :--

क्र.सं.	वर्ष	प्रकरण
1	2008-09	1503
2	2009-10	1593
3	2010-11	1669
4	2011-12	1823

01 प्रकरण फैसल से शेष है, शेष सभी प्रकरण निस्तारित हैं।

(2) मा. राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 2.8.04 पारित किया गया । इसी प्रकरण में मा. उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.7.03 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिये कि जलागम क्षेत्र जो कि खनन तथा विनिर्माण में प्रयुक्त हो रहा है, उसका सर्वे करे। उसकी अनुपालना में राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। उस विशेषज्ञ समिति ने सर्वे किया तथा मा. उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दी । समिति ने जलागम क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप तथा प्रयोग में पुनर्स्थापित करने के लिए सुझाव दिये। मा. उच्च न्यायालय के आदेश

(राजस्व मंत्री)

2.8.04 द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिये कि समिति की सिफारिशों पर विचार करे तथा जलागम क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप मे स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कार्य योजना तैयार करे।

उक्त अनुपालना में राज्य सरकार के स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक 29.9.04, 19.11.04 एवं 22.12.04 द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंषाओं पर विचार किया एवं संबंधित विभागों द्वारा अनुशंषावार कार्यवाही की। नदी नालों के बहाव क्षेत्र के मामलों में 15 अगस्त, 1947 की स्थिति बहाल करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा मा. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक 16.2.12 को आयोजित हुई । इस बैठक अनुसार लिये गये निर्णय 15.8.47 के स्थान पर 2.8.04 न्यायालय निर्णय की तिथि को कट आफ डेट माने जाने पर सहमति बनी।

(3) मा. उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश 2.8.04 की पालना हेतु राज्य सरकार के स्तर पर प्रमुख राजस्व सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29.9.04 एवं 22.12.04 को बैठक आयोजित हुई तथा प्रमुख सिंचाई सचिव की अध्यक्षता में 19.11.04 को बैठक आयोजित हुई। साथ ही 16.2.12 को मा. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई जिसमें विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर बिन्दुवार विचार किया गया। राज्य के प्रतापगढ़ जिले में तत्सबंधी आदेश की पालना में कुल 270 प्रकरण संस्थित हुए तथा राजस्व मण्डल अजमेर छोटी सादडी तहसील के 9 प्रकरण संस्थित किये गये जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिला कलक्टर प्रतापगढ का प्रतिवेदन दिनांक 25.10.11 परिशिष्ठ एक पर है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक : राजस्व/अ.र.रेफ./2011/1153 दिनांक 25.10.2011

निमित,

उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 ।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्र क्रमांक : प.4(89)राज-7/2003 पार्ट जयपुर-

दिनांक 29.09.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस जिले की तहसील छोटी सादड़ी में 9 प्रकरण तथा तहसील धरियावद में 261 प्रकरण संस्थित हुए। इस प्रकार कुल 270 प्रकरण इस जिले में संस्थित हुए। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में तहसील छोटी सादड़ी के 9 प्रकरण प्रेषित किये गये जो वर्तमान में विचाराधीन है तहसील धरियावद प्रतापगढ़ जिले के पुनर्गठन से पूर्व जिला उदयपुर में सम्मिलित थी। तहसीलदार धरियावद की रिपोर्ट के अनुसार कुल 261 प्रकरणों में से वन विभाग से संबंधित 49 पत्रावलियां जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा निर्णित कर दी गई हैं। 47 पत्रावलियां पूर्व में अतिरिक्त कलक्टर उदयपुर द्वारा प्रतापगढ़ स्थानान्तरित की गई व 24.10.11 को 30 पत्रावलियां और प्रतापगढ़ स्थानांतरित की गई हैं। 135 पत्रावलियां अतिरिक्त कलक्टर उदयपुर के कार्यालय में विचाराधीन हैं।

जिला कलक्टर

प्रतापगढ़

जयपुर जिले के ग्राम धाउवास की अधिग्रहित भूमि

181. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार श्री हरिनारायण पुरोहित की ग्राम धाउवास जिला जयपुर में जागीर की भूमि अधिग्रहित की गई थी? यदि नहीं, तो उक्त जागीरदार की कहां-कहां जागीर की भूमि कब-कब अधिग्रहित की गई थी? अधिग्रहण की तिथि एवं तत्संबंधी जारी अधिसूचना/राजपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही नहीं है कि भूतपूर्व जागीरदार श्री हरिनारायण पुरोहित की ग्राम धाउवास जिला जयपुर में जागीर की भूमि अधिग्रहित की गई थी। जयपुर जिले में उक्त जागीरदार की कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गयी है। ग्राम धाउवास तहसील जयपुर की जमाबंदी सम्बत 1997 के कालम नम्बर 3 में खातेदार के कालम में हरिनारायण प्रोहित अंकित है तथा गिरदावरी 2008 से 2011 के कालम नम्बर 5 में माफी हरिनारायण प्रोहित का नाम दर्ज है।

सांचौर उप खण्ड में नर्मदा नहर हेतु अवाप्त भूमि की मुआयना दर

182. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा सांचौर उप खण्ड के किसानों की नर्मदा नहर हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किस दर से दिया गया? नर्मदा नहर में भूमि हेतु किसानों को दिये गये मुआवजा राशि के लिये जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने सांचौर उप खण्ड के किसानों को नहरी क्षेत्र के दिये गए मुआवजा राशि में 15,000 रुपये डी.एल.सी. दर के एवज में रुपये पांच लाख पच्चीस हजार रुपये दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नर्मदा नहर परियेाजना में सांचोर उपखण्ड के किसानों की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा समय-समय पर लागू डी.एल.सी. दर पर किया गया है। वर्षवार जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित डी.एल.सी. दरों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला कुपोषण उपचार केन्द्रों पर प्राप्त सुविधाएं

183. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिये जिला अस्पतालों में उपचार केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो जिलेवार शहरी/ग्रामीण उपचार केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) वर्ष 2009 से 2011 तक उक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में कितने कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया? उपचार किये गये बच्चों की केन्द्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चे एवं उनके माता-पिता को किस प्रकार की सुविधायें एवं सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) वर्ष 2009 से 2011 तक उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा अब तक उक्त आबंटित राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गई? जिला व केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार शहरी एवं ग्रामीण उपचार केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त कुपोषण केन्द्रों में वर्ष 2009 से 2011 तक कुल 11569 कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया है। उपचार किये गये बच्चों की केन्द्रवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

जिन केन्द्रों पर उपचारित बच्चों की संख्या शून्य दर्शायी गई है। इन केन्द्रों से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(3) उक्त उपचार केन्द्रों पर आने वाले कुपोषित बच्चे एवं उसके साथ रूकने वाले संरक्षक (माता) को रु. 30/- प्रतिदिन व बच्चे को प्रतिदिन दिन में तीन बार पोषाहार दिया जाता है। बच्चे को इलाज के दौरान समस्त चिकित्सा सुविधाऐं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्ष 2012-13 की पीआईपी में संरक्षक को 30 रुपये के स्थान पर 135 रुपये प्रतिदिन प्रस्तावित किया गया है।

(4) उक्त उपचार केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्ष 2009 से 2011 तक कुल आवंटित राशि रुपये 82895885/- के विरूद्ध व्यय राशि रुपये 28844784/- का जिला व केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

जिन केन्द्रों पर आबंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि शून्य या कम है। इन केन्द्रों से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य का जनसंख्या-चिकित्सक अनुपात

184. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) प्रदेश में वर्ष 2011 तक कितने विशेषज्ञ चिकित्सक तथा डाक्टर पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत विशेषज्ञ डाक्टर में से कितने डाक्टर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रदेश में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी तथा श्रेणीवार विशेषज्ञ डाक्टर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2012 के मध्य वर्षवार प्रति चिकित्सक तथा प्रति नर्स जनसंख्या का अनुपात कितना है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान मेडिकल कौन्सिल के अधीन 31.12.2011 तक 30605 चिकित्सक एवं 10655 विशेषज्ञ चिकित्सक पंजीकृत है।

राज्य में राजस्थान स्टेट डेन्टल कौन्सिल में 31.12.2011 तक बीडीएस एवं एमडीएस पाठयक्रम के 455 चिकित्सक पंजीकृत हैं।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 6438 चिकित्सक कार्यरत/पदस्थापित हैं।

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में 1392 चिकित्सक कार्यरत/पदस्थापित हैं।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी तथा श्रेणीवार विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों (राजकीय दन्त कालेज एवं चिकित्सालय सहित) में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(4) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2012 के मध्य अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रति चिकित्सक एवं प्रति नर्स जनसंख्या के अनुपात का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अनूपगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रावला का क्रमोन्नयन

185. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रावला (अनूपगढ़) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावला पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर के अन्तर्गत आती है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में नियमानुसार/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार पंचायत समिति घड़साना के 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी की जांच

186. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी को जांच करने पर प्रदूषण युक्त पाया गया? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में प्रदूषण युक्त पानी मिला एवं क्या यह पानी पीने योग्य नहीं है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इंदिरा गांधी नहर के पानी में पंजाब के औद्योगिक इकाई से निकलने वाला गंदा पानी व खतरनाक रसायनों को डाला जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से प्राप्त पानी की जांच करने पर प्रदूषण युक्त पाया गया। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों के पानी में प्रदूषण की मात्रा निम्नानुसार पाई गई :-

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

क्र.सं.	जिले का नाम	लोकेशन	पीएच	बायो कैमिकल आक्सीजन डिमाण्ड	कोलीफोर्म	सैम्पल लेने की दिनांक	सैम्पल जांच करने की दिनांक
पीने योग्य पानी के निर्धारित मापदण्ड			6.5 to 9.2	up to 3.00 mg Per Litter Max.	up to 5000 MPN & Up to 20.000 in 5% Samples.		
1	श्रीगंगानगर	जैतसर	7.00	2.30	11000	28.04.11	28.04.11
2		सूरतगढ़	8.13	1.30	4600	30.04.11	30.04.11
3		बिरधवाल	7.53	1.00	4600	22.11.11	22.11.11
4	हनुमानगढ़	मसितावाली हैड	8.10	2.30	11000	12.02.12	13.02.12
5		सादुल ब्रांच	8.10	2.30	11000	13.02.12	13.02.12
6		लखुवाली हैड	8.00	2.30	11000	21.02.12	21.02.12

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

प्रदूषित तत्वों के कारण पानी सीधे ही पीने योग्य नहीं है। नहरी पानी को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा डिग्गियों में एकत्रित कर फिल्टर के माध्यम से छनित कर ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन गैस से विभागीय मापदण्डों के अनुरूप उपचारित कर वितरित किया जाता है।

(2) जी हां। प्रदूषित जल को नदियों में प्रवाहित करने से रूकवाने हेतु गत वर्षों में कई बार राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब सरकार एवं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से आग्रह किया गया है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय को स्थिति से अवगत करवाते हुये औद्योगिक एवं सीवरेज के प्रदूषित पानी को उचित उपचार पश्चात ही नदियों में प्रवाहित करने का आग्रह किया है। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए विधि विशेषज्ञों की राय लेकर राज्य सरकार द्वारा पत्रांक मु.अ./ज.सं./ एनसीएफ/आर-44/800-802 दिनांक 25.05.2010 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से हस्तक्षेप हेतु आग्रह किया गया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की एक टीम द्वारा हरिके बैराज का 1 जुलाई, 2011 (जब पानी की मात्रा अधिक होने से सामान्यतः प्रदूषण की मात्रा कम रहती है) को निरीक्षण किया तथा उन्होंने हरिके बैराज के अपस्ट्रीम में सतलुज नदी, व्यास नदी एवं इन्दिरा गांधी फीडर तथा बीकानेर कैनाल इत्यादि के पानी के सैम्पल लिए।

राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी अवगत करवाया गया है कि उनके द्वारा प्रत्येक माह बीकानेर कैनाल के खखा हैड (यह हैड बीकानेर कैनाल में पंजाब राजस्थान बार्डर पर है) तथा इन्दिरा गांधी फीडर की मसीतावाली हैड पर पानी के प्रदूषण की मानिटरिंग की जा रही है।

राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पुनः आग्रह किया गया है कि अप्रैल से जून के मध्य में जबकि हरिके पर प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा कम होती है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए हरिके हैड पर जांच करे।

वैर विधान सभा क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

187. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिये विधान

(श्री बहादुर सिंह)

सभा क्षेत्र वैर में तहसील स्तर पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्ष 2011 में आगजनी की कितनी घटनायें हुई तथा सरकार की ओर से उनको क्या-क्या सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरपालिका क्षेत्र वैर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्ष 2011 में अग्निकाण्ड की 43 घटनाऐं घटित हुई हैं, जिनमें से 16 पीड़ित परिवारों को 84000 रु. की सहायता स्वीकृत की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा 27 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्ष 2011 (01.01.2011 से 31.12.2011 तक) अग्निकांड की घटित घटनाओं में पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	नाम मुखिया	ग्राम का नाम	तहसील	अग्निकांड का दिनांक	क्षतिग्रस्त भवन की किस्म	स्वीकृति क्रमांक	स्वीकृत सहायता राशि					कुल स्वीकृत सहायता राशि
							भवन क्षति	कपड़ों की क्षति	बर्तनों की क्षति	जन क्षति	पशु क्षति	
1	समय सिंह/विजेन्द्र सिंह जाट	शाहपुर	वैर	06.05.2010	छप्परपोश	390/08.06.2011	2000	-	-	-	-	2000
2	बर्फी देवी/दौलतराम जाट	शाहपुर	वैर	06.05.2010	छप्परपोश		2000	-	-	-	10000	12000
3	मोहन सिंह/विजेन्द्र सिंह जाट	शाहपुर	वैर	06.05.2010	छप्परपोश		2000	-	-	-	10000	12000
4	लालाराम/ज्योति गुर्जर	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
5	महेश/हट्टी जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
6	वासदेव/हटटी जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
7	राधे/छुक्मी जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
8	चरन सिंह/छुक्मी जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000

क्र. सं.	नाम मुखिया	ग्राम का नाम	तहसीलें	अग्निकांड का दिनांक	क्षतिग्रस्त भवन की किस्म	स्वीकृति क्रमांक	स्वीकृत सहायता राशि					कुल स्वीकृत सहायता राशि
							भवन क्षति	कपड़ों की क्षति	बर्तनों की क्षति	जन क्षति	पशु क्षति	
9	धनीराम/छुम्मी जाटव	उमरैड	वैर	22.02.2011	छप्परपोश	390/08.06.2011	2000	1000	1000	-	-	4000
10	रामदुलारी/हरदयाल जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
11	राजेन्द्र/हरदयाल जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
12	देशराज/हरदयाल जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
13	केदार/हरदयाल जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
14	भगवान सिंह/सामन्ता जाटव	उमरैड	वैर	22.05.2011	छप्परपोश		2000	1000	1000	-	-	4000
15	मिश्री लाल पुत्र मान्याराम मीना	निठार	वैर	09.05.2011	छप्परपोश	818/27.06.2011	2000	-	-	-	-	2000
16	श्री रोशन पुत्र दयाराम जाट	बझेश खुर्द	वैर	01.04.2011	छप्परपोश	974/09.08.2011	2000	-	-	-	10000	12000
						योग	32000	11000	11000	-	30000	84000

प्रभारी अधिकारी,
सहायता, कलक्ट्रेट, भरतपुर

पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं हेतु विश्राम स्थल का निर्माण

188. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिलिसेड में वाटर स्पोर्टस लाखेला तालाब कुंभलगढ़ में नौकायन, बादल महल कुंभलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रैकिंग पाथ तथा जैसलमेर के समक्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्टस की योजना बनाये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितना बजट रखा गया तथा अब तक उपरोक्त योजना पर कितनी राशि व्यय की गयी तथा ये आयोजन कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बादल महल कुंभलगढ़ से रणकपुर एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रैकिंग पाथ बनकर तैयार हो गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जंतर-मंतर के सौन्दर्यीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया गया था? यदि हां,तो अब तक सौन्दर्यीकरण हेतु क्या-क्या कार्य हुए तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलादेवी करौली, निबेश्वर महादेव पाली, मेंहदीपुर बालाजी दौसा, सालासर बालाजी चूरू एवं खाटू श्याम जी सीकर और दरगाह शरीफ अजमेर में 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य करवाये जाने थे? यदि हां, तो उपरोक्त 6 स्थानों पर क्या-क्या विकास कार्य कराये गये तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रसिद्ध मेलों के आयोजन हेतु आधारभूत सुविधायें विकसित करने पर एक करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो वर्ष 2010-11 व 2011-12 में पुष्कर मेले में आयोजन एवं आधारभूत सुविधाओं पर कितना धन खर्च किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार पुष्कर मेले में आने वाले लाखों श्रद्वालुओं के लिए स्थायी विश्राम स्थली बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(7) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट एवं उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट पर लाइट एण्ड साउण्ड शो प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया था? क्या उपरोक्त दोनों किलों पर शो प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों?

(8) क्या सरकार चित्तौड़गढ़, आमेर एवं कुम्भलगढ़ की भांति अजमेर के तारागढ़ फोर्ट तथा अकबर किले में भी लाइट एण्ड साउण्ड शो प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां,तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिलिसेड में वाटर स्पोर्टस, लाखेला तालाब कुंभलगढ़ में नौकायन, बादल महल कुंभलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रेकिंग पाथ हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है -

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि	कार्यकारी एजेंसी को हस्तान्तरित राशि	व्यय (दिनांक 14.2.12 तक)
1	लाखेला तालाब, कुम्भलगढ में नौकायन	39.92	20.00	0.00
2	सिलिसेड में वाटर स्पोर्टस	2.08	2.08	2.08
3	बादल महल कुम्भलगढ़ से रणकपुर तक एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रेकिंग पाथ	50.00	25.00	18.36

निजी क्षेत्र से सम क्षेत्र में पहले से ही डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी एवं ट्रेकिंग के रूप में एडवेंचर की गतिविधियां सुचारु रूप से जारी हैं।

(2) बादल महल कुंभलगढ से रणकपुर एवं रणकपुर से जवाई बांध तक ट्रेकिंग पाथ निर्माण हेतु राशि रू. 50.00 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर कार्यकारी एजेंसी उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उदयपुर को प्रथम किश्त राशि रु. 25.00 लाख के आहरण एवं वितरण अधिकार की स्वीकृति दिनांक 19.01.2012 को जारी किये गये हैं। प्राप्त सूचना अनुसार निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) जन्तर मंतर के सौन्दर्यीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 मे राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को राशि रु. 2 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ है। इस प्रावधान से स्मारक का संरक्षण/विकास कार्य एवं बफर जोन में अवस्थित मन्दिरों का सरंक्षण कार्य, टायलेट सुविधा, इन्टरप्रेटेशन सेन्टर, ट्रान्सफामर लगाने आदि कार्य सम्पन्न करवाये जा रहे हैं। स्वीकृत राशि के विरुद्ध अब तक राशि रु. 32.00 लाख व्यय हुए हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां। कैलादेवी-करौली, निम्बेश्वर महादेव-पाली, मेहन्दीपुर बालाजी-दौसा, सालासर बालाजी-चूरू, खाटू श्यामजी-सीकर, दरगाह शरीफ-अजमेर में करवाये जा रहे विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्रसिद्ध मेलों के आयोजन हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए करवाये जा रहे विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत नया मेला ग्राउण्ड, पुष्कर के विकास हेतु प्राप्त स्वीकृत राशि रु. 105.39 लाख से पशुओं के लिए पीने के पानी हेतु खेलियां, सम्पर्क सडक का निर्माण, पाथवे, स्टेज तथा यात्री शेड का निर्माण कराया जाकर राशि रु. 66.67 लाख व्यय किया गया है। पुष्कर ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन विकास कार्यों के अन्तर्गत पुष्कर में हाई मास्क लाइटों के निर्माण, गेण्ट्री बोर्ड निर्माण कार्य के अतिरिक्त चिप्स की बेंच लगाने का कार्य कराया जाकर राशि रु. 96.16 लाख व्यय किये गये हैं।

पुष्कर मेले के आयोजन हेतु वर्ष 2010-11 में राशि रु. 19,97,500/- एवं वर्ष 2011-12 में राशि रु. 17,81,198/- व्यय किया गया है।

(6) पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(7) जी हां।

1. सज्जनगढ़ फोर्ट, उदयपुर वन क्षेत्र में होने के कारण लाइट एण्ड साउण्ड शो प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण कार्य निरस्त किया गया।

2. जूनागढ़ ट्रस्ट से लाईट एण्ड साउण्ड शो प्रारम्भ किये जाने की

(पर्यटन मंत्री)

स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य निरस्त/अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

(8) अजमेर के अकबर किले में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से लाइट एण्ड साउण्ड शो प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तारागढ़ फोर्ट, अजमेर में लाइट एण्ड साउण्ड शो के लिए वर्तमान में पर्यटन विभाग एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

कैलादेवी-करौली, निम्बेश्वर महादेव-पाली, मेहन्दीपुर बालाजी-दौसा, सालासर बालाजी-चूरू, खाटू श्याम जी –सीकर, दरगाह शरीफ-अजमेर में कराये जा रहे विकास कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट	हस्तान्तरित राशि	व्यय राशि दि. 14.2.12	कार्य का विवरण
1	कैलादेवी-करौली	25.00	10.00	0.00	सी.सी रोड, चारदीवारी, सुलभ शौचालय, पार्क, विश्रामगृह आदि
2	निम्बेश्वर महादेव-पाली	10.74	5.30	5.19	स्टेज, प्लेटफार्म, ग्रीन/चेन्जिंग रुम व साईनेजेज
3	मेहन्दीपुर बालाजी-दौसा	23.10	11.50	0.00	सोलर लाइट
4	सालासर बालाजी-चूरू	23.53	12.00	0.40	आर.सी.सी. यांत्रिका शेड
5	खाटू श्यामजी-सीकर	23.59	21.70	7.28	बैनचेज व स्टोन फ्लोरिंग से पाथवे निर्माण कार्य
6	दरगाह शरीफ-अजमेर	27.50	15.00	0.40	झालरा क्षेत्र में संगमरमर व झालरा कुण्ड के आसपास विद्युत पोल लगाने का कार्य
	कुल योग	**133.46**	**75.5**	**13.27**	

परिशिष्ट-ब

प्रसिद्ध मेलों के आयोजन हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु करवाये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्ट	कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित राशि	व्यय राशि दि. 14.2.12
1	जन सुविधा का निर्माण सांवलियाजी, चित्तौड़गढ़	14.17	7.08	0.24
2	सिंदूरी में विकास कार्य सिंदूरी मेला, पाली	9.10	7.35	4.39
3	गौतमेश्वर मन्दिर, प्रतापगढ़	9.56	4.78	0.00
4	गोगामेडी मेला, हनुमानगढ़	23.38	11.69	0.00
5	रामदेवरा बस स्टैण्ड पर यांत्रिका शेड का निर्माण, जैलसमेर	14.10	7.20	0.22
6	एम्पीथियेटर, ग्रीन रूम, ट्यूबवेल व जनसुविधाओं का निर्माण खागंडी पाली	26.00	13.00	1.14
7	आरसीसी शेड का निर्माण सोनाला खेतलाजी, पाली	8.83	4.50	0.26
8	सी.सी. रोड का निर्माण चोटिला रोहित, पाली	7.35	3.70	3.50
	कुल योग	**112.49**	**59.3**	**9.75**

जयपुर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना

189. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की हवा में मानव के स्वास्थ्य

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

की दृष्टि से कई खतरनाक तत्व मौजूद हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तत्व किस-किस सीमा तक मौजूद हैं और इनकी अधिकता की वजह से लोगों को कौन-कौन सी बीमारियां होने की आशंका रहती है?

(2) क्या सरकार मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इन तत्वों को कम करने के लिए प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या-क्या तथा कब तक हवा में मौजूद इन खतरनाक तत्वों को कम किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) राज्य मण्डल द्वारा किये गये प्रबोधन के आधार पर जयपुर शहर की परिवेशी वायु में व्याप्त प्रदूषक गैसें यथा सल्फर डाई आक्साइड तथा नाईट्रोजन के आक्साइडों की सान्द्रता पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निर्धारित मानकों की सीमा के अन्दर हैं।

जयपुर शहर की परिवेशी वायु में गत वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 (माह फरवरी 2012 तक) श्वसनीय निलम्बित विविक्त कणों की औसत सान्द्रता (155 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर) निर्धारित मानकों (60 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर) से अधिक पाई गई। श्वसनीय निलम्बित विविक्त कणों के कारण श्वांस संबंधी विकार होने की संभावना रहती है।

(2) जयपुर शहर की परिवेशी वायु में श्वसनीय निलम्बित विविक्त कणों की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैं -

1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल शहर के समीप के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत वायु प्रदूषक उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना कराने हेतु संबंधित इकाई को बाध्य करता है एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की मानिटरिंग करता है। निर्धारित मानकों के उल्लंघनकर्ता उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है।
2) वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषणकारी तत्वों को नियंत्रित करने हेतु यातायात विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।
3) क. राज्य मण्डल द्वारा रुपये 118.07 लाख दिये जाकर प्रदूषण सहनशीलता सूचकांक में खरी उतरने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण कराया गया।

(पर्यावरण मंत्री)

ख. राज्य मण्डल द्वारा स्थानीय निकायों/जयपुर विकास प्राधिकरण को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु शहरी वनों के विकास के लिए परामर्श दिया है।

हनुमानगढ़ जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित बालक/बालिकाएं

190. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों का नामाकंन किया हुआ है? विधानसभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र पर दर्ज संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने-कितने बालक, बालिकाओं, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वजन मापने की मशीन (बच्चों महिलाओं की अलग-अलग), शिक्षण सामग्री व खेल सामग्री कौन-कौनसी उपलब्ध है? विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 1221 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित व 37 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अतिकुपोषित बच्चों का नामांकन किया हुआ है विधानसभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र पर दर्ज संख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है 1

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 50048 बालक, 48478 बालिकाओं, 13755 गर्भवती व 14092 धात्री माताओं तथा 3366 किशोरी बालिकाओं कुल 129739 को लाभान्वित किया जा रहा है विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वजन मापने की मशीन (बच्चों महिलाओं की अलग-अलग) शिक्षण सामग्री व खेल सामग्री का विवरण परिशिष्ट 'अ' में कालम संख्या 15 से 19 तक में समाहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

समेकित बाल विकास योजनाओं में अनियमितताएं

191. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण तथा बच्चों में इनके वितरण के लिये ठेकेदारों की सेवाएं ले रही हैं? यदि हां, तो क्यों व इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा किसी प्रकार के खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया जाता है, अपितु उक्त योजना के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को रैडी टू इट टेक होम पूरक पोषाहार तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर नाश्ता तथा गरम पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। पूरक पोषाहार के वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी एक प्रकरण परियोजना सिवाना जिला बाड़मेर का दिनांक 29-01-2011 को उजागर हुआ है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया जाता है। अतः इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया है। परन्तु उक्त योजनान्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। पूरक पोषाहार के वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी सामने आये प्रकरण में विभाग द्वारा संबंधित परिवहन पोषाहार ठेकेदार तथा संबंधित लिपिक के विरुद्ध पुलिस थाना सिवाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2011 दर्ज कराई गई, जिसमें अनुसंधान के पश्चात पोषाहार परिवहन ठेकेदार तथा संबंधित लिपिक के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवाना के न्यायालय में चालान दिनांक 17-3-211 को प्रस्तुत किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

राज्य परियोजना कार्यालयों में कार्मिकों के रिक्त पद

192. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में परियोजना कार्यालयों, जिला उपनिदेशक कार्यालयों में अधिकारियों एवं कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो परियोजनावार, उपनिदेशक कार्यालयवार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना कार्यालयों, जिला उप निदेशक कार्यालयों में अधिकारियों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों को माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति पर रोक के दृष्टिगत, उक्त रोक हटने के पश्चात नियमानुसार भरा जा सकेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों को वर्तमान में प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों से प्रशिक्षण सामाप्ति उपरान्त भरा जा सकेगा। भर्ती से शेष रहे बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों को भरने हेतु अर्थना कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। महिला पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है लेखाकार/सांख्यिकी सहायकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को पत्र लिखे जा चुके हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालक के रिक्त पदों को भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नहीं भरा जाना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना

193. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए किशनगढ बास मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की डिग्रियों को राज्य सेवा हेतु मान्यता

194. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा छात्रों को किस-किस संकाय में अध्यापन कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों की राजकीय सेवा में मान्यता है?

(4) उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उचित गुणवत्तायुक्त एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विश्वविद्यालय में इस वर्ष कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) जी हां । वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय है, इसकी डिग्री राज्य की सभी सेवाओं के लिये मान्य है।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की व्यवस्था विश्वविद्यालय में संचालित पाठयक्रमों में अर्न्तनिहित है ।

(5) विश्वविद्यालय में वर्ष 2010-2011 में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 47154 है सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है । सत्र 2012 के प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।

(सूचियां विस्तृत हेाने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम की स्वीकृति

195. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में पोस्ट बेसिक बी. एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस हेतु मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रशासन अजमेर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में पोस्ट बेसिक बी. एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या 125 की प्रतियां)

कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर

Damage in Rabi Crops Due to cold wave Year-2012 samvat 2068
District-Jaisalmer

ESTENT OF DAMAGE YEAR 2012

P-7D

S. No.	Name of Tehsil	Total village	No of affected villages	Population of affected villages	Total Geographical area in ha.	Area of affected villages			% of crop damaged			Production in MT	Value of damaged crop (Lacs)	Land Revenue of affected Villages (Rs.)	Likely Suspen of land Revenue (Rs.)	Totol cattle population (Lacs)	No. of Affected cattle (Lacs)
						Cultivable area (lac ha)	Sown Area (Lac h)	Area damaged crop in (ha)	Less then 50%	50-74 %	75-100%						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	जैसलमेर	375	56	4712	388687	459811	21013	13961	56	13	0	4129.2	11.79	66652	66652	36253	48992
2	पोकरण	303	102	194772	479914	30394	29886	51165.5	82	20	0	57920.76	281.18	0	0	805221	0
3	फतेहगढ़	121	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	799	233	199484	868601	490205	50899	65126.5	213	33	0	62049.96	292.97	66652	66652	841474	48992

जिला कलक्टर
जैसलमेर

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1(2)आप्र एवं सहा/पाला/2010/3986-4042

जयपुर, दिनांक 25-03-2012

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

विषय :- शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

राज्य में रबी फसल, संवत 2068 (सन् 2012) में शीतलहर एवं पाले से हुई क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है:-

(अ) रबी गिरदावरी के आधार पर जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक नुकसन हुआ है उनमें सीमांत काश्तकारों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु काश्तकारों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक एवं सीमांत एवं लघु से अन्य 5 हैक्टेयर की जोत सीमा तक के वृहद काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 को जारी एनडीआरएफ/एससीआरएफ मापदंड अनुसार कृषि आदान अनुदान भूमि धारिता के अनुपातिक तौर पर देय होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

असिंचित फसल पर- 300/- रुपये प्रति हैक्टेयर

सिंचित फसल पर- डीजल इंजन से सिंचित 8000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

बिजली के कुओं व नहर से सिंचित – 6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

(ब) बोई गई फसल में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

(स) जिन गांवों में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक का नुकसान है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा उपरोक्तानुसार प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को, काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसे मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(द) 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

(य) किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु, सीमांत कृषक के अनुसार कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

(र) राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस सहमित को देनी होगी।

(ल) जिला कलक्टर द्वारा कृषि आदान-अनुदान से संबंधित सहायता राशि जिलों में स्थित सहकारिता विभाग के सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में तथा जिन काश्तकारों का खाता नहीं हो उनका खाता खुलवाकर उसी में हस्तान्रित की जायेगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार कृषकों को नियमानुसार राहत प्रदान करें एवं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शासन सचिव

आ.प्र. एवं सहायता

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सेवण घास के संरक्षण हेतु चरागाह घोषणा सहित विशेष कदम

मान्यवरजी निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सीमांत जिले जैसलमेर में सेवण घास को नष्ट होने से बचाने, प्राकृतिक चरागाह व ओरण की वर्तमान सिवाय चक बंजर किस्म बदलकर उसे चरागाह घोषित करने तथा बड़े पैमाने पर ओरण एवं चरागाह के विकास हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कर इस संबंध में व्यापक रणनीति बनाने हेतु निवेदन कर रहा हूं :-

भारत का सबसे बड़ा विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाला सीमान्त जिला जैसलमेर पशुधन एवं गौवंश बाहुल्य क्षेत्र रहा है तथा यहां के अधिकांश वाशिन्दों की रोजी-रोटी पशुधन से जुडी है परन्तु विगत दस वर्षों से इस जिले की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है तथा विभिन्न कारणों से सेवण घास व चरागाह स्थलों की कमी, अथवा ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न कंपनियों को आबंटित करने अथवा नहरी भूमि पर कमाण्ड क्षेत्र के कारण प्राकृतिक सेवण को समाप्त किये जाने के कारण पशुपालक या तो पलायन को मजबूर हो रहे हैं अथवा उन्होंने इस व्यवसाय से ही मुंह मोड़ लिया है जिले का विशाल भौगोलिक क्षेत्र में से बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय मरू उद्यान, रक्षा मंत्रालय की विभिन्न रेंज एवं अन्य उपयोग हेतु भूमि के आरक्षण नहरी क्षेत्र से नई काश्त योग्य भूमि का बनना, पवन एवं सौर ऊर्जा हेतु भूमि का आरक्षण, खनिज क्षेत्रों के लिए भूमि का आरक्षण एवं कई अन्य आरक्षण के कारण अधिकांश हिस्सा अन्य क्षेत्रों के उपयोग में आने से पशुपालक पलायन को मजबूर है, सेवण घास जड़ से नष्ट हो रही है विभिन्न सरकारों द्वारा प्राकृतिक निर्मित चरागाह स्थलों को अन्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित कर देने से पशुधन के सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई है। यही स्थिति निरन्तर रही तो वह दिन दूर नहीं जब यहां का मूल पशुधन लुप्त होता जायेगा।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के पशुधन को बचाने, सेवण घास को नष्ट होने से बचाने, विशाल चारागाह एवं ओरण क्षेत्र विकसित करने हेतु सुव्यवस्थित कार्य योजना बनाई जानी नितांत ही आवश्यकत है। ऐसे क्षेत्र जहां पूर्व से ही प्राकृतिक रूप से चरागाह व ओरण क्षेत्र विकसित है, ऐसे

क्षेत्र जहां सेवण घास बाहुल्य क्षेत्र है अथवा ओरण योग्य व ओरण बाहुल्यक्षेत्र है उनकी पहचान कर ऐसे क्षेत्रों को इस हेतु आरक्षण किये जाने की नितांत आवश्यकता है। विगत सत्र में मैंने सरकार से जब इस संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के माध्यम से प्राकृतिक चरागाह (सेवण घास) व ओरण क्षेत्र को बचाने हेतु सरकार से मांग की थी तब जो सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ था उसके अनुसार यह सरकारी स्वीकारोक्ति के साथ जानकारी अवश्य मिली थी कि लाखों बीघा भूमि में प्राकृतिक चरागाह क्षेत्र है। क्योंकि यहां के स्थानीय निवासी पीढ़ियों से ऐसे क्षेत्र को बचाये व संरक्षित किये हुए हैं। जिसे पाली व देमजी नाम से भी जाना जाता है। परन्तु हमारे बुजुर्गों को यह आभास नहीं था कि समय इतना शीघ्र परिवर्तित हो जायेगा और एक दिन ऐसा भी आयेगा कि ऐसे क्षेत्र को कानूनी रूप से भी बचाना आवश्यक हो जायेगा। क्योंकि कई गिद्ध ऐसी भूमि पर दृष्टि डाले हुए हैं। हमारे राजस्व मंत्री महोदय इस स्थिति को जानते हैं। अतः मेरी सरकारी से पुरजोर मांग है कि विधान सभा में इस पर व्यापक बहस हो तथा सरकार तुरन्त ऐसे संपूर्ण प्राकृतिक चारागाह व ओरण क्षेत्र को संरक्षित चरागाह क्षेत्र घोषित करे रिकार्ड में उसका अंकन करें। इसके लिए नियम बनाने वाली संस्था ही नियमों में परिवर्तन कर जनता को राहत दे पायेगी।

प्रत्येक गांव में सेवण, ओरण व चरागाह क्षेत्र के विकास हेतु नियमों में छूट देकर इस हेतु आरक्षण किया जावे एवं अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षण करते समय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भावनाएं तथा उक्त उद्देश्यों के तथ्यों को ध्यान में रखा जावे जिससे भविष्य में ग्रामीणों व सरकार के बीच कोई अप्रिय स्थिति नहीं पैदा हो सके।

छोटूसिंह भाटी
(जैसलमेर)

देवगढ़ नगरपालिका के मास्टर प्लान की विसंगतियों का निराकरण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि देवगढ़ नगर का मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व नियमानुसार अध्यक्ष, वार्ड पार्षद एवं नगरपालिका अधिनियम की धारा 160 के अनुसार जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी, वो नहीं अपनाई गई और मनमकसूद ढंग से नगर नियोजक विभाग द्वारा मास्टर प्लान जो 1996 ड्राफ्ट किया गया था में नगर नियोजक विभाग द्वारा अपने स्तर पर

ही मामूली परिवर्तन कर पुनः मार्च 2010 में ड्राफट कर दिया गया। मास्टर प्रारूप 2009-32 पर तत्कालीन नगर पालिका मण्डल द्वारा असहमति का प्रस्ताव भी पारित किया गया तथा असहमति हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया था किन्तु नगर नियोजक विभाग द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया, और मास्टर प्लान को स्वीकृत कर नगर पालिका पर थोप दिया गया। नागरिकों ने भी काफी आपत्ति/सुझाव दिये परन्तु राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों/सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया।

स्वीकृत मास्टर प्लान में नगर पालिका सीमा के सम्पूर्ण क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया तथा कामली, गुण्डलया, जवाहरनगर, कलालवाडी, बोरा का कुंआ, चारनिया, सोलंकियों की नाडी, रूपा का बाडीयां व रामपूरिया इत्यादि बस्तीयों का न ही मौके पर सर्वे किया गया और ना ही इन्हें स्वीकृत मास्टर प्लान में दर्शाया गया है। देवगढ़ नगर के मास्टर प्लान के प्रारूप को वित्तीय वर्ष 2023 मानकर जो प्लान तैयार किया गया है, वह राजस्थान नगर सुधार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम 1992 की भावनाओं के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है। क्योंकि किसी भी शहर/कस्बे का मास्टर प्लान कालान्तर में बढ़ते हुए शहर के नगर वासियों को भविष्य में स्वच्छ वातावरण एवं सभी प्रकार के सुविधाऐं प्राप्त हो सकें उसको दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाना चाहिये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है। प्लान बनाने वालों ने मौके का भौतिक सर्वेक्षण नहीं किया न मौके की स्थिति को देखा और ना ही नगरपालिका देवगढ़ के संचालक मण्डल से परामर्श किया बल्कि कार्यालय में बैठे-बैठे अपने मनमकसूद विसंगतियों से ओत-प्रोत मास्टर प्लान बना ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर दिया जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त मास्टर की विसंगतियों को पुनः सर्वे कर देवगढ़ नगरपालिका के सदस्यों तथा मण्डल सदस्यों के सुझावों तथा सहमति से नये सिरे से जनहित में बनाया जावे।

हरिसिंह रावत

(भीम)

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं-

महोदय सिरोही जिले में चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण जनता को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है सिरोही जिला मुख्यालय के सार्वजनिक अस्पताल की बात करें तो वरिष्ठ विशेषज्ञ के 3 पद रिक्त हैं जिसमें शिशु रोग, हड्डी रोग व मेडिसीन, कनिष्ठ विशेषज्ञ के 10 पद रिक्त हैं जिसमें निश्चेतन, रेडियोलोजिस्ट, स्किन, पैथोलोजिस्ट, अस्थी, नेत्र, गायनी, मनोरोग व शिशु रोग, चिकित्सा अधिकारियों के 6 पद खाली चल रहे हैं। जिला मुख्यालय पर चिकित्सकों के रिक्त पदों में विशेषतः अस्थी रोग विशेषज्ञ, पैथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट एवं शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण सिरोही जिले से दिन के सैंकडों रोगियों की साठ से सत्तर छोटी बड़ी गाड़ियां पालनपुर, मेहसाणा व अहमदाबाद (गुजरात) जा रही हैं जिसमें गरीब लोगों को भारी आर्थिक नुकसान के साथ समय की बरबादी हो रही है। सिरोही में पैथोलोजिस्ट के अभाव में ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं की सुविधा आमजन को नहीं मिल पा रही है तथा ब्लड बैंक बंद होने के कगार पर है। जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर की बात करें तो भवन बनकर विभाग को सुपुर्द किये महिनों बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसमें न तो संसाधन उपलब्ध हुए और न ही डाक्टरों की नियुक्ति की गई है। सिरोही जिले में नेशनल हाइवे 14 पर बारीघाटा, शनिधाम उडा नाला सहित राजमार्गों पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें अभी सैंकडों लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण जान गंवानी पड़ी हैं एवं दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को चिकित्सकों की कमी एवं सुविधाओं के अभाव में केवल रेफर किया जा रहा है जिसमें बडी संख्या घायलों की बीच रास्ते में ही इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। अतः ट्रोमा सेंटर को जल्दी से जल्दी शुरू किया जावे। विधानसभा क्षेत्र में शिवगंज में 5 डाक्टरों के पद खाली हैं, पालड़ी एम. में एक, कालन्द्री में 3 पद खाली है जिले के 6 में से 5 सी.एस.सी. सेन्टर पर तीन-तीन डाक्टर लगाये गये हैं जबकि सबसे पुरानी एवं उप तहसील के सी.एस.सी. पर मात्र एक ही डाक्टर लगाया गया है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है एवं आमजन को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही हैं। सिरोही जिले में स्थानान्तरित 8 चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण चिकित्सा सुविधा प्रभावित हो रही है। इसलिए 8 चिकित्सकों को कार्यग्रहण कराने को पाबन्द करते हुए चिकित्सकों के विशेषज्ञ पदों जैसे-पैथोलोजिस्ट, अस्थी रोग, रेडियोलोजिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ को तत्काल प्रभाव से भरने की व्यवस्था करावें।

ओटाराम देवासी

(सिरोही)

अजमेर की आनासागर झील की दुर्दशा

अजमेर स्थित विश्वविख्यात ऐतिहासिक आनासागर झील एवं इसके किनारे पर स्थित बारादरी एवं दौलत बाग को देखने के लिए स्थानीय नागरिकों के अलावा हजारों पर्यटक प्रतिदिन यहां आते हैं। परन्तु अत्यन्त दुःखद स्थिति है कि यह झील गत दिनों से घोर दुर्दशा का शिकार हो रही है।

इस झील के पानी से उठती तीव्र दुर्गन्ध के कारण झील का सौन्दर्य एवं आस-पास स्थित ऐतिहासिक इमारतों को देखने आने वाले पर्यटकों का एक मिनट भी ठहरना मुश्किल हो रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटक तो झील की दुर्दशा देखकर तत्काल वहां से चले जाते हैं परन्तु इस झील के आस-पास बसी रिहायशी कालोनियों के नागरिकों का जीवन नारकीय हो रखा है। इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां बन्द रखने के उपरान्त भी तीव्र दुर्गन्ध से नहीं बच पा रहे हैं। झील के चारों ओर स्थित मुख्य मार्ग-पुष्कर रोड, आनासागर सरक्यूलर रोड, वैशाली नगर मार्ग आदि से गुजरने वाले वाहनों में सवार व्यक्तियों का दुर्गन्ध के कारण बुरा हाल हो जाता है। कई वाहनधारियों को तो सड़क पर उलटियां तक हो जाती हैं तथा कई बार दुर्गन्ध से जी खराब होने व ध्यान बंटने से वाहन दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।

आनासागर झील से दुर्गन्ध उठने की समस्या गत वर्षों से लगातार चल रही है, परन्तु अजमेर नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। ना तो झील में प्रवेश करने वाले गन्दे पानी क नालों पर रोक लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी और ना ही झील के पानी की नियमित सफाई की कोई पुख्ता व्यवस्था की गयी।

कई दिनों तक तीव्र दुर्गन्ध उठने पर नागरिकों में बढ़ते रोष को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा झील के पानी एवं आस-पास के क्षेत्र में दिखावे की सफाई करवाकर नागरिकों को अस्थायी राहत दिये जाने का प्रयास किया जाता है जो कि कुछ दिनों तक ही चलता है तथा झील से पुनः दुर्गन्ध उठना प्रारम्भ हो जाता है।

अतः मेरा आग्रह है कि इस विश्वविख्यात झील का अस्तित्व तथा इसका व इसके किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों का सौन्दर्य बचाये रखने के लिए यहां आने वाले हजारों-लाखों पर्यटकों व इसके आस-पास स्थित रिहायशी कालोनियों के निवासियों को दुर्गन्ध के कारण हो रही भारी असुविधा से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ठोस एवं प्रभावी

कार्यवाही हेतु अजमेर नगर निगम एवं जिला प्रशासन को पाबन्द किया जाना चाहिए।

वासुदेव देवनानी
(अजमेर उत्तर)

डेगाना की सांजू एड पोस्ट का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सांजू कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं का भारी अभाव है। सांजू कस्बे की आबादी लगभग 5000 हजार से अधिक है। यह कस्बा उपतहसील मुख्यालय है जो उपखण्ड मुख्यालय डेगाना से 30 किमी. की दूरी पर स्थित है। सांजू कस्बा प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से आस-पास के गांव एवं ढाणियों का केन्द्र बिन्दु है, लेकिन यहां के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा के नाम पर केवल यहां एक उच्चीयकृत केन्द्र (एड पोस्ट) है जो कस्बे के आबादी एवं आस-पास के गांवों व ढाणियों के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यहां के नागरिकों व आस-पास की 30 किमी. की परिधि के बाशिंदों को चिकित्सा सुविधा हेतु डेगाना, अजमेर एवं नागोर जाना पड़ता है। तथा सांजू कस्बा राज्य मार्ग संख्या 60 पर स्थित होने के कारण इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है।

सांजू कस्बे में वर्तमान में उच्चीकृत केन्द्र (एड पोस्ट) है। चिकित्सा सुविधा के अभाव को देखते हुए कुछ समय पूर्व ही सांजू कस्बे में भामाशाह सारडा परिवार ने यहां एक शानदार अस्पताल का निर्माण कराया है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भौतिक सुविधाओं की पूर्ति करता है। इस उच्चीकृत केन्द्र (एड पोस्ट) को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर राज्य सरकार को भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किसी प्रकार के वित्तीय संसाधन की आवश्यकता भी नहीं होगी।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सांजू कस्बे में भामाशाह द्वारा निर्मित चिकित्सालय को शीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें एवं 108 एम्बुलेंस भी उपलब्ध करायें, ताकि इस कस्बे व आस-पास के नागरिकों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके।

अजय सिंह
(डेगाना)

कृषि विद्युत कनेक्शन नीति में संशोधन पश्चात् आवेदकों को राहत पहुंचाया जाना

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के किसानों हेतु बनाई गई कृषि विद्युत नीति में कुछ विसंगतियां व भ्रांतियां हैं, जिसके कारण आवेदकों को कृषि कनेक्शन से वंचित रहना पड़ता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. कृषि विद्युत कनेक्शन नीति में वर्तमान सैनिक/भूतपूर्व सैनिकों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान तो है, लेकिन इसका लाभ सभी वर्तमान सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को नहीं मिल पा रहा है, कारण है कि वर्तमान सैनिक/भूतपूर्व सैनिक को पिता के जीवित होने पर राजस्व खातेदारी अधिकार नहीं है, इसलिए जब तक वर्तमान सैनिक/भूतपूर्व सैनिक के स्व. के नाम जमीन नहीं होगी तब तक उसे 3 साल की वरीयता का लाभ नहीं मिल सकता है, जबकि उसके पास पैतृक जमीन उसके पिता के नाम उपलब्ध होती है। अतः उक्त विसंगति को दूरकर वर्तमान सैनिक/भूतपूर्व सैनिक को उसके पैतृक जमीन पर 3 साल की वरीयता प्रदान करने के आदेश दिलावें।

इसी प्रकार विद्युत विभाग (डिस्काम) के वर्तमान कर्मचारियों को तो कृषि विद्युत कनेक्शन देने में तीन साल की वरीयता का लाभ दिया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उसके आश्रितों को उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन में 3 साल की वरियता का लाभ नहीं दिया जाता है। अतः उक्त विसंगति को भी दूर करावें।

2. वर्तमान कृषि नीति अनुसार अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति से जमीन खरीदने के उपरान्त भी कृषि विद्युत कनेक्शन देने में 3 साल पूर्व से जमीन की खातेदारी होना आवश्यक है। अतः अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति की जमीन बेचान पर तुरन्त योजना का लाभ देकर 3 वर्ष पूर्व की जमीन संबंधी बाध्यता को समाप्त कर कृषि विद्युत कनेक्शन देने के आदेश दिलावें।

3. राजस्थान के मरुस्थलीय एवं सीमावृत्ति क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने से वंचित रखा जा रहा है, जबकि अन्य सब ट्राइबल प्लान (STP) के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति के किसानों को अनुसूचित जाति की तरह तुरन्त प्राथमिकता पर कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अतः मरुस्थलीय

क्षेत्र एवं सीमावृर्ती क्षेत्र में बसने वाले सभी अनुसूचित जाति के किसानों को भी सब ट्राइबल प्लान (STP) में सम्मिलित करें, ताकि अनुसूचित जनजाति के किसानों को भी तुरन्त प्राथमिकता वाले कृषि विद्युत कनेक्शन का लाभ मिल सके अथवा इस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के किसानों को भी अनुसूचित जाति के किसानों की तरह तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर योजना में कनेक्शन देने के आदेश दिलावें।

4. किसानों के भूमि संबंधी विवाद के कारण व भाइयों की आपसी सहमति नहीं होने व भाइयों में आपसी अनबन होने के कारण व कृषि की तरमीम नहीं होने की स्थिति में वरियता से आए हुए कनेक्शन से भी वंचित रहना पड़ता है, जबकि किसानों की खातेदारी भूमि में हिस्सेदारी के अनुसार विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा आपसी सहमति के अभाव में अथवा किसी सह-खातेदार की असहमति पर विद्युत कनेक्शन जारी करने से रोक दिया जाता है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में यदि माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं है तो राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि हिस्सेदारी एवं मौका कब्जा कास्त प्रमाणित करने के पश्चात कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने के आदेश प्रसारित किए जावें।

अतः उपरोक्त सभी बिन्दु 1 से 4 तक को आगामी कृषि विद्युत कनेक्शन नीति में सम्मिलित किया जाए, जिससे किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन से लाभान्वित किया जा सके।

बाबूसिंह राठौड़
(शेरगढ़)

नीमकाथाना में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र महावा की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में प्रस्तावित नये औद्योगिक क्षेत्र महावा की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब की ओर राज्य सरकार एवं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहित करने नीति बनी हुई है जिसके अन्तर्गत एकल खिड़की जैसी महती योजना उद्योगों में निवेश की सुविधा उद्यमियों को प्रदत्त करने हेतु सरकार ने बनाई।

मेरा क्षेत्र खनिज उत्पादों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर खनिज पदार्थों की बहुतायत है जिसके कारण से प्रदेश के ही नहीं, अपितु देश-विदेश तक के उद्योगपति अपना उद्योग यहां स्थापित करना चाहते हैं। परन्तु मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र में कोई जगह ही शेष नहीं बची है और इसी को ध्यान में रखते हुए तीन वर्ष पूर्व नये औद्योगिक क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करके स्थान भी चिन्हित कर लिया गया था तथा संबंधित पंचायत की भूमि, जिसमें 127 हैक्टेयर सरकारी सिवाय चक है तथा 123 हैक्टेयर काश्तकारों की बंजर व बेकार भूमि जो ऊबड-खाबड अवस्था में है, उसको सम्मिलित किया गया है, इसकी एनओसी भी उद्योग विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी। परन्तु आज दिन तक यह योजना मात्र कागजों तक ही सीमित है, जबकि मेरे क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता भी प्रचुर मात्रा में है।

मेरे क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल श्रमिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, युवा बेरोजगार भी भारी संख्या में हैं, यदि यहां पर नया औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रदेश की प्रगति के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा। उद्योग मंत्रीजी चूंकि स्वयं सीकर जिले का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि नीमकाथाना में नया औद्योगिक क्षेत्र-महावा को इनके कार्यकाल में भी स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर हमारा राज में रहने का क्या फायदा जनता को हम दे सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि तुरन्त प्रभाव से नीमकाथाना में महावा औद्योगिक क्षेत्र नया स्वीकृत कर क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचायें जो कि एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। धन्यवाद।

रमेश खण्डेलवाल

(नीमकाथाना)

सूरसागर के कमला नेहरू नगर स्थित ई.एस.आई. चिकित्सालय में रिक्त पद एवं सुविधाओं का विस्तार

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के ई.एस.आई. अस्पताल, कमला नेहरू नगर के उपयोगिता बढ़ाने और इससे बढ़े अस्पतालों से रोगी संख्या समायोजन की संभावना की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

वर्तमान इस अस्पताल में 62500 से अधिक बीमित पंजीकृत हैं अर्थात् शहर की ढाई लाख से अधिक की आबादी अपनी चिकित्सकीय

आवश्यकताओं हेतु आश्रित है और इस हेतु एक विशाल भवन अस्पताल के लिए उपलब्ध है। परन्तु अस्पताल में व्यवहारिक रूप से अनेक कमियों के चलते यह अस्पताल रेफर होकर आने वाले मरीजों को आगे रेफर करने का केन्द्र बनकर रह गया है। अतः मेरी मांग है कि :

1. अस्पताल में स्वीकृत सभी पदों को अविलम्ब भरा जावे। अस्पतालों की यथार्थ उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से रिक्त एम.ओ. के 3 पदों पर गायनी, रेडियालोजिस्ट, एनस्थीसिया के विशेषज्ञता वाले एम.ओ लगाये जावें। इसी प्रकार रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियम का पद अविलम्ब भरा जावे। जुलाई 2012 में एस.एम.ओ. के दो पद सेवानिवृत्त से रिक्त होने वाले हैं, अभी से इस हेतु दो एस.एमव.ओ. जो कि गायनी और नेत्ररोग/पैथोलोजी में विशेषज्ञता धारक हो, का चुनाव कर पदस्थापित किया जावे।
2. श्रमिक क्षेत्रों से रोगियों विशेषतः आसन्न प्रसवा स्त्रीयों को लाने के लिए अस्पताल में आधुनिकतम सुविधायुक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराई जावें। एंबुलेंस हेतु वाहन चालक का पद और मेंटनेंस फण्ड अलग से जारी किया जावे।
3. अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन, ट्रेडमिल आधुनिकतम सोनोग्राफी मशीन और विशेष रक्त जांच के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जावें। साथ ही ब्लड बैंक बनाया जावें।
4. अस्पताल में सफाई, उद्यान रख-रखाव, सुरक्षा के लिए बजट प्रावधान बहुत कम है। इसे बढाया जावे।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

नगर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी

विधान सभा क्षेत्र नगर के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर में 7 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, किन्तु केवल एक ही चिकित्सक है और जो भी प्रतिनियुक्ति से लगा रखा था। उसका स्थानान्तरण कर दिया है जहां 300 की आउटडोर है, वहां एक डाक्टर को सब का इलाज के लिए देखना असंभव हो गया है, जननी सुरक्षा योजना जो सरकार के हृदय के नजदीक है, पर गायनोलोजिस्ट की मांग लगातार तीन सालों से हो रही है,

भाजपा के शासन में गायनोलोजिस्ट की मांग लगातार तीन सानों से हो रही है, भाजपना के शासन में गायनोलोजिस्ट वहां था पर अपने आते ही उसे हटा दिया। विधान सभा क्षेत्र नगर के सीकरी अस्पताल में भी डाक्टरों की कमी है वहां से भी आपने डाक्टर हटा दिया और उप स्वास्थ्य केन्द्र सुन्दरावली, मानौता, मुंडिया व अन्य में डाक्टरों की व्यवस्था करें क्योंकि क्षेत्र के मरीज जब अस्पतालों में जाते हैं, उन्हें अलवर, भरतपुर रेफर कर दिया जाता है, डाक्टरों के नहीं होने से मरीजों को देखने वाला नहीं है। निःशुल्क दवा का भी एक काउन्टर होने के कारण मरीजों की लम्बी कतार लगी रहती है, उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति बदत्तर है जो अस्पताल बने हुए हैं वहां न तो बिजली का कनेक्शन है न पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है इन अस्पतालें में जो स्टाफ क्वाटर बने हुए हैं उनकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण में पहुंच गयी है जिस कारण इनमें कोई भी कर्मचारी/अधिकारी नहीं रहता है। सरकार इन स्टाफ क्वाटरों की मरम्मत करावे। आम आदमी सरकारी अस्पताल में डाक्टर नहीं होने के व उचित देखभाल नहीं होने व निजी अस्पताल महंगे होने के कारण गरीब को परेशानी होती है और लुटने को मजबूर होते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अस्पतालों में पर्याप्त डाक्टर लगाये जावें व निःशुल्क दवा वितरण के अधिक काउन्टर खुलवायें, जिससे मरीजों को समय पर दवा मिल सके।

अनीता सिंह

(नगर)

सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर एवं ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन स्थान घोषित किया जाना

मैं राज्य सरकार एवं माननीय पर्यटन विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना का अधिकांश क्षेत्र अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसमें खासतौर से तहसील मुख्यालय सिवाना कस्बे के इर्द-गिर्द विद्यमान छप्पन की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हल्देश्वर, शुक्लेश्वर, थान माता हिंगलाज भीमगोडा व कोटेश्वर महादेव पंच तीर्थों के रूप में विख्यात है। वहीं कस्बे के पार्श्व भाग में ऐतिहासिक एवं प्राचीन गढ़ विद्यमान है। जहां दूर-दूर से पर्यटकगण दर्शनार्थ पहुंचते हैं। इनमें से भी करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थराज हल्देश्वर जहां एक और क्षेत्र में आबू पर्वत के सदृश दर्शकों को बरबस

आकर्षित करता है। वहीं यह पूर्व में अत्यंन्त प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी रहा है। यहां जोधपुर के पूर्व नरेश राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होकर अपने बिरवै (कष्ट के दिनों को) के दिनों को हल्देश्वर की पर्वत श्रृंखलाओं में ही काटा था। जबकि जोधपुर के तात्कालिक नरेश जसवंत सिंह के आकस्मिक निधन पर उनके शिशु पुत्र अजीत सिंह को इन्हीं हल्देश्वर के पहाडों में वीरवर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में रखा गया था। वही बादशाह औरंगजेब के पोते-पोती (जो आज भी पूंगला-पूंगली के नाम से क्षेत्र में विख्यात है) को भी वीरवर दुर्गादास के हवाले यहीं रखा गया था। उस जमाने में निर्मित कोट एवं परकोट आज भी यहां सुरक्षित खड़े हैं। हल्देश्वर पर एक प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान है। जहां क्षेत्र व दूर-दूर से शिव भक्त हर सोमवार को सैकडों की संख्या में दर्शनार्थ हेतु यहां आते हैं। अब यहां भव्य शिव मंदिर निर्माणाधीन है। अतः इस दोहरे महत्व के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रबल आवश्यकतायें हैं। सिवाना का ऐतिहासिक दुर्ग जो लगभग 11वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। यहां की पहाडी पर सुरक्षित खड़ा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

रेवदर में डी.ए.पी. खाद व यूरिया की अपर्याप्त आपूर्ति

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के किसानों को समय पर डी.ए.पी. खाद्य व यूरिया की सप्लाई नहीं होने से किसानों को दूर-दराज तक जाना पड़ता है तथा ऊंचे भाव में खरीदना पड़ रहा है। बाजार में उक्त डी.ए.पी. खाद्य व यूरिया भी उच्च क्वालिटी के नहीं होने से किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में डी.ए.पी. खाद्य व यूरिया की सप्लाई समय पर संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

जोधपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। इन सड़कों पर चलना कमाण्डों ट्रेनिंग पास करने जैसा ही है। कोई मौहल्ला, गली और मुख्य सड़क ऐसी नहीं, जहां वाहन चालक को हिचकोले ने लगे। ये सड़कें शहरवासियों की सेहत के लिये खतरनाक साबित हो रही हैं। सडकों के कारण अस्पतालों के आर्थोपेडिक विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों को स्लिप डिस्क, कमर दर्द जैसी शिकायतें बढ़ने लगी है। गढ्ढों भरी सडकों से गुजरते समय अर्ली प्रेग्नेंसी में गर्भपात की आशंका बढ जाती है। ये गढ्ढे गर्भवतियों के लिये मानो जानलेवा है। टूटी सड़कें जेब पर भारी पड़ रही हैं। वाहनों की मरम्मत पर हजारों रुपये फूंकने पड़ रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली आदि मूलभूत सुविधा पाने के लिये राज्य का आम आदमी 26 तरह के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर चुका रहा है। उसके बावजूद प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर अच्छी सड़कों से वंचित है। जोधपुर शहर में अधिकांश प्रमुख सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं। शेष सड़कें नगर निगम व जेडीए के खाते में आती हैं। नगर निगम मात्र सड़कों के रखरखाव का काम भी बजट के अभाव में नहीं करती है। सड़क निर्माण के समय न तो अफसर और न ही ठेकेदार तय मानक का ध्यान रखते हैं। इसके साथ ही सड़क लेवल व पानी की समुचित निकासी व्यवस्था की भी अनदेखी की जाती है। ऐसे में मामूली बारिश में सड़कें खस्ताहाल हो जाती हैं। इस हेतु बरसात के पानी के निकासी हेतु नालों की व्यवस्था की जावे।

अतः आपसे अनुरोध है कि जोधपुर में उक्त खस्ताहाल सड़कों की शीघ्र मरम्मत करावें तथा वर्ष के बाद नई सीमेन्ट की सड़कें, विशेषकर परकोटे में चारदीवारी के अन्दर तथा झालामण्ड क्षेत्र के मधुबन, सरस्वती नगर तथा डीकेके कालोनी की सड़कें अवश्य बनायी जावें तथा इस हेतु निविदा आमंत्रित की जावे, जिसमें कम से कम एक वर्ष की गारंटी की शर्त रखी जावे।

कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)